



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

## विनियोग लेखे 2023-24

राजस्थान सरकार



**विनियोग लेखे**

**वर्ष 2023-2024 के लिए**

**राजस्थान सरकार**



## विषय सूची

	पृष्ठ सं.
विनियोग लेखे की भूमिका	1-3
विनियोग लेखों का सारांश	4-19
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	20-21
विनियोग लेखे :	
01. राज्यपाल	22
02. राज्य विधान मण्डल	23-25
03. ब्याज अदायगियां	26
04. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	27-29
05. लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड	30-32
06. विधि एवं विधिक कार्य विभाग	33-37
07. मन्त्रिपरिषद	38-39
08. सचिवालय	40-42
09. निर्वाचन विभाग	43
10. वाणिज्यिक कर विभाग	44-47
11. पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग	48-49
12. आबकारी विभाग	50
13. कोष एवं लेखा प्रशासन	51-54
14. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	55-56
15. पेंशन	57
16. राजस्व विभाग	58-62
17. सामान्य प्रशासन विभाग	63-67
18. गृह विभाग	68-75
19. कारागार विभाग	76-77
20. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	78-84
21. माध्यमिक शिक्षा विभाग	85-93
22. उच्च शिक्षा विभाग	94-100
23. संस्कृत शिक्षा विभाग	101-103
24. तकनीकी शिक्षा विभाग	104-108
25. कला एवं संस्कृति विभाग	109-113
26. युवा मामले एवं खेल विभाग	114-115
27. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	116-126
28. चिकित्सा शिक्षा विभाग	127-139

	पृष्ठ सं.
29. आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	140-145
30. जनजातिय क्षेत्र विभाग	146-246
31. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	247-261
32. महिला एवं बाल विकास विभाग	262-269
33. सैनिक कल्याण विभाग	270-271
34. श्रम एवं रोजगार विभाग	272-276
35. अल्पसंख्यक मामलात विभाग	277-282
36. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	283-293
37. देवस्थान विभाग	294-295
38. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	296-297
39. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	298-299
40. स्वायत्त शासन विभाग	300-316
41. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	317-334
42. जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	335-354
43. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	355-356
44. सार्वजनिक निर्माण विभाग	357-365
45. वन एवं पर्यावरण विभाग	366-372
46. कृषि विभाग	373-384
47. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	385-390
48. उद्यानिकी विभाग	391-395
49. गोपालन विभाग	396-397
50. सहकारिता विभाग	398-402
51. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	403-504
52. पंचायती राज विभाग	505-512
53. ग्रामीण विकास विभाग	513-519
54. ऊर्जा विभाग	520-524
55. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग	525-526
56. उद्योग विभाग	527-533
57. पेट्रोलियम विभाग	534-535
58. खान विभाग	536-538
59. पर्यटन विभाग	539-541
60. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	542-550

	पृष्ठ सं.
61. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	551-552
62. परिवहन विभाग	553-556
63. आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग	557-559
64. अन्य सामान्य सेवाएं	560-563
परिशिष्ट - व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण	564-569





## विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

*इन लेखों में:-*

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्णों के लिए प्रयुक्त है।

*प्रभारित* विनियोग और व्यय *तिरछे* अंकों से दिखाये गये हैं।

फरवरी 2016 में राजस्थान राज्य विधानसभा की पीएसी द्वारा अपने पत्र संख्या एफ.9(3) पीएसी/सिविल/2018/4182 दिनांक 03.02.2016 द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित मानदंड को विनियोग लेखों में टिप्पणियों के लिए अपनाया गया है:

### अ. अनुदान या विनियोग में समग्र बचत

1. यदि किसी अनुदान/विनियोग में किये गये कुल प्रावधान से 2 प्रतिशत से कम समग्र बचत है तो उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अन्तर्गत बचत के लिये टिप्पणी या टीका की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोजन के लिए राजस्व (दत्तमत), राजस्व (प्रभारित), पूंजी (दत्तमत) तथा पूंजी (प्रभारित) को पृथक अनुदान/विनियोग माना जावे।

2. उन मामलों में भी जहां अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत समग्र बचत 2 प्रतिशत या इससे अधिक है:

क. उपशीर्ष/समूह शीर्ष जहां बचत के लिए किये गए प्रावधान के 10 प्रतिशत या कम है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ख. यदि किसी उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अन्तर्गत बचत उसके अन्तर्गत किये गये कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक भी है, तो विनियोग लेखों में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है-

i. यदि अनुदान के नीचे 'राजस्व एवं पूंजी के अन्तर्गत कुल प्रावधान दत्तमत एवं प्रभारित' दोनों के संबंध में है-

1. ₹ 100 करोड़ से अधिक है तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत बचत ₹ 1 करोड़ से कम है;
2. ₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़ के बीच है तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹ 50 लाख से कम है;
3. ₹ 50 करोड़ से कम है तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत बचत ₹ 40 लाख से कम है ।

ii. 'राजस्व-प्रभारित' तथा 'पूंजी-प्रभारित' के संबंध में (प्रभारित विनियोग के अलावा) यदि उप शीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत बचत ₹ 10 लाख से कम है ।

3. बचत को आधिक्य से प्रति संतुलित किये जाने पर आधिक्य के लिये ऊपरलिखित प्रावधान ही रहेंगे।

#### ब. अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य

1. यदि किसी अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत किया गया व्यय उसके अन्तर्गत किये गये प्रावधान से अधिक हुआ है तो आधिक्य का नियमन आवश्यक है यद्यपि, विनियोग लेखों में उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य के लिये स्पष्टीकरण केवल नीचे दिये अनुसार दिये जावें:

क. यदि किसी उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य, उसके अन्तर्गत किये गये प्रावधान से 10 प्रतिशत से अधिक है तथा अंतिम आधिक्य ₹ 20 लाख से अधिक है ।

ख. निम्नलिखित मामलों में यदि किसी उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उसके अन्तर्गत किये गये प्रावधान से 10 प्रतिशत से कम है (पुनर्विनियोजन द्वारा अतिरिक्त प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में) तो भी विनियोग लेखों में स्पष्टीकरण दिया जावे:

i. यदि अनुदान के नीचे 'राजस्व एवं पूंजी के अन्तर्गत कुल प्रावधान दत्तमत एवं प्रभारित' दोनों के संबंध में है-

1. ₹ 100 करोड़ से अधिक तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹ 1 करोड़ से अधिक है।

2. ₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़ के बीच है तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹ 50 लाख से अधिक है;
3. ₹ 50 करोड़ से कम है तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य ₹ 10 लाख से ज्यादा तथा/अथवा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित आधिक्य ₹ 40 लाख से ज्यादा हो ।

ii. 'राजस्व-प्रभारित' तथा 'पूंजी-प्रभारित' के सम्बन्ध में (प्रभारित विनियोग के अलावा) उपशीर्ष/ समूह शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य यदि ₹ 10 लाख से अधिक है ।

2. आधिक्य को बचत द्वारा प्रति संतुलित किये जाने पर बचत के लिये उपरोक्त बचत के प्रावधान लागू होंगे।
3. उपशीर्ष/समूह शीर्ष के संदर्भ में यदि आधिक्य 10 प्रतिशत से कम है तो विनियोग लेखे में स्पष्टीकरण बताया जायेगा ।
4. प्रावधान के बिना व्यय होने पर राजस्व तथा पूंजी दोनों प्रकरणों में स्पष्टीकरण दिया जायेगा ।

महालेखाकार (लेखा व हक.) को भिन्नता के ऐसे सभी मामलों को उपरोक्त सीमाओं का ध्यान किये बिना विनियोग लेखों में शामिल करने का अधिकार होगा जहां मामलों को विधानसभा के ध्यान में लाया जाना आवश्यक समझा जाये।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में)			
01. राज्यपाल दत्तमत प्रभारित	.. 22,23,53	7,21,59 ..	.. 20,71,33
02. राज्य विधान मण्डल दत्तमत प्रभारित	1,06,15,31 63,41	10,78,65 ..	85,68,43 27,31
03. ब्याज अदायगियां प्रभारित	3,45,61,04,96	..	3,41,29,22,46
04. लोक ऋण का पुनर्भुगतान प्रभारित	..	17,38,72,85,23	..
05. लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड दत्तमत प्रभारित	1,13,82,05 66,41,41	11,71,01 ..	39,79,79 57,64,65
06. विधि एवं विधिक कार्य विभाग दत्तमत प्रभारित	15,95,00,78 2,24,38,60	3,49,43,40 ..	15,24,73,37 2,10,97,55
07. मन्त्रिपरिषद दत्तमत	23,40,00	2,50,00	22,10,65
08. सचिवालय दत्तमत प्रभारित	4,12,38,09 8,06	1,20,98,02 ..	3,79,06,99 ..
09. निर्वाचन विभाग दत्तमत प्रभारित	5,00,16,15 1	3,00,00 ..	4,91,92,39 ..
10. वाणिज्यिक कर विभाग दत्तमत प्रभारित	12,17,68,78 97	73,03,95 ..	10,26,52,90 96
11. पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग दत्तमत प्रभारित	2,35,87,03 13,01	24,19,05 ..	2,09,16,13 13,01

## लेखों का सारांश

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
4,54,02	..	2,67,57	..	..
..	1,52,20	..	..	..
5,70,86	20,46,88	5,07,79	..	..
..	36,10	..	..	..
..	4,31,82,50	..	..	..
16.39,98,57,75	..	98,74,27,48	..	..
7,98,19	74,02,26	3,72,82	..	..
..	8,76,76	..	..	..
1,19,51,04	70,27,41	2,29,92,36	..	..
..	13,41,05	..	..	..
1,16,81	1,29,35	1,33,19	..	..
9,20,15	33,31,10	1,11,77,87	..	..
..	8,06	..	..	..
1,05,83	8,23,76	1,94,17	..	..
..	1	..	..	..
42,11,21	1,91,15,88	30,92,74	..	..
..	1	..	..	..
7,50,18	26,70,90	16,68,87	..	..
..	..	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
12. आबकारी विभाग दत्तमत प्रभारित	1,92,88,82 1	25,00,01 ..	1,91,09,07 ..
13. कोष एवं लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	20,75,30,75 3	2,46,71 ..	16,19,73,52 ..
14. राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग दत्तमत प्रभारित	18,57,33,62 1,28	1,29,78,63 ..	18,35,98,26 1,27
15. पेंशन दत्तमत प्रभारित	2,72,34,55,62 20,00,04	.. ..	2,71,99,96,87 3,34,39
16. राजस्व विभाग दत्तमत प्रभारित	19,95,57,23 21,50	74,73,97 ..	16,70,31,36 21,43
17. सामान्य प्रशासन विभाग दत्तमत प्रभारित	2,84,56,00 4	2,06,09,56 ..	2,66,49,66 ..
18. गृह विभाग दत्तमत प्रभारित	93,19,31,71 20,32	3,27,38,88 ..	87,27,73,93 20,29
19. कारागार विभाग दत्तमत प्रभारित	2,92,19,27 2	19,07,32 ..	2,71,43,62 ..
20. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	1,89,21,89,89 6,00,00	4,35,62,22 ..	1,45,95,35,06 4,33,87
21. माध्यमिक शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	2,35,82,37,11 14,00,01	10,66,20,82 ..	2,28,21,43,63 13,73,86

## लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में )				
49,77	1,79,75	24,50,24	..	..
..	1	..	..	..
25,96	4,55,57,23	2,20,75	..	..
..	3	..	..	..
51,75,36	21,35,36	78,03,27	..	..
..	1	..	..	..
..	34,58,75	..	..	..
..	16,65,65	..	..	..
12,28,08	3,25,25,87	62,45,89	..	..
..	7	..	..	..
80,83,77	18,06,34	1,25,25,79	..	..
..	4	..	..	..
84,00,94	5,91,57,78	2,43,37,94	..	..
..	3	..	..	..
14,07,21	20,75,65	5,00,11	..	..
..	2	..	..	..
95,83,06	43,26,54,83	3,39,79,16	..	..
..	1,66,13	..	..	..
6,49,80,49	7,60,93,48	4,16,40,33	..	..
..	26,15	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
22. उच्च शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	21,03,17,00 10,00,00	7,09,00,98 ..	18,52,68,01 11,32,11
23. संस्कृत शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	6,51,98,80 1	9,63,58 ..	5,76,73,07 ..
24. तकनीकी शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	4,07,93,82 5,70	71,02,73 ..	3,63,87,19 5,69
25. कला एवं संस्कृति विभाग दत्तमत प्रभारित	2,63,04,22 2	16,80,90 ..	1,14,93,33 ..
26. युवा मामले एवं खेल विभाग प्रभारित	3,39,90,15	3,22,07,62	3,22,65,52
27. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दत्तमत प्रभारित	98,06,39,80 65,03	8,68,15,00 ..	92,48,32,82 31,00
28. चिकित्सा शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	33,44,47,27 9,64	15,62,93,64 ..	31,32,83,42 8,60
29. आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग दत्तमत प्रभारित	12,14,07,03 20,62	86,54,85 ..	10,55,45,70 20,51
30. जनजातिय क्षेत्र विभाग दत्तमत प्रभारित	2,21,56,76,97 4	72,91,36,05 ..	1,82,64,74,58 ..



## लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में )				
5,85,12,12	2,50,48,99	1,23,88,86	..	..
..	..	..	1,32,11	..
			(आधिक्य ₹ 1,32,11,466)	
3,48,72	75,25,73	6,14,86	..	..
..	1	..	..	..
56,56,40	44,06,63	14,46,33	..	..
..	1	..	..	..
2,40,48	1,48,10,89	14,40,42	..	..
..	2	..	..	..
1,82,12,80	17,24,63	1,39,94,82	..	..
6,25,36,28	5,58,06,98	2,42,78,72	..	..
..	34,03	..	..	..
5,35,70,89	2,11,63,85	10,27,22,75	..	..
..	1,04	..	..	..
40,05,82	1,58,61,33	46,49,03	..	..
..	11	..	..	..
50,51,16,42	38,92,02,39	22,40,19,63	..	..
..	4	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
31. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दत्तमत प्रभारित	89,41,65,66 28,27	1,97,56,38 ..	80,42,39,54 26,75
32. महिला एवं बाल विकास विभाग दत्तमत प्रभारित	26,90,08,88 3,83	28,24,11 ..	21,75,88,56 2,25
33. सैनिक कल्याण विभाग दत्तमत	86,89,07	5,33,84	72,97,81
34. श्रम एवं रोजगार विभाग दत्तमत प्रभारित	16,86,36,23 5	1,36,06,66 ..	15,77,97,81 ..
35. अल्पसंख्यक मामलात विभाग दत्तमत	2,67,57,94	3,19,41,75	1,86,20,03
36. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग दत्तमत प्रभारित	59,40,90,69 2	9,10,17 ..	41,03,76,39 ..
37. देवस्थान विभाग दत्तमत प्रभारित	78,54,05 2	22,00,00 ..	69,51,78 ..
38. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग दत्तमत प्रभारित	3,63,33,48 1	14,22,73 ..	3,53,86,12 ..
39. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग दत्तमत प्रभारित	16,51,80 1	2,53,41,61 ..	15,31,86 ..

## लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में )				
1,74,84,40	8,99,26,12	22,71,98	..	..
..	1,52	..	..	..
24,55,48	5,14,20,32	3,68,63	..	..
..	1,58	..	..	..
2,74,18	13,91,26	2,59,66	..	..
65,32,81	1,08,38,42	70,73,85	..	..
..	5	..	..	..
1,34,24,85	81,37,91	1,85,16,90	..	..
..	18,37,14,30	9,10,17	..	..
..	2	..	..	..
14,56	9,02,27	21,85,44	..	..
..	2	..	..	..
1,48,68	9,47,36	12,74,05	..	..
..	1	..	..	..
13,54,00	1,19,94	2,39,87,61	..	..
..	1	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में)			
40. स्वायत्त शासन विभाग दत्तमत प्रभारित	69,14,53,54 1	43,94,73,90 1	51,11,21,01 ..
41. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दत्तमत प्रभारित	50,56,39,67 4,03,04	36,64,99,69 ..	50,09,42,62 4,02,53
42. जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग दत्तमत प्रभारित	28,43,94,80 6,37,34	32,53,85,12 1,78,83	26,23,39,45 6,34,86
43. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग दत्तमत प्रभारित	49,93,43 4	4,70,09,58 10	45,48,09 ..
44. सार्वजनिक निर्माण विभाग दत्तमत प्रभारित	40,91,95,78 8,56,66	76,42,53,24 ..	39,95,19,40 8,56,62
45. वन एवं पर्यावरण विभाग दत्तमत प्रभारित	11,18,67,17 1,06,00	6,74,71,44 ..	9,74,78,87 1,06,00
46. कृषि विभाग दत्तमत प्रभारित	36,62,69,81 26,30	1,59,26,00 ..	34,27,97,06 26,30
47. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग दत्तमत प्रभारित	16,95,38,35 3	66,87,01 ..	12,87,86,76 ..

## लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
20,16,31,84	18,03,32,53	23,78,42,06	..	..
..	1	1	..	..
21,48,72,98	46,97,05	15,16,26,71	..	..
..	51	..	..	..
24,70,15,53	2,20,55,35	7,83,69,59	..	..
1,72,50	2,48	6,33	..	..
4,64,28,78	4,45,34	5,80,80	..	..
..	4	10	..	..
77,18,94,43	96,76,38	..	..	76,41,19
..	4	..	..	(आधिक्य ₹ 76,41,18,979)
5,84,75,02	1,43,88,30	89,96,42	..	..
..	..	..	..	..
1,43,69,64	2,34,72,75	15,56,36	..	..
..	..	..	..	..
64,33,58	4,07,51,59	2,53,43	..	..
..	3	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
48. उद्यानिकी विभाग दत्तमत प्रभारित	8,24,15,50 51	40,35,03 ..	5,80,63,72 50
49. गोपालन विभाग दत्तमत	18,81,05,41	50,00,01	17,98,61,85
50. सहकारिता विभाग दत्तमत प्रभारित	27,98,14,83 1	18,72,16 ..	12,08,66,44 ..
51. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना दत्तमत प्रभारित	2,80,06,91,24 1	84,28,35,17 ..	2,25,40,37,26 ..
52. पंचायती राज विभाग दत्तमत प्रभारित	90,69,50,06 2,62	12,90,52 ..	61,02,00,25 2,62
53. ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत प्रभारित	47,84,37,54 2	10,72,32,89 ..	24,90,25,99 ..
54. ऊर्जा विभाग दत्तमत प्रभारित	1,91,32,27,82 1	11,89,55,63 ..	1,75,10,72,99 ..
55. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग दत्तमत प्रभारित	14,68,50,79 6,18	4,56,51 ..	7,78,61,30 5,64
56. उद्योग विभाग दत्तमत प्रभारित	5,69,59,65 3	16,61,28 ..	3,52,48,13 ..
57. पेट्रोलियम विभाग दत्तमत	2,46,10	5,50,00,00	1,87,52

## लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में )				
3,85,00	2,43,51,78	36,50,03	..	..
..	1	..	..	..
25,67,86	82,43,56	24,32,15	..	..
2,92,72	15,89,48,39	15,79,44	..	..
..	1	..	..	..
51,65,91,12	54,66,53,98	32,62,44,05	..	..
..	1	..	..	..
8,52,92	29,67,49,81	4,37,60	..	..
..	..	..	..	..
6,06,25,46	22,94,11,55	4,66,07,43	..	..
..	2	..	..	..
5,31,93,98	16,21,54,83	6,57,61,65	..	..
..	1	..	..	..
4,41,54	6,89,89,49	14,97	..	..
..	54	..	..	..
4,04,36	2,17,11,52	12,56,92	..	..
..	3	..	..	..
5,00,00,00	58,58	50,00,00	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
58. खान विभाग दत्तमत प्रभारित	2,13,77,83 5,66	10,50,07 ..	2,00,92,26 5,63
59. पर्यटन विभाग दत्तमत प्रभारित	1,01,97,64 1	3,13,64,74 ..	78,92,00 ..
60. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग दत्तमत प्रभारित	21,95,88,48 1	7,26,17,73 ..	11,66,08,24 ..
61. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग दत्तमत प्रभारित	23,85,59 1	12,96,00 ..	14,05,35 ..
62. परिवहन विभाग दत्तमत प्रभारित	11,98,03,87 17,44	1,56,04,93 ..	10,21,27,30 17,41
63. आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग दत्तमत	2,72,41,26	1,07,50	2,48,01,73
64. अन्य सामान्य सेवाएं दत्तमत प्रभारित	91,51,04 3	17,05,13 ..	73,01,25 ..
<b>योग</b>	<b>दत्तमत</b> <b>प्रभारित</b>	<b>4,77,60,07,67</b>	<b>21,31,50,56,01 @</b> <b>3,44,73,67,40 #</b>
<b>कुल योग</b>	<b>28,33,35,40,72</b>	<b>22,16,34,71,84</b>	<b>24,76,24,23,41 @</b>

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) ₹ 02 हजार का अन्तर है।

# पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) ₹ 01 हजार का अन्तर है।



## लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
4,52,19	12,85,57	5,97,88	..	..
..	3	..	..	..
2,08,03,86	23,05,64	1,05,60,88	..	..
..	1	..	..	..
2,86,22,56	10,29,80,24	4,39,95,17	..	..
..	1	..	..	..
9,49,09	9,80,24	3,46,91	..	..
..	1	..	..	..
75,56,65	1,76,76,57	80,48,28	..	..
..	3	..	..	..
52,25	24,39,53	55,25	..	..
14,82,74	18,49,79	2,22,39	..	..
..	3	..	..	..
<b>3,17,50,97,92 *</b>	<b>3,52,37,52,26</b>	<b>1,60,85,50,94</b>	<b>..</b>	<b>76,41,19</b>
<b>16,40,00,30,25</b>	<b>4,74,97,16</b>	<b>98,74,33,92</b>	<b>1,32,11</b>	<b>..</b>
<b>19,57,51,28,17 *</b>	<b>3,57,12,49,42</b>	<b>2,59,59,84,86</b>	<b>1,32,11</b>	<b>76,41,19</b>

\* पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) ₹ 02 हजार का अन्तर है ।

**2023-24 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)**

पूंजीगत अनुभाग में निम्नलिखित एक दत्तमत अनुदान पर आधिक्य का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		₹	₹
01.	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	..	₹ 76,41,18,979

राजस्व अनुभाग में निम्नलिखित एक प्रभारित अनुदान पर आधिक्य का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		₹	₹
01.	22- उच्च शिक्षा विभाग	₹ 1,32,11,466	..

2023-24 के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई विनियोग/अग्रिम नहीं लिया गया ।

## 2023-24 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेख में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2023-24 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

<b>दत्तमत</b>			
	<b>राजस्व 1</b>	<b>पूंजी 2</b>	<b>योग 3</b>
<b>( ₹ सहस्र में )</b>			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	21,31,50,56,01	3,17,50,97,92	24,49,01,53,93
<b>घटाइये :</b> वसूलियों का योग	53,91,89,50	47,08,77,25	1,01,00,66,75
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	<b>20,77,58,66,51</b>	<b>2,70,42,20,67</b>	<b>23,48,00,87,18</b>
<b>प्रभारित</b>			
	<b>राजस्व 4</b>	<b>पूंजी 5</b>	<b>योग 6</b>
<b>( ₹ सहस्र में )</b>			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	3,44,73,67,40	16,40,00,30,25	19,84,73,97,65
<b>घटाइये :</b> वसूलियों का योग	1,45,99	..	1,45,99
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	<b>3,44,72,21,41</b>	<b>16,40,00,30,25</b>	<b>19,84,72,51,66</b>

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 564-569 पर दिया गया है ।

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

### राजस्थान सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

#### अभिमत

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही राजस्थान सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

#### अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

#### प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे राजस्थान सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए राजस्थान के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

### वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व


मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत राजस्थान के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और राजस्थान सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

### वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 11 नवम्बर 2024

स्थान: नई दिल्ली

**अनुदान संख्या 01 –राज्यपाल**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,  
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक  
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	19,66,54			
अनुपूरक	2,56,99	22,23,53	20,71,33	- 1,52,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,52,21

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,21,59			
अनुपूरक	..	7,21,59	4,54,02	- 2,67,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,67,57

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**प्रभारित**

- ₹ 152.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 129.51 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 127.48 लाख) में मुख्यतः स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय के लिए लिया गया ₹ 256.99 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
80. सामान्य				
051. निर्माण				
(30) सामान्य भवन (राजभवन में निर्माण)				
मू.	721.59			
पु.	- 267.57	454.02	454.02	..

31 मार्च 2024 को ₹ 267.57 लाख का प्रावधान (i) निर्माण कार्य पर कम व्यय होने, (ii) ₹ 65.05 लाख की बकाया देनदारियों का भुगतान नहीं करने तथा (iii) मूल अनुसूची की दरों से कम दरों पर निविदा प्राप्त होने से भी बचत रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 02 –राज्य विधान मण्डल**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2075. विविध सामान्य सेवाएं और  
 2216. आवास  
 पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	95,02,26	1,06,15,31	85,68,43	– 20,46,88
अनुपूरक	11,13,05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				20,45,22
<b>प्रभारित</b>				
मूल	63,41	63,41	27,31	– 36,10
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				36,10
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,55,00	10,78,65	5,70,86	– 5,07,79
अनुपूरक	4,23,65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5,06,28

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 (₹ 400.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 713.05 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,113.05 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

## अनुदान संख्या 02- (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
101. विधान सभा			
(01) विधान मंडल-प्रतिबद्ध			
मू .	4,538.85		
अ.	200.00	3,994.77	3,994.77
पु .	- 744.08		..

फरवरी 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 200.00 लाख का प्रावधान शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 744.08 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा के भंग होने तथा सोलहवीं विधानसभा के गठन के कारण माननीय विधानसभा सदस्यों को एक माह के अन्तिम वेतन का भुगतान नहीं होने, (ii) माननीय सदस्यों द्वारा सरकारी आवास तथा निजी सचिव की सुविधा लेने के परिणामस्वरूप भी वेतन पर कम व्यय होने तथा (iii) अध्यक्ष एवं सरकारी मुख्य सचेतक के पद रिक्त रहने के कारण पेट्रोल, डीजल पर कम व्यय होने तथा बिजली पानी पर भी कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 695.53 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 48.55 लाख) किया गया।

02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल  
103. विधान मंडल सचिवालय  
(01) विधान मंडल  
[01] स्थापना व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	4,384.19			
अ.	913.05	4,281.90	4,281.91	+ 0.01
पु .	- 1,015.34			

जुलाई, 2023 (₹ 400.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 513.05 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रशिक्षण, यात्रा, कॉन्फ्रेंस, स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 913.05 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 1,015.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) जनवरी, 2024 से देय मंहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान वर्ष के दौरान नहीं होने, (iii) नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना के अन्तर्गत विधानसभा का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण कार्य करवाने के निर्णय के कारण कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत बचत होने, (iv) सेमीनारों में आर्थिक मितव्ययता, (v) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्थान विधानसभा स्थित विद्युत उपकरणों की मशीनरी मरम्मत अनुबन्ध पर कम व्यय होने, (vi) सोलर पैनल लगने के कारण विद्युत पर कम व्यय होने, (vii) संविदा सेवाओं पर कम व्यय हुआ क्योंकि पूर्ण बजट सत्र नहीं होने के कारण सत्रकालीन स्टाफ के वेतन पर कम भुगतान होने तथा (viii) राज्य में नवीन सरकार के गठन के पश्चात डायरी प्रकाशित नहीं हो सकी क्योंकि डायरी में प्रकाशित होने वाली सामग्री के एकत्रीकरण में समय लगने तथा चुनाव आचार संहिता लागू होने को आरोपित की गयी।



अनुदान संख्या 02-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2075. विविध सामान्य सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(13) राजस्थान विधानसभा में अल्पाहार इत्यादि व्यवस्था हेतु अनुदान- प्रतिबद्ध			
[01] राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू .	120.00	..	..
पु .	- 120.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 120.00 लाख का समस्त प्रावधान: विधानसभा में सत्रकालीन भोजन व्यवस्था पर व्यय अन्य लेखा शीर्ष के माध्यम से किया गया क्योंकि यह व्यवस्था राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बजाय खुली निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों के आधार पर कराये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. अनुपूरक अनुदान द्वारा जुलाई, 2023 (₹ 118.77 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 304.88 लाख) में निर्माण कार्य हेतु लिया गया ₹ 423.65 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(27) सामान्य भवन (विधानसभा भवन का निर्माण)			
मू .	603.00	535.11	533.60
अ.	423.65		- 1.51
पु .	- 491.54		

अनुपूरक अनुदान द्वारा जुलाई, 2023 (₹ 118.77 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 304.88 लाख) में निर्माण कार्य हेतु लिया गया ₹ 423.65 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

31 मार्च 2024 को ₹ 491.54 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने, कोषालयों से बिलों के पारित नहीं होने तथा निविदा में कम दरे प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 03 - ब्याज अदायगियां**  
**मुख्य शीर्ष : राजस्व -2049. ब्याज अदायगियां**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>प्रभृत्त</b>			
मूल	3,23,93,66,91		
अनुपूरक	21,67,38,05		
		3,45,61,04,96	3,41,29,22,46 - 4,31,82,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			4,12,59,26

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**प्रभृत्त**

- ₹ 43,182.50 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 0.23 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 2,16,737.82 लाख) में लिया गया ₹ 2,16,738.05 लाख का कुल अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।
- ₹ 43,182.50 लाख की अन्तिम बचत में से राशि ₹ 1,923.24 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

## अनुदान संख्या 04 – लोक ऋण का पुनर्भुगतान

मुख्य शीर्ष : पूंजी – 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और  
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी			
प्रभृत			
मूल	9,37,65,81,79	17,38,72,85,23	16,39,98,57,75 - 98,74,27,48
अनुपूरक	8,01,07,03,44		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			98,77,53,62

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

पूंजी

प्रभृत

1. ₹ 9,87,427.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 80,10,703.44 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 9,87,427.48 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 9,87,753.62 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
शीर्ष			
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
110. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम			
(02) विशेष आहरण सीमा (एस डी एल)			
मू.	65,00,000.00		
अ.	71,00,000.00	1,23,20,702.00	..
पु.	- 12,79,298.00		

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिन प्रतिदिन के व्यय की पूर्ति हेतु विशेष आहरण सीमा के पुनर्भुगतान हेतु लिया गया ₹ 71,00,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 12,79,298.00 लाख का प्रावधान विशेष आहरण सीमा के कम पुनर्भुगतान के कारण अभ्यर्पित (₹ 9,81,069.73 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,98,228.27 लाख) किया गया।

6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज

101. एकमुश्त कर्ज

(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज

[13] राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना (ए.डी.बी.)

मू.	3,996.93		
पु.	- 3,996.93	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 3,996.93 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दोनो किशतों की मांग नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान भी इसी कारण से सम्पूर्ण प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।

## अनुदान संख्या 04--(क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[15] राजस्थान मरुक्षेत्र जल पुनर्संरचना कार्यक्रम ब्रिक्स एनडीबी			
₹.	1,920.00	1,336.98	1,336.98
₹.	- 583.02		..

31 मार्च 2024 को ₹ 583.02 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऋण की किश्त का भुगतान प्रथम बार दूसरी छ:माही में करने के परिणामस्वरूप बचत होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
110. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम			
(01) मार्गोपाय अग्रिम			
₹.	0.01	11,90,518.00	11,90,518.00
₹.	8,99,999.99		..
₹.	2,90,518.00		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,90,518.00 लाख की अतिरिक्त निधियां भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अर्धोपाय अग्रिम के पुनर्भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[09] राजस्थान अक्षत उर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम, एडीबी			
₹.	2,143.72	2,677.10	2,677.10
₹.	533.38		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 533.38 लाख की अतिरिक्त निधियां 2019-20 के दौरान लिए गये नवीन ऋणों के पुनर्भुगतान की किश्त का प्रथम बार पुनर्भुगतान 2023-24 में होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। भारत सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की राशि राज्य सरकार के खाते से सीधे नामे की गयी।

**अनुदान संख्या 04 (समाप्त)**

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[11] डिस्काम राजस्थान को वित्तीय स्थिरता सुधार हेतु सहायता (विश्व बैंक)			
मू.	11,918.93		
अ.	6,251.61	24,874.60	24,874.60
पु.	6,704.06		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,704.06 लाख की अतिरिक्त निधियां नवीन ऋणों की किश्त का प्रथम बार पुनर्भुगतान 2023-24 में होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। भारत सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की राशि राज्य सरकार के खाते से सीधे नामे की गयी।

5. निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य को देखते हुए प्रावधान में कटौती अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[01] पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन- विश्व बैंक			
मू.	659.63		
पु.	- 329.23	330.40	656.57 + 326.17

31 मार्च 2024 को ₹ 329.23 लाख का प्रावधान ऋण की द्वितीय किश्त के पुनर्भुगतान की मांग नहीं किये जाने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया।

यद्यपि, ₹ 326.17 लाख का अन्तिम आधिक्य रहा जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 05 – लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2051. लोक सेवा आयोग और

2059. लोक निर्माण कार्य

पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

कुल अनुदान या  
विनियोग

वास्तविक  
व्यय  
(₹ सहस्र में)

आधिक्य +  
बचत –

**राजस्व**

**दत्तमत**

मूल 1,13,82,05

अनुपूरक ..

1,13,82,05 39,79,79 - 74,02,26

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि (31 मार्च 2024)

74,00,89

**प्रभारित**

मूल 48,69,84

अनुपूरक 17,71,57

66,41,41 57,64,65 - 8,76,76

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि (31 मार्च 2024)

8,68,56

**पूंजी**

**दत्तमत**

मूल 3,71,01

अनुपूरक 8,00,00

11,71,01 7,98,19 - 3,72,82

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि (31 मार्च 2024)

3,72,82

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

**शीर्ष**

**कुल अनुदान**

**वास्तविक  
व्यय  
(₹ लाख में)**

**आधिक्य +  
बचत –**

2051. लोक सेवा आयोग

103. कर्मचारी चयन आयोग

(01) राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड-प्रतिबद्ध

₹. 11,352.05

3,956.76

3,955.39

- 1.37

₹. - 7,395.29

31 मार्च 2024 को ₹ 7,395.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 05 - (क्रमशः)

### प्रभारित

1. ₹ 876.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,771.57 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 876.76 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में राशि ₹ 8.20 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग			
102. राज्य लोक सेवा आयोग			
(01) राजस्थान लोक सेवा आयोग-प्रतिबद्ध			
मू.	4,869.83		
अ.	1,771.57	5,772.85	5,764.65
घ.	- 868.55		- 8.20

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन हेतु लिया गया ₹ 1,771.57 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 868.55 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) सदस्यों के तीन पद छः महीने के लिए, एक पद सदस्य सचिव, एक पद संयुक्त सचिव, एक पद मुख्य परीक्षा नियंत्रक, (सुपर टाईम स्केल) तीन महीने के लिए तथा विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 140 पदों के रिक्त रहने, (ii) विभिन्न परीक्षाओं के कम आयोजन होने, (iii) जिला कलेक्टर्स द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित अनुपयोजित राशि वापिस लौटाने तथा (iv) प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड को भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 8.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 05 - ( समाप्त )

### पूँजी

#### दत्तमत्त

1. जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के वृहद निर्माण कार्यो हेतु लिया गया ₹ 800.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(47) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भवन)			
मू .	271.00		
अ.	200.00	198.19	198.19
पु .	- 272.81		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान अधीनस्थ तथा मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, उन्नयन हेतु लिया गया ₹ 200.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविकता व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

31 मार्च 2024 को ₹ 272.81 लाख का प्रावधान राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवीन अतिथि गृह, घूँघरा, अजमेर के निर्माण हेतु कार्मिक विभाग से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
051. निर्माण
- (57) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का भवन निर्माण
- [01] कार्यालय भवन निर्माण

मू .	100.01		
अ.	600.00	600.00	600.00
पु .	- 100.01		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड में निर्माण कार्यो हेतु लिया गया ₹ 600.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 100.01 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यो पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



## अनुदान संख्या 06 - विधि एवं विधिक कार्य विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2216. आवास और  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
 पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	15,40,70,87	15,95,00,78	15,24,73,37	- 70,27,41
अनुपूरक	54,29,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				65,22,90
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2,03,38,03	2,24,38,60	2,10,97,55	- 13,41,05
अनुपूरक	21,00,57			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				13,32,40
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,39,86,76	3,49,43,40	1,19,51,04	- 2,29,92,36
अनुपूरक	9,56,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,29,92,37

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 5,429.91 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,429.90 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 7,027.41 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 504.51 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

### अनुदान संख्या 06 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(03) मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	22,737.41		
अ.	134.82	20,345.14	20,347.38
पु.	- 2,527.09		+ 2.24

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा कार्यालय व्यय पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 134.82 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 2,527.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी तथा अन्य संवर्गों में पदों के रिक्त रहने तथा (ii) विद्युत प्रभार, जल व्यय, पुस्तकालय तथा पत्रिकाओं एवं कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

105. सिविल और सेशन न्यायालय  
(17) ग्राम न्यायालय

मू.	1,877.32			
पु.	- 258.76	1,618.56	1,618.56	..

₹ 258.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी तथा अन्य संवर्गों में पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

105. सिविल और सेशन न्यायालय  
(23) महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन-(निर्भया फण्ड)  
[01] त्वरित विशेष न्यायालय

मू.	5,611.14			
अ.	3,720.00	4,672.22	4,657.01	- 15.21
पु.	- 4,658.92			

जुलाई 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन तथा भत्तों के भुगतान पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 3,720.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 4,658.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य संवर्गों में पदों के रिक्त रहने तथा विद्युत प्रभार एवं जल प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 15.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2059. लोक निर्माण कार्य  
80. सामान्य  
053. रखरखाव तथा मरम्मत  
(18) पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर  
[02] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध

मू.	380.00			
पु.	- 260.66	119.34	119.34	..

31 मार्च 2024 को ₹ 260.66 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से लोक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 06 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रख रखाव तथा मरम्मत			
(02) न्याय विभाग			
[02] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,400.00	677.45	677.45
पु.	- 722.55		..

31 मार्च 2024 को ₹ 722.55 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
116. राज्य प्रशासनिक अधिकरण			
(01) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-प्रतिबद्ध			
मू.	3,081.96	3,473.58	2,973.24
अ.	8.41		- 500.34
पु.	383.21		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 383.21 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 500.34 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
104. वृद्ध, आशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(03) गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क तथा सहायता-प्रतिबद्ध			
मू.	5,897.86	6,807.36	6,806.13
पु.	909.50		- 1.23

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 909.50 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(14) पीडित प्रतिकर योजना			
[01] राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
मू.	1,700.00	2,379.82	2,370.04
पु.	679.82		- 9.78

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 679.82 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 9.78 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 06 - (क्रमशः)

### प्रभारित

- ₹ 1,341.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,100.57 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

### पूंजी

#### दत्तमत

- जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 956.64 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. कार्यालय भवन			
051. निर्माण			
(01) न्यायिक कार्यालय भवन			
[01] राजस्थान उच्च न्यायालय			
मू .	600.01		
अ.	956.64	320.38	+ 0.01
पु .	- 1,236.27	320.39	

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा न्यायिक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 956.64 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,236.27 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू .	2,830.00		
पु .	- 1,548.97	1,281.03	1,281.03

31 मार्च 2024 को ₹ 1,548.97 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[02] राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू .	1,114.00		
पु .	- 676.00	438.00	438.00

31 मार्च 2024 को ₹ 676.00 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 06 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू .	21,944.00	6,578.92	6,578.92
पु .	- 15,365.08		
31 मार्च 2024 को ₹ 15,365.08 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 15,358.67 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6.41 लाख) किया गया।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[06] न्याय प्रशासन विभाग			
मू .	1,100.00	911.55	911.55
पु .	- 188.45		
31 मार्च 2024 को ₹ 188.45 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(58) सामान्य भवन (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)			
[01] कार्यालय भवन निर्माण			
मू .	360.73	..	..
पु .	- 360.73		
31 मार्च 2024 को ₹ 360.73 लाख का समस्त प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व्यय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू .	6,014.00	2,390.74	2,390.74
पु .	- 3,623.26		
31 मार्च 2024 को ₹ 3,623.26 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 07 – मन्त्रिपरिषद

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2013. मन्त्रिपरिषद  
पूंजी – 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	17,60,04		
अनुपूरक	5,79,96		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		23,40,00	22,10,65
			- 1,29,35
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,50,00		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		2,50,00	1,16,81
			- 1,33,19
			1,34,29

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:****राजस्व****दत्तमत**

- ₹ 129.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 579.96 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
<b>2013. मंत्रीपरिषद</b>			
<b>101. मंत्रियों और उप-मंत्रियों का वेतन</b>			
<b>(01) संस्थापन व्यय</b>			
<b>[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध</b>			
मू.	600.00		
पु.	- 142.76		
		457.24	457.24
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 142.76 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 07 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2013. मंत्रीपरिषद			
800. अन्य व्यय			
(01) टेलीफोन व्यय - प्रतिबद्ध			
मू.	115.01		
अ.	60.00	107.31	..
पु.	- 67.70	107.31	..

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 60.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

31 मार्च 2024 को ₹ 67.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2013. मंत्रीपरिषद			
104. मनोरंजन और सत्कार भत्ते			
(01) मंत्री परिषद पर मनोरंजन और सत्कार भत्ते			
[01] मंत्री परिषद पर मनोरंजन और सत्कार भत्ते- प्रतिबद्ध			
मू.	500.00		
अ.	500.00	1,137.43	..
पु.	137.43	1,137.43	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 137.43 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## पूँजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(08) मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के बंगले			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	250.00		
पु.	- 134.29	115.71	+ 1.10
		116.81	

31 मार्च 2024 को ₹ 134.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 08 – सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन,  
 2052. सचिवालय – सामान्य सेवाएं,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,  
 2251. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं और  
 3451. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं  
 पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,09,38,08			
अनुपूरक	3,00,01	4,12,38,09	3,79,06,99	- 33,31,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				33,38,72
<b>प्रभारित</b>				
मूल	8,06			
अनुपूरक	..	8,06	..	- 8,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				8,06
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,20,98,02			
अनुपूरक	..	1,20,98,02	9,20,15	- 1,11,77,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,11,74,15

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंच की स्थापना हेतु लिया गया ₹ 300.01 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 3,331.10 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 3,338.72 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।



**अनुदान संख्या 08 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) मंत्रिमंडल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)			
[01] कार्मिक विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू. 6,225.41	5,578.39	5,579.36	+ 0.97
पु. - 647.02			
₹ 647.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
090. सचिवालय			
(17) बीकानेर हाउस प्रबन्धन समिति, नई दिल्ली को अनुदान			
[01] सामान्य प्रशासन विभाग			
मू. 335.01	220.00	220.00	..
पु. - 115.01			
31 मार्च 2024 को ₹ 115.01 लाख का प्रावधान 18 स्वीकृत पदों में से 8 पदों के रिक्त रहने एवं नवीन पदों की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
092. अन्य कार्यालय			
(01) राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण- प्रतिबद्ध			
मू. 625.46	556.63	556.48	- 0.15
अ. 300.00			
पु. - 368.83			
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण की नई बेंच की स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 300.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
₹ 368.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(02). चिकित्सा, जन स्वास्थ्य विभाग एवं आयुर्वेद-प्रतिबद्ध			
मू. 1,345.21	1,189.97	1,189.97	..
पु. - 155.24			
₹ 155.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 08 - ( समाप्त )**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2251. सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) राजस्थान लोजिस्टिक सर्विसेस डिलीवरी कॉरपोरेशन			
[01] कार्मिक विभाग- सामान्य			
मू.	100.00	..	..
पु.	- 100.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विसेस डिलीवरी कॉरपोरेशन की पंजीकरण प्रक्रिया प्रक्रियाधीन होने से निधि का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
[11] स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र			
मू.	913.00	50.00	50.00
पु.	- 863.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 863.00 लाख का प्रावधान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र के निजी निक्षेप खाते में निधियों का हस्तान्तरण करने के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा अध्यक्ष, निजी सचिव, निजी सहायक और कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त रहने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 800.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 63.00 लाख) किया गया।			

090. सचिवालय			
(07) कृषिमय सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी, ग्रामीण विकास, उद्यानिकी विभाग- प्रतिबद्ध			
मू.	1,395.01	1,251.72	1,251.73
पु.	- 143.29	..	+ 0.01
31 मार्च 2024 को ₹ 143.29 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(36) कार्मिक (सचिवालय) विभाग के निर्माण कार्य			
मू.	12,098.01	923.87	920.15
पु.	- 11,174.14	..	- 3.72

31 मार्च 2024 को ₹ 11,174.14 लाख का प्रावधान नये बनने वाले भवनों के लेआउट में परिवर्तन होने से फर्म को कार्यक्षेत्र उपलब्ध नहीं हो सका एवं कार्य देरी से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 09 – निर्वाचन विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2015. निर्वाचन  
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,78,91,07	5,00,16,15	4,91,92,39	- 8,23,76
अनुपूरक	21,25,08			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				8,23,75
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,00,00	3,00,00	1,05,83	- 1,94,17
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,94,17

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 2,125.08 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा संसदीय चुनावों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,125.06 लाख का प्रावधान अनुदान के तहत अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
80. सामान्य				
051. निर्माण				
(59) सामान्य भवन (निर्वाचन विभाग के लिये)				
[01] निर्माण कार्य				
मू.	300.00	105.83	105.83	..
पु.	- 194.17			

31 मार्च 2024 को ₹ 194.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 10 – वाणिज्यिक कर विभाग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,  
 2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार,  
 2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क,  
 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं,  
 2059. लोक निर्माण कार्य और  
 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को  
 क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन  
 पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	11,28,77,97			
अनुपूरक	88,90,81	12,17,68,78	10,26,52,90	– 1,91,15,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,91,15,80
<b>प्रभारित</b>				
मूल	6			
अनुपूरक	91	97	96	– 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	73,03,95			
अनुपूरक	..	73,03,95	42,11,21	– 30,92,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				30,92,73
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				

- ₹ 8,890.81 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान लिया गया ₹ 8,890.80 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

## अनुदान संख्या 10 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय- प्रतिबद्ध			
मू.	5,336.53		
अ.	4,594.43	5,869.18	..
पु.	- 4,061.78	5,869.18	..

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा कम्प्यूटीकरण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 4,594.43 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 4,061.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा जनवरी, 2024 से देय महंगाई भत्ते की किशत का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) कुछ तकनीकी कारणों से नये कम्प्यूटर उपकरणों की खरीद नहीं होने तथा विधानसभा एवं लोक चुनावों की आचार संहिता लागू होने एवं प्रस्तावित नवीन सॉफ्टवेयर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रखरखाव से संबंधित कार्य का निष्पादन नहीं होने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय  
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी  
[04] इन्वेस्टमेंट सब्सिडि

मू.	15,500.00		
अ.	1,299.06	12,837.58	..
पु.	- 3,961.48	12,837.58	..

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति के लिए अनुदान जारी करने हेतु लिया गया ₹ 1,299.06 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 3,961.48 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा बिलों के पारित होने के पश्चात भी तकनीकी कारणों से इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस के माध्यम से संबंधित व्यापारियों को भुगतान नहीं होने करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय  
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी  
[05] एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडि

मू.	2,000.00		
अ.	216.38	216.38	..
पु.	- 1,783.62	216.38	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,783.62 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा बिलों के पारित होने के पश्चात् भी तकनीकी कारणों से इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस के माध्यम से संबंधित व्यापारियों को भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय  
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी  
[08] एम्प्लायमेंट जनरेशन सब्सिडि (रिप्स-2014)

मू.	1,330.00		
अ.	886.85	886.85	..
पु.	- 443.15	886.85	..

31 मार्च 2024 को ₹ 443.15 लाख का प्रावधान कोषालयों से बिलों के पारित होने के पश्चात् भी रिप्स-2014 से संबंधित एम्प्लायमेंट जनरेशन सब्सिडी के दावों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 10 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय			
[01] मुख्यालय- प्रतिबद्ध			
मू.	3,216.18		
पु.	- 1,061.96	2,154.22	2,154.22
31 मार्च 2024 को ₹ 1,061.96 लाख का प्रावधान वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) में राज्य हिस्सेदारी, कर सूचना विनियम प्रणाली (टीआईएनएक्सवाईएस) से संबंधित दावों के निस्तारण पर वास्तविक व्यय होने तथा मुख्यालय पर क्रियाशील तकनीकी सहायता ईकाई के समय विस्तार का अनुमोदन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
001. निदेशन और प्रशासन			
(04) मद 2040-001(08) से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का अनुपातिक व्यय			
[01] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण- प्रतिबद्ध			
मू.	5,935.79		
अ.	2,997.31	5,900.66	5,900.63
पु.	- 3,032.44		- 0.03
फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,997.31 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 3,032.44 लाख का प्रावधान संयुक्त स्थापना का अनुपातिक व्यय, बिक्री कर, विद्युत कर, मनोरंजन कर एवं जीएसटी से राजस्व प्राप्ति के अनुपात में स्थानान्तरित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्व अनुसंधान एवं विश्लेषण			
[01] सेन्टर ऑफ एक्सीलेस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एण्ड एनालिसिस(सीओईआरआरए)			
मू.	1,085.56		
पु.	- 1,047.95	37.61	37.61
31 मार्च 2024 को ₹ 1,047.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रख-रखाव तथा मरम्मत			
(10) आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग- प्रतिबद्ध			
मू.	200.00		
पु.	- 155.00	45.00	45.00
31 मार्च 2024 को ₹ 155.00 लाख का प्रावधान विधानसभा तथा लोक सभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के कारण राजकीय विभागीय भवनों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का क्रियान्वयन आंशिक रूप से होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 10 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)			
मू .	7,302.91		
पु .	- 3,092.39		
	4,210.52	4,210.51	- 0.01

31 मार्च 2024 को ₹ 3,092.39 लाख का प्रावधान मिनी सचिवालय परिसर, श्रीगंगानगर में निर्माणाधीन भवन हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को निधियां हस्तान्तरित नहीं होने तथा प्रस्तावित वृत्त कार्यालय भवन नीमकाथाना में निर्माण हेतु निधियों का उपयोग नीतिगत निर्णय के नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 11 – पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण  
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,78,10,50			
अनुपूरक	57,76,53	2,35,87,03	2,09,16,13	- 26,70,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				26,77,05
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	13,00	13,01	13,01	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	24,19,05			
अनुपूरक	..	24,19,05	7,50,18	- 16,68,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				16,89,41

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 2,670.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,776.53 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 2,670.90 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 2,677.05 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण				
03. पंजीकरण				
001. निदेशन और प्रशासन				
(03) जिला संगठन				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	7,667.02			
अ.	1,536.16	7,389.46	7,395.58	+ 6.12
पु.	- 1,813.72			

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा कम्प्यूटरीकरण और संबंधित संचार पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,536.16 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।



### अनुदान संख्या 11 - (समाप्त)

₹ 1,813.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कोषालयों द्वारा बिल पारित करने के बाद भी निक्सी को (क) सर्कल और उप पंजीयक कार्यालयों में कंप्यूटर उपकरणों का क्रय करने, (ख) पूर्णकालिक उप पंजीयक कार्यालयों में हेल्पडेस्क की स्थापना के लिए कंप्यूटर उपकरणों का क्रय करने, (ग) जे.आई.ओ. टैगिंग कार्य, (घ) ई पंजीकरण परियोजना का उन्नयन तथा (ड.) कंप्यूटर हार्डवेयर का क्रय करने के लिए भुगतान नहीं करने, (ii) एक अतिरिक्त महानिरीक्षक, 73 उप रजिस्ट्रार और 4 सहायक लेखा अधिकारियों के पद रिक्त रहने, (iii) उप पंजीयक/भूमि अभिलेख निरीक्षकों द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए दावे प्रस्तुत नहीं करने तथा (iv) सर्किल और उप पंजीयक कार्यालयों में बिजली और पानी के शुल्क पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 6.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
03. पंजीकरण			
001. निदेशन और प्रशासन			
(04) दस्तावेजों के पंजीयन की सुगम व्यवस्था			
[01] मॉडल उप पंजीयक कार्यालय			
मू.	583.20	10.32	- 0.01
पु.	- 572.88		

₹ 583.20 लाख का प्रावधान निजी क्षेत्र की भागीदारी से पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर 10 मॉडल उप रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने के लिए अनुमानित था। यद्यपि, अगस्त 2023 से मार्च 2024 के बीच केवल छः कार्यालय खोले गए और इन छः कार्यालयों में से पांच कार्यालय किराये के भवन में खोले गए। वर्ष के दौरान इन भवनों के किराये के बिल भी प्रस्तुत नहीं किये गये। इन सभी कारणों से ₹ 572.88 लाख की प्रत्याशित बचत हुई जिसे 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया।

#### पूँजी

##### दत्तमत

- ₹ 1,668.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,689.41 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(13) सामान्य भवन (स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग)			
मू.	2,419.05	729.64	+ 20.54
पु.	- 1,689.41		

31 मार्च 2024 को ₹ 1,689.41 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 20.54 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 12 - आबकारी विभाग**  
मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2039. राज्य उत्पाद शुल्क और  
2059. लोक निर्माण कार्य

पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और  
5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,88,28,16		
अनुपूरक	4,60,66		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		1,92,88,82	1,91,09,07
			- 1,79,75
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1		
अनुपूरक	..	1	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			
			- 1
			1
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	25,00,01		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		25,00,01	49,77
			- 24,50,24
<b>टिप्पणियाँ तथा टीकाएं:</b>			
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			

1. ₹ 179.75 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय हेतु लिया गया ₹ 460.66 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(15) सामान्य भवन (राज्य उत्पाद शुल्क)			
मू .	2,500.00		
पु .	- 2,450.69	49.31	49.77
			+ 0.46

31 मार्च 2024 को ₹ 2,450.69 लाख का प्रावधान नवीन निर्माण कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 13 – कोष एवं लेखा प्रशासन**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2075. विविध सामान्य सेवाएं और  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
 पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज और  
 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	20,63,46,07			
अनुपूरक	11,84,68	20,75,30,75	16,19,73,52	- 4,55,57,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4,55,68,63
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3			
अनुपूरक	..	3	..	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,46,71			
अनुपूरक	..	2,46,71	25,96	- 2,20,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,20,75

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,184.68 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 45,557.23 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 45,568.63 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

### अनुदान संख्या 13 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
097. खजाना स्थापना			
(03) मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कोषालयों का कम्प्यूटीकरण			
मू.	13,600.00		
पु.	- 9,418.33	4,181.67	4,181.68
31 मार्च 2024 को ₹ 9,418.33 लाख का प्रावधान अनुरोध मदों (आरआईटीएमएस) से संबंधित कार्यों के लिए राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) द्वारा दिये गये कार्यदेश के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण फर्म को भुगतान नहीं करने तथा प्रोजेक्ट आईएफएमएस 3.0 के लिए आरआईएसएल द्वारा मांगी गई निधियों का उपयोग नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			+ 0.01
097. खजाना स्थापना			
(05) खजाना			
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	18,925.21		
पु.	- 2,035.33	16,889.88	16,890.02
₹ 2,035.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः: (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) बिजली और पानी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			+ 0.14
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशक, निरीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	1,916.91		
पु.	- 479.73	1,437.18	1,437.18
₹ 479.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान लेखा सेवा/राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के पदों के रिक्त रहने और इन सेवाओं के कर्मियों के अन्य विभागों में स्थानान्तरण होने को आरोपित की गयी।			..
800. अन्य व्यय			
(04) एस.पी.एफ.एम. राजस्थान परियोजना			
[01] विश्व बैंक पोषित			
मू.	6,210.51		
पु.	- 2,523.85	3,686.66	3,686.66
31 मार्च 2024 को ₹ 2,523.85 लाख का प्रावधान (i) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण परियोजनाओं में संचालित कार्यों से संबंधित विभागों से मासिक रिपोर्ट/डिलीवरेबल्स की जानकारी/अनुमोदन देरी से प्राप्त होने एवं (ii) आईएफएमएस 3.0 के अनुसार आईएफएमएस 2.0 प्रणाली में संशोधन/परिवर्तन में देरी के कारण परियोजनाओं में संचालित कार्यभार के लिए भुगतान नहीं होने तथा (iii) कोषालय द्वारा बिल पारित होने के बाद भी प्रणाली में त्रुटि के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान अस्वीकृत करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
800. अन्य व्यय			
(04) एस.पी.एफ.एम. राजस्थान परियोजना			
[02] पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट			
मू.	487.53		
अ.	50.00	243.76	243.76
पु.	- 293.77		..

### अनुदान संख्या 13 - (क्रमशः)

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान जारी करने हेतु लिया गया ₹ 50.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 293.77 लाख का प्रावधान (i) नव स्थापित *सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान* में 32 पदों में से 25 पद रिक्त रहने के परिणामस्वरूप वेतन पर कम व्यय होने तथा संस्थान द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर सकने एवं (ii) विधान सभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने एवं प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त स्थान की अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(05) राजस्थान राज्य सेवा प्रदाय वॉर रूम			
[01] राजस्थान राज्य सेवा प्रदाय वॉर रूम			
मू.	1,911.98		
पु.	- 1,511.38	400.60	400.60
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,511.38 लाख का प्रावधान (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) कार्यालय व्यय व्यवसायिक और विशिष्ट सेवाओं, प्रकाशन एवं पर्यटन में कटौति तथा (iii) पूर्ण स्वीकृत संख्या के अनुसार सलाहाकारों की नियुक्ति नहीं होने एवं कार्य पूर्ण होने से पूर्व सलाहाकारों की संख्या में कमी करने से संविदा सेवाओं पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2075. विविध सामान्य सेवाएं			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(01) मद 8235-117 गारन्टी मोचन निधि को अन्तरण- प्रतिबद्ध			
मू.	1,10,000.00		
पु.	- 19,396.78	90,603.22	90,603.22
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 19,396.78 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा दी गयी बकाया गारन्टी पर वास्तविक गारंटी शुल्क की प्राप्ति के अनुसार अभ्यर्पित (₹ 17,366.21 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,030.57 लाख) किया गया।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
105. सरकारी कर्मचारी बीमा योजना			
(03) जीवन दुर्घटना बीमा योजना			
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
मू.	41,653.27		
अ.	469.00	31,535.14	31,535.14
पु.	- 10,587.13		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा *मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना* के पोर्टल के प्रचार-प्रसार हेतु पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही एवं इस वित्तीय वर्ष की तीन तिमाही की किश्तों के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 469.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 10,587.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विधानसभा चुनाव आचार संहिता होने के कारण विज्ञापन, बिक्री और प्रचार की मंजूरी नहीं मिलने, (ii) *मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना* के अन्तर्गत अनुमान के विरुद्ध दावों की कम प्राप्ति होने तथा (iii) कार्य के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य नहीं करने तथा तदनुसार फर्म का कार्य सत्यापन नहीं होने से फर्म को भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

### अनुदान संख्या 13 - ( समाप्त )

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
095. लेखा तथा खजाना निदेशालय			
(01) निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान-प्रतिबद्ध			
मू.	2,909.01		
अ.	522.68	4,359.21	4,359.21
पु.	927.52		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 927.52 लाख का अतिरिक्त प्रावधान (i) एसबीआई कैप्स से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की संभावनाओं की पहचान के लिए सलाहकार सेवाओं की प्राप्ति हेतु एनआईसीएसआई को भुगतान करने, (ii) वित्त विभाग के राजस्व प्रभाग के तहत परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना के लिए परामर्श सेवाओं के लिए एनआईसीएसआई को भुगतान करने तथा (iii) मशीन विद मैन की संख्या 45 से बढ़ाकर 50 और दरें ₹ 12,250 से ₹ 13,768 करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

800. अन्य व्यय

(06) सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण

[01] राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण

मू.	0.02		
पु.	204.76	204.78	204.78
			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 204.76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान (i) राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्राधिकरण के नियमों, नियमावली, नियमों और विनियमों की तैयारी से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए राजस्थान वित्तीय सेवा वितरण लिमिटेड को भुगतान करने, (ii) स्टेशनरी, किराये के वाहनों और संविदा पर कम्प्यूटर पर व्यय तथा (iii) प्राधिकरण में 14 रिक्त पदों के भरने के कारण वेतन एवं भत्तों पर व्यय हेतु उपलब्ध कराया गया ।

### पूँजी

#### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(42) सामान्य भवन (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)			
मू.	220.51		
पु.	- 210.72	9.79	9.79
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 210.72 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता लागू होने से निर्माण कार्यों की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 14 –राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य और

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पूंजी -4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	17,05,38,38	18,57,33,62	18,35,98,26	- 21,35,36
अनुपूरक	1,51,95,24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				21,35,35
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	1,28	1,27	- 1
अनुपूरक	1,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,29,78,63	1,29,78,63	51,75,36	- 78,03,27
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				78,03,26

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 2,135.36 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 15,195.24 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2024 में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना पर हुए व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया ₹ 15,195.11 लाख का प्रावधान अत्याधिक था।

## अनुदान संख्या 14 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(04) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के लिए भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	12,838.63		
पु .	- 7,785.86	5,052.77	5,052.77
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 7,785.86 लाख का प्रावधान संशोधित अनुमानों में ₹ 5000.00 लाख तक की कमी करने तथा वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद मुख्यालय पर बीमा भवन के निर्माण हेतु कोषालय द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की निधियाँ राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। वित्त विभाग द्वारा जैसलमेर कार्यालय के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय/कोषागार में वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा वर्ष 2024-25 के दौरान जिला कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिए नये भवन के निर्माण हेतु आवश्यक निधियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सलाह दिये जाने के कारण जिला कार्यालय जोधपुर ग्रामीण एवं जैसलमेर के नये भवनों के निर्माण हेतु व्यय नहीं किया गया।



## अनुदान संख्या 15 – पेंशन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,60,51,59,69			
अनुपूरक	11,82,95,93			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		2,72,34,55,62	2,71,99,96,87	- 34,58,75
<b>प्रभारित</b>				
मूल	20,00,04			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		20,00,04	3,34,39	- 16,65,65
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				

1. ₹ 3,458.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 200.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 1,18,095.93 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,18,295.93 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 3,458.75 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 48,649.13 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

### प्रभारित

1. ₹ 1,665.65 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 203.73 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ				
01. सिविल				
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार				
(01) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन संबंधी प्रभार				
[01] उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन संबंधी प्रभार (प्रभृत्त) – प्रतिबद्ध				
मू.	2,000.00			
पु.	- 1,461.88			
		538.12	334.39	- 203.73

31 मार्च 2024 को ₹ 1,461.88 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 203.73 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 16 – राजस्व विभाग  
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2029. भू-राजस्व,  
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,  
2053. जिला प्रशासन,  
2059. लोक निर्माण कार्य,  
2216. आवास,  
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,  
2701. मध्यम सिंचाई,  
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं और  
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को  
क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन  
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय और  
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	19,62,96,14		
अनुपूरक	32,61,09	19,95,57,23	16,70,31,36 - 3,25,25,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			3,25,16,92
<b>प्रभारित</b>			
मूल	9		
अनुपूरक	21,41	21,50	21,43 - 7
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			8
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	72,23,97		
अनुपूरक	2,50,00	74,73,97	12,28,08 - 62,45,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			62,45,88

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 3,261.09 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,261.07 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
- ₹ 32,525.87 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 8.95 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 16 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य			
(02) जिला कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	3,546.46		
पु.	- 343.55		
₹ 343.55 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 8.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।	3,202.91	3,193.95	- 8.96
103. भू-अभिलेख			
(02) जिला व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,01,349.93		
अ.	0.01		
पु.	- 18,657.46		
₹ 18,657.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नव सृजित 17 जिलों में पूर्ण कर्मचारियों का पदस्थापन नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, (ii) अधीनस्थ कार्यालयों में मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन तथा (iii) स्टेशनरी एवं कम्प्यूटीकरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।	82,692.48	82,690.76	- 1.72
103. भू-अभिलेख			
(03) प्रशिक्षण विद्यालय			
[03] राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर- प्रतिबद्ध			
मू.	1,164.75		
पु.	- 354.01		
₹ 354.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पिछली सरकार द्वारा 'प्रशासन शहरों सम' के लिए आयोजित शिविरों में राजस्व अधिकारी/ कर्मचारियों की अन्यत्र नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के कारण रिक्त रहने वाले पदों पर वेतन और भत्तों पर कम व्यय (ii) विधानसभा और संसदीय चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण राजस्थान तहसीलदार सेवा (आरटीएस) के लिए आवासीय प्रशिक्षण के साथ-साथ विभागीय पटवारी, नायब तहसीलदार और राजस्व लेखाकारों के आवासीय प्रशिक्षण आयोजन नहीं होने के कारण कार्यालय व्यय, बिजली शुल्क एवं वॉटर चार्ज पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।	810.74	810.72	- 0.02
103. भू-अभिलेख			
(04) राष्ट्रीय भू-अभिलेख सुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम			
[02] भू-प्रबन्धन विभाग			
मू.	1,129.45		
अ.	500.00		
पु.	- 1,628.57		
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मशीनरी और उपकरण/उपकरण एवं संयंत्र पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 500.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।	0.88	0.88	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,628.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
099. राजस्व बोर्ड			
(01) मण्डल और उसकी स्थापना- प्रतिबद्ध			
मू.	3,649.71		
अ.	500.01		
पु.	- 520.23		
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 500.01 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।	3,629.49	3,629.49	..

### अनुदान संख्या 16 - (क्रमशः)

₹ 520.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सदस्यों और अन्य पद रिक्त रहने एवं महंगाई भत्ते की दरों में अनुमानों से कम वृद्धि होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, (ii) सरकारी दौरे में कमी तथा कर्मचारियों द्वारा यात्रा दावे कम प्रस्तुत करने के कारण यात्रा पर कम व्यय, (iii) दो नये वाहनों की खरीद की मंजूरी नहीं मिलने, (iv) बिजली और पानी शुल्क पर कम व्यय, (v) विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने तथा (vi) बजट उद्घोषणा की अनुपालना में राजस्व कार्मिकों के लिए टेबलेट क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने को आरोपित की गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं 099. राजस्व बोर्ड (02) राजस्व अपीलीय अधिकारी- प्रतिबद्ध			
मू.	1,027.93		
अ.	0.01	815.04	815.04
पु.	- 212.90		..

31 मार्च 2024 को ₹ 212.90 लाख का प्रावधान (i) राजस्व अपीलीय अधिकारियों के पद रिक्त रहने एवं महंगाई भत्ते की दरों में अनुमानों से कम वृद्धि होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, (ii) वाहनों को किराये पर लेने पर कम व्यय तथा (iii) होम गार्ड/ रेक्सकों के संविदा कर्मियों की कम नियुक्ति के कारण संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2053. जिला प्रशासन  
093. जिला स्थापनाएँ  
(01) जिलाधीश कार्यालय

मू.	14.70		
अ.	500.00	15.93	15.93
पु.	- 498.77		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी जन प्रतिनिधियों को टेबलेट वितरण हेतु लिया गया ₹ 500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 498.77 लाख का प्रावधान टेबलेट की खरीद तथा राजस्व न्यायालयों में ई-फाइलिंग, ई-सम्मन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-हायरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

093. जिला स्थापनाएँ  
(03) जिलाधीश कार्यालय  
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध

मू.	18,416.14		
अ.	652.01	16,712.62	16,712.62
पु.	- 2,355.53		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा नवसृजित जिलों के निर्माण के व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 652.01 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।

₹ 2,355.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नवसृजित 17 जिलों में पूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, (ii) नवसृजित 17 जिलों में कमचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण यात्रा भत्तों पर कम व्यय होने, (iii) बिजली और पानी के शुल्क पर कम व्यय होने, (iv) नवसृजित 17 जिलों के जिलाधीशों को मोटर गैरेज विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के कारण किराये के वाहन पर कम व्यय तथा (v) होम गार्ड/ रेक्सकों के संविदा कर्मियों की कम नियुक्ति के कारण संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 16 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन			
094. अन्य स्थापनाएँ			
(01) सब डिवीजनल स्थापनाएं- प्रतिबद्ध			
मू.	14,674.54		
अ.	20.01	13,264.53	+ 1.76
पु .	- 1,430.02	13,266.29	

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 20.01 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।

₹ 1,430.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नवसृजित 8 उपखण्ड कार्यालयों में पूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने एवं महंगाई भत्ते की दरों में अनुमानों से कम वृद्धि होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, (ii) बिजली और पानी शुल्क पर कम व्यय होने तथा (iii) होम गार्ड कार्मिकों की अनुपलब्धता/देरी से नियुक्ति से संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

094. अन्य स्थापनाएँ  
(02) तहसील कार्यालय- प्रतिबद्ध

मू.	42,017.27		
अ.	87.01	36,776.77	..
पु .	- 5,327.51	36,776.77	

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 87.01 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।

₹ 5,327.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नवसृजित/क्रमोन्नत 29 तहसील एवं 54 उप-तहसील कार्यालयों में पूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने तथा महंगाई भत्ते की दरों में अनुमानों से कम वृद्धि के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, (ii) बिजली और पानी के शुल्क पर कम व्यय होने, (iii) नवसृजित/क्रमोन्नत 29 तहसील कार्यालयों को मोटर गैरेज विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के कारण किराये के वाहन लेने पर कम व्यय, (iv) होम गार्ड/ रेक्सकों के संविदा कर्मियों की अनुपलब्धता/देरी से नियुक्ति से संविदा सेवाओं पर कम व्यय तथा (v) नवसृजित/क्रमोन्नत 23 तहसील कार्यालयों और 41 उप-तहसील कार्यालयों के लिए कम्प्यूटरों की खरीद नहीं होने को आरोपित की गयी।

2059. लोक निर्माण कार्य

80. सामान्य

053. रखरखाव तथा मरम्मत

(04) पंजीयक , राजस्व मण्डल-प्रतिबद्ध

मू .	500.00		
अ.	900.00	716.41	..
पु.	- 683.59	716.41	

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा 15 नये जिलों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी भवनों की मरम्मत पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 900.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 683.59 लाख का प्रावधान मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 16--(समाप्त)

### पूँजी

#### दत्तमत

1. जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 250.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू .	5,795.00		
पु .	- 4,721.73	1,073.27	1,073.27

31 मार्च 2024 को ₹ 4,721.73 लाख का प्रावधान नवीन कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[02] राजस्व बोर्ड के माध्यम से			
मू .	0.01		
अ.	200.00	..	..
पु .	- 200.01	..	..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा 4395 पटवार कार्यालयों के अपने भवन नहीं होने के कारण नये पटवार भवन के निर्माण पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 200.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि पटवार भवन के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से 31 मार्च 2024 को ₹ 200.01 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(03) सामान्य आवासीय भवन (राजस्व विभाग के लिए)			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	1,400.00		
पु .	- 1,251.80	148.20	148.20

31 मार्च 2024 को ₹ 1,251.80 लाख का प्रावधान नवीन कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 17 - सामान्य प्रशासन विभाग  
मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2029. भू-राजस्व,

2053. जिला प्रशासन,  
2059. लोक निर्माण कार्य,  
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,  
2075. विविध सामान्य सेवाएं,  
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और  
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं  
पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय और  
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,73,13,22			
अनुपूरक	11,42,78	2,84,56,00	2,66,49,66	- 18,06,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				18,05,92
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4			
अनुपूरक	..	4	..	- 4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,92,09,56			
अनुपूरक	14,00,00	2,06,09,56	80,83,77	- 1,25,25,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,25,25,79

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,142.78 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।

## अनुदान संख्या 17 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रख-रखाव तथा मरम्मत			
(34) अन्य प्रशासनिक सेवाएँ सामान्य प्रशासनिक भवन			
[01] मुख्यालय एवं संभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	150.00		
पु.	- 108.55	41.45	41.45

31 मार्च 2024 को ₹ 108.55 लाख का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा स्वीकृति कम जारी करने तथा जीएडी द्वारा ₹ 95.47 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा केवल ₹ 41.45 लाख के कार्यों के निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

003. प्रशिक्षण

(05) राजस्थान उड्डयन विश्वविद्यालय की स्थापना

[01] सामान्य प्रशासन विभाग

मू.	1,000.02		
पु.	- 1,000.02	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.02 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,000.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.02 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव

(05) किराये पर वायुयान/हेलिकॉप्टर- प्रतिबद्ध

मू.	3,600.00		
पु.	- 606.00	2,994.00	2,994.00

31 मार्च 2024 को ₹ 606.00 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से हवाई जहाज/हेलिकॉप्टर किराये पर कम लेने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव

(07) क्षेत्रीय उड्डान सम्पर्क योजना

[01] सेवा प्रदाताओं को सहायता

मू.	1,500.00		
पु.	- 1,302.17	197.83	197.83

31 मार्च 2022 को ₹ 1,302.17 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना के तहत संचालित उड्डानों के लिए बिलों के वास्तविक प्रस्तुतिकरण के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी एजेंसी रीजनल एयर कनेक्टिविटी ट्रस्ट, नई दिल्ली को वायबिलिटी फंडिंग गैप (वीएफजी) की कुल राशि का 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।



## अनुदान संख्या 17 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(08) राजस्थान भवन वाशी, नवी मुम्बई- प्रतिबद्ध			
मू.	562.50		
पु.	- 164.08	398.42	398.43
			+ 0.01
₹ 164.08 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्थान भवन, वाशी के दूसरे चरण का संचालन देरी से शुरू होने को आरोपित की गयी।			

115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(10) राजस्थान भवन, नई दिल्ली			
[01] राजस्थान भवन, नई दिल्ली- प्रतिबद्ध			
मू.	299.08		
पु.	- 154.19	144.89	144.89
			..
₹ 154.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान भवन, नई दिल्ली के संचालन को उसके पुनर्निर्माण के कारण बन्द करने को आरोपित की गयी।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव			
(01) राज्य गैराज तथा आटोमोबाइल विभाग- प्रतिबद्ध			
मू.	6,897.43		
पु.	1,102.99	8,000.42	7,945.20
			- 55.22
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,102.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 55.22 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(03) सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
[01] मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
पु.	177.45	177.46	194.91
			+ 17.45
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 177.45 लाख की अतिरिक्त निधियां लोकतन्त्र सेनानी पेंशन पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 17.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			



**अनुदान संख्या 17 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सडकें			
337. सडक निर्माण कार्य			
(16) हवाई पट्टियों का निर्माण			
मू.	1,212.40		
अ.	1,400.00	1,393.12	1,393.12
पु.	- 1,219.28		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सडकों एवं पुलों के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 1,400.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,219.28 लाख का प्रावधान (i) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोटा को कोषालय द्वारा बिल पारित करने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेवा के माध्यम से भुगतान नहीं होने, (ii) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से नये कार्य शुरू नहीं होने तथा (iii) राज्य सरकार द्वारा नये कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

<b>अनुदान संख्या 18 – गृह विभाग</b>			
<b>मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन,</b>			
<b>2055. पुलिस,</b>			
<b>2059. लोक निर्माण कार्य,</b>			
<b>2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,</b>			
<b>2075. विविध सामान्य सेवाएं,</b>			
<b>2216. आवास,</b>			
<b>2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और</b>			
<b>2250. अन्य सामाजिक सेवाएं</b>			
<b>पूंजी – 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय और</b>			
<b>4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,</b>			
	<b>कुल अनुदान या</b>	<b>वास्तविक</b>	<b>आधिक्य +</b>
	<b>विनियोग</b>	<b>व्यय</b>	<b>बचत –</b>
		<b>(₹ सहस्र में)</b>	

**राजस्व****दत्तमत**

मूल	91,22,99,44			
अनुपूरक	1,96,32,27	93,19,31,71	87,27,73,93	– 5,91,57,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5,94,98,42

**प्रभारित**

मूल	20,04			
अनुपूरक	28	20,32	20,29	– 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				20,03

**पूंजी****दत्तमत**

मूल	2,77,38,88			
अनुपूरक	50,00,00	3,27,38,88	84,00,94	– 2,43,37,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,43,37,93

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:****राजस्व****दत्तमत**

- जुलाई, 2023 (₹ 4,205.24 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹15,427.03 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 19,632.27 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 59,157.78 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 59,498.42 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 18 –(क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
003. शिक्षा और प्रशिक्षण			
(01) राजस्थान पुलिस अकादमी			
[01] अकादमी में प्रशिक्षण- प्रतिबद्ध			
मू.	4,580.12	3,940.43	3,931.49
पु.	- 639.69		
₹ 639.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 8.94 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
003. शिक्षा और प्रशिक्षण			
(02) पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय- प्रतिबद्ध			
मू.	12,845.51	11,547.63	11,546.97
पु.	- 1,297.88		
₹ 1,297.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी, यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(01) आपराधिक शाखा			
[01] विशेष शाखा- प्रतिबद्ध			
मू.	19,696.91	17,638.92	17,632.36
पु.	- 2,057.99		
₹ 2,057.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 6.56 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
109. जिला पुलिस			
(02) केन्द्रीय कार्यालय, बैंक आदि के लिये रक्षादल			
[01] केन्द्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,437.58	1,926.02	1,926.02
पु.	- 511.56		

31 मार्च 2024 को ₹ 511.56 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 18 –(क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
114. बेतार तथा कम्प्यूटर			
(01) वितंतु (विशेष पुलिस)-प्रतिबद्ध			
मू.	10,566.00		
अ.	1,000.00	8,692.47	- 7.42
पु.	- 2,873.53	8,685.05	

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 2,873.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा मशीनरी और साज सामान/औजारों एवं संयंत्रों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 7.42 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

114. बेतार तथा कम्प्यूटर  
(03) कम्प्यूटर-प्रतिबद्ध

मू.	1,940.71			
पु.	- 424.04	1,516.67	1,516.67	..

₹ 424.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण  
(03) विधि-विज्ञान शाला का आधुनिकीकरण

मू.	250.00			
पु.	- 250.00	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 250.00 लाख का समस्त प्रावधान पुलिस बल के आधुनिकीकरण के तहत भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने एवं तदानुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण  
(09) स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एस.पी.सी.)  
[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत  
विद्यार्थियों को प्रशिक्षण

मू.	306.34			
पु.	- 306.34	..	212.78	+ 212.78

31 मार्च 2024 को ₹ 306.34 लाख का समस्त प्रावधान प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सेमीनार के कम आयोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया जो अत्यधिक था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 212.78 लाख का व्यय बिना प्रावधान के हुआ।

यद्यपि, प्रत्याशित बचत तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 18 –(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
116. न्यायालयिक विज्ञान			
(02) निर्भया फण्ड योजना से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढीकरण			
[01] प्रयोगशाला के विभिन्न खण्डों का आधुनिकीकरण			
मू.	1,614.32	258.19	258.19
पु.	- 1,356.13		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,356.13 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से नाकोर्ड योजना के अन्तर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने, (ii) नवीन एवं उच्च तकनीकी उपकरणों की खरीद तथा विष अनुभाग के उन्नयन हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा नवीन डी.एन.ए. प्रयोगशाला हेतु निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (iii) डी.एन.ए. एवं साइबर अनुभाग के लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु 54 मैन पॉवर सर्विस के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय

(01) पुलिस डवलपमेन्ट फण्ड

मू.	1,200.01	312.16	318.71	+ 6.55
पु.	- 887.85			

31 मार्च 2024 को ₹ 887.85 लाख का प्रावधान मशीनरी एवं साज सामान/औजार एवं संयंत्रों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 6.55 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2059. लोक निर्माण कार्य

80. सामान्य

053. रखरखाव तथा मरम्मत

(12) महानिरीक्षक पुलिस विभाग-प्रतिबद्ध

मू.	2,000.00	1,652.90	1,657.66	+ 4.76
पु.	- 347.10			

31 मार्च 2024 को ₹ 347.10 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 4.76 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107. होम गार्ड

(02) सीमा गृह रक्षा

मू.	2,583.16	2,281.03	2,280.98	- 0.05
अ.	0.02			
पु.	- 302.15			

₹ 302.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ कर्मचारियों की अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जनवरी, 2024 से देय मंहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान नहीं हुआ, क्योंकि आदेश मार्च, 2024 में जारी किये गये थे, (iii) सीमा नागरिक सुरक्षा बल में 297 रिक्त पदों के विरुद्ध नामांकित स्वयंसेवकों के लिए 57 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम नामांकन का मामला न्यायालय में लम्बित होने से आयोजन नहीं होने तथा (iv) स्वतन्त्रता दिवस एवं गणतन्त्र दिवस पर राज्य के विभिन्न जिलों में राज्य स्तरीय परेड में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को ठहरने का भत्ता नहीं दिये जाने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 18 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
107. होम गार्ड			
(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना			
[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा हेतु राशि			
मू.	219.02	..	..
पु.	- 219.02		

31 मार्च 2024 को ₹ 219.02 लाख का समस्त प्रावधान पुलिस बल के आधुनिकीकरण के तहत भारत सरकार की हाई पावर कमेटी द्वारा अनुमोदित होने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मर्दों के लिए स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

2216. आवास			
05. साधारण पुल आवास			
053 रखरखाव तथा मरम्मत			
(08) पुलिस विभाग के रिहायशी भवन- प्रतिबद्ध			
मू.	2,500.00	1,509.30	1,509.30
पु.	- 990.70		..

31 मार्च 2024 को ₹ 990.70 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## पूंजी

## दत्तमत

- जुलाई, 2023 को प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,000.00 लाख प्रावधान कम्प्यूटरीकरण तथा संबंधित संचार व्यय तथा वाहनों की खरीद के लिये अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[01] आपराधिक शाखा			
मू.	120.00	..	..
पु.	- 120.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 120.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना स्वीकृत नहीं होने तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



अनुदान संख्या 18 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[02] सामान्य पुलिस			
मू.	3,400.00		
		54.40	54.40
पु.	- 3,345.60		..

31 मार्च 2024 को ₹ 3,345.60 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार द्वारा योजना की मंजूरी नहीं मिलने तथा (ii) मशीनरी और साज सामान/संयंत्रों एवं औजारों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

207. राज्य पुलिस  
(01) पुलिस आधुनिकीकरण  
[03] वितंतु पुलिस

मू.	5,171.01		
		87.57	87.57
पु.	- 5,083.44		..

31 मार्च 2024 को ₹ 5,083.44 लाख का प्रावधान मशीनरी और साज सामान/संयंत्रों एवं औजारों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

207. राज्य पुलिस  
(01) पुलिस आधुनिकीकरण  
[04] कम्प्यूटर पुलिस

मू.	2,370.02		
अ.	500.00	1,295.67	1,295.67
पु.	- 1,574.35		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 500.00 लाख का प्रावधान मशीनरी और साज सामान/संयंत्रों एवं औजारों पर हुये व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,574.35 लाख का प्रावधान मशीनरी और साज सामान/संयंत्रों एवं औजारों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

207. राज्य पुलिस  
(02) जिला पुलिस  
[01] सामान्य पुलिस

मू.	2,800.01		
अ.	4,500.00	4,688.77	4,688.78
पु.	- 2,611.24		+ 0.01

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,500.00 लाख का प्रावधान वाहनो की खरीद हेतु शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

### अनुदान संख्या 18 - (क्रमशः)

31 मार्च 2024 को ₹ 2,611.24 लाख का प्रावधान राज्य सरकार से प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
210. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण			
(01) सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	200.00	..	..
पु.	- 200.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,400.00	72.34	72.34
पु.	- 4,327.66	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 4,327.66 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	6,120.01	1,604.50	1,604.50
पु.	- 4,515.51	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 4,515.51 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[02] गृह रक्षा विभाग			
मू.	513.00	75.06	75.06
पु.	- 437.94	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 437.94 लाख का प्रावधान राज्य सरकार से प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 18 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(08) सामान्य भवन (गृह अभियोजन भवन)			
मू.	349.58	159.89	159.89
पु.	- 189.69		..

31 मार्च 2024 को ₹ 189.69 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से 10 नवीन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
051. निर्माण  
(55) सामान्य भवन (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)

मू.	1,168.12	36.70	36.69	- 0.01
पु.	- 1,131.42			

31 मार्च 2024 को ₹ 1,131.42 लाख का प्रावधान नवीन निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, स्थानान्तरण की स्वीकृति मार्च, 2024 के मध्य में प्राप्त होने के कारण कार्यकारी एजेंसी राजस्थान पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निजी निक्षेप खातों में निधियां स्थानान्तरित नहीं होने तथा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नवीन निर्माण कार्यों का कार्यादेश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
051. निर्माण  
(56) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आधुनिकीकरण

मू.	799.96	..	..	..
पु.	- 799.96			

31 मार्च 2024 को ₹ 799.96 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 19 – कारागार विभाग**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2056. जेल और

2059. लोक निर्माण कार्य

पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,87,87,21			
अनुपूरक	4,32,06	2,92,19,27	2,71,43,62	– 20,75,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				
				20,55,72
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2			
अनुपूरक	..	2	..	– 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				
				2
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	19,07,32			
अनुपूरक	..	19,07,32	14,07,21	– 5,00,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				
				5,00,03

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 (₹ 50.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 382.06 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 432.06 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 2,075.65 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 19.93 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

### अनुदान संख्या 19- ( समाप्त )

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल 001. निदेशन और प्रशासन (01) प्रशासन [01] मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,383.62		
अ.	50.00	1,150.90	1,149.69
पु.	- 282.72		- 1.21

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 50.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 282.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

101. जेल  
(06) जेलों में विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा

मू.	521.42		
अ.	125.99	531.50	531.28
पु.	- 115.91		- 0.22

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूर्क अनुदान द्वारा 06 मिनी बसों एवं 10 एम्बुलेंस की खरीद हेतु लिया गया ₹ 125.99 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 115.91 लाख की प्रत्याशित बचत एम्बुलेंस की खरीद नहीं होने को आरोपित की गयी।

2059. लोक निर्माण कार्य  
80. सामान्य  
053. रखरखाव तथा मरम्मत  
(06) महानिरीक्षक, जेल विभाग- प्रतिबद्ध

मू.	700.00		
पु.	- 225.45	474.55	474.35
			- 0.20

31 मार्च 2024 को ₹ 225.45 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

#### पूँजी

##### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80. सामान्य 051. निर्माण (04) सामान्य भवन (जेलों) [01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,907.32		
पु.	- 500.03	1,407.29	1,407.21
			- 0.08

31 मार्च 2024 को ₹ 500.03 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 20 – प्रारम्भिक शिक्षा विभाग**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य और**

**2202. सामान्य शिक्षा**

**पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,87,87,27,48			
अनुपूरक	1,34,62,41	1,89,21,89,89	1,45,95,35,06	– 43,26,54,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				41,95,03,12
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3,00,04			
अनुपूरक	2,99,96	6,00,00	4,33,87	– 1,66,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,66,13
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,98,13,05			
अनुपूरक	2,37,49,17	4,35,62,22	95,83,06	– 3,39,79,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3,39,79,15

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 (₹ 9,750.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 3,712.41 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 13,462.41 लाख का प्रावधान अनुदान के अन्तर्गत अन्तिम बचत को देखते हुए अनावश्यक था।
- 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया ₹ 4,19,503.12 लाख का प्रावधान अनुदान के तहत ₹ 4,32,654.83 लाख की अन्तिम बचत से कम रहा, क्योंकि अन्तिम बचत में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा शीर्षो 2202-01-001(03) [01] 01- वेतन (₹. 14,492.69 लाख), 01-113(01) [01] 01- वेतन (₹. 1,25,736.42 लाख) तथा 01-001(03) [01] 31- पुस्तकालय एवं पत्रिकाओं पर व्यय (₹. 14,492.69 लाख) के अन्तर्गत चालान के माध्यम से जमा करायी गयी राशि सम्मिलित है।

**अनुदान संख्या 20 –(क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण			
[01] प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू .	11,500.02		
पु .	- 11,500.02	..	- 6,039.95
			- 6,039.95

31 मार्च 2024 को ₹ 11,500.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने का कारण प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा बताया गया कि भारत सरकार से केन्द्रीयशांश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराया गया ।

₹ 6,039.95 लाख का ऋणात्मक व्यय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा भारत सरकार से पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के ₹ 14,492.69 लाख सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते से चालान से सरकारी खाते में जमा कराने के कारण हुआ । यद्यपि, वर्ष के दौरान ₹ 8,452.74 लाख का व्यय राज्य निधि (₹ 3,621.49 लाख) और केन्द्रीय सहायता (₹ 4,831.25 लाख) के अन्तर्गत हुआ। फिर भी राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया जो कि राज्य विधान सभा द्वारा पारित विनियोग अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।

01. प्रारम्भिक शिक्षा				
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय				
(07) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय				
[01] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध				
मू .	3,156.51			
पु .	- 823.71	2,332.80	2,332.33	- 0.47

31 मार्च 2024 को ₹ 823.71 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण नवनियुक्त शिक्षकों के कार्यग्रहण देरी से करने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा				
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय				
(08) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय				
[01] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध				
मू .	2,512.63			
पु .	- 522.82	1,989.81	1,989.25	- 0.56

31 मार्च 2024 को ₹ 522.82 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण नवनियुक्त शिक्षकों के कार्यग्रहण देरी से करने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 20 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(09) स्कूल वापसी अभियान			
[01] निःशुल्क पोशाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय			
मू .	15,944.01		
पु .	- 14,960.60	983.41	981.64
31 मार्च 2024 को ₹ 14,960.60 लाख का प्रावधान कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक वितरण के संबंध में राज्य सरकार से देरी से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 1.77
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
112. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)			
(01) मिड डे मील			
[02] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू .	93,260.00		
अ .	1,625.00	76,240.90	76,240.90
पु .	- 18,644.10		..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा मिड-डे-मिल से संबंधित अनुदान की प्रथम किश्त के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 1,625.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।			
31 मार्च 2024 को ₹ 18,644.10 लाख का प्रावधान भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियों एवं वर्ष 2023-24 में अनुपातिक राज्यांश को जारी किया ।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
112. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम पोषण)			
(03) मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना			
[01] विद्यार्थियों के लिए दूध पोषाहार			
मू .	51,000.00		
अ .	8,125.00	37,416.30	37,416.30
पु .	- 21,708.70		..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा दुग्ध पोषण मद के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 8,125.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।			
31 मार्च 2024 को ₹ 21,708.70 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा पर व्यय-सामान्य			
मू .	9,44,200.02		
पु .	- 2,90,594.84	6,53,605.18	6,53,607.80
₹ 2,90,594.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भारत सरकार से केन्द्रीयंश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने, (ii) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से नवनियुक्त शिक्षकों की कार्यग्रहण करने में देरी से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाओं के माध्यम से मार्च के अन्त में वेतन बिलों का भुगतान नहीं होने तथा (iii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित किया गया ।			+ 2.62



अनुदान संख्या 20 –(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[04] स्टार परियोजना (सामान्य)			
मू .	20,000.00	12,516.10	12,516.10
पु .	- 7,483.90		..

31 मार्च 2024 को ₹ 7,483.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) पर व्यय			
मू .	6,125.01	4,327.58	4,327.58
पु .	- 1,797.43		..

₹ 1,797.43 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रीयंश एवं अनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने तथा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाओं के माध्यम से मार्च के अन्त में वेतन बिलो का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[04] राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी), उदयपुर पर व्यय			
मू .	4,779.01	2,695.59	2,695.59
पु .	- 2,083.42		..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,083.42 लाख का प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीयंश एवं अनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	2,15,859.01	1,59,540.30	1,59,535.47
पु .	- 56,318.71		- 4.83

₹ 56,318.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा कार्यग्रहण देरी से करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 4.83 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 20 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[02] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	48,804.61		
पु .	- 10,392.77	38,411.84	38,406.43
			- 5.41

31 मार्च 2024 को ₹ 10,392.77 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा कार्यग्रहण देरी से करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 5.41 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(14) शिक्षा का अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण-सामान्य व्यय			
मू .	46,100.00		
पु .	- 32,030.87	14,069.13	6,981.84
			- 7,087.29

31 मार्च 2024 को ₹ 32,030.87 लाख का प्रावधान (i) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाओं के माध्यम से मार्च के अन्त में वेतन बिलो का भुगतान नहीं होने तथा (ii) भारत सरकार से केन्द्रीयशांश एवं अनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 7,087.29 लाख की अन्तिम बचत शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को फीस के पुनर्भरण हेतु भारत सरकार से प्राप्त निधियों के ₹ 31,522.68 लाख राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते से सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मद में ₹ 11,891.14 लाख का व्यय हुआ, फिर भी राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	------------------------------	-------------------

2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
[01] विद्यालय संचालन पर व्यय			
मू .	3,39,888.02		
अ .	3,712.40	3,96,840.00	3,96,840.00
पु .	53,239.58		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 53,239.58 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्यालय सहायकों के मानदेय में वृद्धि तथा परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात नव नियुक्त शिक्षकों को बड़े हुये वेतन भुगतान के कारण प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पंचायत समितियों को सहायतार्थ अनुदान (वेतन) जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 20 –(क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(04) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय (प्राथमिक स्तर)			
[01] प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,548.26	1,992.47	1,992.03
पु .	444.21		
			- 0.44

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 444.21 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) उच्च पदों पर पदोन्नति के बाद कर्मचारियों को बड़े हुए वेतन का भुगतान, (ii) कक्षा पांचवी और आठवी बोर्ड की कॉपियों की जांच के संबंध में बकाया मानदेय का भुगतान करने तथा (iii) कक्षा पांचवी और आठवी बोर्ड की परीक्षा से संबंधित परिवहन के बकाया बिलों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**प्रभारित**

- ₹ 166.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 299.96 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	300.00	433.87	433.87
अ.	299.96		
पु .	- 166.09		
			..

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 299.96 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 166.09 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**पूँजी**

**दत्तमत**

- फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु लिया गया ₹ 23,749.17 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।

## अनुदान संख्या 20 -(समाप्त)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(13) समग्र शिक्षा अभियान			
[01] निर्माण कार्य पर व्यय			
मू .	12,513.00		
अ.	5,652.00	5,281.26	5,281.25
पु.	- 12,883.74		- 0.01
<p>फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 5,652.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।</p> <p>31 मार्च 2024 को ₹ 12,883.74 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(13) समग्र शिक्षा अभियान			
[02] निर्माण कार्य पर व्यय			
मू .	0.01		
अ.	290.53	103.78	103.78
पु.	- 186.76		..
<p>फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 290.53 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।</p> <p>31 मार्च 2024 को ₹ 186.76 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(13) समग्र शिक्षा अभियान			
[03] स्टार परियोजना पर पूंजीगत व्यय			
मू .	7,300.00		
अ.	12,090.00	4,198.03	4,198.03
पु.	- 15,191.97		..
<p>फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 12,090.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।</p> <p>31 मार्च 2024 को ₹ 15,191.97 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(15) पी. एम. श्री योजना			
[01] राजकीय विद्यालयों में योजनान्तर्गत पूंजीगत व्यय			
अ .	5,716.64		
पु.	- 5,716.64	..	..
<p>फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पी.एम. श्री योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 5,716.64 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 5,716.64 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।।</p>			

**अनुदान संख्या 21 – माध्यमिक शिक्षा विभाग**

**मुख्य शीर्ष :** राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2202. सामान्य शिक्षा,  
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,  
 2205. कला एवं संस्कृति और  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
**पूंजी –** 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और  
 6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,35,26,42,01			
अनुपूरक	55,95,10	2,35,82,37,11	2,28,21,43,63	- 7,60,93,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				6,54,73,86
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2,00,01			
अनुपूरक	12,00,00	14,00,01	13,73,86	26,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				26,15
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,65,83,07			
अनुपूरक	2,00,37,75	10,66,20,82	6,49,80,49	- 4,16,40,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4,16,40,32
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				

- ₹ 5,595.10 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,597.07 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया ₹ 65,473.86 लाख का प्रावधान अनुदान के तहत ₹ 76,093.48 लाख की अन्तिम बचत से कम रहा क्योंकि अन्तिम बचत में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा शीर्षों 2202-02-113 (01) [01] 01- वेतन (₹ 10,109.79 लाख) तथा 02-113 (02) [01] 01 - वेतन (₹ 284.89 लाख) के तहत चालान द्वारा जमा करायी गयी राशि सम्मिलित है।

**अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)**

1. (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण			
[01] माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा			
मू .	9,000.01		
		7,831.49	7,831.49
पु .	- 1,168.52		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,168.52 लाख का प्रावधान पाठ्य पुस्तक मण्डल को बिलों के वास्तविक भुगतान के अनुसार अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(15) राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्तियां			
मू .	500.00		
		..	..
पु .	- 500.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल-सामान्य व्यय			
मू .	30,585.00		
		27,578.00	27,578.00
पु .	- 3,007.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,007.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(11) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में			
अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को साईकल वितरण			
मू .	9,520.00		
		3,169.10	2,912.30
पु .	- 6,350.90		- 256.80
31 मार्च 2024 को ₹ 6,350.90 लाख का प्रावधान निःशुल्क साईकल वितरण योजना के तहत फर्म द्वारा साईकलों की आपूर्ति समय पर पूरा नहीं करने के परिणामस्वरूप भुगतान प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 256.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(20) गार्गी /बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू .	6,900.00		
		1,595.97	1,595.97
पु .	- 5,304.03		..
31 मार्च 2024 को ₹ 5,304.03 लाख का प्रावधान गार्गी पुरस्कार योजना के तहत बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के पास पिछले वर्षों की अव्यतीत राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(28) बालिका विद्यालय			
[01] बालिका विद्यालयों का संचालन व्यय - प्रतिबद्ध			
मू .	1,62,758.40	1,45,473.04	1,45,472.68
पु .	- 17,285.36		
			- 0.36

₹ 17,285.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(29) मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू .	1,694.91	..	..
पु .	- 1,694.91		

31 मार्च 2024 को ₹ 1,694.91 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री जनसहभागिता विकास योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण पर आवश्यकतानुसार किये गये व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(30) आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार			
[02] प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू .	750.00	0.11	0.11
पु .	- 749.89		
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 749.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(32) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के संचालन पर व्यय			
मू .	568.00	414.00	414.00
पु .	- 154.00		
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 154.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(34) व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम			
[01] सामान्य व्यय			
मू .	340.00		
पु .	- 338.57	1.43	1.43 ..
31 मार्च 2024 को ₹ 338.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(35) पीएमश्री योजना			
[01] राजकीय विद्यालयों में पीएमश्री योजनान्तर्गत विकास			
मू .	7,117.00		
पु .	- 5,820.52	1,296.48	1,296.48 ..
31 मार्च 2024 को ₹ 5,820.52 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा पर व्यय-सामान्य			
मू .	1,12,520.02		
पु .	- 16,010.44	96,509.58	86,372.59 - 10,136.99
31 मार्च 2024 को ₹ 16,010.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) । ₹ 10,136.99 लाख की अन्तिम बचत के भारत सरकार से प्राप्त ₹ 10,109.79 लाख सम्मिलित है तथा चालान द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा जमा करायी गयी। शेष अन्तिम बचत ₹ 27.20 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[04] विकलांग एकीकृत शिक्षा			
मू .	2,425.41		
पु .	- 471.28	1,954.13	1,952.84 - 1.29
31 मार्च 2024 को ₹ 471.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण			
[01] उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान (आईएसई)			
मू .	629.01		
पु .	- 34.85	594.16	436.34 - 157.82
31 मार्च 2024 को ₹ 34.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 157.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			



## अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(12) बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय			
[02] बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	726.32		
पु .	- 113.10		
31 मार्च 2024 को ₹ 113.10 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।		613.22	613.22
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(03) महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन			
मू .	500.00		
पु .	- 500.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के पास उपलब्ध निधियों में से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय के संचालन पर व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।		..	..
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(06) नवभारत साक्षरता कार्यक्रम			
[01] साक्षरता विभाग के माध्यम से			
मू .	777.75		
पु .	- 777.75		
31 मार्च 2024 को ₹ 777.75 लाख का प्रावधान नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।		..	..
2205. कला एवं संस्कृति			
105. सार्वजनिक पुस्तकालय			
(01) सार्वजनिक पुस्तकालय			
मू .	305.15		
पु .	- 191.24		
31 मार्च 2024 को ₹ 191.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।		113.91	113.91
105. सार्वजनिक पुस्तकालय			
(02) पुस्तकालय, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के माध्यम से			
[01] पुस्तकालयों का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	1,576.53		
अ .	0.01		
पु .	- 226.13		
₹ 226.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।		1,350.41	1,350.77

**अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(02) बधिर, मूक और अन्धों के विद्यालय- आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा			
मू .	309.22		
पु .	- 168.19		
	141.03	141.03	..

₹ 168.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः छः संभागीय मुख्यालयों में मूक एवं बधिर विद्यालयों के संचालन का प्रारम्भ नहीं होने से वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 (₹ 300.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 19,737.75 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 20,037.75 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	8,821.50		
पु .	- 8,425.15		
	396.35	396.35	..

31 मार्च 2024 को ₹ 8,425.15 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- सामान्य शिक्षा
- माध्यमिक शिक्षा
- (16) विद्यालयों के जर्जर भवन
- [01] माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का पुनरुद्धार

मू .	10,110.00		
पु .	- 8,110.00		
	2,000.00	2,000.00	..

31 मार्च 2024 को ₹ 8,110.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(20) समग्र शिक्षा अभियान			
[01] निर्माण कार्य पर व्यय			
मू.	38,500.00		
अ.	19,737.74	46,054.95	46,054.95
पु.	- 12,182.79		..

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा समग्र शिक्षा पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 19,737.74 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 12,182.79 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 01. सामान्य शिक्षा
- 202. माध्यमिक शिक्षा
- (21) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय
- [01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निर्माण कार्य

मू.	138.00			
पु.	- 138.00	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 138.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 01. सामान्य शिक्षा
- 202. माध्यमिक शिक्षा
- (24) अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य
- [01] सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ में निर्माण कार्य

मू.	693.50			
पु.	- 381.82	311.68	311.68	..

31 मार्च 2024 को ₹ 381.82 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 01. सामान्य शिक्षा
- 202. माध्यमिक शिक्षा
- (24) अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य
- [02] सैनिक स्कूल, झुंझनू में निर्माण कार्य

मू.	600.00			
पु.	- 600.00	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(25) राजकीय महात्मा गांधी विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में छात्रावास निर्माण			
[01] राजकीय महात्मा गांधी विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में निर्माण कार्य			
मू .	484.00		
पु .	- 284.00	200.00	200.00
31 मार्च 2024 को ₹ 284.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(26) नाबार्ड आर आई डी एफ XXVIII के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू .	22,736.00		
पु .	- 14,236.00	8,500.00	8,500.00
31 मार्च 2024 को ₹ 14,236.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 11,018.50 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,217.50 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
04. कला तथा संस्कृति			
105. सार्वजनिक पुस्तकालय			
(02) महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्र			
[01] शान्ति एवं अहिंसा निदेशालय			
मू .	500.00		
पु .	- 500.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(27) पीएमश्री योजना			
[01] राजकीय विद्यालयों में पीएमश्री योजनान्तर्गत निर्माण			
मू .	2,000.00		
पु .	802.25	2,802.25	2,802.25
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 802.25 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..

अनुदान संख्या 21 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(28) नाबार्ड RIDF XXIX के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावासों का निर्माण			
[01] के.जी.बी.वी. छात्रावासों का निर्माण (राज्य निधि)			
अ .	0.01		
पु.	2,055.26	2,055.27	2,055.27 ..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,055.26 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजना के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़ को उधार			
मू .	0.01		
पु.	359.99	360.00	360.00 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,984.15 लाख की अतिरिक्त निधियां सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ को ऋण राशि उपलब्ध कराने हेतु ली गयी।			

**अनुदान संख्या 22 – उच्च शिक्षा विभाग**  
**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2202. सामान्य शिक्षा और**  
**2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं**  
**पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और**  
**6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	20,27,26,96			
अनुपूरक	75,90,04	21,03,17,00	18,52,68,01	- 2,50,48,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,49,77,71
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	9,99,99	10,00,00	11,32,11	+ 1,32,11 (अधिक्य ₹ 1,32,11,466)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,96,39,55			
अनुपूरक	4,12,61,43	7,09,00,98	5,85,12,12	- 1,23,88,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,23,88,86
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

**राजस्व**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 (₹ 7,590.01 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 0.03 लाख) में लिया गया ₹ 7,590.04 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 25,048.99 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 71.28 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 22 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
003. प्रशिक्षण			
(01) उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए शिक्षक इंटरफेस			
[01] कॉलेज शिक्षा			
अ .	1,000.00		
पु .	- 962.95	37.05	37.05

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा उत्कृष्टता कार्यक्रम के लिए शिक्षक इंटरफेस पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 962.95 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण, दौरे एवं सेमिनार के कम आयोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(10) विधि विश्वविद्यालयों को अनुदान			
मू .	150.00	..	..
पु .	- 150.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(16) डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान			
मू .	4,900.02	3,000.00	3,000.00
पु .	- 1,900.02	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,900.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(10) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू .	1,549.72	..	..
अ.	540.00	..	..
पु .	- 2,089.72	..	..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मेधावी छात्राओं को स्कूटी के वितरण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 540.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 2,089.72 लाख का प्रावधान स्कूटी नहीं खरीदने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 22 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(17) शिक्षण संस्थाओं को सहायता			
[01] कालेज शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू .	4,000.05	..	..
पु .	- 4,000.05	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 4,000.05 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
105. संकाय विकास कार्यक्रम			
(01) संकाय विकास अकादमी की स्थापना			
[01] कॉलेज शिक्षा			
मू .	500.00	0.32	0.32
पु .	- 499.68	..	..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा संकाय विकास अकादमी की स्थापना हेतु लिया गया ₹ 500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 499.68 लाख का प्रावधान संकाय विकास अकादमी की स्थापना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(01) छात्रवृत्ति और वजीफा			
मू .	21,100.00		
अ.	500.00	10,858.42	10,851.87
पु .	- 10,741.58		- 6.55
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा परिवहन वाउचर योजना के संचालन हेतु लिया गया ₹ 500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 10,741.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 4,829.51 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,912.07 लाख) किया गया, जिसके एवं ₹ 6.55 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(07) नेट स्लैट उतीर्ण छात्रों हेतु फेलोशिप			
[01] कॉलेज शिक्षा			
मू .	500.00		
अ.	1,000.00	39.28	39.22
पु .	- 1,460.72		- 0.06
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा नेट स्लैट उतीर्ण छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु लिया गया ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 1,460.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			



**अनुदान संख्या 22 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान कॉलेज एज्युकेशन सोसायटी (RAJ-CES)			
[01] नवीन राजकीय महाविद्यालय (सामान्य)			
अ .	500.00	..	..
पु .	- 500.00	..	..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा नवीन राजकीय महाविद्यालय के संचालन हेतु लिया गया ₹ 500.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि समस्त प्रावधान 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा  
800. अन्य व्यय  
(03) कॉलेज शिक्षा विभाग की नवाचार/ नवीन योजनाएं

मू .	0.02			
अ .	2,850.00	10.22	10.22	..
पु .	- 2,839.80			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ऑनलाईन परीक्षा केन्द्र एवं मुल्यांकन, मान्यता एवं ग्रेड प्रमोशन हेतु लिया गया ₹ 2,850.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 2,839.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा  
800. अन्य व्यय  
(06) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम  
[01] कॉलेज शिक्षा

अ .	500.00	..	..	..
पु .	- 500.00			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए लिया गया ₹ 500.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि प्रशिक्षण, सेमीनार आदि आयोजित नहीं होने के कारण 31 मार्च 2024 को समस्त प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा  
800. अन्य व्यय  
(07) कैंपस प्लेसमेंट और कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम  
[01] कॉलेज शिक्षा

अ .	200.00	4.47	4.47	..
पु .	- 195.33			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों हेतु लिया गया ₹ 200.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 195.33 लाख का प्रावधान कार्यक्रम के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 22 – (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) निदेशालय			
मू .	157.23		
अ .	0.01		
पु .	622.80		
	780.04	780.04	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 622.80 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001. निदेशन और प्रशासन			
(02) निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,874.80		
	2,064.02	2,063.54	- 0.48
पु .	189.22		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 189.22 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(20) विश्वविद्यालयों को अनुदान			
[06] एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू .	4,350.00		
	4,810.00	4,810.00	..
पु .	460.00		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 460.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**प्रभारित**

- व्यय विनियोग से ₹ 1,32,11,466 अधिक हुआ जिसका नियमन अपेक्षित है।
- आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(13) राजकीय महाविद्यालयों (पुरुषों के लिए)			
[01] राजकीय महाविद्यालयों का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	0.01		
	1,000.00	1,132.11	+ 1,32.11
अ .	999.99		

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा न्यायालय के निर्णय की अनुपालना हेतु लिया गया ₹ 999.99 लाख प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य को देखते हुए अपर्याप्त था।

₹ 132.11 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 22 – (क्रमशः)

### पूँजी

#### दत्तमत

1. ₹ 12,388.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 16,500.01 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 24,761.42 लाख) में लिया गया ₹ 41,261.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	15,948.48		
अ.	32,261.42	36,929.12	..
पु.	- 11,280.78		

जुलाई, 2023 (₹ 7,500.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 24,761.42 लाख) में निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 32,261.42 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 11,280.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 9,280.79 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,999.99 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(07) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	2,108.00		
पु.	- 2,108.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,108.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(12) अन्य संस्थाओं को शोध हेतु सहायता			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,000.00		
पु.	- 1,000.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 22 – (समाप्त)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(03) विश्वविद्यालयों को कर्ज			
[01] जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को कर्ज			
मू .	0.01	2,000.00	2,000.00
पु.	1,999.99		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,999.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 23 – संस्कृत शिक्षा विभाग  
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य और  
2202. सामान्य शिक्षा

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,50,98,80	6,51,98,80	5,76,73,07	- 75,25,73
अनुपूरक	1,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				75,17,92
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,28,58	9,63,58	3,48,72	- 6,14,86
अनुपूरक	7,35,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				6,14,86
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 100.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 7,525.73 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 7.81 लाख अनुभ्यर्पित रही।

## अनुदान संख्या 23 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(05) प्राथमिक पाठशालाएं (निदेशक, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से)-प्रतिबद्ध			
मू .	23,839.24		
पु .	- 3,542.04	20,297.20	20,297.18
			- 0.02

31 मार्च 2024 को ₹ 3,542.04 लाख का प्रावधान कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदोन्नति पर वेतन एवं भत्तों का भुगतान इस मद के बजाय अन्य शीर्ष से होने एवं सुनिश्चित कैरियर प्रगति के बकाया का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,715.08 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 826.96 लाख) किया गया।

05. भाषा विकास  
103. संस्कृत शिक्षा  
(09) संस्कृत महाविद्यालय  
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध

मू .	2,928.00			
पु .	- 605.94	2,322.06	2,322.05	- 0.01

₹ 605.94 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदोन्नति पर वेतन एवं भत्तों का भुगतान इस मद के बजाय अन्य शीर्ष से होने को आरोपित की गयी।

05. भाषा विकास  
103. संस्कृत शिक्षा  
(10) संस्कृत विद्यालय  
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	22,384.84			
पु .	- 3,341.02	19,043.82	19,043.81	- 0.01

₹ 3,341.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदोन्नति पर वेतन तथा भत्तों के भुगतान इस शीर्ष के बजाय अन्य शीर्ष से होने और सुनिश्चित कैरियर प्रगति के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

05. भाषा विकास  
800. अन्य व्यय  
(04) वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी को अनुदान  
[01] वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी

मू .	717.51			
पु .	- 512.51	205.00	205.00	..

31 मार्च 2024 को ₹ 512.51 लाख का प्रावधान (i) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने और दिसम्बर, 2023 में अकादमी के अध्यक्ष के नामांकन की समाप्ति के कारण अनुदान (सामान्य) का कम उपयोग होने तथा (ii) दिसम्बर, 2023 में अकादमी के अध्यक्ष के नामांकन की समाप्ति और सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके मूल विभाग में होने से अनुदान (वेतन) का कम उपयोग होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

### अनुदान संख्या 23 – (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(02) संस्कृत महाविद्यालय			
मू.	284.21		
पु.	265.02		
		549.23	549.23
			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 265.00 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्यासंबल योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी को मानदेय भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

### पूँजी

#### दत्तमत

- ₹ 614.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 735.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(06) संस्कृत महाविद्यालय			
[01] भवन			
मू.	168.56		
अ.	735.00		
पु.	- 707.85		
		195.71	195.71
			..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा संस्कृत महाविद्यालय के निर्माण एवं आधुनिकीकरण हेतु लिया गया ₹ 735.00 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 707.85 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 614.84 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 93.01 लाख) किया गया।

## अनुदान संख्या 24 – तकनीकी शिक्षा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2203. तकनीकी शिक्षा,  
पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,06,93,79			
अनुपूरक	1,00,03	4,07,93,82	3,63,87,19	– 44,06,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				44,06,59
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	5,69	5,70	5,69	– 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	43,94,83			
अनुपूरक	27,07,90	71,02,73	56,56,40	– 14,46,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				14,46,30

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 100.03 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 100.00 लाख का प्रावधान अनुदान के अन्तर्गत ₹ 4,406.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अनावश्यक था।



**अनुदान संख्या 24 –(क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
102. तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता			
(07) तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को अनुदान			
मू .	380.00	230.00	230.00
पु .	- 150.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 150.00 लाख का प्रावधान (i) प्री-पे मैनेजर से बिल पारित नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आय से गैर-वेतन बिलों का भुगतान करने, (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ महीनों तक वित्तीय नियन्त्रक, रजिस्ट्रार और सहायक लेखाधिकारी के पद रिक्त रहने के कारण वेतन के लिए सहायतार्थ अनुदान कम जारी किया जाने तथा (iii) विश्वविद्यालय के निजी निक्षेप खाते में ₹ 100.00 लाख का हस्तान्तरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

105. बहुशिल्प (पॉलीटेक्नीक) विद्यालय  
(02) केन्द्रीय सहायता के तहत बहुशिल्प (पॉलीटेक्नीक) विद्यालय

मू .	4,009.51	2,477.38	2,477.38
पु .	- 1,532.13		

31 मार्च 2024 को ₹ 1,532.13 लाख का प्रावधान राज्य के सभी पॉलीटेक्नीक महाविद्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त रहने तथा रिक्त पदों के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी कम पदस्थापित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

105. बहुशिल्प (पॉलीटेक्नीक) विद्यालय  
(07) साधारण व्यय  
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	23,582.52	20,917.46	20,917.46
	100.00		
पु .	- 2,765.06		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सेन्टर फॉर एक्सेलेंसी रिन्यूअल एनर्जी, जोधपुर एवं सेन्टर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जयपुर के कार्यान्वयन हेतु लिया गया ₹ 100.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।

₹ 2,765.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्य के सभी पॉलीटेक्नीक महाविद्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त रहने तथा रिक्त पदों के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी की कम पदस्थापना, (ii) महाविद्यालय की विशेष सेवाओं पर कम व्यय तथा (iii) इलेक्ट्रिकल वाहन उत्कृष्टता केन्द्र, जयपुर का कार्यान्वयन नहीं होने को आरोपित की गयी ।

107. छात्रवृत्तियां  
(02) राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां

मू .	200.00	12.84	12.84
पु .	- 187.16		

31 मार्च 2024 को ₹ 187.16 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति हेतु कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

## अनुदान संख्या 24 –(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
112. इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान			
(01) राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय			
[01] राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	577.01		
पु .	- 545.78	31.23	31.22
			- 0.01

31 मार्च 2024 को ₹ 545.78 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा कम्प्यूटर एवं संबंधित संचार पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय

(04) राजस्थान उच्च तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना

[01] उच्च तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

मू .	300.00			
पु .	- 300.00	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान चुनाव करवाने के कारण व्यय नहीं होने से अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(04) माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल इन्स्टीट्यूट, भीलवाडा को अनुदान			
मू .	1,000.01		
अ .		1,200.00	1,200.00
पु .	199.99		..
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(06) अभियांत्रिक कॉलेज, अजमेर को अनुदान			
मू .	2,200.01		
अ .	0.01	2,500.00	2,500.00
पु .	299.98		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 199.99 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में शैक्षणिक कर्मियों को सीएस लाभ के बकाया का भुगतान करने तथा (ii) महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण उपलब्ध कराई गयी।

गयी।

**अनुदान संख्या 24 –(क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(07) अभियांत्रिक कॉलेज, बीकानेर को अनुदान			
मू .	1,800.01		
अ.	0.01	2,100.00	..
पु .	299.98	2,100.00	

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 299.98 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय  
(01) साधारण व्यय

मू .	639.52		
पु .	149.17	788.69	..
		788.69	

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 149.17 लाख की अतिरिक्त निधियां *विद्या संबल योजना* के अन्तर्गत रिक्त पदों पर पदस्थापित गेस्ट फैकल्टी को मानदेय भुगतान एवं गैर अभियांत्रिकी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 1,446.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 1,709.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 998.90 लाख) में लिया गया ₹ 2,707.90 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	294.71		
अ.	200.00	233.55	..
पु.	- 261.16	233.55	

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 200.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।

31 मार्च 2024 को ₹ 261.16 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के कम निष्पादन तथा चुनाव के कारण कार्यों के निष्पादन पर रोक के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

## अनुदान संख्या 24 -(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	1,800.02		
अ.	2,467.90	2,843.85	2,843.85
पु.	- 1,424.07		..

जुलाई, 2023 (₹ 1,469.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 998.90 लाख) में लिया गया ₹ 2,467.90 लाख अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,424.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों मण्डोर, उच्चैन(भरतपुर) एवं नावा में निर्माण कार्यों के कम निष्पादन करने, (ii) राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि आवंटन नहीं होने के कारण कार्य का निष्पादन नहीं होने, (iii) कोषालय द्वारा बिल पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से फर्मों को ₹ 300.00 लाख के बिलों का भुगतान नहीं होने तथा (iv) जांच में तकनीकी बिड के असफल होने के कारण केमिकल शाखा के लिए कार्यादेश जारी नहीं होने को आरोपित की गयी।

02. तकनीकी शिक्षा  
105. इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान  
(01) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना  
[01] निर्माण कार्य

मू.	2,020.00		
अ.	40.00	1,000.00	1,000.00
पु.	- 1,060.00		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 40.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,060.00 लाख का प्रावधान (i) वित्त विभाग द्वारा उन निर्माण कार्यों पर रोक लगाना जिनके कार्यादेश जारी हो चुके हैं परन्तु साईट पर कार्य शुरू नहीं हुए और (ii) राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर का स्वयं का भवन नहीं होने के कारण मशीनरी एवं यन्त्रों पर व्यय के नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 744.23 लाख) एवं अभ्यर्पित (₹ 315.77 लाख) किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(04) आई.आई.आई.टी. के निर्माण हेतु			
मू.	0.01		
पु.	1,298.99	1,299.00	1,299.00

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,298.99 लाख की अतिरिक्त निधियां आई.आई.आई.टी, कोटा के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्यांश जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 25 – कला एवं संस्कृति विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2202. सामान्य शिक्षा और

2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,89,38,21	2,63,04,22	1,14,93,33	- 1,48,10,89
अनुपूरक	73,66,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,48,09,86
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	2	..	- 2
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	14,10,90	16,80,90	2,40,48	- 14,40,42
अनुपूरक	2,70,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				14,40,42

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 7,366.01 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 7,366.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

**अनुदान संख्या 25 –(क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
001. निदेशन एवं प्रशासन			
(01) शान्ति एवं अहिंसा निदेशालय			
[01] प्रधानास्पद व्यय			
मू .	3,444.04		
अ.	7,000.00	1,001.03	1,000.10
पु .	- 9,443.01		- 0.93

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्र तथा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हेतु लिया गया ₹ 7,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 9,443.01 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) राज्य सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया वापस लेने के कारण महात्मा गांधी सेवा प्रेरक को मानदेय का भुगतान नहीं होना, (ii) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, (iii) राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती वापस लेने के कारण फर्नीचर की खरीद नहीं होने, (iv) पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्रों की स्थापना नहीं होने के कारण प्रकाशन पर खर्च न होने, (v) चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण अनुदान कम जारी होने और (vi) चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण जिला स्तर पर वाहनों पर खर्च न होने और नई मर्दों की खरीद हेतु स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 9,244.25 लाख) एवं अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 198.76 लाख) किया गया।

102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन  
(11) जवाहर कला केन्द्र

मू .	1,635.46			
पु .	- 833.34	802.12	802.12	..

₹ 833.34 लाख की प्रत्याशित मुख्यतः त्यौहारों आदि के कम आयोजन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन  
(12) स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा स्वेच्छिक अभिकरणों को सहायता

मू .	2,150.00			
अ.	300.00	947.50	947.50	..
पु .	- 1,502.50			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा स्वायत्त निकायों एवं स्वेच्छिक अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान (गैर-संवेतन) हेतु लिया गया, ₹ 300.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,502.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन  
(35) शान्ति एवं अहिंसा विभाग  
[01] महात्मा गांधी विद्यापीठ- गांधी अध्ययन  
केन्द्र, जयपुर

मू .	630.00			
पु .	- 630.00	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 630.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 25 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(35) शान्ति एवं अहिंसा विभाग			
[02] गांधी दर्शन म्यूजियम, जयपुर			
मू .	429.68	..	..
पु .	- 429.68		
31 मार्च 2024 को ₹ 429.68 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
103. पुरातत्व			
(06) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू .	1,089.00	370.27	..
पु .	- 718.73		
31 मार्च 2024 को ₹ 718.73 लाख का प्रावधान (i) नवीन कार्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (ii) प्रतिबद्ध कार्यों के लिए विभागीय स्तर पर कार्यों/योजना को स्वीकृति नहीं मिलने और (iii) ठेकेदार के स्तर पर खेतडी-झुझून्नु किला के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
104. अभिलेखागार			
(01) अभिलेखागार			
[01] प्रधानास्पद			
मू .	546.52	37.71	- 0.01
पु .	- 508.81		
₹ 508.81 लाख की प्रत्याशित बचत (i) मुख्यालय परिसर में कोबोल रोड के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) ऐतिहासिक अभिलेखों के माइक्रोफिल्मिंग एवं डिजिटलीकरण हेतु द्वितीय किशत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने को आरोपित की गयी ।			

**अनुदान संख्या 25 – (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 270.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
04. कला तथा संस्कृति			
106. संग्रहालय			
(08) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू .	240.00		
पु .	- 75.93		
	164.07	164.07	..

31 मार्च 2024 को ₹ 75.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. कला तथा संस्कृति
800. अन्य व्यय
- (01) अरबी एवं फारसी शोध संस्थान

मू .	120.00			
अ .	25.00			
पु .	- 125.00			
		20.00	20.00	..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 25.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 125.00 लाख का प्रावधान (i) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण प्रकाशन सह संग्रहालय के निर्माण में राशि का उपयोग नहीं होने, (ii) कार्यालय स्तर पर हस्तलिखित पाठ एवं शारा और शरीफ अभिलेखों के संरक्षण संबंधित बिलों के लम्बित रहने और (iii) कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जयपुर द्वारा गठित जांच दल द्वारा सभी कार्यों की तकनीकी जांच पूरी नहीं होने के कारण संरक्षण कार्यों के बकाया बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. कला तथा संस्कृति
800. अन्य व्यय
- (02) प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान

मू .	0.02			
अ .	75.00			
पु .	- 75.02			
		..	..	..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के हेतु ₹ 75.00 लाख का प्रावधान लिया गया क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 75.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था।

31 मार्च 2024 को ₹ 75.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 25 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(03) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण (आर एच पी पी ए)			
[01] राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण			
मू .	720.00	..	..
पु.	- 720.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 720.00 लाख का समस्त प्रावधान गत वर्षों की अनुदान की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. कला तथा संस्कृति  
800. अन्य व्यय  
(05) रविन्द्र मंच, जयपुर  
[01] रविन्द्र मंच, जयपुर में निर्माण कार्य

मू .	22.00	..	..
अ.	50.00	..	..
पु.	- 72.00	..	..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा रविन्द्र मंच के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण हेतु लिया गया ₹ 50.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 72.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. कला तथा संस्कृति  
800. अन्य व्यय  
(09) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर  
[01] राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर में निर्माण कार्य

मू .	250.00	..	..
पु.	- 250.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 250.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 26 – युवा मामले एवं खेल विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,71,30,73		
अनुपूरक	1,68,59,42	3,39,90,15	3,22,65,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			- 17,24,63
			16,79,62

**पूंजी**

**दत्तमत**

मूल	52,07,62		
अनुपूरक	2,70,00,00	3,22,07,62	1,82,12,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			- 1,39,94,82
			1,39,94,45

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 1,724.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई, 2023 (₹ 13,100.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 3,759.42 लाख) में लिया गया ₹ 16,859.42 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 1,724.63 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 45.01 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल कैडेट कोर			
[02] छोटी शाखाएं- प्रतिबद्ध			
मू.	822.01		
पु.	- 161.11	660.90	647.90
			- 13.00

₹ 161.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, उसके तथा ₹ 13.00 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 26 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(03) भारत स्काउट व गाइड को अनुदान			
मू.	1,669.79		
पु.	- 250.42	1,419.37	1,419.37
			..

₹ 250.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्काउट आवासीय विद्यालय, जगतपुरा, जयपुर के निर्माण के लिए राज्य सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा स्काउट आवासीय विद्यालय में नियुक्त प्रधानाचार्य, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए सहायतार्थ अनुदान (वेतन) जारी नहीं की गयी क्योंकि उनके अधिकांश पद रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 13,994.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्टेडियम एवं खेल अकादमी के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 27,000.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत –
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर			
पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(01) खेल विभाग के माध्यम से- जिला खेल कॉम्प्लेक्स			
मू.	4,500.00		
अ.	27,000.00	17,623.67	17,623.30
पु.	- 13,876.33		- 0.37

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 27,000.00 लाख का प्रावधान स्टेडियम एवं खेल अकादमी के निर्माण हेतु हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 13,876.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. खेलकूद तथा युवा सेवा
102. खेलकूद स्टेडिया
- (03) नेशनल कैडेट कोर
- [01] बडी शाखा

मू.	707.59		
पु.	- 118.09	589.50	589.50
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 118.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 27 – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,  
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,  
2211. परिवार कल्याण,  
3055. सड़क परिवहन और  
3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	93,73,80,07	98,06,39,80	92,48,32,82	– 5,58,06,98
अनुपूरक	4,32,59,73			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5,56,95,57
<b>प्रभारित</b>				
मूल	65,03	65,03	31,00	– 34,03
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				34,03
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,00,59,93	8,68,15,00	6,25,36,28	– 2,42,78,72
अनुपूरक	67,55,07			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,42,78,72
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 43,259.73 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 55,806.98 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 111.41 लाख की राशि अन्अभ्यर्पित रही।

### अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(08) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-प्रतिबद्ध			
मू .	800.00	271.06	271.06
पु .	- 528.94		

31 मार्च 2024 को ₹ 528.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

001. निदेशन और प्रशासन

(03) प्रधान कार्यालय

[01] प्रधान कार्यालय स्थापना-प्रतिबद्ध

मू .	6,245.91	5,447.25	5,445.72	- 1.53
पु .	- 798.66			

₹ 798.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

110. अस्पताल तथा औषधालय

(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय

[01] सामान्य अस्पताल

मू .	16,257.39	22,084.85	22,081.68	- 3.17
अ .	7,200.01			
पु .	- 1,372.55			

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 7,200.01 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

₹ 1,372.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने एवं अनुदान कम जारी होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

110. अस्पताल तथा औषधालय

(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय

[08] सामान्य अस्पताल-प्रतिबद्ध

मू .	75,939.01	67,174.56	67,158.62	- 15.94
पु .	- 8,764.45			

₹ 8,764.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने एवं छात्रवृत्तियों, वजीफों एवं वर्दियों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 15.94 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[13] औषधालय तथा सहायता चौकियाँ-प्रतिबद्ध			
मू .	12,913.71		
पु .	- 1,508.10		
		11,405.61	11,402.57
			- 3.04
₹ 1,508.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[07] क्षेत्रीय और जिला स्तरीय संस्थापना- प्रतिबद्ध			
मू .	6,937.32		
पु .	- 894.75		
		6,042.57	6,042.04
			- 0.53
₹ 894.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[08] क्षय क्लिनिक- प्रतिबद्ध			
मू .	4,351.87		
पु .	- 835.82		
		3,516.05	3,516.04
			- 0.01
₹ 835.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(03) ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू .	2,477.01		
पु .	- 462.02		
		2,014.99	2,014.98
			- 0.01
₹ 462.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू .	48,404.81		
अ.	8,000.00	52,814.52	52,811.04
पु .	- 3,590.29		- 3.48

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 8,000.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

₹ 3,590.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
- 104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (02) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- [01] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध

मू .	86,336.01		
पु .	- 16,732.74	69,603.27	69,585.52
			- 17.75

₹ 16,732.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 17.75 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
- 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
- (01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन
- [04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध

मू .	78,030.03		
पु .	- 12,356.55	65,673.48	65,661.07
			- 12.41

₹ 12,356.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 12.41 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 06. लोक स्वास्थ्य
- 101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण
- (06) दृष्टिविकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- [20] दृष्टिविकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण-प्रतिबद्ध

मू .	1,006.69		
पु .	- 183.43	823.26	823.25
			- 0.01

₹ 183.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(23) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू .	6,232.31		
पु .	- 2,459.62	3,772.69	3,771.76
			- 0.93

₹ 2,459.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(25) नेत्र संग्रहण एवं नेत्र प्रत्यारोपण			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के माध्यम से			
मू .	700.00		
पु .	- 639.51	60.49	60.49
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 639.51 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

06. लोक स्वास्थ्य			
107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं			
(03) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान			
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय, जयपुर			
मू .	539.54		
पु .	- 152.24	387.30	387.29
			- 0.01

31 मार्च 2024 को ₹ 152.24 लाख का प्रावधान (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) भूमि की अनुपलब्धता के कारण जोधपुर और कोटा में प्रयोगशालाओं का निर्माण न हो पाने एवं जयपुर में प्रयोगशाला का निर्माण कार्य मार्च, 2024 में पूरा होने की वजह से विद्युत बिलों पर कम व्यय होने से जयपुर, जोधपुर तथा कोटा में टर्नकी आधार पर बनने वाले सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं के विद्युत बिलों का भुगतान न होने तथा (iii) भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा लोक स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं के लिए केवल आवश्यक रसायनों के लिए ही राशि उपलब्ध करवाने के कारण सामान और आपूर्ति पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[02] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी- प्रतिबद्ध			
मू .	13,005.31		
पु .	- 1,151.06	11,854.25	11,854.21
			- 0.04

₹ 1,151.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



## अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
001. निदेशन और प्रशासन			
(02) राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो			
मू .	1,280.29		
पु .	- 170.74	1,109.55	1,109.55 ..

₹ 170.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 2023-24 के दौरान राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो योजना में आई.एफ.एम.एस. 3.0 के कार्यान्वयन पर बकाया बिलों की प्रक्रिया नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

105. क्षतिपूर्ति  
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय  
[11] असफल नसबंदी प्रकरणों में मुआवजा

मू .	300.00		
पु .	- 208.54	91.46	91.46 ..

31 मार्च 2024 को ₹ 208.54 लाख का प्रावधान जिलों से असफल नसबन्दी प्रकरणों के अनुमानित प्रकरणों के कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

105. क्षतिपूर्ति  
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय  
[12] शुभ लक्ष्मी योजना

मू .	2,745.00		
पु .	- 2,745.00	..	.. ..

₹ 2,745.00 लाख का प्रावधान शुभ लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने एवं विद्यालय में प्रवेश लेने पर तृतीय किशत के भुगतान हेतु अनुमानित था । यद्यपि, तीसरी किशत की लाभार्थी बालिकाओं द्वारा कोविड-19 के बाद विद्यालय में प्रवेश नहीं लेने और पात्र परिवारों के अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाने के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 2,745.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया ।

800. अन्य व्यय  
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)  
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेन्स सर्विस (इ.एम.आर.आई.)

मू .	15,457.00		
पु .	- 15,457.00	..	.. ..

31 मार्च 2024 को ₹ 15,457.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 13,701.31 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,755.69 लाख) किया गया, क्योंकि राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना) से अधिक थी।

## अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू .	4,077.00		
		1,380.00	..
पु .	- 2,697.00		- 1,380.00

31 मार्च 2024 को ₹ 2,697.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना) से अधिक थी। यद्यपि, ₹ 1,380.00 लाख का प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

800. अन्य व्यय			
(11) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)			
मू .	3,198.11		
		1,647.44	1,647.44
पु .	- 1,550.67		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,550.67 लाख का प्रावधान राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना) से अधिक थी।

3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(10) मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना			
[01] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (समर्पित सड़क सुरक्षा निधि से संचालित योजना)			
मू .	500.00		
		2.60	2.60
पु .	- 497.40		..

31 मार्च 2024 को ₹ 497.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] क्षेत्रीय और जिला स्तरीय संस्थापना			
मू .	416.51		
अ.	0.06		
		695.24	695.24
पु .	278.67		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 278.67 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों को भरने के कारण वेतन तथा भत्तों पर किये व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन				
[05] स्वास्थ्य उप केन्द्र-प्रतिबद्ध				
मू .	6,989.01	8,532.97	8,530.07	- 2.90
पु .	1,543.96			
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,543.96 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों को भरने के कारण वेतन तथा भत्तों पर किये व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।				
06. लोक स्वास्थ्य				
001. निदेशन और प्रशासन				
(03) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान				
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय, जयपुर				
मू .	502.03	608.61	608.73	+ 0.12
पु .	106.58			
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 106.58 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर तथा (ii) रिक्त पदों पर पदस्थापित प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को वर्दीधारी होमगार्ड उपलब्ध कराने कारण संविदा सेवाओं पर किये गये व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।				
06. लोक स्वास्थ्य				
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण				
(27) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-जांच				
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर				
मू .	12,127.01	13,680.51	13,642.16	- 38.35
पु .	1,553.50			
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,553.50 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 38.35 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।				
2211. परिवार कल्याण				
102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं				
(01) राज्य सरकार द्वारा प्रचलित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र				
मू .	6,819.01	8,008.58	8,008.58	..
पु .	1,189.57			
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,189.57 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों को भरने के कारण वेतन तथा भत्तों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी				

## अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापना			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र- प्रतिबद्ध			
मू .	6,540.01	7,929.32	7,929.32
पु .	1,389.31		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,389.31 लाख की अतिरिक्त निधियां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र के अन्तर्गत अधिकारियों और महिला स्वास्थ्य सहायक के अधिकांश रिक्त पदों को भरने के कारण वेतन तथा भत्तों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

## पूँजी

## दत्तमत

- फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 6,755.07 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(07) निर्माण कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	11,500.01	4,231.72	4,231.72
पु .	- 7,268.29		

31 मार्च 2024 को ₹ 7,268.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं
110. अस्पताल और औषधालय
- (15) औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण
- [01] औषधि नियंत्रक के माध्यम से

मू .	400.03	209.29	209.29
पु .	- 190.74		

31 मार्च 2024 को ₹ 190.74 लाख का प्रावधान (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यादेश जारी करने/मांग करने पर आवश्यकता अनुसार बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला इमारतों की मरम्मत के लिए निधियां हस्तान्तरित होने तथा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर में विद्युत पैनल कार्य के लिए निष्पादक अभिकरण को निधियां हस्तान्तरित न होने के कारण केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वृहद् कार्य पर कम व्यय होने, (ii) बजट में एकीकृत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालयों के लिए की गयी घोषणा के कारण कोटा और बाडमेर में सहायक औषधि नियंत्रक तथा जैसलमेर में औषधि नियंत्रण कार्यालय की इमारतों के लिए निर्माण कार्य न हो पाने तथा (iii) प्रतिष्ठान द्वारा उपकरणों की आपूर्ति न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(16) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)			
[01] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)			
मू .	720.00	..	..
पु .	- 720.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 720.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना) से अधिक थी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(17) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)			
मू .	28,782.81	18,228.85	18,228.84
पु .	- 10,553.96		- 0.01

31 मार्च 2024 को ₹ 10,553.96 लाख का प्रावधान राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 10,221.96 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 332.00 लाख) किया गया क्योंकि राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना) से अधिक थी ।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
200. अन्य स्वास्थ्य योजनाएं			
(01) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान			
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय, जयपुर			
मू .	1,328.01	1,054.00	1,054.00
पु .	- 274.01		..

31 मार्च 2024 को ₹ 274.01 लाख का प्रावधान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत सात खाद्य प्रयोगशालाओं के नये एवं चालू निर्माण के संबंध में कार्यकारी अभिकरण (मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) से कम मांग की प्राप्ति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू	29,838.00		
अ.	6,755.07	31,828.09	31,828.09
पु .	- 4,764.98		..

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों हेतु लिया गया ₹ 6,755.07 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

### अनुदान संख्या 27 - (समाप्त)

₹ 4,764.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य निधि के अनुमानों में कमी होने को आरोपित की गयी क्योंकि राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना) से अधिक थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण			
मू .	526.50	219.86	219.86
पु .	- 306.64		..
31 मार्च 2024 को ₹ 306.64 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

अनुदान संख्या 28 – चिकित्सा शिक्षा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	33,44,47,25	33,44,47,27	31,32,83,42	- 2,11,63,85
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,10,22,39
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,05	9,64	8,60	- 1,04
अनुपूरक	8,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,04
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	15,62,93,64	15,62,93,64	5,35,70,89	- 10,27,22,75
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				10,27,20,93

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 21,163.85 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 141.46 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

## अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[01] जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर			
मू .	3,241.11		
पु .	- 487.54		
₹ 487.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[08] सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर			
मू .	1,730.02		
पु .	- 425.89		
₹ 425.89 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 4.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[26] एस.आर.बी. भूवालका यक्षमा आरोग्य सदन, बाडी (उदयपुर)			
मू .	474.85		
पु .	- 110.29		
₹ 110.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुल 66 स्वीकृत पदों में से 31 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[33] नवीन चिकित्सालय, कोटा			
मू .	3,714.01		
पु .	- 464.66		
₹ 464.66 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 3.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[37] जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू .	5,657.21		
पु .	- 580.63		
31 मार्च 2024 को ₹ 580.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 8.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
	2,753.57	2,753.31	- 0.26
	1,304.13	1,299.95	- 4.18
	364.56	364.56	..
	3,249.35	3,245.50	- 3.85
	5,076.58	5,067.63	- 8.95



**अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[58] एस.आर.बी. भूवालका यक्षमा आरोग्य सदन, बाडी, उदयपुर- प्रतिबद्ध			
मू .	964.87		
पु .	- 102.59	862.28	862.26
			- 0.02

₹ 102.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुल 131 स्वीकृत पदों में से 91 पदों के रिक्त रहने तथा क्रमशः वार्ड में रोगियों की उपलब्धता कम होने तथा कुछ वार्डों की मरम्मत तथा पुनरुद्धार के कारण ऑक्सीजन प्लांट का संचालन नहीं होने के कारण खाद्य सामग्री तथा बिजली पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[66] बनीपार्क सैटेलाइट अस्पताल, जयपुर- प्रतिबद्ध			
मू .	1,016.14		
पु .	- 162.97	853.17	853.16
			- 0.01

₹ 162.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[68] महिला जिला अस्पताल, जोधपुर- प्रतिबद्ध			
मू .	636.72		
पु .	- 106.69	530.03	530.04
			+ 0.01

31 मार्च 2024 को ₹ 106.69 लाख का प्रावधान मुख्यतः चिकित्सकों का अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति और पदोन्नति पर उनका अन्य अस्पतालों में स्थानान्तरण होने के बाद रिक्त रह गये पदों के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[74] जिला अस्पताल, बीकानेर- प्रतिबद्ध			
मू .	1,096.91		
पु .	- 113.41	983.50	983.50
			..

₹ 113.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः एक चिकित्सा अधिकारी के वेतन का बकाया भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[91] सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जयपुर			
मू .	1,598.08		
		1,267.82	1,267.83
			+ 0.01
पु .	- 330.26		

₹ 330.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) बिजली शुल्क, जल शुल्क, मरम्मत एवं रखरखाव और जैव अपशिष्ट निपटान पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
110. अस्पताल तथा औषधालय  
(01) अध्यापन अस्पताल  
[93] सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, उदयपुर

मू .	423.47		
		318.36	318.36
			..
पु .	- 105.11		

31 मार्च 2024 को ₹ 105.11 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि आईएफएमएस पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 127 स्वीकृत पदों के वेतन के लिए खोले गये नये शीर्षों की मैपिंग अपलोड नहीं होने से राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो सका।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
001. निदेशन और प्रशासन  
(01) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा

मू .	3,261.06		
		791.16	789.52
			- 1.64
पु .	- 2,469.90		

₹ 2,469.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मरम्मत और रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों को अनुदान  
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर

मू .	5,520.01		
		..	..
			..
पु .	- 5,520.01		

31 मार्च 2024 को ₹ 5,520.01 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को निधियां जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,500.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,020.01 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(08) टर्सरी कैंसर केयर सेन्टर			
[01] झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	1,837.44	..	..
पु.	- 1,837.44	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,837.44 लाख का समस्त प्रावधान झालावाड अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय समिति को निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(09) यू. जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[01] झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	343.47	..	..
पु.	- 343.47	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 343.47 लाख का समस्त प्रावधान झालावाड अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय समिति को निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(09) यू. जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,899.96	..	..
पु.	- 1,899.96	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,899.96 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(10) नवीन नर्सिंग कॉलेज			
[01] निदेशक, चिकित्सा शिक्षा			
मू.	455.01	303.17	303.17
पु.	- 151.84	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 151.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(12) जोधपुर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अनुदान			
[01] जोधपुर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू.	5,000.00	3,500.00	3,500.00
पु.	- 1,500.00	..	..
₹ 1,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत जोधपुर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को निधियां जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(03) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-दवा			
[01] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	2,400.00		
		1,323.93	1,321.63
पु .	- 1,076.07		- 2.30
31 मार्च 2024 को ₹ 1,076.07 लाख का प्रावधान भेषज और औषधियों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(03) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-दवा			
[03] रविन्द्र नाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू .	919.75		
		792.13	792.12
पु .	- 127.62		- 0.01
31 मार्च 2024 को ₹ 127.62 लाख का प्रावधान मुख्यतः संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि अस्पताल में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर, फार्माशिष्ट, रेडियोग्राफर तथा अकुशल कर्मचारियों को भुगतान राजस्थान चिकित्सा सहायता समिति के माध्यम से किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(03) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-दवा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू .	492.50		
		392.06	390.96
पु .	- 100.44		- 1.10
31 मार्च 2024 को ₹ 100.44 लाख का प्रावधान मुख्यतः संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(04) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-जांच			
[02] सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	1,590.00		
		1,387.65	1,387.57
पु .	- 202.35		- 0.08
31 मार्च 2024 को ₹ 202.35 लाख का प्रावधान मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं करने और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अन्तर्गत रोगियों की परीक्षण सुविधा के लिए सामग्री की कम खरीद करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(04) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-जांच			
[05] डॉ. सम्पूर्णानन्द चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	2,442.81	1,857.69	1,857.69
पु .	- 585.12		..
31 मार्च 2024 को ₹ 585.12 लाख का प्रावधान मुख्यतः मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अन्तर्गत सूचना सहायक एवं लैब तकनीशियन के पदों को कम करने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(04) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-जांच			
[06] राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू .	2,340.21	2,030.48	2,025.55
पु .	- 309.73		- 4.93
31 मार्च 2024 को ₹ 309.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 4.93 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## पूँजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	500.00	66.23	66.23
पु .	- 433.77		..
31 मार्च 2024 को ₹ 433.77 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(04) चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	464.00		
पु.	- 455.51	8.49	8.49

31 मार्च 2024 को ₹ 455.51 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(05) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर  
[90] निर्माण कार्य

मू.	594.95		
पु.	- 471.53	123.42	123.42

31 मार्च 2024 को ₹ 471.53 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चालू कार्यों के कम निष्पादन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(07) अन्य व्यय  
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

मू.	5,470.00		
पु.	- 4,318.59	1,151.41	1,151.42 + 0.01

31 मार्च 2024 को ₹ 4,318.59 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के कम निष्पादन, मशीनरी और उपकरणों पर कम व्यय तथा आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(07) अन्य व्यय  
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर

मू.	225.01		
पु.	- 225.01	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 225.01 लाख का समस्त प्रावधान विधानसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उपकरणों की खरीद की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत और नवीनीकरण कार्य नहीं कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	4,500.01		
		298.15	298.15
पु .	- 4,201.86		..

31 मार्च 2024 को ₹ 4,201.86 लाख का प्रावधान (i) जोधपुर में जनस्वास्थ्य महाविद्यालय के निर्माण हेतु बजट का उपयोग नहीं हुआ क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर के स्तर पर सभी जोनल मुख्यालयों में लोक स्वास्थ्य महाविद्यालयों के निर्माण के लिए अलग से प्रावधान किया गया, (ii) मथुरादास अस्पताल जोधपुर में नये शव गृह और ओवरहैड पानी की टंकी के निर्माण की घोषणा न होने, (iii) महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में इन्टरकटेबल डायरियां ऑफ इन्फेन्सी (आई.डी.आई.) वार्ड और सिलिकोसिस विंग के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य का कम निष्पादन होने, (iv) दन्त महाविद्यालय के निर्माण कार्य के पूर्ण न होने के कारण मशीनरी की स्थापना न होने और (v) विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सम्बद्ध चिकित्सालयों में मशीनरी की खरीद के लिए निधियों का उपयोग न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(07) अन्य व्यय  
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा

मू .	838.00			
		381.92	380.09	- 1.83
पु .	- 456.08			

₹ 456.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय  
[01] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय

मू	12,830.00			
		..	..	..
पु .	- 12,830.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 12,830.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय  
[90] निर्माण कार्य

मू	85,900.00			
		32,343.80	32,343.80	..
पु .	- 53,556.20			

31 मार्च 2024 को ₹ 53,556.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 52,145.48 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,410.72 लाख) किया गया , जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(12) स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	4,090.01		
पु .	- 2,446.20	1,643.81	1,643.81
₹ 2,446.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(13) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	615.19	..	..
पु .	- 615.19	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 615.19 लाख का समस्त प्रावधान टर्सरी कैंसर केयर सेंटर के अन्तर्गत कैंसर रोगियों के इलाज हेतु बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्माण एवं सामग्री संबंधी कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(14) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	234.00	..	..
पु .	- 234.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 234.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(15) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू .	1,800.00	1,300.00	1,300.00
पु .	- 500.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का प्रावधान यू.जी. सीटों में अभिवृद्धि के अन्तर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			



**अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(15) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[06] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
मू .	1,170.02	..	..
पु .	- 1,170.02	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,170.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(16) पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू .	435.01	..	..
पु .	- 435.01	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 435.01 लाख का समस्त प्रावधान सुपर स्पेशियलिटी विंग के निर्माण हेतु कार्यकारी अभिकरण एच एस सी सी लिमिटेड/एच.आई.टी.ई.एस. को निधियां जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया । कार्यकारी अभिकरण को भुगतान कार्य की समीक्षा के पश्चात् किये गये कार्य के समानुपात में किया जाना था ।			
वर्ष 2022-23 के दौरान भी का समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
मू .	5,750.00	330.79	330.79
पु .	- 5,419.21	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 5,419.21 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	5,500.00	3,500.00	3,500.00
पु .	- 2,000.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,000.00 लाख का प्रावधान सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में निधियां हस्तान्तरण न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

**अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	5,246.70		
		3,382.89	3,382.89
पु .	- 1,863.81		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,863.81 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। पूर्व में जारी केन्द्रीयंश की राशि की सीमा तक ही निधियों का उपयोग करने की स्वीकृति दी गयी थी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(20) नवीन नर्सिंग महाविद्यालय			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू .	4,000.01		
		2,118.29	2,118.29
पु .	- 1,881.72		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,881.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(21) नवीन पब्लिक हेल्थ कॉलेज			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू .	3,200.00		
		27.89	27.89
पु .	- 3,172.11		..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,172.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(24) पीजी मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	1,920.00		
		..	..
पु .	- 1,920.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,920.00 लाख का समस्त प्रावधान उम्मेद पी.जी. मेट्रनिटी तथा नियोनेटोलोजी संस्थान के भवन निर्माण एवं संस्थान के लिए उपकरणों की खरीद के लिए कार्यकारी अभिकरण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को निधियां हस्तान्तरित करने के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 28- (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(25) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	7,650.00		
		2,989.58	
पु .	- 4,660.42	2,989.58	..

31 मार्च 2024 को ₹ 4,660.42 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर के निर्माण पर कम व्यय होने तथा संस्थान के लिए द्वितीय चरण के उपकरणों की खरीद हेतु स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[07] निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा			
मू .	250.02		
		598.98	
पु .	348.96	598.98	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 348.96 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II  
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा

मू .	700.02		
		830.00	
पु .	129.98	830.00	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 129.98 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 29 – आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य और

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	12,11,07,03	12,14,07,03	10,55,45,70	- 1,58,61,33
अनुपूरक	3,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,58,65,88
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,61	20,62	20,51	- 11
अनुपूरक	19,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				11
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	73,54,85	86,54,85	40,05,82	- 46,49,03
अनुपूरक	13,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				46,55,45

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 300.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 15,861.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 15,865.88 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 29 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(01) निदेशन और प्रशासन			
मू .	1,334.42		
अ .	300.00	1,267.41	1,267.70
पु .	- 367.01		+ 0.29

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्थापना एवं प्रशासनिक खर्च पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 300.00 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 367.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों और संविदा सेवाओं पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
- 101. आयुर्वेद
- (02) अस्पताल तथा औषधालय
- [04] अस्पताल तथा औषधालय- प्रतिबद्ध

मू .	13,209.62			
पु .	- 1,700.07	11,509.55	11,509.52	- 0.03

₹ 1,700.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
- 101. आयुर्वेद
- (03) आयुर्वेदिक शिक्षा
- [01] आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर

मू .	239.21			
पु .	- 175.69	63.52	63.50	- 0.02

₹ 175.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, उदयपुर के कर्मचारियों को संवेतन अन्य शीर्षों से भुगतान करने तथा वार्षिक संबद्धता शुल्क का कम भुगतान करने को आरोपित की गयी।

- 02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
- 101. आयुर्वेद
- (03) आयुर्वेदिक शिक्षा
- [04] पं. मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर- प्रतिबद्ध

मू .	3,179.26			
पु .	- 434.98	2,744.28	2,741.37	- 2.91

₹ 434.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत स्वीकृत 246 पदों में से 133 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) (अ) आयुर्वेद वाचस्पति खण्ड- I विभाग में 80 छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया अक्टूबर, 2023 की बजाय दिसम्बर, 2023 में पूरी होने एवं 80 की बजाय केवल 73 छात्र स्वीकृत हुए तथा (ब) अध्ययनरत 20 विद्यार्थियों का राजकीय सेवाओं में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन होने के कारण वजीफा पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 29 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(05) आयुर्वेदिक अनुसंधान			
[02] रसायन शालायें			
मू .	266.72	160.24	160.24
पु .	- 106.48		..

₹ 106.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, भेषज और औषधियों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां  
101. आयुर्वेद  
(05) आयुर्वेदिक अनुसंधान  
[07] रसायन शालायें- प्रतिबद्ध

मू .	1,098.46	920.42	919.57	- 0.85
पु .	- 178.04			

₹ 178.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, संविदा सेवाओं एवं भेषज और औषधियों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां  
103. यूनानी  
(04) अस्पताल तथा औषधालय  
[01] यूनानी अस्पताल तथा औषधालय- प्रतिबद्ध

मू .	1,292.11	1,045.45	1,045.44	- 0.01
पु .	- 246.66			

₹ 246.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः: (i) 12 नर्सों/कम्पाउण्डरों और 14 चिकित्सा अधिकारियों का अन्य लेखा शीर्षों में स्थानान्तरण होने, (ii) कुछ कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कैरियर प्रगति के बकाया का आहरण न करने, (iii) कर्मचारियों द्वारा समर्पण अवकाश के आवेदन प्रस्तुत नहीं करने, (iv) एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने, (v) एक महिला चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच लम्बित रहने के कारण उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने, (vi) एक परिचारक का सितम्बर, 2022 से गबन/विभागीय जांच के कारण निलम्बन होने तथा (vii) माह जनवरी एवं फरवरी, 2024 के दौरान 12 कर्मचारियों से संबंधित वेतन सक्षम स्तर द्वारा आहरण नहीं होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ  
101. आयुर्वेद  
(01) अस्पताल और औषधालय

मू .	2,220.37	1,886.92	1,886.91	- 0.01
पु .	- 333.45			

₹ 333.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, संविदा सेवाओं, भेषज और औषधियों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 29 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय-प्रतिबद्ध			
मू .	71,829.67		
पु .	- 10,167.50	61,662.17	61,660.46
			- 1.71

31 मार्च 2024 को ₹ 10,167.50 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन और भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित (₹ 6,773.55 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,393.95 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
103. यूनानी			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय, ग्रामीण, यूनानी-प्रतिबद्ध			
मू .	732.50		
पु .	- 158.77	573.73	573.73
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 158.77 लाख का प्रावधान माह जनवरी, 2023 में 5 चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण होने कर्मचारियों को समर्पण अवकाश का भुगतान नहीं करने तथा जनवरी, 2024 से बकाया महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान नहीं करने के कारण वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
800. अन्य व्यय			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू .	7,488.00		
पु .	- 4,348.64	3,139.36	3,139.36
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 4,348.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति नहीं मिलने तथा तदनुसार राज्यांश जारी न करने से अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

### अनुदान संख्या 29 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] अस्पताल तथा औषधालय (निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)			
मू .	2,757.03		
पु .	1,710.01		
	4,467.04	4,479.88	+ 12.84
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,710.01 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों को भरने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 12.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(06) आयुर्वेद विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान			
मू .	2,720.00		
पु .	855.00		
	3,575.00	3,575.00	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 855.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन और भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
102. होम्योपैथी			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय, ग्रामीण-प्रतिबद्ध			
मू .	807.66		
पु .	123.01		
	930.67	930.64	- 0.03
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 123.01 लाख की अतिरिक्त निधियां सहायक निदेशक/वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के परिणामतः 50 होम्योपैथिक चिकित्सकों को बढे हुए वेतन और भत्तों और बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
103. यूनानी			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू .	572.89		
पु .	150.57		
	723.46	723.46	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.57 लाख की अतिरिक्त निधियां सितम्बर, 2023 को 77 नये चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती पूरी होने पर उनके पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद वेतन और भत्तों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			



## अनुदान संख्या 29 – (समाप्त)

### पूँजी

#### दत्तमत

1. जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,300.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 4,649.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 4,655.45 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(03) आयुर्वेद विभाग के माध्यम से			
मू .	3,575.01		
अ .	1,300.00	1,420.00	..
पु .	- 3,455.01		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों हेतु लिया गया ₹ 1,300.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 3,455.01 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,451.85 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3.16 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद			
(01) चिकित्सा शिक्षा-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	459.00	..	..
पु .	- 459.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 459.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद			
(04) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय			
मू .	3,175.30	2,526.09	..
पु .	- 649.21	2,526.09	

31 मार्च 2024 को ₹ 649.21 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

### अनुदान संख्या 30 - जनजाति क्षेत्र विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
	2041.	वाहन कर,
	2055.	पुलिस,
	2056.	जेल,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2245.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत,
	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं,
	2251.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2404.	डेयरी विकास,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2435.	अन्य कृषि कार्यक्रम,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3054.	सड़क तथा सेतु,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3075.	अन्य परिवहन सेवाएं,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी -	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
	4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4215.	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
	4216.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय,

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4220.	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
4250.	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4401.	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
4403.	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
4406.	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
4425.	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
4575.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4802.	पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
4851.	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
4853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
4885.	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
5054.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
5452.	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
6408.	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
6425.	सहकारिता के लिए कर्ज,
6700.	मुख्य सिंचाई के लिए कर्ज,
6801.	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और
7055.	सड़क परिवहन के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

## राजस्व

## दत्तमत

मूल	2,13,19,67,43
-----	---------------

अनुपूरक	8,37,09,54
---------	------------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि (31 मार्च 2024)

2,21,56,76,97	1,82,64,74,58	- 38,92,02,39
---------------	---------------	---------------

38,58,15,25

## प्रभारित

मूल	4
-----	---

अनुपूरक	..
---------	----

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि (31 मार्च 2024)

4	..	- 4
---	----	-----

4

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	70,36,70,72	72,91,36,05	50,51,16,42	- 22,40,19,63
अनुपूरक	2,54,65,33			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				22,24,90,81

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 83,709.54 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 83,709.26 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 3,89,202.39 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 3,387.14 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 1,52,010.66 लाख, ₹ 1,21,737.99 लाख, ₹ 1,89,189.18 लाख, ₹ 2,40,203.95 लाख तथा ₹ 3,89,202.39 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.46 प्रतिशत से 17.57 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) राष्ट्रीय भू-अभिलेख सुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम				
[01] भू-प्रबन्ध विभाग				
मू.	221.66	..	..	..
पु.	- 221.66			
31 मार्च 2024 को ₹ 221.66 लाख का समस्त प्रावधान डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के केंद्रीय नोडल खाते/व्यक्तिगत निक्षेप खाते में भारत सरकार से प्राप्त निधियों का हस्तांतरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) राजस्थान उडयन विश्वविद्यालय की स्थापना				
[01] सामान्य प्रशासन विभाग				
मू.	300.02	..	..	..
पु.	- 300.02			
31 मार्च 2024 को ₹ 300.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।				

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(08) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
[02] अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु			
मू.	1,400.00		
पु.	- 480.04	919.96	918.08
			- 1.88

31 मार्च 2024 को ₹ 480.04 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिल पारित होने के बाद भी मार्च, 2024 के अंतिम दिनों में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
113. समग्र शिक्षा  
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा  
[03] समग्र शिक्षा अंतर्गत जनजातियों क्षेत्र उपयोजना पर व्यय

मू.	1,89,453.01			
पु.	- 65,948.18	1,23,504.83	1,23,496.78	- 8.05

₹ 65,948.18 लाख की प्रत्याशित बचत (i) केन्द्रीयंश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के परिणामस्वरूप सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन) कम जारी होने को आरोपित की गयी।

₹ 8.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
113. समग्र शिक्षा  
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा  
[06] स्टार परियोजना (जनजाति क्षेत्र उपयोजना पर व्यय)

मू.	4,110.00			
पु.	- 1,236.74	2,873.26	2,873.26	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,236.74 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
113. समग्र शिक्षा  
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा  
[03] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंतर्गत जनजातियों क्षेत्र उपयोजना (टी एस पी) पर व्यय

मू.	832.01			
पु.	- 340.08	491.93	491.93	..

₹ 340.08 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीयंश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने तथा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा (ई.सी.एस.) के माध्यम से कुछ बिलों का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[06] राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद अंतर्गत जनजातियों क्षेत्र उपयोगना (टी एस पी) पर व्यय			
मू.	974.21	619.53	619.53
पु.	- 354.68		..

31 मार्च 2024 को ₹ 354.68 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(08) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)  
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	15,000.62	13,315.43	13,315.29	- 0.14
पु.	- 1,685.19			

31 मार्च 2024 को ₹ 1,685.19 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नवनि्युक्त शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के परिणामस्वरूप वेतन और भत्ते पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना  
(11) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की  
फीस का पुर्नभरण

मू.	12,200.00	3,877.74	1,823.72	- 2,054.02
पु.	- 8,322.26			

31 मार्च 2024 को ₹ 8,322.26 लाख का प्रावधान (i) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस के माध्यम से मार्च के अंत में वेतन बिलों का भुगतान नहीं होने तथा (ii) भारत सरकार से केन्द्रीयंश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 2,054.02 लाख की अंतिम बचत फीस प्रतिपूर्ति के तहत शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत निजी स्कूलों को भारत सरकार से प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते से सरकारी खाते में ₹ 6,718.63 लाख जमा कराने के कारण रही। यद्यपि, केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत शीर्ष में ₹ 2,082.04 लाख का व्यय हुआ, फिर भी राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) स्कूल वापसी अभियान			
[01] निःशुल्क पोषाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय			
मू.	3,030.45		
पु.	- 2,877.20	153.25	152.71
			- 0.54

31 मार्च 2024 को ₹ 2,877.20 लाख का प्रावधान राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निःशुल्क पोषाक वितरण के संबंध में स्वीकृति देर से जारी होने तथा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के माध्यम से कुछ बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) सहरिया क्षेत्र के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु आर्थिक सहायता			
[01] प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	255.00		
पु.	- 255.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 255.00 लाख का समस्त प्रावधान पोर्टल पर कार्य शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना			
[01] विद्यार्थियों के लिए दूध पोषाहार			

मू.	16,500.00		
अ.	1,875.00	14,913.38	14,913.38
पु.	- 3,461.62		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा दुग्ध पोषाहार के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 1,875.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 3,461.62 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			

मू.	9,100.00		
पु.	- 3,678.09	5,421.91	5,449.33
			+ 27.42

₹ 3,678.09 लाख की प्रत्याशित बचत (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने, (ii) आवासीय विद्यालयों के छात्रों के बिलों की प्रतिपूर्ति पर व्यय वास्तविक आधार पर करने तथा (iii) कोषालय से बिल पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।

₹ 27.42 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[03] समग्र शिक्षा-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	24,684.02		
	14,831.13	13,582.05	- 1,249.08
पु.	- 9,852.89		

31 मार्च 2024 को ₹ 9,852.89 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 1,249.08 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[06] लड़कों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	56,160.20		
	49,037.29	49,037.40	+ 0.11
पु.	- 7,122.91		

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[07] बालिका के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,059.84		
	5,214.42	5,214.45	+ 0.03
पु.	- 845.42		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 7,968.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्गी/ प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू.	1,350.00		
	311.40	311.40	..
पु.	- 1,038.60		

31 मार्च 2024 को ₹1,038.60 लाख का प्रावधान गार्गी पुरस्कार योजना के तहत बालिका शिक्षा फाउंडेशन के पास गत वर्षों की अव्ययित राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(11) अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	1,960.00	..	..
पु.	- 1,960.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,960.00 लाख का समस्त प्रावधान निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिलों की आपूर्ति में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(28) जनजाति क्षेत्र के बालकों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययन सुविधा			
[01] जनजाति क्षेत्र के बालकों को राज्य के प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्यापन की सुविधा			
मू.	2,730.02	368.95	..
पु.	- 2,361.07	368.95	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,361.07 लाख का प्रावधान योजना का क्रियान्वयन शुरू नहीं होने तथा कोषालय से बिल पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेवा के माध्यम से भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(30) कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं हेतु (10वीं उत्तीर्ण )			
[01] माध्यमिक शिक्षा			
मू.	1,276.79	..	..
अ.	435.00	..	..
पु.	- 1,711.79	..	..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित करने हेतु लिया गया ₹ 435.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 1,711.79 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान कॉलेज एज्युकेशन सोसायटी (आर.ए.जे.-सी.ई.एस. )			
[03] नवीन राजकीय महाविद्यालय (टी. एस.पी. )			
अ.	300.00	..	..
पु.	- 300.00	..	..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा नये सरकारी महाविद्यालयों के संचालन हेतु लिया गया ₹ 300.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)			
मू.	2,663.61	1,804.32	1,804.14
पु.	- 859.29		
₹ 859.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	1,250.00	476.37	471.94
पु.	- 773.63		
31 मार्च 2024 को ₹ 773.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 4.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जनजातियों के लिए			
मू.	250.62	79.00	79.01
पु.	- 171.62		
31 मार्च 2024 को ₹ 171.62 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू.	173.21	..	..
अ.	60.00		
पु.	- 233.21		
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्कूटी वितरण हेतु लिया गया ₹ 60.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 233.21 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा			
[01] गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	1,209.99	200.00	200.00
पु.	- 1,009.99		
31 मार्च 2024 को ₹ 1,009.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता			
[01] कॉलेज शिक्षा			
मू.	2,000.00		
पु.	- 1,395.35	604.65	604.65
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,395.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) सहरिया जन जाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता			
[01] कॉलेज शिक्षा			
मू.	340.00		
पु.	- 259.60	80.40	80.40
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 259.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं हेतु (12 वीं उत्तीर्ण)			
[01] कॉलेज शिक्षा			
मू.	5,780.00		
अ.	1,890.00	..	..
पु.	- 7,670.00		..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु लिया गया ₹ 1,890.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 7,670.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	587.00		
पु.	- 388.15	198.85	198.85
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 388.15 लाख का प्रावधान (i) नए कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिलने तथा (ii) विभागीय स्तर पर प्रतिबद्ध कार्यों को स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	6,348.12	5,589.20	5,589.20
पु.	- 758.92		

₹ 758.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
- 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
- (13) अन्य अस्पताल-प्रतिबद्ध
- [01] अन्य अस्पताल-प्रतिबद्ध

मू.	10,608.51	9,034.91	9,034.79	- 0.12
पु.	- 1,573.60			

₹ 1,573.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
- 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
- (02) अस्पताल तथा औषधालय-आयुर्वेद-प्रतिबद्ध

मू.	4,512.11	3,809.10	3,810.15	+ 1.05
पु.	- 703.01			

₹ 703.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों तथा (ii) दवाइयों और औषधियों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
- 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
- (01) आयुर्वेद
- [02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

मू.	1,470.00	352.35	352.36	+ 0.01
पु.	- 1,117.65			

31 मार्च 2024 को ₹ 1,117.65 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना की राज्य वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति नहीं दिये जाने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	1,500.00		
पु.	- 402.05		
	1,097.95	1,091.70	- 6.25

31 मार्च 2024 को ₹ 402.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 6.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय  
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय  
समूह, जोधपुर

मू.	3,000.00		
पु.	- 500.17		
	2,499.83	2,499.83	..

31 मार्च 2024 को ₹ 500.17 लाख का प्रावधान पीजी छात्रों का बैच अगस्त, 2023 के बजाय नवंबर, 2023 में आने के परिणामस्वरूप वजीफे पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(07) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-दवा  
[01] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

मू.	525.00		
पु.	- 525.00		
		..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 525.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(08) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना- जांच  
[01] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

मू.	750.00		
पु.	- 525.76		
	224.24	224.24	..

31 मार्च 2024 को ₹ 525.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) जनता क्लीनिक			
[01] डी. एम. एच. एस. के माध्यम से			
मू.	300.02		
		23.66	23.67
			+ 0.01
पु.	- 276.36		

31 मार्च 2024 को ₹ 276.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2211. परिवार कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला परिवार केन्द्रों का संचालन			
[02] जनजातीय क्षेत्र हेतु परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	2,128.31		
		1,880.85	1,880.84
			- 0.01
पु.	- 247.46		

₹ 247.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः माह फरवरी, 2024 का वेतन आहरण नहीं करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि अधिकांश कार्यालय प्रमुखों की भूमिका आई.एफ.एम.एस. 3.0 में समय पर आवंटित नहीं की गई।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय  
[04] शुभ लक्ष्मी योजना

मू.	540.00		
		..	..
			..
पु.	- 540.00		

₹ 540.00 लाख का प्रावधान *शुभ लक्ष्मी योजना* के तहत लाभार्थियों को तीसरी किश्त के भुगतान के लिए अनुमानित था। यद्यपि, तीसरी किश्त की शर्तें पूरी नहीं होने तथा परिवारों के उनके स्थान से पलायन करने के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 540.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)  
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बूलेंस सेवा योजना

मू.	2,870.00		
		..	..
			..
पु.	- 2,870.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 2,870.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार की *कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना* (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	759.00		
		250.00	..
			- 250.00
पु.	- 509.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 509.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार की *कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना* (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, ₹ 250.00 लाख का प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(16) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन  
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)

मू.	590.43		
		304.02	304.02
			..
पु.	- 286.41		

31 मार्च 2024 को ₹ 286.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार की *कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना* (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2217. शहरी विकास  
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं  
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता  
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं  
[25] राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (टी.एस.पी.)

अ.	2,000.00		
		..	..
			..
पु.	- 2,000.00		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान शहरी परिवहन निगम को अनुदान हेतु लिया गया ₹ 2000.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 2000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य  
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,  
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता  
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान  
[06] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन  
के लिये प्रोत्साहन अनुदान (टी.एस.पी.)

मू.	272.53		
		..	..
			..
पु.	- 272.53		

31 मार्च 2024 को ₹ 272.53 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[03] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (टी एस पी)			
मू.	2,089.40		
पु.	- 1,745.66	343.74	343.74
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[09] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (टी एस पी)			
मू.	570.81		
पु.	- 303.74	267.07	267.07
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[12] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (टी एस पी)			
मू.	856.22		
पु.	- 455.62	400.60	400.60
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 2,505.02 लाख का प्रावधान योजना के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(51) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार			
[03] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार (टी एस पी)			
मू.	2,156.80		
अ.	1,617.60	1,617.60	
पु.	- 2,156.80		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा शहरी निकायों में सड़कों की मरम्मत हेतु लिया गया ₹ 1,617.60 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। 31 मार्च 2024 को ₹ 2,156.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(53) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0			
[03] स्वायत्त शासन विभाग (टी एस पी)			
मू.	809.00	..	..
पु.	- 809.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 809.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(54) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[03] स्वायत्त शासन विभाग (टी एस पी)			
मू.	338.35	..	..
पु.	- 338.35	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 338.35 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (टी एस पी)			
मू.	13,698.72	8,206.96	8,207.72 + 0.76
पु.	- 5,491.76		
31 मार्च 2024 को ₹ 5,491.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[06] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान (टी एस पी)			
मू.	720.95	..	..
पु.	- 720.95	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 720.95 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[03] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू.	5,220.19		
पु.	- 2,748.12	2,472.07	2,472.07
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[06] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू.	7,830.29		
पु.	- 4,122.18	3,708.11	3,708.11
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 6,870.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[12] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू.	1,358.76		
पु.	- 1,358.76	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,358.76 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(56) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार			
[03] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार (टी.एस.पी.)			
मू.	3,235.20		
अ.	2,426.40	2,426.40	2,426.40
पु.	- 3,235.20		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा शहरी निकायों में सड़कों की मरम्मत हेतु लिया गया ₹ 2,426.40 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। 31 मार्च 2024 को ₹ 3,235.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(57) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0			
[03] स्वायत्त शासन विभाग (टी.एस.पी.)			
मू.	1,887.00	..	..
पु.	- 1,887.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,887.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(60) मध्यम शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार			
[03] स्वायत्त शासन विभाग-(टी.एस.पी.)			
मू.	200.00	..	..
पु.	- 200.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(61) विकास कार्यों हेतु नगरीय निकायों के लिए विशेष अनुदान			
[03] स्वायत्त शासन विभाग-(टी.एस.पी.)			
मू.	300.00	..	..
पु.	- 300.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) अनुसूचित जनजाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	3,604.00	1,616.00	1,616.00
पु.	- 1,988.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,988.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) जन जाति उपयोगना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायताार्थ अनुदान			
[16] जन जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान			
मू.	300.00	..	..
पु.	- 300.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति/निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू.	30,500.00	6,259.36	6,259.36
पु.	- 24,240.64		..
31 मार्च 2024 को ₹ 24,240.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] जन स्वास्थ्य हेतु अनुदान			
मू.	3,085.00	2,444.84	2,444.84
पु.	- 640.16		..
31 मार्च 2024 को ₹ 640.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[47] जनजाति विकास कोष अंतर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य, डेयरी, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, कुसुम, कौशल उन्नयन इत्यादि कार्यक्रम			
मू.	10,650.00	5,297.75	5,297.75
अ.	1,000.00		..
पु.	- 6,352.25		..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,000.00 लाख का लिया गया प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। 31 मार्च 2024 को ₹ 6,352.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[48] जनजाति कल्याण निधि अंतर्गत अन्य कार्यक्रम			
मू.	2,326.00		
		11.25	
पु.	- 2,314.75		..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,314.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[14] संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत जनजाति विकास हेतु अन्य विविध कार्यक्रम			
मू.	1,049.14		
		250.00	
पु.	- 799.14		..

31 मार्च 2024 को ₹ 799.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना			
[01] महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रावास हेतु सहायता			
मू.	300.00		
		39.38	
पु.	- 260.62		..

31 मार्च 2024 को ₹ 260.62 लाख का प्रावधान अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना के तहत आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(25) जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता			
[01] विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत जनजाति विकास कार्यक्रम			
मू.	7,010.72		
		..	
पु.	- 7,010.72		..

31 मार्च 2024 को ₹ 7,010.72 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
01. श्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(07) मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सम्बल योजना			
[01] आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर			
मू.	300.00	..	..
पु.	- 300.00	..	..

₹ 200.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत की गई बजट घोषणा के अनुपालन में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान दैनिक मजदूरी की हानि के कारण पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी आवेदन के अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए ₹ 200 प्रति दिन की दैनिक मजदूरी प्रदान करने हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान आगामी निर्देश तक योजना पर आगे की कार्रवाई स्थगित होने के कारण 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया।

01. श्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(09) गिग वर्कर्स कल्याण योजना			
[01] आयुक्त श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर			
मू.	400.00	..	..
पु.	- 400.00	..	..

₹ 400.00 लाख का प्रावधान बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में सभी गिग श्रमिकों को हेलमेट, ड्रेस, जूते आदि के लिए ₹ 5,000 की एकमुश्त सहायता हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम			
[02] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (जनजाति क्षेत्र के लिए)			
मू.	1,010.00	539.00	539.00
पु.	- 471.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 471.00 लाख का प्रावधान आवंटित निधियों के आहरण की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) रोजगार विभाग के माध्यम से			
मू.	68.00		
अ.	480.00	360.42	..
पु.	- 187.58	360.42	..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा त्योहारों और प्रदर्शनियों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 480.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 187.58 लाख का प्रावधान अक्टूबर, 2023 से विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के परिणामस्वरूप लक्षित सर्व मेगा जॉब फेयर का आयोजन नहीं हो पाने तथा उसके बाद शेष अवधि हेतु मेले के आयोजन के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(08) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	8,700.00		
पु.	- 879.35	7,820.65	..

31 मार्च 2024 को ₹ 879.35 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा गैर-कुशल लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण हेतु गत वर्षों में किये गये भुगतान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा कोषालय द्वारा बिल पारित करने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेवा के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. प्रशिक्षण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(09) महात्मा गाँधी बुनियादी शिक्षा केन्द्र योजना			
[01] तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर			
मू.	200.00	..	..
पु.	- 200.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान समग्र शिक्षा में उपलब्ध निधियों से महात्मा गाँधी बुनियादी शिक्षा केन्द्र की स्थापना के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[28] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	4,400.00	3,159.64	3,159.32
पु.	- 1,240.36		- 0.32

31 मार्च 2024 को ₹ 1,240.36 लाख का प्रावधान योजना कार्यान्वयन भागीदार विभाग के रूप में शिक्षा विभाग द्वारा कम व्यय किए जाने तथा चुनाव आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप कोई भुगतान नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[03] कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण			
मू.	800.00	579.37	579.37
पु.	- 220.63		

31 मार्च 2024 को ₹ 220.63 लाख का प्रावधान चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने और राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[06] स्वास्थ्य जागरूकता एवं निशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण (उड़ान)			
मू.	7,000.00	5,299.95	5,299.80
पु.	- 1,700.05		

31 मार्च 2024 को ₹ 1,700.05 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिल पास करने पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निधियां हस्तांतरित नहीं करने तथा राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम को हस्तांतरित की जाने वाली निधियों हेतु स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना				
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना				
मू.	77,300.00	78,737.07	78,737.07	
अ.	13,200.00			..
पु.	- 11,762.93			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेतु लिया गया ₹ 13,200.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 11,762.93 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के स्थानांतरण/भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



### अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिये मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू.	33,800.00		
अ.	5,700.00	27,306.25	27,306.26 + 0.01
पु.	- 12,193.75		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना हेतु लिया गया ₹ 5,700.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 12,193.75 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के स्थानांतरण/भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
- 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
- [03] अनुसूचित जनजातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

मू.	9,100.00			
अ.	1,500.00	8,275.85	8,275.85	..
पु.	- 2,324.15			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना हेतु लिया गया ₹ 1,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 2,324.15 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के स्थानांतरण/भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
- 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (06) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना
- [03] अनुसूचित जनजातियों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

मू.	3,600.00			
अ.	600.00	3,012.19	3,012.19	..
पु.	- 1,187.81			

### अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना हेतु लिया गया ₹ 600.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,187.81 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के स्थानांतरण/भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) जीवन दुर्घटना बीमा योजना			
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
मू.	8,100.00	6,075.00	6,075.00
पु.	- 2,025.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 2,025.00 लाख का प्रावधान बीमा योजना के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के अनुसार अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(07) कार्मिक कल्याण योजनाएं			
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
मू.	36,000.00	18,000.00	18,000.00
पु.	- 18,000.00		

₹ 36,000.00 लाख का प्रावधान राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए अनुमानित था लेकिन वित्त विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2210 के तहत योजना के लिए एक नया शीर्ष खोला गया है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18,000.00 लाख की अव्ययित राशि 31 मार्च 2024 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गयी।

2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	20,000.00	17,000.00	17,000.00
पु.	- 3,000.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 3,000.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम			
मू.	1,179.65		
		824.69	824.70
पु.	- 354.96		+ 0.01
₹ 354.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[15] प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
मू.	2,720.71		
		1,556.34	1,556.34
पु.	- 1,164.37		..
₹ 1,164.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना			
(आई.जी.एम.पी.वाई)			
[01] इंदिरा महिला शक्ति योजनान्तर्गत			
आईसीडीएस के माध्यम से			
मू.	1,955.00		
		1,339.63	1,339.64
पु.	- 615.37		+ 0.01
31 मार्च 2024 को ₹ 615.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) प्रियदर्शिनी डे-केयर योजना			
[01] समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर			
मू.	300.00		
		..	..
पु.	- 300.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि से संचालित योजनाएं			
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा			
मू.	6,740.00	..	..
पु.	- 6,740.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 6,740.00 लाख का समस्त प्रावधान जिलो से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अंतरण			
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि			
[03] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि के बजट शीर्ष 8235-00-200-(09)-f01 में अंतरण (टी.एस.पी.)			
मू.	6,740.00	..	..
पु.	- 6,740.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 6,740.00 लाख का समस्त प्रावधान प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि में निधियों के हस्तान्तरण हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[18] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	2,515.25	758.83	758.83
पु.	- 1,756.42		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,756.42 लाख का प्रावधान भारत सरकार से दिनांक 30.03.2024 को प्राप्त हुई केन्द्रीयांश की दूसरी किस्त के राज्य समेकित निधि में जमा होने की पुष्टि नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[24] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	2,000.00	726.68	726.68
पु.	- 1,273.32		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,273.32 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[29] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	693.60		
पु.	- 515.10	178.50	178.50
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 515.10 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तीसरी किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[34] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पोष्टिक अनाज			
मू.	970.00		
पु.	- 460.53	509.47	509.47
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 460.53 लाख का प्रावधान भारत सरकार से दिनांक 30.03.2024 को प्राप्त केन्द्रीयंश की दूसरी किश्त राज्य समेकित निधि में जमा होने की पुष्टि नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[35] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	635.93		
पु.	- 431.30	204.63	204.63
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 431.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के परिणामस्वरूप एस.एन.ए. योजना के बैंक खाते में निधियों का कम हस्तांतरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	1,700.00		
पु.	- 1,294.16	405.84	405.84
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,294.16 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । राज्य के बड़े क्षेत्र में शुष्क जलवायु के प्रचलित होने तथा बागवानी विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विषम जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करता है ।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	3,723.96		
पु.	- 1,577.30	2,146.66	2,146.66
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,577.30 लाख का प्रावधान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से केन्द्रीय शांश की तीसरी एवं चौथी किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[11] सौर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता			
मू.	4,500.00		
पु.	- 4,050.00	450.00	450.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 4,050.00 लाख का प्रावधान नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से 3, 5 एवं 7.5 एच.पी पम्प सेट की दरें देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	3,000.00		
पु.	- 2,142.04	857.96	857.96
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,142.04 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजना की तीसरी किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित की गयी ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(71) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	991.06		
पु.	- 734.06	257.00	257.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 734.06 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में निधियों का कम हस्तांतरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,260.00		
पु.	- 760.00	500.00	500.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 760.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(80) पी एम-कुसुम केपोनेंट 'बी' हेतु सहायता			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	3,750.00		
पु.	- 2,569.27	1,180.73	1,180.70
			- 0.03
31 मार्च 2024 को ₹ 2,569.27 लाख का प्रावधान नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से 3, 5 एवं 7.5 एच.पी पम्प सेट की दरें देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(81) सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान			
(एम आई एफ-नाबार्ड)			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	4,550.00		
पु.	- 2,261.12	2,288.88	2,288.88
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,261.12 लाख का प्रावधान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से केन्द्रीयशांश की तीसरी एवं चौथी किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग			
[25] पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	3,355.00		
पु.	- 509.50	2,845.50	2,845.50
			..
₹ 509.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग			
[26] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	1,946.81		
पु.	- 1,786.69	160.12	160.12
			..
₹ 1,786.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं रेट संविदा निर्धारित नहीं होने के परिणामस्वरूप उपकरण/सामग्री/दवाओं का क्रय नहीं होने को आरोपित की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग			
[29] पशुधन नस्ल सुधार योजना के लिए अनुदान			
मू.	500.00		
अ.	1,674.80	1,439.41	1,401.46
पु.	- 735.39		- 37.95
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,674.80 लाख का प्रावधान लम्पी बीमारी से मरने वाली गायों के लिए लिया गया अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित और अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 735.39 लाख का प्रावधान सरकारी स्वीकृति देरी से मिलने के परिणामस्वरूप कार्यकारी संस्था जे.के. ट्रस्ट के बकाया बिलों का भुगतान नहीं होने कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 37.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग			
[33] पशु रोग नियंत्रण योजना			
मू.	652.00	..	..
पु.	- 652.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 652.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार से निधियां 28.03.2024 को प्राप्त होने के परिणामस्वरूप एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में निधियां हस्तांतरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) पशुधन एवं पशुपालक बीमा			
[01] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	900.00	..	..
पु.	- 900.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 900.00 लाख का समस्त प्रावधान पशुपालन विभाग द्वारा आमंत्रित निविदा में किसी भी बीमा कंपनी के भाग नहीं लेने के परिणामस्वरूप बीमा योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण			
[01] पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मोबाइल वेटेनरी यूनिट )			
मू.	581.60	64.99	64.99
पु.	- 516.61		..
31 मार्च 2024 को ₹ 516.61 लाख का प्रावधान चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप मोबाइल वेटेनरी यूनिट का संचालन माह फरवरी, 2024 से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना			
[01] निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,300.00		
अ.	2,500.00	1,107.41	1,107.41
पु.	- 2,692.59		..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा पशुओं के बीमा के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 2,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 2,692.59 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) वन संरक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	1,512.61		
पु.	- 294.83		
	1,217.78	1,217.78	..
₹ 294.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(33) सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान			
मू.	10,120.00		
पु.	- 9,157.00		
	963.00	963.00	..
31 मार्च 2024 को ₹ 9,157.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(35) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	6,240.00		
पु.	- 4,183.00		
	2,057.00	2,057.00	..
31 मार्च 2024 को ₹ 4,183.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(42) कृषि ऋण माफी योजना			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू.	504.00		
पु.	- 504.00		
		..	..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(44) राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋणियों को ब्याज अनुदान			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू.	650.00		
पु.	- 650.00		
		..	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 1,154.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(45) मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना			
[01] एन.एफ.एस.ए. परिवारों को फ्री राशन			
अ .	37,500.00		
पु .	- 27,687.99	9,812.01	9,809.73
			- 2.28

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा एन.एफ.एस.ए. परिवारों को फ्री राशन हेतु लिया गया ₹ 37,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 27,687.99 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड कम्पोनेंट			
[02] कार्यकलाप संबन्धी (अनुसूचित जनजाति के लिए)			

मू . 7,617.95

1,670.04

1,670.04

..

पु . - 5,947.91

31 मार्च 2024 को ₹ 5,947.91 लाख का प्रावधान निम्न कारणों से अभ्यर्पित किया गया (i) भारत सरकार से अगली किस्त प्राप्त नहीं हुई। भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पूर्व में प्राप्त राशि का 75 प्रतिशत उपयोग होने पर ही अगली किस्त का प्रस्ताव भेजा जाना था। लेकिन व्यय कम होने के कारण अगली किस्त के प्रस्ताव नहीं भेजे गए तथा (ii) निविदा प्रक्रिया पूरी होने में अधिक समय लगने से समय पर कार्यादेश जारी नहीं होने के कारण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति रही।

05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) राजीव गांधी जल संचय योजना			
[02] जल संरक्षण योजना (अनुसूचित जनजाति)			

मू . 5,594.20

..

..

..

पु . - 5,594.20

31 मार्च 2024 को ₹ 5,594.20 लाख का समस्त प्रावधान राज्य निधि के हस्तांतरण के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग में प्रक्रियाधीन रहने, विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने तथा फरवरी, 2024 से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान-2.0 प्रारंभ होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[02] अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			

मू . 14,760.00

11,338.85

11,338.85

..

पु . - 3,421.15

31 मार्च 2024 को ₹ 3,421.15 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
[02] एन आर ई टी पी (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	1,000.00		
		594.09	594.09
पु.	- 405.91		..

31 मार्च 2024 को ₹ 405.91 लाख का प्रावधान पहली किस्त की दूसरी ट्रैच से संबंधित निधियां एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि एस. एन. ए. के बैंक खाते में निधियां स्थानांतरित करने की मंजूरी भारत सरकार से देरी से प्राप्त होने से ऐसी किस्त वित्त विभाग से 31 मार्च 2024 को प्राप्त हुई।

- 06. स्वरोजगार कार्यक्रम
- 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (12) स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)
- [02] अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)

मू.	0.04		
अ.	525.00	225.59	225.59
पु.	- 299.45		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 525.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 299.45 लाख का प्रावधान प्रथम किस्त की दूसरी ट्रैच से संबंधित निधियां एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि निधियां भारत सरकार से 31 मार्च 2024 को प्राप्त हुई।

- 06. स्वरोजगार कार्यक्रम
- 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (15) महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (आई.एफ.सी.)
- [02] इन्टीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर हेतु अनुदान (टी.एस.पी.)

अ.	318.00		
		163.00	163.00
पु.	- 155.00		..

जुलाई, 2023 प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा एकीकृत कृषि क्लस्टर के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्ति की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 318.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 155.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां देरी से प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने और संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप जिलों को देरी से निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जनजाति के लिए)			
मू.	68,023.12	28,821.33	28,821.33
पु.	- 39,201.79		..
31 मार्च 2024 को ₹ 39,201.79 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कम कर्मचारी काम करने के परिणामस्वरूप अनुदान (वेतन) भी कम जारी होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 30,224.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 8,977.79 लाख) किया गया।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	3,375.00	1,876.60	1,876.60
पु.	- 1,498.40		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,498.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(40) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	16,039.10	1,187.90	1,187.91
पु.	- 14,851.20		+ 0.01
31 मार्च 2024 को ₹ 14,851.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
25 15. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू. 700.00	158.00	158.00	..
पु. - 542.00			
31 मार्च 2024 को ₹ 542.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(44) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत			
जिला परिषद के लिए निष्पादन अनुदान			
[02] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू. 1,210.54	..	..	..
पु. - 1,210.54			
31 मार्च 2024 को ₹ 1,210.54 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(48) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[02] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
(अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू. 33,300.00	28,622.97	28,622.97	..
पु. - 4,677.03			
31 मार्च 2024 को ₹ 4,677.03 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत			
समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू. 13,500.00	3,005.85	3,005.85	..
पु. - 10,494.15			
31 मार्च 2024 को ₹ 10,494.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[02] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	4,842.18	..	..
पु.	- 4,842.18		
31 मार्च 2024 को ₹ 4,842.18 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	50,625.00	32,207.61	- 18.02
पु.	- 18,417.39		
31 मार्च 2024 को ₹ 18,417.39 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 18.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(36) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए निष्पादन अनुदान			
[02] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	18,158.17	..	..
पु.	- 18,158.17		
31 मार्च 2024 को ₹ 18,158.17 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(38) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पी.ई.एस.ए.)			
[02] पंचायती राज विभाग के माध्यम से (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	500.00	..	..
पु.	- 500.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
25 15. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
मू.	2,000.00	..	..
पु.	- 2,000.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,000.00 लाख का समस्त प्रावधान योजनान्तर्गत कार्य योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] मनरेगा कर्मियों को राज्य निधि से अतिरिक्त रोजगार			
मू.	12,000.00	429.64	..
पु.	- 11,570.36	429.64	..
₹ 12,000.00 लाख का प्रावधान मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को राज्य निधि से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिये जाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की कम संख्या के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 11,570.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[02] विशेष योग्य जनों हेतु अतिरिक्त रोजगार			
मू.	882.00	8.81	..
पु.	- 873.19	8.81	..
₹ 882.00 लाख का प्रावधान मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले विशेष योग्य परिवारों को राज्य निधि से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिये जाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की कम संख्या के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 873.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[03] सहरिया, खैरुआन और कथौड़ी जनजातियों के लिए अतिरिक्त रोजगार			
मू.	1,200.00	10.85	..
पु.	- 1,189.15	10.85	..
₹ 1,200.00 लाख का प्रावधान मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले सहरिया, खैरुआन और कथौड़ी जनजातियों को राज्य निधि से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिये जाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की कम संख्या के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 1,189.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(08) जिला नवाचार निधि योजना			
[03] नवाचार गतिविधियों हेतु अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	462.00		
पु.	- 231.00	231.00	231.00

31 मार्च 2024 को ₹ 231.00 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के परिणामस्वरूप नई निविदा प्रक्रिया पर रोक लगने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2700. मुख्य सिंचाई			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) यूनिट-II(नहर)-प्रतिबद्ध			
मू.	861.76		
पु.	- 161.89	699.87	699.86

₹ 161.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिशासी अभियंता, बांध संभाग-I माही परियोजना बांसवाड़ा एवं अधीनस्थ कार्यालयों में गणना त्रुटि के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा कार्यभारित कर्मचारियों के संबंध में न्यायालय के आदेशों की पालना में वेतन निर्धारण/चयन ग्रेड वेतन के लंबित भुगतान हेतु स्वीकृति जारी नहीं किए जाने को आरोपित की गयी।

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान			
मू.	400.00		
पु.	- 400.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पास गत वर्ष से सम्बन्धित निधियों की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(29) खादी की बिक्री पर रिबेट			
[01] खादी वस्त्रों की बिक्री पर रिबेट हेतु अनुदान			
मू.	600.00		
पु.	- 300.00	300.00	300.00

31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का प्रावधान स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से ऑडिट कराने के कारण लंबित छूट के दावे प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में छूट के दावे समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(31) डा. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022			
[01] आयुक्त-उद्योग विभाग			
मू.	3,250.00	1,941.32	1,941.32
पु.	- 1,308.68		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,308.68 लाख का प्रावधान योजना के अंतर्गत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा अनुशंसित कुल आवंटित लक्ष्य 650 आवेदनों में से वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवल 276 आवेदकों को ही ऋण वितरित किए जाने तथा प्रचार-प्रसार पर कम व्यय किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना			
[01] मार्जिन मनी			
अ.	200.00	4.37	4.37
पु.	- 195.63		..
31 मार्च 2024 को ₹ 195.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के मई, 2023 में प्रभाव में आने और दिशानिर्देश जुलाई, 2023 में जारी की गयी। इसके बाद तीन महीने के लिए विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कर्मचारियों/अधिकारियों को अगले दो महीनों के लिए विकसित भारत अभियान में भी लगाया गया। जिसके कारण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा योजना के तहत बैंकों को माह नवम्बर में लक्ष्य आवंटित किये गये, साथ ही अपेक्षाकृत कम संख्या में आवेदन योजना के तहत बैंकों को अग्रेषित किये गये। इसके अलावा, डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (बी.आर.यू.पी. वार्ड.) में एससी/एसटी वर्ग के युवाओं को तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ मिलने के कारण योजना के तहत कम आवेदन प्राप्त हुए।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	200.00	0.33	0.33
पु.	- 199.67		..
31 मार्च 2024 को ₹ 199.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण			
[06] राज्य सड़क विकास निधि के बजट शीर्ष			
8225-02-101-(01) में अन्तरण-(टी.एस.पी.)			
मू.	50,000.00	42,613.81	42,613.81
पु.	- 7,386.19		..
31 मार्च 2024 को ₹ 7,386.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटन सूचना और प्रचार			
मू.	1,536.00		
		836.76	
पु.	- 699.24	836.76	..
31 मार्च 2024 को ₹ 699.24 लाख का प्रावधान (i) पर्यटन विकास कोष से मार्केटिंग (विज्ञापन/सेमीनार) पर व्यय होने, (८८८) जहां-ए-खुसरो, मसाला चौक एवं हवामहल महोत्सव का आयोजन नहीं करने तथा (iii) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[18] ब्लॉक स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेंस			
मू.	298.00		
		140.00	
पु.	- 158.00	140.00	..
31 मार्च 2024 को ₹ 158.00 लाख का प्रावधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के संचालन और रखरखाव पर व्यय की कम आवश्यकता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] राज सम्पर्क			
मू.	1,209.00		
		604.50	
पु.	- 604.50	604.50	..
₹ 1,209.00 लाख का प्रावधान बजट भाषण 2022-23 में की गई घोषणा के अनुपालन में 181 सी.एम. हेल्पलाइन को सुदृढ़ करने के लिए कॉल सेंटर की सीटों को 400 से बढ़ाकर 1,000 करना अनुमानित था। यद्यपि, विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी योजनाओं और फ्लैगशिप कार्यक्रमों की वास्तविकता की जांच के लिए सर्वेक्षण कार्य नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप कॉल वैल्यू कम हो गई और केवल 400 सीटें ही संचालित की गई, जिसके कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 604.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू.	1,262.00		
		880.00	
पु.	- 382.00	880.00	..
31 मार्च 2024 को ₹ 382.00 लाख का प्रावधान (i) विधान सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप सुविधा प्रबंधन सेवाओं/वार्षिक रखरखाव अनुबंधों की प्रक्रिया में देरी होने तथा (ii) कैमरों पर गैर-फाइबर कनेक्टिविटी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] निदेशन और प्रशासन			
मू.	939.99		
अ.	2,650.00	3,148.94	3,148.93
पु.	- 441.05		- 0.01

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा *महंगाई राहत शिविर* के आयोजन पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,650.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 441.05 लाख का प्रावधान (i) कर्मचारियों के स्थानांतरण होने से रिक्त रहे पदों के कारण वेतन और भत्ते पर कम व्यय होने, (ii) विधान सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण *महंगाई राहत शिविर* पर कम व्यय होने, (iii) कई बिलों का समय पर पारित न होना, (iv) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के माध्यम से माह मार्च, 2024 में पारित बिलों का भुगतान नहीं होना तथा (v) गुप-डी कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध सभी ब्लॉकों में होमगार्ड की अनुपलब्धता के कारण संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(06) राजस्थान जन आधार योजना  
[02] राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

मू.	900.00			
पु.	- 846.63	53.37	53.37	..

31 मार्च 2024 को ₹ 846.63 लाख का प्रावधान (i) जिला कार्यालयों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण पुस्तकों की छपाई पर कम व्यय होने, (ii) परियोजना प्रबंधन शाखा के तहत काउंसलर के लिए किए गए प्रावधान, कार्यालय व्यय, विज्ञापन, बिक्री, प्रचार आदि का व्यय *राजस्थान जन आधार प्राधिकरण* के पास उपलब्ध अव्ययित राशि से करने, (iii) राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (आर.आई.एस.एल.) के लिए जन आधार और अन्य विविध कार्यों के लिए प्रदान की गई राशि की मांग नहीं की गयी क्योंकि व्यय आर.आई.एस.एल. के निजी निक्षेप खाते में गत वर्ष की उपलब्ध अव्ययित राशि से करने तथा (iv) विधानसभा और संसदीय चुनाव आचार संहिता लगने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(07) राजीव गांधी युवा कोर (आर वाई सी)  
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	1,035.00			
पु.	- 174.12	860.88	859.65	- 1.23

₹ 174.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) युवा मित्रों की नियुक्ति में समय लगने के कारण प्रशिक्षण एवं मानदेय पर कम व्यय होने, पहले से नियुक्त युवा मित्रों द्वारा कार्य पर नहीं आने, युवा मित्रों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व कार्य छोड़ना तथा विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा (ii) विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता के कारण कंप्यूटर/प्रिंटर का क्रय नहीं होने एवं मोबाइल ऐप मेंटेनेंस पोर्टल डेवलपमेंट के माध्यम से अनुबंध पर तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति नहीं होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, जोधपुर			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	200.00	..	..
पु.	- 200.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, जोधपुर में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण वेतन, अन्य प्रशासनिक शुल्क, विद्युत, पानी, आउटरीच/आई.ई.सी गतिविधियों, सेमीनार और सम्मेलनों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(14) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना  
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	81,300.00	45,980.27	45,980.27	..
पु.	- 35,319.73			

31 मार्च 2024 को ₹ 81,300.00 लाख का प्रावधान विनियोग विधेयक 2023-24 पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का विस्तार करने के लिए अनुमानित था। योजना के पहले चरण में कुल 40 लाख लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया, जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 10वीं से 12वीं कक्षा की छात्राएं, सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं और विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ उनकी पसंद का स्मार्ट फोन प्रदान करने के लिए शामिल हैं। लेकिन, डी.बी.टी. के माध्यम से केवल 24.56 लाख लाभार्थी ही लाभान्वित हुए सके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 को ₹ 35,319.73 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(18) तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली  
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	200.00	..	..	..
पु.	- 200.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान तकनीकी आधारित निगरानी प्रणाली के अंतर्गत विभागों से ड्रोन की आवश्यकता प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3456. सिविल पूर्ति  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना  
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना

मू.	4,899.50	2,025.97	2,025.97	..
पु.	- 2,873.53			

₹ 2,873.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः खाद्यान्नों के परिवहन, संग्रहण और वितरण हेतु सहाय्य कम जारी करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) एन.एफ.एस.ए. परिवारों को मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन किट योजना			
[01] मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन			
मू.	15,000.00		
पु.	- 15,000.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 15,000.00 लाख का समस्त प्रावधान नई योजना लागू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना			
[01] गैस सिलेण्डर			
मू.	15,000.00		
पु.	- 3,658.99	11,341.01	11,341.01
31 मार्च 2024 को ₹ 3,658.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[03] विकास कार्य (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	536.38		
पु.	- 315.47	220.91	220.91
31 मार्च 2024 को ₹ 315.47 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021			
[01] इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सहायता			
मू.	500.00		
पु.	- 498.61	1.39	1.39
31 मार्च 2024 को ₹ 498.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू. 9,000.00	4,155.00	4,155.00	..
पु. - 4,845.00			
31 मार्च 2024 को ₹ 4,845.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
[02] विद्यालय संचालन पर व्यय (जनजाति क्षेत्र)			
मू. 30,010.03	37,050.00	37,050.00	..
पु. 7,039.97			
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,039.97 लाख की अतिरिक्त निधियां स्कूल सहायकों के मानदेय में वृद्धि और परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद नवनियुक्त शिक्षकों के मूल वेतन में वृद्धि के कारण वेतन और भत्ते पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु अनुदान जारी करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[04] कक्षा 6-8 के बालकों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू. 2,300.00	2,832.55	2,832.23	- 0.32
पु. 532.55			

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 532.55 लाख की अतिरिक्त निधियां कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को पात्र विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के अनुसार छात्रवृत्ति भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[01] लड़कों के विद्यालय			
मू.	56,085.39		
		66,837.16	66,837.18
			+ 0.02
पु.	10,751.77		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,751.77 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति और शिक्षकों/कर्मचारियों के दौरे के खर्चों के बकाया दावों का भुगतान करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			

मू.	5,220.04		
		6,648.44	6,647.91
			- 0.53
पु.	1,428.40		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,428.40 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अन्य अस्पताल			

मू.	2,507.69		
		5,254.00	5,252.97
			- 1.03
पु.	2,746.31		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,746.31 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			

मू.	7,362.51		
		10,665.92	10,665.53
			- 0.39
पु.	3,303.41		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,303.41 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	615.00		
पु.	180.00		
	795.00	795.00	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 180.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन और भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु अनुदान जारी होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय  
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर

मू.	1,140.00			
पु.	158.15			
		1,298.15	1,298.14	- 0.01

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 158.15 लाख की अतिरिक्त निधिया छात्रवृत्ति और वजीफे पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय  
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा

मू.	2,250.02			
पु.	542.24			
		2,792.26	2,791.22	- 1.04

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 542.24 लाख की अतिरिक्त निधिया छात्रवृत्ति और वजीफे पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

06. लोक स्वास्थ्य  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(16) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-दवा  
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से

मू.	2,096.78			
पु.	367.50			
		2,464.28	2,462.83	- 1.45

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 367.50 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन और भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(17) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-जांच			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	3,004.31	3,376.60	3,375.40
पु.	372.29		
			- 1.20

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 372.29 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) रिक्त पदों को भरने के कारण वेतन और भत्ते तथा (ii) सामग्री और आपूर्ति पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(18) राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021			
[01] राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
अ.	0.01	21,000.00	21,000.00
पु.	20,999.99		
			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,999.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	31,401.00	43,730.14	43,980.14
पु.	12,329.14		
			+ 250.00

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,329.14 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य की योजना सीमा में राशि का प्रावधान भारत सरकार की अनुमोदित *कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना* (पीआईपी) से कम था, जो कि संशोधित प्रावधान में पीआईपी के अनुसार करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 250.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
[01] राज्य सरकार द्वारा प्रचलित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	1,002.81	1,179.63	1,179.63
पु.	176.82		
			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 176.82 लाख की अतिरिक्त निधियां *शहरी परिवार कल्याण केन्द्र योजना* के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अधिकांश रिक्त पदों को भरने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम			
[01] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण), जयपुर			
मू.	3,120.00	3,697.86	3,693.81
पु.	577.86		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 577.86 लाख की अतिरिक्त निधियां मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम योजना में ब्लॉक स्तर पर पदस्थापित आशा हेल्परों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी।			- 4.05
₹ 4.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (टी.एस.पी.)			
मू.	700.96	3,899.30	3,899.30
पु.	3,198.34		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,198.34 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (टी.एस.पी.)			
मू.	647.04	3,599.35	3,599.35
पु.	2,952.31		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,952.31 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[07] मोटर यान कराधान अधिनियम के अंतर्गत अधिभार का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण (टी.एस.पी.)			
मू.	3,609.63	6,152.00	6,152.00
पु.	2,542.37		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,542.37 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[08] ग्रीन टैक्स का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट			
शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण (टी.एस.पी.)			
मू.	3,196.44	4,211.88	4,211.88
पु.	1,015.44		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,015.44 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[09] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार			
का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष 8229-200-(13)			
में अन्तरण (टी.एस.पी.)			
मू.	5,999.94	9,453.00	9,453.00
पु.	3,453.06		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,453.06 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य			
पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) अनुसूचित जन जातियों के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार			
योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	10,000.00	14,856.45	14,857.01
अ.	2,500.00		
पु.	2,356.45		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,356.45 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान नए लाभार्थी बच्चों की संख्या में वृद्धि और बच्चों का वार्षिक नवीनीकरण किए जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[08] माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	1,500.00		
पु.	487.94		
		1,987.94	1,987.94
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 487.94 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) संयुक्त सहायता के लिए अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	20.00		
पु.	151.73		
		171.73	171.73
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 151.73 लाख की अतिरिक्त निधियां विधानसभा चुनाव में मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			
मू.	252.00		
पु.	168.00		
		420.00	420.00
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 168.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी गयी ।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पीड़ित प्रतिकर योजना			
[01] राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
मू.	450.00		
पु.	179.89		
		629.89	629.89
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 179.89 लाख की अतिरिक्त निधियां पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़ितों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) तीर्थ यात्रा योजना			
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	690.00		
पु.	355.00		
	1,045.00	1,045.00	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 355.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[03] जल आयोजन हेतु अनुदान			
मू.	0.01		
पु.	383.48		
	383.49	383.49	..
बजट अनुमान के दौरान फार्म तालाब, डिग्गी निर्माण एवं पाइप लाइन के लिए टॉप-अप अनुदान का व्यय वहन करने की सहमति दी गई, चूंकि इस योजना के लिए राशि आवंटित नहीं की गई थी, इसलिए 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 383.48 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[16] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन			
मू.	300.00		
पु.	508.23		
	808.23	806.13	- 2.10
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 508.23 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[33] बीज विकास			
मू.	0.01		
पु.	201.32		
	201.33	201.33	..
बजट अनुमान के दौरान मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना पर होने वाले व्यय को किसान कल्याण निधि से वहन करने की सहमति दी गई, चूंकि इस योजना के लिए राशि आवंटित नहीं की गई थी, इसलिए 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 201.32 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[37] कृषि यंत्रीकरण पर अनुदान			
मू .	0.01		
पु .	1,952.61	1,952.62	1,952.62
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,952.61 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में योजना के कार्यान्वयन के लिए <i>किसान कल्याण कोष</i> से निधियां उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (25) कृषि सूचना			
मू .	132.50		
अ .	0.01	517.65	517.65
पु .	385.14		
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 385.14 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में योजना के कार्यान्वयन के लिए <i>किसान कल्याण कोष</i> से निधियां उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (51) उद्यान विभाग के माध्यम से [01] बागवानी विकास			
मू .	203.73		
अ .	0.03	1,195.17	1,195.16
पु .	991.41		
			- 0.01
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 991.41 लाख की अतिरिक्त निधियां अगले दो वर्षों में 60 हजार कृषकों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो टनल/प्लास्टिक मल्टिप्लिंग के संबंध में सहाय्य जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, क्योंकि इस योजना के लिए <i>किसान कल्याण निधि</i> से अपेक्षित शेष निधियां उपलब्ध नहीं हुईं ।			
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) पशु पालन विभाग [02] पशु अस्पताल और चिकित्सालय			
मू .	3,188.58		
अ .	3.00	3,972.57	3,970.37
पु .	780.99		
			- 2.20
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 780.99 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन और भत्ते पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड)अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	807.03	1,156.82	1,156.82
पु.	349.79		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 349.79 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान  
[05] सामान्य बुनियादी (टाईड)अनुदान  
(अनुसूचित जनजातियों के लिए)

मू.	0.01	1,147.18	1,147.18
पु.	1,147.17		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,147.17 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(47) योजनाओं के अधिशेष कार्मिकों का कार्यकलाप संबंधी व्यय  
[02] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से  
(अनुसूचित जनजातियों के लिए)

मू.	0.09	165.60	165.61	+ 0.01
पु.	165.51			

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 165.51 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन और भत्ते पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
25 15. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	3,228.12	4,627.23	4,627.23
पु.	1,399.11		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,399.11 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
197. ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[05] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	0.01	4,588.75	4,588.75
पु.	4,588.74		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,588.74 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता (35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	12,105.45	17,360.38	17,357.23
पु.	5,254.93		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,254.93 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता (35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[05] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	0.01	17,182.16	17,181.68
पु.	17,182.15		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,182.15 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			



## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
पु.	2,678.33	2,678.34	..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
पु.	34,557.31	34,557.32	..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
पु.	8,044.81	8,044.82	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,280.45 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार की 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा योजना के अंतर्गत जयपुर एवं अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के घाटे की 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के संबंध में उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) विद्युत् वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्य (टेरिफ अनुदान) अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
पु.	11,068.95	11,068.96	..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) विद्युत् वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्य (टेरिफ अनुदान) अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
पु.	9,921.65	9,921.66	..

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) विद्युत् वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्य (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
		5,000.80	5,000.80
पु.	5,000.79		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,991.39 लाख की अतिरिक्त निधियां पुनोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को गत वर्षों की बकाया टैरिफ सहाय्य वर्षवार जारी करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।

## पूंजी

## दत्तमत

- ₹ 2,24,019.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 25,465.24 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 0.09 लाख) में लिया गया ₹ 25,465.33 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 2,24,019.63 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में राशि ₹ 1,528.82 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 63,792.59 लाख, ₹ 1,27,929.14 लाख, ₹ 66,786.18 लाख, ₹ 2,68,489.45 लाख तथा ₹ 2,24,019.63 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.34 प्रतिशत से 42.25 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	900.00		
		500.00	500.00
पु.	- 400.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 400.00 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. कार्यालय भवन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) न्यायिक कार्यालय भवन			
[01] राजस्थान उच्च न्यायालय			
मू.	397.01		
पु.	- 348.17	48.84	48.84
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 348.17 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यकारी अभिकरण लोक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	1,260.61		
पु.	- 531.39	729.22	729.22
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 531.39 लाख का प्रावधान कार्यों के लिए निविदाओं में बोलीदाताओं द्वारा भाग नहीं लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	1,260.01		
पु.	- 1,260.01	..	200.00 + 200.00
31 मार्च 2024 को ₹ 1,260.01 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा बिना प्रावधान के ₹ 200.00 लाख का व्यय किये जाने के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) न्यायिक भवन (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना)			
मू.	3,291.00		
पु.	- 2,486.36	804.64	804.64
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,486.36 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	510.00		
पु.	- 449.89	60.11	60.11
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 986.54 लाख का प्रावधान राजस्व विभाग के नए कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) सामान्य प्रशासनिक भवन निर्माण			
[01] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	3,250.00	..	..
पु.	- 3,250.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,250.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मॉड्यूल के माध्यम से स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माध्यमिक शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,616.85	..	..
पु.	- 1,616.85	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,616.85 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	402.00	..	..
पु.	- 402.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 402.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) इंजीनियरिंग कॉलेजो/तकनीकी संस्थानों में निर्माण कार्य			
[01] इंजीनियरिंग कॉलेज, बांसवाड़ा में निर्माण कार्य			
मू.	220.00	..	..
पु.	- 220.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 220.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नेशनल केडेड कोर			
[01] बड़ी शाखा			
मू.	343.53		
पु.	- 310.08	33.45	33.45
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 310.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	800.00		
पु.	- 660.00	140.00	140.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 660.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) निर्माण कार्य- आयुर्वेद विभाग			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	825.00		
अ.	300.00	..	..
पु.	- 1,125.00		
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों के लिए लिया गया ₹ 300.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 1,125.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)			
मू.	5,313.37		
पु.	- 2,477.24	2,836.13	2,836.12
			- 0.01
31 मार्च 2024 को ₹ 2,477.24 लाख का प्रावधान भारत सरकार की <i>कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना</i> (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	501.00		
		41.00	41.00
पु.	- 460.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 460.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	1,867.50		
		1,628.76	1,628.76
पु.	- 238.74		..
31 मार्च 2024 को ₹ 238.74 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	2,312.95		
		825.59	825.59
पु.	- 1,487.36		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,487.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	4,624.74		
		1,287.03	1,287.03
पु.	- 3,337.71		..
₹ 3,337.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) डेंटल कॉलेज के लिए कार्यकारी अभिकरण को निधियां हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा (ii) विधानसभा और संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मशीनरी और उपकरणों के प्रावधान का कम उपयोग होने को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	1,798.72		
पु.	- 783.69	1,015.03	1,015.04 + 0.01
₹ 783.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,150.00		
पु.	- 650.00	500.00	500.00 ..
31 मार्च 2024 को ₹ 650.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[02] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज			
मू.	361.19		
पु.	- 361.19	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 361.19 लाख का समस्त प्रावधान विधानसभा और लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण समय पर निविदा प्रक्रिया नहीं हो पाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	682.74		
पु.	- 451.80	230.94	230.94 ..
31 मार्च 2024 को ₹ 451.80 लाख का प्रावधान नए कार्यों की धीमी गति तथा विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से कार्य पूरे नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	2,991.02	..	..
पु.	- 2,991.02	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,991.02 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[06] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
मू.	270.02	..	..
पु.	- 270.02	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 270.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	150.01	..	..
पु.	- 150.01	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 150.01 लाख का समस्त प्रावधान सुपर स्पेशियलिटी विंग के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी एच.एस.सी.सी. लिमिटेड/एच.आई.टी.ई.एस. को निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। कार्यकारी एजेंसी को भुगतान कार्य की समीक्षा के बाद किए गए कार्य के अनुपात में किया जाना था।			
वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस.चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	3,995.10	215.41	..
पु.	- 3,779.69	215.41	..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,779.69 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			



**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	1,735.00		
पु.	- 230.00	1,505.00	1,505.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 230.00 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, लेकिन केवल पूर्व में प्राप्त केन्द्रीय/राज्य के समतुल्य राज्यांश के उपभोग हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के परिणामस्वरूप वृहद कार्यों और मशीनरी/उपकरणों पर कम व्यय हुआ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	4,300.02		
पु.	- 4,300.02	..	..
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 4,300.02 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	1,100.00		
पु.	- 200.00	900.00	900.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख का प्रावधान नवनिर्मित पीजी छात्रावास के कार्य की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	811.00		
पु.	- 631.00	180.00	180.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 631.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाने तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[02] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
मू.	2,770.00		
	1,980.00	1,980.00	..
पु.	- 790.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 790.00 लाख का प्रावधान विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप समय पर निविदा प्रक्रिया नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय  
[90] निर्माण कार्य

मू.	19,700.00		
	8,632.33	8,632.33	..
पु.	- 11,067.67		

₹ 11,067.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यकारी अभिकरण द्वारा कम मांग भेजी गई तथा बिलों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के माध्यम से नहीं किया गया, जिसके लिए वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई थी, को आरोपित की गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(12) नवीन पब्लिक हेल्थ कॉलेज  
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

मू.	1,900.00		
	..	..	..
पु.	- 1,900.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 1,900.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(15) पी जी मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी संस्थान  
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर

मू.	450.00		
	..	..	..
पु.	- 450.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 450.00 लाख का समस्त प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को न्यूरो साइंस संस्थान के भवन निर्माण हेतु राशि जो वर्ष 2022-23 में कार्यकारी अभिकरण द्वारा उपभोग नहीं किये गये बजट के उपभोग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण उपकरण भी क्रय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	1,750.00		
पु.	- 1,100.00	650.00	650.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,100.00 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर के निर्माण पर कम व्यय होने तथा क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर के लिए चरण-2 के उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[03] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय			
मू.	733.00		
पु.	- 150.05	582.95	582.95
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 150.05 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[20] पोकरण-फलसुंड जल प्रदाय परियोजना			
मू.	204.18		
पु.	- 176.99	27.19	27.19
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	363.65		
पु.	- 166.13	197.52	197.52
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	202.50		
पु.	- 190.32	12.18	12.18
			..

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[61] राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना, चरण तृतीय (शहरी )			
मू.	6,674.61		
पु.	- 1,170.49	5,504.12	5,504.12
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[62] पुनर्गठित शहरी पेयजल परियोजना, बीकानेर			
मू.	2,804.00		
पु.	- 1,179.59	1,624.41	1,624.41
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी जिले को हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	455.00		
पु.	- 253.89	201.11	201.11
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 3,137.41 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[73] सिरोही जिले की बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना (शहरी भाग)			
मू.	568.35		
पु.	- 568.35	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[74] परवन अकावद पेयजल परियोजना, जिला बारां, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)			
मू.	1,350.00		
पु.	- 1,350.00	..	..

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[75] नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)			
मू.	768.96	..	..
पु.	- 768.96	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[77] चम्बल नदी से चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गांवों (बेंगू, भैसरोडगढ़, गंगरार, चित्तौड़गढ़, भदेसर और निम्बाहेडा ब्लॉक) की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)			
मू.	169.00	..	..
पु.	- 169.00	..	..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 2,856.31 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू.	6,615.01	7.50	..
पु.	- 6,607.51	7.50	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा कलस्टर परियोजना (नाबाई)			
मू.	906.53	71.98	..
पु.	- 834.55	71.98	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[19] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू.	801.42	56.12	..
पु.	- 745.30	56.12	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 8,187.36 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[06] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबार्ड)			
मू.	154.78	..	..
पु.	- 154.78	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[07] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-सी (नाबार्ड)			
मू.	1,057.03	..	..
पु.	- 1,057.03	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[13] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	187.55	..	..
पु.	- 187.55	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[14] नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू.	222.71	..	..
पु.	- 222.71	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू.	710.13	..	..
पु.	- 710.13	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[21] निवाई तथा टोंक तहसील के 199 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू.	151.78	..	..
पु.	- 151.78	..	..

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[28] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना			
मू.	2,300.00	..	..
पु.	- 2,300.00	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[30] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरन प्रथम से बूंदी जिले की हिंडौली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	264.71	..	..
पु.	- 264.71	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[31] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण			
मू.	2,842.00	..	..
पु.	- 2,842.00	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[32] वृहद पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत एच. एफ. टी. सी. उपलब्ध कराये जाने का कार्य			
मू.	9,768.00	..	..
पु.	- 9,768.00	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[33] बीकानेर जिले की झूंगरगढ़ कस्बा तथा श्री झूंगरगढ़ तथा लूणकरणसर ब्लाक के 108 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	649.19	..	..
पु.	- 649.19	..	..

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[34] बीकानेर जिले की खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना			
मू.	288.53	..	..
पु.	- 288.53	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[35] चुरु जिले की आपणी योजना प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 ग्रामों तथा चुरु बिसाउ परियोजना की पुर्नगठन तथा सुदृढीकरण योजना (ग्रामीण भाग)			
मू.	288.53	..	..
पु.	- 288.53	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[39] जोधपुर जिले की क्षेत्रीय जल प्रदाय भेर हरलाया (भाग प्रथम) परियोजना से एफ. एच. टी. सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
मू.	299.96	..	..
पु.	- 299.96	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[41] राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ़ तहसील की चम्बल भीलवाड़ा परियाजेना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	436.79	..	..
पु.	- 436.79	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[42] बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	476.07	..	..
पु.	- 476.07	..	..



## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[44] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग- 'अ'			
मू .	771.16	..	..
पु .	- 771.16	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[46] कालीतीर जल प्रदाय योजना			
मू .	330.00	..	..
पु .	- 330.00	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[47] चम्बल नदी से अलवर एवं भरतपुर जिलों की सतही जल प्रदाय योजना			
मू .	210.00	..	..
पु .	- 210.00	..	..
31 मार्च 2024 को उपरोक्त उन्नीस शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 21,408.92 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा सीधे जल जीवन मिशन के एस्को खाते में केन्द्रीयशां हस्तांतरण के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसके अलावा, राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम द्वारा इस उद्देश्य से उधार ली गई निधियां से राज्यांश एस्को खाते में हस्तांतरित किया गया। केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा राज्य समेकित निधि के माध्यम से नहीं भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप जल जीवन मिशन के तहत सृजित संपत्ति सरकारी लेखों में नहीं दिखाई गई है। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) न्यायिक आवास			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता सा.नि.वि. के माध्यम से)			
मू .	515.00	277.11	277.11
पु .	- 237.89	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 237.89 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) सामान्य आवासीय भवन निर्माण			
[01] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू .	900.00	..	..
पु .	- 900.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 900.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मॉड्यूल के माध्यम से स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू .	940.00		
पु .	- 892.60	47.40	47.40
31 मार्च 2024 को ₹ 892.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) सीवरेज लाईन			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	300.00		
अ .	1,280.19	..	..
पु .	- 1,580.19		
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सीवरेज कार्यों के लिए लिया गया ₹ 1,280.19 लाख का प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं किए जाने के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 1,580.19 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	2,696.00		
पु .	- 1,366.42	1,329.58	1,329.58
31 मार्च 2024 को ₹ 1,366.42 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी. )			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (प्रोजेक्ट लोन)			
मू .	2,800.00		
पु .	- 1,021.88	1,778.12	1,778.12
31 मार्च 2024 को ₹ 1,021.88 लाख का प्रावधान परियोजना कार्यों से संबंधित सीवरेज कार्यों और जलापूर्ति में मरम्मत और रोड कटिंग में जनता की आपत्ति, कार्यों की धीमी प्रगति तथा पाली और झुंझुनू में फर्मों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में बिल जमा नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(08) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (प्रोजेक्ट लोन)			
मू. 3,080.00	1,252.89	1,252.89	..
पु. - 1,827.11			
31 मार्च 2024 को ₹ 1,827.11 लाख का प्रावधान (i) परियोजना कार्यों से संबंधित लम्बित निधियों का पुनः आवंटन तथा समयावधि के कारण वेरियेशन तथा (ii) झालावाड़ शहर में सीवर लाइन के लिए खड़ी चट्टान की खुदाई कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(09) राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना			
[02] नगरीय विकास एवं आवासन विभाग			
मू. 4,718.00	..	..	..
पु. - 4,718.00			
31 मार्च 2024 को ₹ 4,718.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना बन्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(10) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू. 15,100.00	803.23	803.23	..
पु. - 14,296.77			
31 मार्च 2024 को ₹ 14,296.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू. 40,831.48	2,881.35	2,881.35	..
पु. - 37,950.13			
31 मार्च 2024 को ₹ 37,950.13 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) 3डी सिटी प्रोजेक्ट			
[01] नगरीय विकास एवं आवासन विभाग			
मू.	300.00	..	..
पु.	- 300.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[01] आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	3,350.00	2,100.00	2,100.00
पु.	- 1,250.00	..	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[05] हेण्ड पम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं			
मू.	600.00	52.20	52.20
पु.	- 547.80	..	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 1,797.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[12] जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण			
मू.	1,050.00	50.00	50.00
पु.	- 1,000.00	..	..

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[17] राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य			
मू .	500.00	..	..
पु .	- 500.00	..	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 1,500.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[22] संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत जनजाति विकास हेतु अन्य पूंजीगत कार्यक्रम			
अ .	1,000.00	307.06	307.06
पु .	- 692.94	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 692.94 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[02] जन जाति के छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण			
मू .	2,100.00	1,577.31	1,577.31
पु .	- 522.69	..	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[14] माँ-बाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण			
मू .	1,600.00	150.00	150.00
पु .	- 1,450.00	..	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 1,972.69 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[10] कार्यालय भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण मय जनरेटर सेट			
मू.	250.00	..	..
पु.	- 250.00	..	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[23] छात्रावास भवनों में सोलर लाईट व पेयजल सुविधा सहित अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण			
मू.	200.00	..	..
पु.	- 200.00	..	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[35] जनजाति विकास कोष अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना			
मू.	250.00	..	..
पु.	- 250.00	..	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 700.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[34] जनजाति विकास कोष अंतर्गत जनजाति भागीदारी योजना से आधारभूत सुविधाओं का विकास			
मू.	4,800.00		
अ.	4,000.00	2,973.60	2,973.60
पु.	- 5,826.40		..

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[36] जनजाति कल्याण निधि मद अंतर्गत अन्य पूंजीगत कार्य			
मू.	5,682.00		
अ.	2,000.00	5,668.79	5,668.79
पु.	- 2,013.21		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिया गया ₹ 6,000.00 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 7,839.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (29) जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता
- [01] विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत जनजाति विकास कार्यक्रम के तहत आधारभूत सुविधाओं का विकास

मू.	10,516.08			
पु.	- 10,516.08	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 10,516.08 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 9,182.55 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,333.53 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण
- [90] निर्माण कार्य

मू.	2,200.00			
पु.	- 250.92	1,949.08	1,949.08	..

31 मार्च 2024 को ₹ 250.92 लाख का प्रावधान माह अक्टूबर, 2023 में विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वित्त विभाग द्वारा पूल बजट से निधियां हस्तांतरित नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) तीर्थ यात्रियों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	0.01		
अ.	1,750.00	619.37	..
पु.	- 1,130.64		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिया गया ₹ 1,750.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,130.64 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य निष्पादित नहीं कराए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(04) तीर्थ यात्रियों के लिए विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य

मू.	225.00		
पु.	- 225.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 225.00 लाख का समस्त प्रावधान आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नए कार्यों के लिए स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(04) उद्यान भवनों का विकास एवं पुनर्सुधार

मू.	500.00		
अ.	0.01	16.50	16.50
पु.	- 483.51		..

31 मार्च 2024 को ₹ 483.51 लाख का प्रावधान बागवानी भवनों के विकास और जीर्णोद्धार के लिए वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)  
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मू.	900.00		
पु.	- 387.63	512.37	512.37

31 मार्च 2024 को ₹ 387.63 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्रों का निर्माण			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. टी-XXVIII			
मू.	700.00	..	..
पु.	- 700.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 700.00 लाख का समस्त प्रावधान ट्रेन्स XXVIII के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नंदीशाला योजना			
[01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना			
मू.	2,000.00	..	..
पु.	- 2,000.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,000.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप गौ-शाला विकास योजना एवं पंचायत स्तरीय नंदीशाला योजना के अंतर्गत निविदा आमंत्रित नहीं किए जाने तथा ठेका नहीं दिए जाने, (ii) पंचायत स्तरीय नंदीशाला जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर टेंडर अन्तिमीकरण करने हेतु अपेक्षित आवेदन प्राप्त नहीं होने तथा (iii) पंचायत स्तरीय नंदीशाला जनसहभागिता योजना के तहत जिला स्तर पर 10 प्रतिशत स्वयं का कार्य समय पर निष्पादित करने संबंधी पात्रता पूर्ण नहीं होने, अन्य शर्तें तथा न्यूनतम 10 बीघा भूमि स्वामित्व/लीज डीड संबंधी पात्रता पूर्ण नहीं करने से टेंडर रद्द किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) वाईल्ड लाईफ रेस्क्यू सेंटर			
[01] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	250.01	97.35	97.35
पु.	- 152.66	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 152.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	14,000.00	11,665.85	11,665.85
अ.	7,000.00	..	..
पु.	- 9,334.15	..	..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु लिया गया ₹ 7,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 9,334.15 लाख का प्रावधान जिले के निजी निक्षेप खाते में अव्ययित राशि की अधिक उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने और इसके अलावा विधान सभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू .	0.02		
पु .	- 0.02		
₹ 180.93 लाख का ऋण व्यय गत वर्ष की अव्ययित राशि जमा कराने के कारण रहा ।	..	- 180.93	- 180.93
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[04] दाईं मुख्य नहर-आर. आई. डी. एफ. XXIII			
मू .	356.28		
पु .	- 236.50		
31 मार्च 2024 को ₹ 236.50 लाख का प्रावधान पलाइथा उप शाखा और इसकी माइनरों के कि.मी. 0 से 12.30 तक के पुनरुद्धार और पुनर्वास कार्य के शेष कार्य के लिए कार्य आदेश मार्च, 2021 में दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने और उसके बाद सितंबर, 2022 में ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर दिये जाने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।	119.78	119.78	..
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू .	10,499.99		
पु .	- 2,726.70		
31 मार्च 2024 को ₹ 2,726.70 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।	7,773.29	7,773.29	..
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	4,199.99		
पु .	- 1,209.84		
31 मार्च 2024 को ₹ 1,209.84 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।	2,990.15	2,990.15	..

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
45. अपर हाई लेवल कैनाल ऑन माही डैम (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	70,000.00	6,437.49	6,437.49
पु.	- 63,562.51		
31 मार्च 2024 को ₹ 63,562.51 लाख का प्रावधान सर्वेक्षण और कार्य आदेश जारी करने में लगने वाले प्रक्रियात्मक समय के कारण निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।			
46. कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	2,800.00	505.09	505.09
पु.	- 2,294.91		
31 मार्च 2024 को ₹ 2,294.91 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	2,579.00	439.13	439.13
पु.	- 2,139.87		
31 मार्च 2024 को ₹ 2,139.87 लाख का प्रावधान (i) तीन बार निविदा रद्द होने के कारण पांचना बांध के निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने, (ii) तीन बार निविदा रद्द होने के कारण कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने, (iii) पार्वती और छापी बांध के प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट (पी.एस.टी. ) की देरी से स्वीकृति मिलने तथा (iv) जवाहर सागर बांध (सिविल) का बिड दस्तावेज केंद्रीय जल आयोग में लंबित रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	4,475.93	3,420.36	3,420.35
पु.	- 1,055.57		
31 मार्च 2024 को ₹ 1,055.57 लाख का प्रावधान कार्यभारित कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण वेतन पर कम व्यय होने तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[05] आधुनिकीकरण/ उन्नयन/ पुर्नजीवीकरण			
नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI			
मू .	510.00		
पु .	- 336.46	173.54	173.54
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 336.46 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) परियोजनाओं का पुनर्जीवन/उन्नयन/ आधुनिकीकरण, नवीनीकरण			
मू .	1,116.20		
पु .	- 872.15	244.05	244.05
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 872.15 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) कार्यक्रम के माध्यम से			
मू .	3,018.00		
पु .	- 2,450.75	567.25	567.25
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,450.75 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) सौर ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई परियोजना			
[01] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, जयपुर के माध्यम से			
मू .	11,896.11		
पु .	- 5,601.74	6,294.37	6,294.37
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 5,601.74 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू. 3,275.30	1,319.69	1,319.69	..
पु. - 1,955.61			
31 मार्च 2024 को ₹ 1,955.61 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू. 3,363.36	335.58	335.58	..
पु. - 3,027.78			
31 मार्च 2024 को ₹ 3,027.78 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू. 4,907.41	1,347.36	1,347.36	..
पु. - 3,560.05			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू. 4,879.55	830.20	830.20	..
पु. - 4,049.35			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू. 4,025.00	1,654.66	1,654.66	..
पु. - 2,370.34			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 9,979.74 लाख का प्रावधान जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	15,299.17	11,411.38	11,411.38
पु.	- 3,887.79		
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	18,917.01	9,784.00	9,781.96
पु.	- 9,133.01		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[16] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	2,534.24	1,397.08	1,394.20
पु.	- 1,137.16		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVIII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	9,166.40	3,061.45	3,061.40
पु.	- 6,104.95		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 20,262.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(16) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	11,997.20	6,039.34	6,039.34
पु.	- 5,957.86		

31 मार्च 2024 को ₹ 5,957.86 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) हवाई पट्टियों का विस्तार एवं निर्माण			
मू.	225.16		
अ.	260.00	193.82	193.82
पु.	- 291.34		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा हवाई पट्टियों के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 260.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 291.34 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने तथा राज्य सरकार द्वारा नए कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जाने से नए कार्य शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) गुण नियंत्रण प्रणाली के तहत निर्माण कार्यों का निरीक्षण  
[01] निर्माण कार्यों का निरीक्षण

मू.	201.50			
पु.	- 156.40	45.10	45.10	..

31 मार्च 2024 को ₹ 156.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय  
80. सामान्य  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) पर्यटन स्थलों का विकास

मू.	954.16			
पु.	- 954.16	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 954.16 लाख का समस्त प्रावधान कार्यकारी अभिकरण द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप कार्यकारी अभिकरण को लघु कार्यों के लिए निधियां आवंटित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(03) ग्रामीण पर्यटन का विकास

मू.	318.07			
पु.	- 248.48	69.59	69.59	..

31 मार्च 2024 को ₹ 248.48 लाख का प्रावधान (i) विकास कार्यों हेतु निधियों की कम आवश्यकता के परिणामस्वरूप लघु कार्यों पर कम व्यय होने तथा (ii) कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप वृहद कार्यों हेतु कार्यकारी अभिकरणों को निधियों का आवंटन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स लर्निंग			
[02] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (टी.एस.पी.)			
मू.	700.00	..	..
पु.	- 700.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 700.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान एडवांस लर्निंग संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूंजी निवेश हेतु स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप संस्थान के लिए प्रबन्ध/कार्यकारी निकाय का गठन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[22] बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं

मू.	1,174.00	598.00	598.00	..
पु.	- 576.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 576.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजनान्तर्गत अव्ययित राशि ₹ 340.00 लाख जमा होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[23] जी.आई.एस.

मू.	1,223.00	335.00	335.00	..
पु.	- 888.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 888.00 लाख का प्रावधान (i) चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर की 3डी सिटी परियोजना के लिए निविदा जारी नहीं होने, (ii) चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य में इमेजरी क्रय के लिए निविदा जारी नहीं होने तथा (iii) फर्म द्वारा जनरल वर्ड मॉडल (जी.डब्ल्यू.एम.एस.) एवं हेयर मेप परियोजना के संबंध में परिदेय जमा नहीं करने के परिणामस्वरूप 2023-24 के दौरान फर्मों को भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[34] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर

मू.	2,195.00	140.00	140.00	..
पु.	- 2,055.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 2,055.00 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अभय कमांड कंट्रोल सेंटर के तहत कैमरे लगाने के लिए कार्य आदेश जारी करने में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (आर-सी.ए.टी)			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	240.00	..	..
पु.	- 240.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 240.00 लाख का समस्त प्रावधान सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्रय करने की आवश्यकता नहीं होने के परिणामस्वरूप यह कार्य सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग आधारित क्लाउड प्रशिक्षण के द्वारा करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(13) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट, जोधपुर  
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	5,868.00	1,035.51	1,035.51	..
पु.	- 4,832.49			

31 मार्च 2024 को ₹ 4,832.49 लाख का प्रावधान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, जोधपुर के भवन निर्माण की धीमी प्रगति के परिणामस्वरूप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी क्रय नहीं कर सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(16) तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली  
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	500.00	..	..	..
पु.	- 500.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान तकनीकी आधारित निगरानी प्रणाली के तहत विभागों से ड्रोन की आवश्यकता प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(19) वेंचर कैपिटल फण्ड  
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	500.00	..	..	..
पु.	- 500.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान स्टार्ट अप नीति 2022 में स्टार्ट अप को इन्वेंचर फंडिंग के लिए नियमों और विनियमन प्रक्रियाधीन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी हेतु कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	952.00	..	..
पु.	- 952.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 952.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसार निगम लिमिटेड को के.एफ.डब्ल्यू. से ऋण प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) कालेज शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,950.00	2,947.88	..
पु.	997.88	2,947.88	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 997.88 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(20) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[03] स्टार परियोजना पर पूंजीगत व्यय			
मू.	1,495.00	1,927.45	..
पु.	432.45	1,927.45	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 432.45 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	100.03	256.38	..
पु.	156.35	256.38	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 156.35 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	1,716.00		
		1,937.88	
पु.	221.88	1,937.88	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 221.88 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	5,541.00		
		8,394.00	
पु.	2,853.00	8,394.00	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,853.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य की योजना सीमा में राशि का प्रावधान भारत सरकार की अनुमोदित *कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना* (पीआईपी) से कम था, जिसे संशोधित प्रावधान में पीआईपी के अनुसार करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	445.00		
		921.24	
पु.	476.24	921.24	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 476.24 लाख की अतिरिक्त निधियां मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा मरम्मत और नवीनीकरण कार्य निष्पादन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) नवीन नर्सिंग महाविद्यालय			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	800.01		
		1,020.83	
पु.	220.82	1,020.83	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 220.82 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय				
01. जलपूर्ति				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना				
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं				
[01] ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं				
मू.	9,787.51	11,296.91	11,287.46	- 9.45
पु.	1,509.40			
01. जलपूर्ति				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना				
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं				
[76] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)				
मू.	432.01	767.14	767.14	..
पु.	335.13			
01. जलपूर्ति				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना				
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं				
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं				
मू.	9,107.66	11,987.15	11,986.83	- 0.32
पु.	2,879.49			
01. जलपूर्ति				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना				
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं				
[04] जवाई-पाली पाइप लाइन परियोजना				
मू.	287.00	7,132.24	7,132.24	..
पु.	6,845.24			
01. जलपूर्ति				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना				
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं				
[58] बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना-द्वितीय चरण (शहरी)				
मू.	442.84	897.81	897.81	..
पु.	454.97			

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[60] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना (शहरी)			
मू .	0.01		
पु .	1,551.86	1,551.87	..

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,576.09 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "4215-01-796(01) [01]" के अन्तर्गत ₹ 9.45 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी. )			
[03] आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण ट्रैच -2 (ई.ए.पी. )			
मू .	3,500.00		
पु .	1,857.47	5,357.47	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,857.47 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	4,319.39		
पु .	1,511.76	5,831.15	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,511.76 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(14) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आई.आई.एच.एल. सी.टी./पी.टी.यूरिनल्स)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	0.02		
पु .	525.76	525.78	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 525.76 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[07] सामुदायिक भवनों का निर्माण			
मू.	250.00		
पु.	358.00	608.00	608.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[10] सड़क एवं पुलिया का निर्माण			
मू.	500.00		
पु.	1,388.91	1,888.91	1,888.91
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[13] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव			
मू.	708.70		
पु.	2,337.00	3,045.70	3,045.70
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[14] राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण			
मू.	1,107.00		
पु.	286.00	1,393.00	1,393.00

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,369.91 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	0.01	1,238.05	1,238.05
पु.	1,238.04		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(22) विखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] छात्रावास भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	600.00	1,158.26	1,158.26
पु.	558.26		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(23) सहरिया विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम			
[01] छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	0.01	282.34	282.34
पु.	282.33		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,078.63 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) आगंनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अंतर्गत			
मू.	78.02	229.86	229.86
पु.	151.84		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 151.84 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (04) पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों का निर्माण [03] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी- XXIX			
अ.	0.01		
पु .	999.99	1,000.00	1,000.00 ..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 999.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड ट्रेन्च XXIX के अन्तर्गत स्वीकृत मुख्य कार्यों के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को निधियां हस्तांतरित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी क्योंकि ट्रेन्च XXVIII के अन्तर्गत पशुपालन विभाग के प्रस्तावों को नाबार्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया ।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय 01. वानिकी 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (16) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू .	103.37		
पु .	1,787.49	1,890.86	1,890.85 - 0.01
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,787.49 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. वानिकी 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (17) राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता विकास परियोजना (आर.एफ.वी.डी.पी. ) [01] बाह्य सहायता (ए.एफ.डी. )			
मू .	0.02		
पु .	1,099.98	1,100.00	1,100.00 ..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,099.98 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से [02] बाई मुख्य नहर			
मू .	1,224.25		
पु .	464.98	1,689.23	1,689.09 - 0.14
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 464.98 लाख की अतिरिक्त निधियां ठेकेदार द्वारा स्पैन वाइज प्रगति के अतिरिक्त कार्य के निष्पादन के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			



**अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल के माध्यम से			
[03] दाई मुख्य नहर-आर.आई.डी.एफ. XXII			
मू.	176.00		
पु.	220.18		
	396.18	396.18	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 220.18 लाख की अतिरिक्त निधियां ठेकेदार द्वारा स्पैन वाइज प्रगति के अतिरिक्त कार्य के निष्पादन करने तथा 13 प्रतिशत आनुपातिक शुल्क वसूलने से व्यय भी बढ़ने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	7.00		
पु.	484.01		
	491.01	491.01	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 484.01 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति तथा बकाया दायित्वों के निस्तारण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) माही नहरी तंत्र का उन्नयन/पुनर्जीविकरण/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	24,999.99		
पु.	9,582.77		
	34,582.76	34,582.76	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,582.77 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति तथा बकाया दायित्वों के निस्तारण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	2,427.42		
पु.	922.37		
	3,349.79	3,349.73	- 0.06
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 922.37 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति तथा बकाया दायित्वों के निस्तारण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	10,487.78		
		11,972.28	11,972.28
पु.	1,484.50		..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,484.50 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. सोमकमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	500.00		
		667.80	667.80
पु.	167.80		..
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	896.00		
		2,529.29	2,529.29
पु.	1,633.29		..
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) तकली परियोजना			
मू.	210.00		
		1,362.73	1,362.73
पु.	1,152.73		..
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	7.00		
		377.67	377.67
पु.	370.67		..

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	420.00		
पु.	636.11		
		1,056.11	1,056.11
			..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,960.60 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति तथा बकाया दायित्वों के निस्तारण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[01] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर			
मू.	15,897.72		
पु.	6,132.18		
		22,029.90	22,029.90
			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन के माध्यम से)			
मू.	10,020.00		
पु.	1,384.39		
		11,404.39	11,404.39
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,516.57 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति तथा बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(15) जल संरक्षण उपकर निधि से पोषित कार्य			
[01] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,679.04		
अ.	2,000.00		
पु.	4,296.47		
		8,975.51	8,975.51
			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,296.47 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति तथा बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	2,696.00		
पु.	618.60		
	3,314.60	3,314.60	..
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	2,022.00		
पु.	2,021.98		
	4,043.98	4,043.98	..
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.) [90] निर्माण कार्य			
मू.	1,465.99		
पु.	11,357.53		
	12,823.52	12,820.29	- 3.23
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) केन्द्रीय सड़क तथा आधारभूत निधि से पोषित सड़कें			
मू.	8,762.00		
पु.	2,302.60		
	11,064.60	10,557.13	- 507.47
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) पूंजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य [90] निर्माण कार्य			
अ.	0.01		
पु.	4,347.89		
	4,347.90	4,347.90	..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) शहरी सड़कें			
मू.	1,078.40		
पु.	269.58		
	1,347.98	1,347.98	..

## अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[18] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.- XXIX (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	1,348.00	4,791.89	4,791.89
पु.	3,443.89		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) ग्रामीण सड़कें			
मू.	4,044.00	20,225.00	20,223.94
अ.	6,740.00		
पु.	9,441.00		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	6,548.94	8,451.99	8,207.61
पु.	1,903.05		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	20,023.47	24,123.84	24,116.72
पु.	4,100.37		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(22) पूंजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
अ.	0.01	4,749.71	4,627.29
पु.	4,749.70		

उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44,556.19 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-03-796(07), 04-796(08) [90], 04-796(18) [90] एवं 04-796(22) [90]" के अन्तर्गत ₹ 881.39 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

### अनुदान संख्या 30 - (समाप्त)

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[45] ईसरदा बाँध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	0.01		
		582.73	..
पु.	582.72		- 582.73

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 582.72 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 582.73 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

### अनुदान संख्या 31 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2202. सामान्य शिक्षा,  
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,  
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण और  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

- पूंजी -4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य  
 पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पूंजीगत  
 परिव्यय,

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय और

6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े  
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
--------------------------	------------------	-------------------

(₹ सहस्र में)

#### राजस्व

##### दत्तमत

मूल	77,78,79,67			
अनुपूरक	11,62,85,99	89,41,65,66	80,42,39,54	- 8,99,26,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				9,30,28,72

##### प्रभारित

मूल	4			
अनुपूरक	28,23	28,27	26,75	- 1,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,51

#### पूंजी

##### दत्तमत

मूल	1,37,33,37			
अनुपूरक	60,23,01	1,97,56,38	1,74,84,40	- 22,71,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				28,77,12

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

##### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 89,926.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 1,10,900.08 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 5,385.91 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,16,285.99 लाख का प्रावधान का अत्यधिक था।
- ₹ 89,926.12 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 93,028.72 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

### अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(20) विश्वविद्यालयों को अनुदान			
[07] दिव्यांगजन विश्वविद्यालय			
मू .	1,100.00		
पु .	- 1,020.00	80.00	80.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,020.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
793. अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
(01) अनुसूचित जाति उप परियोजना			
मू .	4,555.22		
पु .	- 4,483.06	72.16	72.17
			+ 0.01
₹ 4,483.06 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गई।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(08) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम			
[01] राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुदान			
मू .	1,375.00		
पु .	- 1,275.00	100.00	100.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,275.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निगम को अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू .	1,157.42		
पु .	- 236.63	920.79	933.20
			+ 12.41
₹ 236.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने और नये पदों पर भर्ती नहीं होने, (ii) रसोइयों और गार्डों के मानदेय भुगतान हेतु फर्मों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने, (iii) विद्या संबल योजना में कार्यरत शिक्षकों को मानदेय भुगतान नहीं होने, (iv) विभागीय छात्रावासों में क्षमता के अनुसार कम विद्यार्थियों का प्रवेश होना तथा (v) विधानसभा एवं संसदीय चुनावों की आचार संहिता लागू होने के कारण अनावर्ती वस्तुओं की खरीद नहीं होने को आरोपित की गयी।			
₹ 12.41 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2024)।			



**अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(04) इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर गाडिया लुहार हेतु अनुदान			
मू .	200.00	79.75	79.75
पु .	- 120.25		..

31 मार्च 2024 को ₹ 120.25 लाख का प्रावधान गाडिया लुहार के लिए महाराणा प्रताप भवन के निर्माण हेतु अनुदान का उपयोग नहीं होने के तथा पूर्व में जारी निधियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

राज्य सरकार ने विस्तृत शीर्ष-12 सहायतार्थ अनुदान (गैर-संवेतन) में गाडिया लुहार के लिए महाराणा प्रताप भवन के निर्माण हेतु बजट प्रावधान किया जो कि भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। आईजीएएस-2 के अनुसार, किसी भी पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु निर्माण कार्यों के लिए अनुदान जारी करने का बजट प्रावधान "विस्तृत शीर्ष-93-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान" के अन्तर्गत किया जाना चाहिए।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण				
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता				
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)				
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना				
मू .	13,500.00	8,053.93	8,765.68	+ 711.75
पु .	- 5,446.07			

31 मार्च 2024 को ₹ 5,446.07 लाख का प्रावधान विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आचार संहिता लगने के कारण विशेष पिछड़ा वर्ग को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण कम होने तथा वर्ष 2023-24 के लिए छात्रवृत्ति 2023-24 हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु अन्तिम तिथि 30 जून 2024 निर्धारित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

यद्यपि, छात्रवृत्ति का वास्तविक वितरण अन्तिम अनुदान से ₹ 711.75 लाख अधिक हुआ जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण				
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता				
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)				
[04] माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन (माध्यमिक शिक्षा विभाग)				
मू .	565.41	451.62	451.62	..
पु .	- 113.79			

31 मार्च 2024 को ₹ 113.79 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[05] विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (प्राथमिक शिक्षा विभाग)			
मू .	800.00	654.38	+ 23.43
पु .	- 145.62		

31 मार्च 2024 को ₹ 145.62 लाख का प्रावधान विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आचार संहिता लगने से विशेष पिछड़ा वर्ग को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

यद्यपि, छात्रवृत्ति का वास्तविक वितरण अन्तिम अनुदान से ₹ 23.43 लाख अधिक हुआ जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[07] देवनारायण गुरुकुल योजना			
मू .	1,750.00	588.72	+ 679.25
पु .	- 1,161.28		

31 मार्च 2024 को ₹ 1,161.28 लाख का प्रावधान प्राप्त दावों के अनुसार देनदारियों के भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

यद्यपि, वास्तविक व्यय अन्तिम अनुदान से ₹ 679.25 लाख अधिक हुआ जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(13) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना हेतु अनुदान			
मू .	2,034.20	..	..
पु .	- 2,034.20		

31 मार्च 2024 को ₹ 2,034.20 लाख का समस्त प्रावधान कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी नहीं खरीदने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(19) अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना			
[01] महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रावास हेतु सहायता			
मू .	500.00		
पु .	- 402.96	97.04	97.04

31 मार्च 2024 को ₹ 402.96 लाख का प्रावधान स्वीकृत क्षमता के अनुपात में अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने से कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू .	8,776.64		
पु .	- 5,912.72	2,863.92	2,864.07 + 0.15

31 मार्च 2024 को ₹ 5,912.72 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा हिस्सा कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[02] दिव्यांग स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति/जनजाति निगम के माध्यम से)			
मू .	500.01		
पु .	- 266.67	233.34	229.64 - 3.70

31 मार्च 2024 को ₹ 266.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(47) राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं (विशेष योग्यजन विभाग के माध्यम से)			
[01] राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
मू .	10,000.00		
पु .	- 10,000.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 10,000.00 लाख का समस्त प्रावधान गत वर्ष की निधियों की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(02) कल्याण विस्तार योजनाएं सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य			
[01] निदेशक, सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	450.00		
पु .	- 268.00	182.00	182.00 ..

31 मार्च 2024 को ₹ 268.00 लाख का प्रावधान महिला एवं बाल विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे गुड टच बैंड टच वर्कशॉप, यशोदा पालनागृह एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाषा केन्द्र के क्रियान्वयन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
102. बाल कल्याण  
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से  
[02] शिशु गृह/क्रेच का संचालन

मू.	100.00			
पु .	- 100.00	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(15) दिव्यांग कल्याण  
[01] वृद्धाश्रम/गृह संचालन

मू .	860.06			
पु .	- 244.22	615.84	615.84	..

31 मार्च 2024 को ₹ 244.22 लाख का प्रावधान 2023 में विधानसभा चुनाव कराने और जिला कलेक्टरों द्वारा कम मांग किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[07] निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान			
मू .	48,450.00		
अ.	9,500.00	52,739.52	54,358.00 + 1,618.48
पु .	- 5,210.48		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा *पालनहार योजना* के अन्तर्गत बच्चों के वार्षिक नवीनीकरण और आश्रयहीन बच्चों के लिए लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 9,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 5,210.48 लाख का प्रावधान कोषालयों से बिलों को पारित होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस के माध्यम से भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

यद्यपि, वास्तविक भुगतान अन्तिम अनुदान से ₹ 1,618.48 लाख अधिक हुआ, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(19) अन्य कार्यक्रम  
[08] सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान

मू .	3,500.00			
पु .	- 1,257.86	2,242.14	2,242.14	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,257.86 लाख का प्रावधान अपेक्षा से कम अनुपात में आवेदन प्राप्त होने से कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(19) अन्य कार्यक्रम  
[14] भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास हेतु अनुदान

मू .	200.00			
पु .	- 153.16	46.84	46.84	..

31 मार्च 2024 को ₹ 153.16 लाख का प्रावधान जिला कलेक्टरों द्वारा कम मांग किये जाने तथा विधानसभा और संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना  
[06] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

मू	550.00			
अ.	0.01	..	..	..
पु .	- 550.01			

31 मार्च 2024 को ₹ 550.01 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार प्रशासनिक शुल्क पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] ब्लॉक स्तरीय संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू .	3,370.03		
पु .	- 418.04		
		2,951.99	2,952.56 + 0.57
₹ 418.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने और निविदा प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने को आरोपित की गयी ।			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत अनुदान			
मू .	8,500.00		
पु .	- 7,900.00		
		600.00	600.00 ..
31 मार्च 2024 को ₹ 7,900.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री राहत निधि के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय से आकस्मिक दुर्घटना के कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(25) ट्रांसजेण्डर समुदाय के उत्थान हेतु			
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू .	173.50		
पु .	- 168.08		
		5.42	5.43 + 0.01
31 मार्च 2024 को ₹ 168.08 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) जिला स्तरीय समितियों द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सर्जरी के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण चिकित्सा शुल्क पर कम व्यय होने, (ii) जोनल स्तर पर काउंसलर की नियुक्ति नहीं होने तथा सलाहकार सेवाओं की मांग नहीं होने के कारण पेशेवर और विशेष सेवाओं पर कम व्यय होने, (iii) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ऑनलाईन पहचान पत्र तैयार करने में देरी और (iv) विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण उत्सवों/सम्मेलनों का आयोजन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू	13,287.00		
अ.	5,385.86		
पु .	- 6,201.44		
		12,471.42	12,471.44 + 0.02
फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,385.86 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।			
31 मार्च 2024 को ₹ 6,201.44 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार प्रशासनिक शुल्क पर कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

**अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[01] मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू.	1,58,800.00		
अ.	27,100.00	1,57,506.94	1,57,506.76
पु .	- 28,393.06		- 0.18

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 27,100.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 28,393.06 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के दूसरे स्थान पर विस्थापित होने/भौतिक सत्यापन के अभाव/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 14,805.86 लाख) और अन्य शीर्षों पुनर्विनियोजन (₹ 13,587.20 लाख) किया गया।

- 60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
- 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
- (06) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना
- [01] लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना

मू.	20,000.00			
अ.	3,500.00	18,152.13	18,152.04	- 0.09
पु .	- 5,347.87			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 5,347.87 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के दूसरे स्थान पर विस्थापित होने/भौतिक सत्यापन के अभाव/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
- 196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
- (08) अधिक सहारे की आवश्यकता वाले विशेष योग्यजनों के लिए मासिक आर्थिक सहायता योजना
- [01] निदेशालय विशेष योग्यजन

मू.	2,499.99			
पु .	- 805.96	1,694.03	1,692.07	- 1.96

31 मार्च 2024 को ₹ 805.96 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 31 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(26) विप्र कल्याण बोर्ड			
[01] विप्र कल्याण बोर्ड को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	120.00	..	..
पु .	- 120.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 120.00 लाख का समस्त प्रावधान दिसम्बर, 2023 से प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद विप्र कल्याण बोर्ड के नामित सचिव/सदस्य सचिव एवं स्टाफ को हटाने से वेतन एवं अन्य कार्यालय व्यय पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रख-रखाव तथा मरम्मत			
(22) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग- प्रतिबद्ध			
मू .	400.00	529.52	596.25
पु .	129.52	..	+ 66.73

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 129.52 लाख की अतिरिक्त निधियां वित्त एवं विनियोग अधिनियम 2023-24 पर बहस के दौरान की गयी घोषणा की अनुपालना में आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

₹ 66.73 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(02) अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू .	8,895.01	9,735.09	9,750.49
पु .	840.08	..	+ 15.40

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 840.08 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 15.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय संस्थापना- प्रतिबद्ध			
मू .	2,686.06		
		3,051.24	3,061.01
पु .	365.18		+ 9.77
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 365.18 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 9.77 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए अनुप्रति योजना हेतु अनुदान			
मू .	200.00		
		348.35	349.12
पु .	148.35		+ 0.77
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 148.35 लाख की अतिरिक्त निधियां पिछले वर्ष की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[04] देवनारायण आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत छात्रावासों का संचालन			
मू .	1,330.22		
		1,524.77	1,532.71
पु .	194.55		+ 7.94
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 194.55 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट घोषणा की अनुपालना में किराये के भवनों पर नये छात्रावासों के संचालन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 7.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(08) देवनारायण योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से)			
[01] उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन			
मू .	1,083.66		
		1,197.27	1,204.16
पु .	113.61		+ 6.89
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 113.61 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वास्थ्य उप केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 6.89 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(40) मानसिक पुनर्वास गृह संचालन			
मू.	2,500.00		
पु .	411.63	2,911.63	2,911.63

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 411.63 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] समेकित बाल संरक्षण योजना हेतु अनुदान			
मू.	7,500.00		
पु .	830.14	8,330.14	8,330.14

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 830.14 लाख की अतिरिक्त निधियां पिछले वर्ष की बकाया देनदारियों के भुगतान के लिए सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में निधियां स्थानान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(12) मिशन वात्सल्य			
[03] चाइल्ड हेल्पलाइन			
अ.	0.02		
पु .	543.15	543.17	543.17

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 543.15 लाख की अतिरिक्त निधियां मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन के संचालन के लिए उपलब्ध करायी गयी। यह योजना भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषित हैं। योजना का संचालन सितम्बर/अक्टूबर 2023 से प्रारम्भ किया गया जिसमें भारत सरकार से माह दिसम्बर, 2023 में स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त व्यय किया गया।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(05) संयुक्त सहायता के लिए अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	100.00		
पु .	6,157.22	6,257.22	6,257.22

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,157.22 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(15) दिव्यांग कल्याण			
[13] शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को अनुदान			
मू.	4,000.00		
		5,631.74	5,631.74
पु .	1,631.74		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,631.74 लाख की अतिरिक्त निधियां शारीरिक और मानसिक पीड़ितों के क्षेत्रों में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को अधिक सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(04) जन चेतना शोध प्रकाशन एवं प्रचार, नशा मुक्ति तथा अन्य कुरीतियों की रोकथाम			
मू .	60.00		
		239.15	239.43
पु .	179.15		+ 0.28

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 179.15 लाख की अतिरिक्त निधियां *पालनहार लाभार्थी उत्सव* और *पेंशन लाभार्थी उत्सव* के समाचार पत्रों पर विज्ञापन के माध्यम से प्रचार पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(07) कोविड-19 के अन्तर्गत जरूरतमंद (गैर पेंशनर) व्यक्तियों को सहायता			
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू	0.01		
		400.00	400.00
पु .	399.99		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 399.99 लाख की अतिरिक्त निधियां निदेशालय स्तर पर कोविड-19 से प्रभावित जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी। इससे पूर्व यह सहायता राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से की जाती थी।

## अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

### पूँजी

#### दत्तमत

1. ₹ 2,271.98 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 6,023.01 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 6,022.99 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 2,271.98 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 2,877.12 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
मू .	4,000.00		
अ .	522.97	2,910.99	3,135.85
पु .	- 1,611.98		+ 224.86

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिया गया ₹ 522.97 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,611.98 लाख का प्रावधान देवनारायण कन्या आवासीय विद्यालय, विराटनगर का निर्माण कार्य वित्त विभाग द्वारा दिसम्बर, 2023 से रोक दिये जाने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,049.50 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 562.48 लाख) किया गया।

₹ 224.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
- (02) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भवन निर्माण
- [90] निर्माण कार्य

मू .	500.02			
अ .	0.01	..	..	..
पु .	- 500.03			

31 मार्च 2024 को ₹ 500.03 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा दिसम्बर, 2023 से निर्माण कार्य पर रोक लगाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
02. समाज कल्याण
103. महिला कल्याण
- (12) नारी निकेतन भवन का निर्माण

मू .	1,000.01			
पु .	- 1,000.01	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 31 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना			
[01] रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण			
मू.	200.01	..	..
पु .	- 200.01	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 200.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत देवनारायण छात्रावास भवनों का निर्माण			
मू .	1,500.00	1,633.55	1,983.32
पु .	133.55	..	+ 349.77

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 133.55 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गईं।

₹ 349.77 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(11) विमंदिता महिला एवं बालग्रह भवन निर्माण			
मू	0.02	392.39	392.39
पु .	392.37	..	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 392.37 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 32 – महिला एवं बाल विकास विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2059. लोक निर्माण कार्य,  
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और  
2236. पोषण

पूंजी - 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	26,36,33,35	26,90,08,88	21,75,88,56	- 5,14,20,32
अनुपूरक	53,75,53			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5,12,46,44
<b>प्रभारित</b>				
मूल	24	3,83	2,25	- 1,58
अनुपूरक	3,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,58
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	13,40,05	28,24,11	24,55,48	- 3,68,63
अनुपूरक	14,84,06			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3,68,63

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. जुलाई, 2023 (₹ 3,037.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 2,338.53 लाख) में लिया गया ₹ 5,375.53 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 51,420.32 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 173.88 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 32 –(क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(25) मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	200.00		
पु .	- 183.55	16.45	+ 0.01

31 मार्च 2024 को ₹ 183.55 लाख का प्रावधान (i) विधानसभा और संसदीय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से संविदाकर्मियों को काम पर न रखना तथा विज्ञापन और प्रचार पर व्यय न होने, (ii) मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के अन्तर्गत नया पोर्टल तैयार नहीं करने तथा (iii) विधानसभा और संसदीय चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशिक्षण एवं मानदेय पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[26] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू .	21,800.00		
पु .	- 7,976.16	13,823.84	13,816.64

31 मार्च 2024 को ₹ 7,976.16 लाख का प्रावधान विधानसभा और संसदीय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से भुगतान पर प्रतिबंध के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के व्यक्तिगत जमा खाते में निधियों के हस्तान्तरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 7,462.35 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 513.81 लाख) किया गया।

₹ 7.20 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[03] कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण			
मू .	3,800.00		
पु .	- 867.88	2,932.12	2,931.98

31 मार्च 2024 को ₹ 867.88 लाख का प्रावधान शिक्षा सेतु योजना के बिलो का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से भुगतान नहीं किये जाने तथा कुछ जिलों द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण के बिलो का आहरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 32 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[06] स्वास्थ्य जागरूकता एवं निशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण (उडान)			
मू.	34,000.00	26,546.37	26,534.58
पु.	- 7,453.63		- 11.79

31 मार्च 2024 को ₹ 7,453.63 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिलों के पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक विलियर्सिंग सर्विस के माध्यम से राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निधियां हस्तान्तरित नहीं करने तथा राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम को हस्तान्तरित की जाने वाली निधियों के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 11.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	40,000.00	35,195.34	35,190.11
पु.	- 4,804.66		- 5.23

31 मार्च 2024 को ₹ 4,804.66 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 5.23 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] एकीकृत बाल विकास योजना			
मू.	13,393.48	14,591.14	14,591.13
अ.	2,887.00		- 0.01
पु.	- 1,689.34		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा पोषण हेतु सामग्री के क्रय हेतु लिया गया ₹ 2,887.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,689.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना			
मू.	2,540.00	..	..
पु.	- 2,540.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 2,540.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



अनुदान संख्या 32 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[18] प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना(पी.एम.एम.वी.वाई.)			
मू .	13,371.61		
अ.	2,338.53	7,888.76	7,888.74
पु .	- 7,821.38		- 0.02

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा सामग्री हेतु लिया गया ₹ 2,338.53 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 7,821.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण  
101. विशेष पोषण कार्यक्रम  
(02) इन्दिरा महिला शक्ति योजना  
[01] आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरण

मू .	3,636.60			
पु .	- 3,335.75	300.85	300.85	..

31 मार्च 2024 को ₹ 3,335.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण  
101. विशेष पोषण कार्यक्रम  
(03) इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना  
(आईजीएमपीवाई)  
[01] आईसीडीएस के माध्यम से

मू .	8,050.00			
पु .	- 5,419.75	2,630.25	2,630.24	- 0.01

31 मार्च 2024 को ₹ 5,419.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण  
101. विशेष पोषण कार्यक्रम  
(04) प्रियदर्शिनी डे-केयर योजना  
[01] समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर

मू .	1,200.00			
पु .	- 1,200.00	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,200.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रियदर्शिनी डे-केयर योजना शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 32 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू .	99,315.25	89,057.93	89,057.93
पु .	- 10,257.32		..
₹ 10,257.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] महिला कल्याण कोष			
मू .	503.20	396.66	396.66
पु .	- 106.54		..
31 मार्च 2024 को ₹ 106.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[01] संस्थापन व्यय हेतु			
मू	3,932.00	4,487.68	4,486.20
पु .	555.68		- 1.48
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 555.68 लाख की अतिरिक्त निधियां महिला सहायिका (साथिन) की संख्या में वृद्धि से उनके मानदेय के भुगतान पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गई।			

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[14] महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र को अनुदान			
मू	90.00	572.92	572.92
अ.	150.00		..
पु .	332.92		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 332.92 लाख की अतिरिक्त निधियां महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों की संख्या 41 से बढ़ाकर 205 करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 32 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[23] बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ			
मू.	414.26	675.00	675.00
पु .	260.74		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 260.74 लाख की अतिरिक्त निधियां बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत सरकार से निधियों के प्राप्त होने और समस्त प्रावधान सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में हस्तान्तरित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[30] वन स्टॉप सेन्टर			
मू.	0.01	472.50	472.50
पु .	472.49		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 472.49 लाख की अतिरिक्त निधियां वन स्टॉप सेन्टर के तहत भारत सरकार से निधियों के प्राप्त होने और समस्त प्रावधान सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में हस्तान्तरित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			
मू .	1,224.00	2,040.00	2,040.00
पु .	816.00		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 816.00 लाख की अतिरिक्त निधियां ऋण अनुदान के लिए अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[04] जागरूकता हेतु शिक्षा			
मू .	204.00	670.67	670.65
पु .	466.67		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 466.67 लाख की अतिरिक्त निधियां विभागीय कार्यक्रम और गतिविधियों के लिए आईईसी मीडिया योजना के अनुमोदन के कारण विज्ञापन और प्रचार पर होने वाले व्यय की पूति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

### अनुदान संख्या 32 -(क्रमशः)

4. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[29] संस्थापन व्यय हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	1,869.02		
पु.	333.47		
		2,202.49	2,059.89
			- 142.60

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 333.47 लाख की अतिरिक्त निधियां संस्थापन व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। जिसके तथा ₹ 142.60 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

#### पूँजी

दत्तमत

- ₹ 368.63 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,484.06 लाख का प्रावधान अत्यधिक था
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूँजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(03) भवन निर्माण			
मू.	500.00		
पु.	- 474.62		
		25.38	25.38
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 474.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 90.90 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 383.72 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
800. अन्य व्यय
- (10) आगंनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रखरखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत

मू.	420.02		
अ.	1,237.78	1,380.10	1,380.10
पु.	- 277.70		

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों हेतु लिया गया ₹ 1,237.78 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 277.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 32 -(समाप्त)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2 ) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूँजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(09) आगंनबाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	420.00		
अ.	246.28	1,050.00	1,050.00
पु .	383.72		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 383.72 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024 )।

अनुदान संख्या 33 – सैनिक कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,  
2075. विविध सामान्य सेवाएं और  
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पूंजी – 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	75,82,29	86,89,07	- 13,91,26
अनुपूरक	11,06,78		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			13,91,12
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,33,84	5,33,84	- 2,59,66
अनुपूरक	1,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			2,59,67

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,106.78 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2075. विविध सामान्य सेवाएं			
104. विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार			
(01) सैन्य कर्मचारी वर्ग को वीरता के लिए पारितोषिक-प्रतिबद्ध			
मू .	2,000.00	1,058.00	..
पु .	- 942.00		

₹ 2,000.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सेना के जवानों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाना अनुमानित था। यद्यपि, प्रकरणों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 942.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 919.74 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 22.26 लाख) किया गया।

## अनुदान संख्या 33 - (समाप्त)

### पूँजी

#### दत्तमत

1. जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 100.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[01] युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र का भवन निर्माण			
मू .	65.82	..	..
पु .	- 65.82	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 65.82 लाख का समस्त प्रावधान कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[02] सैनिक विश्राम गृह का निर्माण			
मू .	368.01		
अ .	100.00	274.17	274.18 + 0.01
पु .	- 193.84		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 100.00 लाख का प्रावधान सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 193.84 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के कारण राज्य सरकार से लघु कार्यों की ऑनलाईन स्वीकृति नहीं मिलने तथा वृहद् कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 34- श्रम एवं रोजगार विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य और  
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास  
पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और  
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	16,58,02,23	16,86,36,23	15,77,97,81	- 1,08,38,42
अनुपूरक	28,34,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,07,82,53
<b>प्रभारित</b>				
मूल	5	5	..	- 5
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,36,06,66	1,36,06,66	65,32,81	- 70,73,85
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				70,73,85

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 (₹ 2,331.10 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 502.90 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,834.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 10,838.42 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 55.89 लाख अन्अभ्यर्पित रही।



### अनुदान संख्या 34-(क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
(03) भरपाई (लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री के नियुक्ताओं के सहित)- प्रतिबद्ध			
मू .	2,200.00		
पु .	- 600.32	1,599.68	1,599.68 ..

31 मार्च 2024 को ₹ 600.32 लाख का प्रावधान बीमाकर्ता द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले वास्तविक दावों का अनुमान नहीं लगाने और निदेशालय स्तर पर दवाओं के खरीदने एवं बीमाकर्ता को उपलब्ध कराने के कारण कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, हीमोफिलिया जैसी गंभीर बीमारियों के प्रतिपूर्ति दावों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास

01. श्रम

103. सामान्य श्रम कल्याण

(12) मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सम्बल योजना

[01] आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर

मू .	1,300.00			
पु .	- 1,300.00	..	..	..

₹ 1,300.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सम्बल योजना के अन्तर्गत बजट उद्घोषणा की अनुपालना में पंजीकृत श्रमिकों एवं पथ विक्रेताओं को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान दैनिक मजदूरी की हानि होने पर बिना किसी आवेदन के अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन ₹ 200 की दैनिक मजदूरी उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, 31 मार्च 2024 ₹ 1,300.00 लाख का समस्त प्रावधान अगले निर्देशों तक योजना पर आगे की कार्यवाही स्थगित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. श्रम

103. सामान्य श्रम कल्याण

(14) गिग वर्कर्स कल्याण योजना

[01] आयुक्त श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर

मू .	1,600.00			
पु .	- 1,600.00	..	..	..

₹ 1,600.00 लाख का प्रावधान बजट उद्घोषणा की अनुपालना में सभी गिग वर्कर्स को हेलमेट, ड्रेस, जूते आदि के लिए ₹ 5,000 की एकमुश्त सहायता हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, 31 मार्च 2024 को ₹ 1,600.00 लाख का समस्त प्रावधान विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 34-(क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
101. रोजगार सेवाएं			
(01) सामान्य कार्यालय			
मू .	349.01		
अ .	2,290.00	1,639.13	1,636.81
पु .	- 999.88		- 2.32

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा त्योहारों और प्रदर्शनियों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,290.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 999.88 लाख का प्रावधान अक्टूबर, 2023 से विधानसभा आचार संहिता लागू होने के कारण लक्षित सर्व मेगा जाँब फेयर का आयोजन नहीं होने तथा इसके बाद शेष अवधि के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 02. रोजगार सेवाएं
- 190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
- (01) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
- [01] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)

मू .	5,150.00			
पु .	- 2,404.00	2,746.00	2,746.00	..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,404.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 20.70 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,383.30 लाख) किया गया , जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 03. प्रशिक्षण
- 003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण
- (08) शिल्प प्रशिक्षण योजना
- [01] शिल्प प्रशिक्षण योजना- प्रतिबद्ध

मू .	13,941.63			
पु .	- 1,547.33	12,394.30	12,394.33	+ 0.03

₹ 1,547.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों के अन्य अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों में स्थानान्तरण होने से वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) नये निर्धारित मापदण्ड एवं नयी दरों के आधार पर मानदेय का भुगतान किये जाने तथा अतिथि प्रशिक्षकों की संख्या अपेक्षा से कम होने के कारण मानदेय पर कम व्यय होने तथा (iii) अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं में सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना से विद्युत पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

- 03. प्रशिक्षण
- 101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
- (04) स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेन्थिंग फॉर इण्डस्ट्रीयल वैल्यू एन्हेसमेंट)
- [01] कौशल संवर्धन

मू .	1,200.00			
पु .	- 450.00	750.00	750.00	..

31 मार्च 2024 को ₹ 450.00 लाख का प्रावधान सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में पचास प्रतिशत से अधिक निधियां उपलब्ध होने से भारत सरकार द्वारा दूसरी किश्त जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 34-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
03. प्रशिक्षण			
102. प्रशिक्षु प्रशिक्षण			
(03) महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केन्द्र योजना			
[01] तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर			
मू .	650.00	..	..
पु .	- 650.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 650.00 लाख का समस्त प्रावधान समग्र शिक्षा में उपलब्ध निधियों को महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केन्द्र योजना की स्थापना के लिए दिये जाने के निर्णय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
01. श्रम			
101. औद्योगिक सम्बन्ध			
(03) चलिष्णु औद्योगिक न्यायालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,070.98	1,209.67	+ 0.01
पु .	138.69		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 138.69 लाख की अतिरिक्त निधियां न्यायाधीशों को जनवरी, 2016 से देय सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान करने और अवकाश यात्रा रियायत दावों के बिलों के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी ।

03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू .	3,863.11	4,674.09	..
पु .	810.98		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 810.98 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान करने, (ii) यात्रा व्यय के लम्बित बिलों का भुगतान करने, (iii) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य हेतु अनुदेशकों के रिक्त पदों पर पदस्थापित गेस्ट फैकल्टी को मानदेय का भुगतान करने, (iv) बिजली टैरिफ की दरों में वृद्धि और आई.टी.आई. को अपने भवन में स्थानान्तरित करने के कारण बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान करने और (v) संविदा सेवाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

## अनुदान संख्या 34-(समाप्त)

## पूँजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	10,000.00	3,366.65	3,366.65
पु .	- 6,633.35		..
31 मार्च 2024 को ₹ 6,633.35 लाख का प्रावधान अक्टूबर, 2023 में विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण वित्त विभाग द्वारा पूल बजट से निधियां हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 6,621.61 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 11.74 लाख) किया गया। प्रस्ताव फिर से वित्त विभाग को भेजा गया था लेकिन संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण पूल बजट से निधियों का हस्तान्तरण नहीं हुआ।			
203. रोजगार			
(04) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र एवं उपकरण			
मू .	3,000.00	2,661.28	2,661.28
पु .	- 338.72		..

31 मार्च 2024 को ₹ 338.72 लाख का प्रावधान फर्म द्वारा देरी से आपूर्ति किये गये उपकरणों पर लिक्विडेटेड हर्जाना (एलडी) लगाये जाने और वित्त विभाग द्वारा क्रय आदेश जारी करने पर लगाई गयी रोक जिसके फलस्वरूप निविदाएं आमंत्रित करने के बाद आदेश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

### अनुदान संख्या 35 – अल्पसंख्यक मामलात विभाग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व –2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2202. सामान्य शिक्षा,  
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,  
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण और  
 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं  
 पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर  
 पूंजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े  
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय और  
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े  
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
दत्तमत			
मूल	1,90,68,16		
अनुपूरक	76,89,78	2,67,57,94	1,86,20,03 - 81,37,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			81,37,88
<b>पूंजी</b>			
दत्तमत			
मूल	3,19,41,75		
अनुपूरक	..	3,19,41,75	1,34,24,85 - 1,85,16,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			1,85,16,89

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 7,689.78 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

## अनुदान संख्या 35 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(05) मरदसा स्कूल			
मू .	9,000.01		
अ .	4,624.80	11,844.00	11,844.00
पु .	- 1,780.81		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मदरसों को सहायतार्थ अनुदान देने हेतु लिया गया ₹ 4,624.80 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,780.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,706.25 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 74.56 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 800. अन्य व्यय
- (08) मरदसा स्कूल

मू .	240.00		
अ .	200.00	240.00	240.00
पु .	- 200.00		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मदरसों को सहायतार्थ अनुदान देने हेतु लिया गया ₹ 200.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 04. अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 102. आर्थिक विकास
- (01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से
- [01] अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिये रोजगार उन्मुखी/स्वरोजगार योजना

मू .	300.00		
पु .	- 200.00	100.00	100.00

31 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 04. अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 102. आर्थिक विकास
- (01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से
- [03] अल्पसंख्यक विकास निधि

मू .	430.00		
पु .	- 297.54	132.46	132.46

31 मार्च 2024 को ₹ 297.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 35 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(05) राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग			
[01] राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान			
मू .	393.00		
अ.	200.00	80.00	80.00
पु .	- 513.00		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग को सहायतार्थ अनुदान हेतु लिया गया ₹ 200.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 513.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] अनुप्रति योजना हेतु अनुदान			

मू .	1,000.00		
पु .	- 396.61	603.39	603.39

31 मार्च 2024 को ₹ 396.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[02] राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति			

मू .	125.00		
पु .	- 125.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 125.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास			

मू .	472.61		
अ.	100.00	331.87	331.87
पु .	- 240.74		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 100.00 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 240.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 35 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[09] अल्पसंख्यक बालक छात्रावास संचालन			
मू .	1,000.00		
अ .	100.00	557.57	..
पु .	- 542.43	557.57	

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 100.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 542.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[13] अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय संचालन			
मू .	2,000.00		
अ .	1,999.98	2,198.30	..
पु .	- 1,801.68	2,198.30	

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,999.98 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,801.68 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना			
[01] अल्प संख्यक वर्ग छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू .	930.00		
अ .	465.00	..	..
पु .	- 1,395.00	..	..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा अल्पसंख्यक छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु लिया गया ₹ 465.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 1,395.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) उपसचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान			
मू .	267.25		
पु .	- 243.60	23.65	..

31 मार्च 2024 को ₹ 243.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 35 - (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय (₹ लाख में)</b>	<b>आधिक्य + बचत -</b>
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[02] प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम			
मू.	8,397.92		
पु.	- 5,154.15	3,243.77	3,243.76
			- 0.01
31 मार्च 2024 को ₹ 5,154.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	4,490.00		
पु.	- 2,490.01	1,999.99	1,999.99
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,490.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण			
मू.	150.00		
पु.	- 150.00	..	..
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[04] अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय भवन निर्माण			
मू.	11,000.00		
पु.	- 7,000.00	4,000.00	4,000.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 7,000.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

अनुदान संख्या 35 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(03) अल्पसंख्यक बस्तियों में आधारभूत संरचना			
[01] आधारभूत संरचना के विकास कार्य			
मू .	3,900.00		
पु .	- 2,735.39	1,164.61	1,164.61
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,735.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(03) अल्पसंख्यक बस्तियों में आधारभूत संरचना			
[02] जनसहभागिता के आधार पर विकास कार्य			
मू .	950.00		
पु .	- 913.20	36.80	36.80
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 913.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 36 – आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग**  
**मुख्य शीर्ष : राजस्व -2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं और**  
**2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत**  
**पूंजी -4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**  
**कुल अनुदान या वास्तविक**  
**विनियोग व्यय**  
**(₹ सहस्र में)**

				आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	50,89,98,94			
अनुपूरक	8,50,91,75	59,40,90,69	41,03,76,39	- 18,37,14,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				18,01,84,96
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2			
अनुपूरक	..	2	..	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	9,10,17			
अनुपूरक	..	9,10,17	..	- 9,10,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				9,10,17

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:****राजस्व****दत्तमत**

1. फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 85,091.75 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. अनुदान के अन्तर्गत ₹ 1,83,714.30 लाख की अंतिम बचत में राजकीय खाते में आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा जमा की गयी अव्ययित राशि ₹ 3,598.22 लाख शामिल हैं।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
106. सिविल रक्षा				
(02) अग्नि सेवा-प्रतिबद्ध				
मू.	949.95			
पु.	- 395.08	554.87	554.88	+ 0.01

₹ 395.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i)(अ) 123 पदों के रिक्त रहने और (ब) सेवानिवृत्ति पर तीन कार्मिकों का सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण मानदेय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 36 -(क्रमशः)  
कुल अनुदान

शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
106. सिविल रक्षा		
(03) सिविल सुरक्षा		
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध		
मू.	2,708.48	
पु.	- 552.40	
₹ 552.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 154 पदों के रिक्त रहने तथा चार कार्मिकों के अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) स्वयंसेवकों के समूह बीमा की कमी, (iii) 34 ड्राईवरो का भुगतान मुख्य शीर्ष 2245-''प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत'' के माध्यम से होने से मानदेय पर कम व्यय होने तथा (iv) भवन का किराया जमा नहीं होने को आरोपित की गयी।	2,156.08	2,155.82
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
01. सूखा		
102. पीने के पानी की पूर्ति		
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति		
[04] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल पूर्ति		
मू.	5,000.00	
पु.	- 2,936.17	
31 मार्च 2024 को ₹ 2,936.17 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।	2,063.83	2,063.82
01. सूखा		
104. चारे की पूर्ति		
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति		
[01] यातायात		
मू.	3,000.02	
पु.	- 2,875.75	
31 मार्च 2024 को ₹ 2,875.75 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।	124.27	121.55
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
01. सूखा		
104. चारे की पूर्ति		
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति		
[04] पशु शिविर/गौशाला		
मू.	3,000.00	
पु.	- 2,914.81	
31 मार्च 2024 को ₹ 2,914.81 लाख का प्रावधान सूखे के तहत आवश्यकतानुसार पशु शिविरों/गौशाला में चारे की पूर्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।	85.19	82.35
01. सूखा		
800. अन्य व्यय		
(03) राहत कार्यों पर व्यय		
[02] अग्नि सहायता		
मू.	2,000.00	
पु.	- 1,595.86	
31 मार्च 2024 को ₹ 1,595.86 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।	404.14	403.35

**अनुदान संख्या 36 –(क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[04] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	16,218.00		
		6,407.83	
पु.	- 9,810.17	6,407.83	..
31 मार्च 2024 को ₹ 9,810.17 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सर्च, रेस्क्यू एवं संचार आदि के लिए उपाय एवं उपकरणों की खरीद के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[05] कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमान्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान			
मू.	27,119.82		
		887.49	
पु.	- 26,232.33	729.71	- 157.78
31 मार्च 2024 को ₹ 26,232.33 लाख का प्रावधान सूखे से फसलों को नुकसान हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 157.78 लाख की अन्तिम बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अवशेष राशि को जमा कराने के कारण रही।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[06] लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान			
मू.	20,000.00		
		1,658.26	
पु.	- 18,341.74	1,124.37	- 533.89
31 मार्च 2024 को ₹ 18,341.74 लाख का प्रावधान सूखे से फसलों को नुकसान हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों के लिए कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 533.89 लाख की अन्तिम बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अवशेष राशि को जमा कराने के कारण रही।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[07] प्रशिक्षण व्यय			
मू.	1,000.00		
		41.68	
पु.	- 958.32	41.68	..
31 मार्च 2024 को ₹ 958.32 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण पर आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)  
कुल अनुदान

शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
01. सूखा		
800. अन्य व्यय		
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस		
[01] आपात परिचालन केन्द्रों की स्थापना/सुदृढीकरण		
मू.	2,001.00	
पु.	- 1,939.45	
01. सूखा	61.55	61.54
800. अन्य व्यय		- 0.01
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस		
[04] आपदा प्रबन्धन योजनाओं का निर्माण		
मू.	1,400.00	
पु.	- 1,007.65	
01. सूखा	392.35	392.13
800. अन्य व्यय		- 0.22
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस		
[04] आपदा प्रबन्धन योजनाओं का निर्माण		
मू.	1,400.00	
पु.	- 1,007.65	
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 2,947.10 लाख का प्रावधान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस पर कम व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।		
02. बाढ़, चक्रवात आदि		
101. आनुग्रहिक राहत		
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत		
[01] अन्य मद		
मू.	6,000.00	
पु.	- 6,000.00	
02. बाढ़, चक्रवात आदि	..	- 8.08
101. आनुग्रहिक राहत		- 8.08
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत		
[01] अन्य मद		
मू.	6,000.00	
पु.	- 6,000.00	
31 मार्च 2024 को ₹ 6,000.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।		
₹ 8.08 लाख का ऋणात्मक व्यय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष की अवशेष राशि जमा कराने के कारण था।		
02. बाढ़, चक्रवात आदि		
101. आनुग्रहिक राहत		
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत		
[05] कपड़े एवं बर्तन		
मू.	1,000.00	
पु.	- 979.44	
02. बाढ़, चक्रवात आदि	20.56	11.27
101. आनुग्रहिक राहत		- 9.29
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत		
[05] कपड़े एवं बर्तन		
मू.	1,000.00	
पु.	- 979.44	
31 मार्च 2024 को ₹ 979.44 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।		
₹ 9.29 लाख की अन्तिम बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अवशेष राशि जमा कराने के कारण रही।		
02. बाढ़, चक्रवात आदि		
101. आनुग्रहिक राहत		
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत		
[06] आवश्यक वस्तुओं एवं भोजन हेतु राहत		
मू.	100.00	
पु.	- 100.00	
02. बाढ़, चक्रवात आदि	..	..
101. आनुग्रहिक राहत		..
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत		
[06] आवश्यक वस्तुओं एवं भोजन हेतु राहत		
मू.	100.00	
पु.	- 100.00	
31 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।		

## अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
[01] सड़कों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
मू.	35,429.20		
पु.	- 31,522.83		
31 मार्च 2024 को ₹ 31,522.83 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।		3,906.37	3,896.50 - 9.87
₹ 9.87 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अवशेष राशि जमा करा के कारण रही।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
[02] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	1,001.00		
पु.	- 659.06		
31 मार्च 2024 को ₹ 659.06 लाख का प्रावधान आवश्यकतानुसार सर्च रेस्क्यू एवं संचार उपाय एवं उपकरणों का क्रय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।		341.94	341.74 - 0.20
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी			
(02) बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
[01] बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
मू.	600.00		
पु.	- 439.96		
31 मार्च 2024 को ₹ 439.96 लाख का प्रावधान बाढ़ से जनहानि पर आवश्यकतानुसार अनुग्रह सहायता पर व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।		160.04	160.04 ..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[01] पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	1,000.00		
पु.	- 972.51		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[02] पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	1,000.00		
पु.	- 772.91		
		227.09	184.50 - 42.59

## अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[03] पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपडी			
मू .	400.00		
		1.48	
पु .	- 398.52		
		1.49	+ 0.01
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[04] गम्भीर क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू .	2,000.00		
		18.65	
पु .	- 1,981.35		
		16.13	- 2.52
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[05] गम्भीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू .	2,000.00		
		8.93	
पु .	- 1,991.07		
		2.42	- 6.51
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[06] गम्भीर क्षतिग्रस्त झोपडी			
मू .	400.00		
		0.08	
पु .	- 399.92		
		0.08	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[07] आंशिक क्षतिग्रस्त घर			
मू .	1,000.00		
		371.09	
पु .	- 628.91		
		353.77	- 17.32

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 7,145.19 लाख का प्रावधान बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की आवश्यकतानुसार मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु दी गई सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "2245-02-113(09) [02], [04], [05] तथा [07]" के अंतर्गत ₹ 68.94 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अव्ययित राशि जमा कराने के कारण रही।



## अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(09) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू .	10,000.00		
अ.	40,000.00	39,569.29	38,925.14
पु .	- 10,430.71		- 644.15

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बाढ़ से हुई फसलों की हानि पर कृषकों को अनुदान हेतु लिया गया ₹ 40,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 10,430.71 लाख का प्रावधान बाढ़ से फसलों को नुकसान हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 644.15 लाख की अन्तिम बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अव्ययित राशि जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(10) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू .	20,000.00		
पु .	- 3,553.98	16,446.02	16,197.52
			- 248.50

31 मार्च 2024 को ₹ 3,553.98 लाख का प्रावधान बाढ़ से फसलों को नुकसान हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 248.50 लाख की अन्तिम बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अव्ययित राशि जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़, चक्रवात आदि			
117. पशुधन के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता			
मू .	400.00		
पु .	- 297.97	102.03	101.64
			- 0.39

31 मार्च 2024 को ₹ 297.97 लाख का प्रावधान बाढ़ से हानि होने पर आवश्यकतानुसार किसानों को पशुधन क्रय हेतु सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(02) बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता			
मू.	1,000.00	70.21	70.22 + 0.01
पु.	- 929.79		
31 मार्च 2024 को ₹ 929.79 लाख का प्रावधान बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(07) बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य			
[01] दवाईयों की पूर्ति			
मू.	0.02	..	- 1,228.53 - 1,228.53
पु.	- 0.02		
₹ 1,228.53 लाख का ऋणात्मक व्यय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष की अव्ययित राशि जमा कराने के कारण रहा।			
08. राज्य आपदा मितिगेशन निधि			
101. आपदा मितिगेशन निधि			
(01) राज्य आपदा मितिगेशन निधि से संचालित योजनाएं			
[01] लोक स्वास्थ्य			
मू.	10,000.00	..	..
पु.	- 10,000.00		
08. राज्य आपदा मितिगेशन निधि			
101. आपदा मितिगेशन निधि			
(01) राज्य आपदा मितिगेशन निधि से संचालित योजनाएं			
[02] अग्नि से बचाव एवं रोकथाम			
मू.	10,000.00	..	..
पु.	- 10,000.00		
08. राज्य आपदा मितिगेशन निधि			
101. आपदा मितिगेशन निधि			
(01) राज्य आपदा मितिगेशन निधि से संचालित योजनाएं			
[03] सूखा की रोकथाम एवं बचाव			
मू.	10,000.00	..	..
पु.	- 10,000.00		

## अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
08. राज्य आपदा मिटिगेशन निधि			
101. आपदा मिटिगेशन निधि			
(01) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि से संचालित योजनाएं			
[04] बाढ़, ओलावृष्टि आदि से बचाव एवं रोकथाम			
मू.	13,560.01	..	..
पु.	- 13,560.01		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 43,560.01 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ से प्रभावित निर्माण कार्यों एवं खराब सिंचाई हेतु आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण			
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि			
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि के बजट			
शीर्ष 8235-00-200-(09)-[01] में अंतरण (सामान्य)			
मू.	34,345.00	..	..
पु.	- 34,345.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 34,345.00 लाख का समस्त प्रावधान प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा राहत निधि को निधियों के हस्तान्तरण हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निदेशन-प्रतिबद्ध			
मू.	1,009.84	854.48	854.42 - 0.06
पु.	- 155.36		
₹ 155.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(10) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत			
निधि संचालित योजनाएं			
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा			
मू.	34,345.00	66.64	66.64 ..
पु.	- 34,278.36		
31 मार्च 2024 को ₹ 34,278.36 लाख का प्रावधान जिलो से कम मांग प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 31,575.48 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 2,702.88 लाख) किया गया।			

### अनुदान संख्या 36 – (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[08] आवश्यक वस्तुओं की हवाई आपूर्ति			
मू .	0.02		
पु .	119.97	119.99	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 119.97 लाख की अतिरिक्त निधियां सरिस्का बाघ परियोजना रेंज में अलवर जिले के अकबरपुर के पास जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त वायु सेना के हेलीकॉप्टरों को भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
109. खराब जलपूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(02) बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
[01] बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
मू .	0.02		
पु .	146.67	146.69	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 146.67 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की आवश्यकतानुसार मरम्मत के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू .	5,000.00		
पु .	3,910.62	8,816.33	- 94.29
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,910.62 लाख की अतिरिक्त निधियां ओलावृष्टि के कारण हुई फसल हानि के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को आवश्यकतानुसार कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, ₹ 94.29 लाख की अंतिम बचत थी जो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अव्ययित राशि को जमा कराने के कारण रही।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू .	5,000.00		
पु .	1,740.82	6,727.09	- 13.73
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,740.82 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ के कारण हुई फसल हानि के लिए आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों के लिए कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी। ₹ 13.73 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अव्ययित राशि जमा कराने के कारण रही।			

**अनुदान संख्या 36 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू .	0.02		
अ .	5,091.77	45,366.20	45,133.75 - 232.45
पु .	40,274.41		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,274.41 लाख की अतिरिक्त निधियां क्रमशः पाला तथा शीतलहर के कारण फसल हानि पर कृषकों को आवश्यकतानुसार कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, ₹ 232.45 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं सवितरण अधिकारियों द्वारा अव्ययित राशि को जमा कराने के कारण रही।			
05. राज्य आपदा मोचन निधि			
101. आरक्षित निधियों और जमा लेखों का अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि			
(03) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि का बजट शीर्ष 8121-00-130-(01) को स्थानान्तरण			
[01] केन्द्र का हिस्सा			
मू .	32,670.00	47,460.00	47,460.00 ..
पु .	14,790.00		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,790.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य आपदा मिटिगेशन निधि में केन्द्रीय निधि के हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. राज्य आपदा मोचन निधि			
101. आरक्षित निधियों और जमा लेखों का अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि			
(03) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि का बजट शीर्ष 8121-00-130-(01) को स्थानान्तरण			
[02] राज्य का हिस्सा			
मू .	10,890.00	15,800.00	15,800.00 ..
पु .	4,910.00		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,910.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य आपदा मिटिगेशन निधि में राज्य निधि के हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
<b>5. राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.):</b> - पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष के लिए अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में मौजूदा राज्य आपदा मोचन निधि को जारी रखते हुए राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) के सृजन की अनुशंसा की गयी थी जिन्हें साथ में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एस.डी.आर.एम.एफ.) कहा जाएगा। एस.डी.आर.एफ. और एस.डी.एम.एफ. के कुल पूंजी की संबंधित निधि में केन्द्र और राज्य सरकार के 75:25 के अनुपात की वर्तमान लागत साझाकरण व्यवस्था को जारी रखने की अनुशंसा की गयी। दोनों ही निधियों को, वर्तमान अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज क्रेडिट करने एवं अनिवेशित राशि पर ब्याज देने की मौजूदा व्यवस्था के साथ ब्याज धारक निधि में रखा जायेगा। एस.डी.एम.एफ. में 31.3.2020 को अंतिम शेष 2021-22 के लिए प्रारम्भिक शेष के रूप में एस.डी.एम.एफ. को स्थानान्तरित किया जाएगा और इसी तरह 2025-26 तक।			
2023-24 के दौरान ₹ 1,74,240.00 लाख को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101(02)-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नाम की गई। केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार को राज्य आपदा मिटिगेशन निधि के तहत भारत सरकार से ₹ 48,240.00 लाख प्राप्त हुए। प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 1,69,136.82 लाख (निवल) को वर्ष के दौरान एस.डी.आर.एफ. से पूरित किया गया।			
31 मार्च 2024 को ₹ 3,49,397.76 लाख का शेष (ब्याज सहित) तथा क्रमशः एसडीआरएफ एवं एसडीएमएफ के अन्तर्गत ₹ 1,53,312.08 लाख अव्ययित रहा।			
उपरोक्त निधियों के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2023-24 के विवरण संख्या 14,15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।			

### अनुदान संख्या 37 – देवस्थान विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं और  
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को  
क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन  
पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	54,92,84		
अनुपूरक	23,61,21	78,54,05	69,51,78 - 9,02,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			8,61,75
<b>प्रभारित</b>			
मूल	2		
अनुपूरक	..	2	.. - 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			2
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	22,00,00		
अनुपूरक	..	22,00,00	14,56 - 21,85,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			21,85,44

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 902.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 100.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 2,261.21 लाख) में लिया गया ₹ 2,361.21 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 902.27 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 40.52 लाख की अनुअभ्यर्पित रही।

### अनुदान संख्या 37 – (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. धार्मिक तथा पूर्त अक्षयनिधि अधिनियमों का प्रशासन			
(01) देवस्थान तथा धर्मपुरा-प्रतिबद्ध			
मू .	2,346.45		
पु .	- 518.00	1,828.45	1,827.85
			- 0.60

₹ 518.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अन्य विभागों में स्थानान्तरण पर पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) अंशकालिक पुजारियों के पद रिक्त रहने के कारण कार्यालय खर्चों पर कम व्यय होने तथा विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण विशेष उत्सवों का आयोजन नहीं होने को आरोपित की गयी ।

#### पूँजी

##### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रियों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	2,000.00		
पु .	- 1,985.44	14.56	14.56
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,985.44 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं कराये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय

(03) तीर्थ यात्रियों के लिए विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य

मू .	200.00			
पु .	- 200.00	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान विभाग में तकनीकी विंग की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 38 – सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2220. सूचना तथा प्रचार

पूंजी – 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,43,95,68	3,63,33,48	3,53,86,12	- 9,47,36
अनुपूरक	2,19,37,80			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				9,47,34
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1

### पूंजी

<b>दत्तमत</b>				
मूल	14,22,73	14,22,73	1,48,68	- 12,74,05
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				12,74,05

### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 947.36 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 21,937.80 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा स्थापना, प्रशासनिक कार्य, विज्ञापन आदि पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 5,927.80 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार				
60. अन्य				
102. सूचना केन्द्र				
(01) सामान्य सूचना सेवायें				
[01] जिला स्तरीय संस्थापन-प्रतिबद्ध				
मू .	655.32	553.22	553.21	- 0.01
अ .	0.10			
पु .	- 102.20			

31 मार्च 2024 को ₹ 102.20 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा विद्युत एवं जल शुल्क पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



अनुदान संख्या 38 – (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
101. भवन			
(02) अन्य कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	1,422.73		
		148.68	
पु .	- 1,274.05	148.68	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,274.05 लाख का प्रावधान (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया नक्शा स्वीकृत न होने के कारण निदेशालय, सूचना तथा जन सम्पर्क के मुख्यालय भवन के आधुनिकीकरण कार्य का निष्पादन शुरू न होने, (ii) सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा भूमि का आवंटन न होने के कारण जे एन वी मीडिया केन्द्र और हब की स्थापना न होने, (iii) निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण निर्माण के देरी से शुरू होने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण की धीमी प्रगति के कारण सूचना केन्द्र, जोधपुर के भवन निर्माण/मरम्मत/पुनरुद्धार का कम निष्पादन होने तथा (iv) हनुमानगढ़, अलवर, जालौर, श्रीगंगानगर और नागौर के सूचना केन्द्रों के संबंध में भवन निर्माण/मरम्मत/ पुनरुद्धार के लिए व्यय न होने/कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 39 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास**

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2059. लोक निर्माण कार्य और

2217. शहरी विकास

पूंजी - 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय और

6217. शहरी विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	16,51,80	16,51,80	15,31,86	- 1,19,94
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,19,91
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,53,41,59	2,53,41,61	13,54,00	- 2,39,87,61
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,39,87,61

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. .बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय				
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं				
051. निर्माण				
(08) राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना				
[02] नगरीय विकास एवं आवासन विभाग				
मू.	24,041.50	..	..	..
पु.	- 24,041.50			

31 मार्च 2024 को ₹ 24,041.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 22,687.51 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,353.99 लाख) किया गया , जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 39 -(समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(15) 3डी सिटी प्रोजेक्ट			
[01] नगरीय विकास एवं आवासन विभाग			
मू.	1,300.00	..	..
पु.	- 1,300.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(01) मेट्रो रेल प्रोजेक्ट			
[01] जयपुर मेट्रो रेल परियोजना			
मू.	0.01	1,354.00	..
पु.	1,353.99	1,354.00	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,353.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 40 – स्वायत्त शासन विभाग**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2217. शहरी विकास,  
 3055. सड़क परिवहन और  
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
 पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	60,36,50,98	69,14,53,54	51,11,21,01	- 18,03,32,53
अनुपूरक	8,78,02,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				18,03,36,41
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	43,36,33,40	43,94,73,90	20,16,31,84	- 23,78,42,06
अनुपूरक	58,40,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				23,79,10,17
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 1,80,332.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 25,607.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 62,195.56 लाख) में लिया गया ₹ 87,802.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था।
- ₹ 1,80,332.53 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 1,80,336.41 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	412.14		
पु.	- 274.76	137.38	137.38
31 मार्च 2024 को ₹ 274.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[08] जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	686.90	..	..
पु.	- 686.90	..	..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[11] कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	343.45	..	..
पु.	- 343.45	..	..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[17] उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	480.83	..	..
पु.	- 480.83	..	..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[20] भरतपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	274.76	..	..
पु.	- 274.76	..	..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 1,785.94 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 40 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[23] राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (सामान्य)			
अ .	5,000.00	..	..
पु .	- 5,000.00	..	..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को अनुदान हेतु लिया गया ₹ 5,000.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि 31 मार्च 2024 को समस्त प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य

001. निदेशन तथा प्रशासन

(06) स्थानीय निकायों के संचालक

[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	1,653.56	1,419.94	1,419.94	..
पु .	- 233.62			

₹ 233.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य

191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,  
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता

(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (सामान्य)

मू .	26,387.58	14,072.00	14,072.00	..
पु .	- 12,315.58			

31 मार्च 2024 को ₹ 12,315.58 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य

191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,  
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता

(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान (सामान्य)

मू .	1,388.74	..	..	..
पु .	- 1,388.74			

31 मार्च 2024 को ₹ 1,388.74 लाख का समस्त प्रावधान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 40 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (सामान्य)			
मू.	3,571.88		
अ.	19,870.12	19,869.65	..
पु.	- 3,572.35		

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी हेतु लिया गया ₹ 19,870.12 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 3,572.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[01] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	10,646.95		
अ.		1,751.59	..
पु.	- 8,895.36		

31 मार्च 2024 को ₹ 8,895.36 लाख का प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[04] मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	21,362.59		
अ.	20,195.41	20,194.86	..
पु.	- 21,363.14		

फरवरी, 2024 में केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित योजनाओं हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 20,195.41 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 21,363.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[07] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	2,908.70	1,360.88	1,360.88
पु.	- 1,547.82		..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[10] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	4,363.07	2,041.34	2,041.34
पु.	- 2,321.73		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 3,869.55 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[16] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (सामान्य)			
मू.	757.10	..	..
पु.	- 757.10		..
31 मार्च 2024 को ₹ 757.10 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(51) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार			
[01] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार (सामान्य)			
मू.	10,990.40	8,242.80	8,242.80
अ.	8,242.80		..
पु.	- 10,990.40		
जुलाई, 2023 में सड़कों की मरम्मत हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 8,242.80 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 10,990.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			



## अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(52) जयपुर हैरिटेज का संरक्षण			
[01] चारदीवारी क्षेत्र के भवनों का संरक्षण (सामान्य)			
मू.	240.00	..	..
पु.	- 240.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 240.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(53) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	4,121.00	..	..
पु.	- 4,121.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 4,121.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(54) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	1,724.13	..	..
पु.	- 1,724.13	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,724.13 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान-(सामान्य)			
मू.	69,804.51	47,296.45	47,300.33 + 3.88
पु.	- 22,508.06		
31 मार्च 2024 को ₹ 22,508.06 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान-(सामान्य)			
मू.	3,673.71	..	..
पु.	- 3,673.71		

31 मार्च 2024 को ₹ 3,673.71 लाख का समस्त प्रावधान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत अनुदान जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- (55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं
- [01] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान-(सामान्य)

मू.	26,600.53	12,596.92	12,596.92	..
पु.	- 14,003.61			

31 मार्च 2024 को ₹ 14,003.61 लाख का प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- (55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं
- [04] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान-(सामान्य)

मू.	39,900.78			
अ.	18,896.22	18,895.37	18,895.37	..
पु.	- 39,901.63			

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति हेतु लिया गया ₹ 18,896.22 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 39,901.63 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 39,131.36 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 770.27 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[07] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता-(सामान्य)			
मू.	1,808.03		
पु.	- 286.68	1,521.35	1,521.35

31 मार्च 2024 को ₹ 286.68 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- (55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं
- [10] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (सामान्य)

मू.	6,923.81			
पु.	- 6,923.81	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 6,923.81 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- (56) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार
- [01] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार (सामान्य)

मू.	16,485.60			
अ.	12,364.20	12,364.20	12,364.20	..
पु.	- 16,485.60			

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति हेतु लिया गया ₹ 12,364.20 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 16,485.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(57) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	9,617.00	..	..
पु.	- 9,617.00	..	..
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(60) मध्यम शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	500.00	..	..
पु.	- 500.00	..	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 10,117.00 लाख का समस्त प्रावधान नयी योजनाएं शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(61) विकास कार्यों हेतु नगरीय निकायों के लिए विशेष अनुदान			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	1,300.00	..	..
पु.	-1,300.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,300.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने से अनुदान जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] प्रशासनिक व्यय			
मू.	290.67	129.07	..
पु.	- 161.60	129.07	..
31 मार्च 2024 को ₹ 161.60 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 40 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम			
(03) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021			
[01] इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत सहायता			
मू.	1,400.00		
पु.	- 1,390.80	9.20	9.20
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,390.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम			
(04) इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	44,000.00		
पु.	- 23,693.00	20,307.00	20,307.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 23,693.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	1,171.37		
पु.	- 665.64	505.73	505.73
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 665.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	2,733.19		
पु.	- 1,607.54	1,125.65	1,125.65
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,607.54 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 40 – (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू.	0.01		
पु.	4,899.99	4,900.00	4,900.00
कुल			..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	0.01		
पु.	4,899.99	4,900.00	4,900.00
कुल			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,799.98 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(56) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	0.02		
पु.	834.04	834.06	834.06
कुल			..
31 मार्च 2024 को ₹ 834.04 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(58) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 सुधार आदि			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	0.01		
पु.	686.99	687.00	687.00
कुल			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 686.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 40 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(59) विकास कार्यों हेतु नगरीय निकायों के लिए विशेष अनुदान			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	1,000.00		
पु.	350.00	1,350.00	1,350.00

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 350.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना  
[01] सबके लिए आवास (शहरी)

मू.	0.01		
पु.	169.56	169.57	169.57

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 169.56 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं  
[01] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी  
(सामान्य)

मू.	3,297.12		
अ.	3,233.73	18,341.22	18,341.22
पु.	11,810.37		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 11,810.37 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(59) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आई.ई.सी.)  
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)

मू.	0.02		
पु.	1,089.24	1,089.26	1,089.26

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,089.24 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] मोटर यान परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार (सामान्य)			
मू.	15,767.57	23,702.77	23,702.77
पु.	7,935.20		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,935.20 लाख की अतिरिक्त निधियां मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि में अधिभार के हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार (सामान्य)			
मू.	30,573.85	36,420.27	36,420.27
पु.	5,846.42		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,846.42 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि में अधिभार के हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(15) राजस्थान झील विकास प्राधिकरण			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	30.52	525.00	525.00
पु.	494.48		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 494.48 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)**

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 2,37,842.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,840.50 लाख का प्रावधान अनावश्यक था।
2. ₹ 2,37,842.06 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 2,37,910.17 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू. 206.07	27.68	27.68	..
पु. - 178.39			
31 मार्च 2024 को ₹ 178.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर ओ बी)			
[07] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू. 4,750.00	241.00	241.00	..
पु. - 4,509.00			
31 मार्च 2024 को ₹ 4,509.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(04) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेन्ट इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (ईएपी) निर्माण कार्य			
मू. 14,533.48	9,325.44	9,325.44	..
पु. - 5,208.04			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आरयूएसडीआईपी)			
[01] चतुर्थ चरण (ईएपी)			
मू. 41,562.04	36,599.39	36,599.39	..
पु. - 4,962.65			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 10,170.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(03) सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	1,000.00		
पु.	- 500.00	500.00	500.00
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(05) ठोस कचरा प्रबन्धन			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	100.00		
पु.	- 100.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(06) सीवरेज लाईन			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	1,000.00		
अ.	5,840.50	..	..
पु.	- 6,840.50		
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सीवरेज कार्यों के लिए लिया गया ₹ 5,840.50 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 6,840.50 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	13,738.00	6,775.10	6,775.10
पु.	- 6,962.90		
31 मार्च 2024 को ₹ 6,962.90 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(09) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	2,08,064.84	23,766.89	23,766.89
पु.	- 1,84,297.95		
31 मार्च 2024 को ₹ 1,84,297.95 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,26,341.84 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 57,956.11 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 40 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(10) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	77,200.00		
		4,093.06	4,093.06
पु.	- 73,106.94		..

31 मार्च 2024 को ₹ 73,106.94 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(12) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	22,010.34		
		13,126.76	13,126.76
पु.	- 8,883.58		..

31 मार्च 2024 को ₹ 8,883.58 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(06) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन(अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	0.02		
		586.74	586.74
पु.	586.72		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 586.72 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 40 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(11) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आरयूएसडीआईपी)			
[01] आर यू आई डी पी चतुर्थ चरण Tranch-II (ई ए पी)			
मू.	17,109.37		
		26,498.33	26,575.44
पु.	9,388.96		+ 77.11
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 9,388.96 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 77.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(14) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आईआईएचएल, सीटी/पीटी, यूरीनल्स)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	0.02		
		2,679.19	2,679.19
पु.	2,679.17		..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,679.17 लाख का अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
5055. सडक परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम			
मू.	17,000.00		
		62,272.00	62,272.00
पु.	45,272.00		..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,272.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम में निवेश हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

अनुदान संख्या 41 – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2215. जलपूर्ति तथा सफाई और  
2702. लघु सिंचाई

पूंजी – 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय और  
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	48,28,24,74	50,56,39,67	50,09,42,62	- 46,97,05
अनुपूरक	2,28,14,93			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				48,45,43
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	4,03,04	4,02,53	- 51
अनुपूरक	4,03,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				6
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	36,64,99,69	36,64,99,69	21,48,72,98	- 15,16,26,71
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				15,09,44,32

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 4,697.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 22,814.93 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2024 में लिया गया ₹ 22,814.89 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 4,697.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 4,845.43 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 1,51,626.71 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 682.39 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।

**अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू .	2,117.98		
पु.	- 437.99		
		1,679.99	1,678.45
			- 1.54
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[18] जल पूर्ति योजनाओं का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण			
मू .	600.00		
पु.	- 500.21		
		99.79	99.79
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[19] फिल्टर प्लान्ट का पुनर्जीवीकरण एवं क्रमोन्नयन			
मू .	400.00		
पु.	- 324.90		
		75.10	75.10
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[22] प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार, सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवीकरण			
मू .	300.00		
पु.	- 131.86		
		168.14	168.14
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जल पूर्ति योजना, जोधपुर (ई.ए.पी.)			
मू .	1,914.57		
पु .	- 945.55		
		969.02	689.68
			- 279.34

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[70] कम्प्यूटरीकरण/स्काडा सिस्टम/ई-गवर्नेन्स इत्यादि			
मू .	250.00		
पु .	- 140.64	109.36	109.36
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[85] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू .	1,030.50		
पु .	- 748.26	282.24	282.24
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[09] राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना, चरण तृतीय (शहरी)			
मू	35,118.96		
पु .	- 5,642.45	29,476.51	29,476.51
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[10] पुनर्गठित शहरी पेयजल परियोजना, बीकानेर			
मू	13,500.00		
पु .	- 5,233.63	8,266.37	8,266.37
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी की जिले हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू	2,450.00		
पु .	- 1,382.94	1,067.06	1,067.06

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[16] झालावाड जिले की राजगढ बांध से झालारापाटन कस्बा तथा 104 ग्रामों की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)			
मू.	2,260.92	1,397.80	1,397.80
पु.	- 863.12		..
उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 16,351.55 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
शीर्ष "4215-01-101(01)[61]" के अंतर्गत ₹ 279.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[49] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	192.36	75.59	- 148.31
पु.	- 116.77		- 223.90
31 मार्च 2024 को ₹ 116.77 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
राजकीय खाते में परिसमापन क्षति के कारण ठेकेदार फर्मों से एकत्र किए गए ₹ 223.91 लाख की राशि जमा की गयी जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ऋण व्यय दर्शाया गया।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[98] चाकन बांध से इन्द्रगढ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (शहरी)			
मू.	380.80	..	..
पु.	- 380.80		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[21] सिरोही जिले की बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना (शहरी भाग)			
मू.	2,892.27	..	..
पु.	- 2,892.27		..



## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[22] परवन अकावद पेयजल परियोजना, जिला बांरा, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)			
मू.	6,870.00	..	..
पु .	- 6,870.00	..	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[23] नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)			
मू.	3,913.15	..	..
पु .	- 3,913.15	..	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[25] चम्बल नदी से चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गांवों (बेंगू, भैसरोडगढ़, गंगरार, चित्तौड़गढ़, भदेसर और निम्बाहेडा ब्लॉक) की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)			
मू.	741.00	..	..
पु .	- 741.00	..	..
उपरोक्त पाँच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 14,797.22 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[59] नहरों का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण (बीकानेर)			
मू.	2,000.00	940.05	940.05
पु .	- 1,059.95		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(39) पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना			
मू.	780.66	172.52	172.52
पु .	- 608.14		..

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(48) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेंट्स का सुदृढीकरण-रिजुविनेशन			
मू .	200.00		
		91.97	91.97
पु .	- 108.03		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 1,776.12 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यो पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू .	33,665.01		
		289.58	286.57
पु .	- 33,375.43		- 3.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निरीक्षण एवं अनुश्रवण			
मू .	1,000.01		
		20.76	20.76
पु .	- 979.25		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[13] चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबाई)			
मू .	4,537.82		
		163.94	163.94
पु .	- 4,373.88		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[21] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू .	4,055.77		
		288.05	288.05
पु .	- 3,767.72		..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 42,496.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[03] जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियां			
मू .	4,000.01	..	..
पु .	- 4,000.01	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[06] चूरू-झुन्झुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना			
मू .	498.39	..	..
पु .	- 498.39	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[08] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबार्ड)			
मू .	844.84	..	..
पु .	- 844.84	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[09] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-सी (नाबार्ड)			
मू .	6,585.01	..	..
पु .	- 6,585.01	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[10] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा			
मू .	396.83	..	..
पु .	- 396.83	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[11] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू .	228.97	..	..
पु .	- 228.97	..	..

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[12] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू .	227.78	..	..
पु .	- 227.78	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[15] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	996.78	..	..
पु .	- 996.78	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[16] नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू .	1,134.81	..	..
पु .	- 1,134.81	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[17] बाड़मेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू .	739.73	..	..
पु .	- 739.73	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[18] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू .	3,741.89	..	..
पु .	- 3,741.89	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[23] निवाई तथा टोंक तहसील के 199 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू .	772.37	..	..
पु .	- 772.37	..	..

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[24] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू .	362.61	..	..
पु .	- 362.61	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[25] झुन्झुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चुरू बिसाउ परियोजना			
मू .	322.04	..	..
पु .	- 322.04	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[26] बीसलपुर-चाकसू परियोजना			
मू .	129.96	..	..
पु .	- 129.96	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[28] अंता-मांगरोल तहसील जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू .	177.38	..	..
पु .	- 177.38	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[30] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना			
मू .	11,678.64	..	..
पु .	- 11,678.64	..	..

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[31] पाली जिले की सोजत तहसील के 10 ग्राम पंचायतों की जोधपुर के दांतीवाडा आई.जी.एन.पी.वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना			
मू .	145.78	..	..
पु .	- 145.78	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[32] चम्बल-भीलवाडा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी जिले की हिंडौली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू .	1,425.30	..	..
पु .	- 1,425.30	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[33] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण			
मू .	14,464.13	..	..
पु .	- 14,464.13	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[35] बीकानेर जिले की डुंगरगढ कस्बा तथा श्री डुंगरगढ तथा लुणकरणसर ब्लाक के 108 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू .	3,450.35	..	..
पु .	- 3,450.35	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[36] बीकानेर जिले की खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना			
मू .	1,533.50	..	..
पु .	- 1,533.50	..	..

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[37] चुरु जिले की आपणी योजना प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 ग्रामों तथा चुरु बिसाउ परियोजना की पुर्नगठन तथा सुदृढीकरण योजना (ग्रामीण भाग)			
मू .	1,533.50	..	..
पु .	- 1,533.50	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[38] झालावाड़ जिले की राजगढ बांध से झालरापाटन कस्बा तथा 104 ग्रामों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)			
मू .	596.38	..	..
पु .	- 596.38	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[39] सिरोही जिले की बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
मू .	490.73	..	..
पु .	- 490.73	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[40] जिले की शिवगंज तहसील के 70 ग्रामों को जवाई बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने			
मू .	519.07	..	..
पु .	- 519.07	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[41] जोधपुर जिले की क्षेत्रीय जल प्रदाय भेर हरलाया (भाग प्रथम) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
मू .	1,526.42	..	..
पु .	- 1,526.42	..	..

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[42] चित्तोडगढ़ जिले के भैसरोडगढ़ ब्लॉक के 38 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू .	386.83	..	..
पु .	- 386.83	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[43] राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ़ तहसील की चम्बल भीलवाड़ परियोजना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू .	3,654.10	..	..
पु .	- 3,654.10	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[44] बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू .	2,530.26	..	..
पु .	- 2,530.26	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[46] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण भाग- 'अ'			
मू .	2,914.14	..	..
पु .	- 2,914.14	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[48] कालीतीर जल प्रदाय योजना			
मू .	1,640.00	..	..
पु .	- 1,640.00	..	..



## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[49] चम्बल नदी से अलवर एवं भरतपुर जिलों की सतही जल प्रदाय योजना			
मू .	1,020.00	..	..
पु .	- 1,020.00	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[50] चम्बल नदी से सवाई माधोपुर-नादोती सतही जल प्रदाय योजना			
मू .	680.00	..	..
पु .	- 680.00	..	..
31 मार्च 2024 को उपरोक्त चौतीस शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 71,348.53 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा सीधे जल जीवन मिशन के एस्करो खाते में केन्द्रीयंश हस्तांतरण के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसके अलावा, राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम द्वारा इस उद्देश्य से उधार ली गई निधियां से राज्यांश एस्करो खाते में हस्तांतरित किया गया। केन्द्र और राज्य दोनों का हिस्सा राज्य समेकित निधि के माध्यम से नहीं भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप जल जीवन मिशन के तहत सृजित संपत्ति सरकारी लेखों में नहीं दिखाई गई है। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[34] वृहद पेयजल परियोजना में रेट्रोफिटिंग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत एचएफटीसी उपलब्ध कराये जाने का कार्य			
मू .	49,707.63	..	..
पु .	- 49,707.63	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 49,707.63 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 2,481.14 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 47,226.49 लाख) करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[04] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलप्रदाय योजना			
मू .	82.90	..	- 482.80
पु .	- 82.90	..	- 482.80

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[05] बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना			
मू .	206.70	..	- 319.61
पु .	- 206.70		- 319.61
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[14] चम्बल-भरतपुर क्लस्टर परियोजना-प्रथम चरण भाग-द्वितीय (नाबार्ड)			
मू .	230.03	..	- 1,327.77
पु .	- 230.03		- 1,327.77
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[27] बीसलपुर फागी परियोजना			
मू .	210.19	..	- 269.27
पु .	- 210.19		- 269.27

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 729.82 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत राजकीय खाते में परिसमापन क्षति के कारण ठेकेदार फर्मों से एकत्र किए गए ₹ 2,399.45 लाख की राशि जमा की गयी जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ऋणव्यय दर्शाया गया ।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
मू .	39,463.64	61,170.21	- 25.00
पु .	21,706.57	61,145.21	- 25.00

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[33] चुरु, झुन्झुनू जल प्रदाय योजना (आपणी योजना- फैज II)			
मू .	0.01		
पु .	275.57	275.58	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[64] नागोर लिफ्ट जलपूर्ति योजना फैज-II			
मू .	216.19		
पु .	271.52	487.71	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[73] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू .	67.00		
पु .	255.36	322.36	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[81] चम्बल भीलवाड़ा जल पूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू	164.88		
पु .	163.51	328.39	311.59 - 16.80
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[83] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू	230.00		
पु .	327.75	557.75	..

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[88] जवाई-पाली पाईपलाईन परियोजना फेज-द्वितीय, पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	68.68		
पु .	110.67	179.35	179.35
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(07) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	1,200.00		
पु .	706.80	1,906.80	1,905.74
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[02] बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना, फेज-II (शहरी)			
मू.	2,262.20		
पु .	1,475.60	3,737.80	3,737.80
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[05] झूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	0.01		
पु .	718.29	718.30	718.30
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[08] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना (शहरी)			
मू.	0.01		
पु .	8,236.86	8,236.87	8,236.87

## अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[17] राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ़ तहसील की चम्बल भीलवाड़ा परियोजना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना (शहरी भाग)			
मू .	0.01		
पु .	632.99	633.00	633.00
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[55] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू .	2,198.41		
पु .	1,631.86	3,830.27	3,830.27
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
[01] अन्य ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू .	49,807.51		
पु .	7,758.04	57,565.55	59,830.20 + 2,264.65
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(09) पम्प एवं मोटर्स की पुनःस्थापना			
मू .	650.00		
पु .	403.78	1,053.78	1,053.78
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू .	200.00		
पु .	1,095.88	1,295.88	1,295.88
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(45) नागोर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-II (ई ए पी)			
मू .	499.75		
पु .	243.14	742.89	742.89

## अनुदान संख्या 41 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(95) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज द्वितीय (डीडीपी) ग्रामीण			
मू.	103.54	652.08	652.08
पु .	548.54		..

उपरोक्त अठारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 46,562.73 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

शीर्ष "4215-01-101(01)[02] एवं [81]" के अंतर्गत ₹ 41.80 लाख की अंतिम बचत तथा शीर्ष "4215-01-102(03) [01]" के अंतर्गत ₹ 2,264.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4. **उचन्त लेन-देन** : 2023-24 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उचन्त" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उचन्त उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है:-

लघु शीर्ष "उचन्त" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
		(₹ लाख में)		
स्टॉक	(+) 3,322.12	..	..	(+) 3,322.12
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 3,221.17	..	..	(+) 3,221.17
<b>योग</b>	<b>(+) 6,543.29</b>	..	..	<b>(+) 6,543.29</b>

अनुदान संख्या 42 – जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2700. मुख्य सिंचाई,  
 2701. मध्यम सिंचाई और  
 2702. लघु सिंचाई  
 पूंजी – 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 6700. मुख्य सिंचाई के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	28,43,94,78	28,43,94,80	26,23,39,45
अनुपूरक	2		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			90,29,87
<b>प्रभारित</b>			
मूल	5	6,37,34	6,34,86
अनुपूरक	6,37,29		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			2,48
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	31,92,36,28	32,53,85,12	24,70,15,53
अनुपूरक	61,48,84		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			7,84,41,90
<b>प्रभारित</b>			
मूल	3	1,78,83	1,72,50
अनुपूरक	1,78,80		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			6,33

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 22,055.35 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 13,025.48 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 42 –(क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) अभियन्ता एवं संबंधित कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	648.92	515.59	515.58
पु.	- 133.33		
₹ 133.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान कार्मिकों के स्थानान्तरण होने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(07) मु.अ., इं.गा.न.प. बीकानेर के माध्यम से			
[01] कार्य प्रभारित व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,410.12	1,745.60	1,744.94
पु.	- 664.52		
₹ 664.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) अनुरक्षण व्यय			
[01] इन्दिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध			
मू.	994.50	884.58	891.76
पु.	- 109.92		
₹ 109.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान फीडर एवं भूमिगत जल खण्ड, जल संसाधन, फिरोजपुर, द्वारा महालेखाकार कार्यालय, पंजाब के माध्यम से सूचित संस्थापना पर व्यय के कम समायोजन के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 7.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इन्दिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा)			
(मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)- प्रतिबद्ध			
मू.	380.00	113.85	113.85
पु.	- 266.15		
31 मार्च 2024 को ₹ 266.15 लाख का प्रावधान नहर के पंजाब भाग की मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि उनके भाग का सी-लाइनिंग कार्य प्रगति में था और लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था।			



## अनुदान संख्या 42 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(03) हरिके बैराज			
[01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	150.00	..	..
पु.	- 150.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान हरिके बैराज के रखरखाव के लिए पंजाब सरकार से मांग नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।

31. गंग नहर (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (02) पंजाब सरकार को देय अंशदान
- [01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	100.00	..	..
पु.	- 100.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान पंजाब में स्थित संबंधित खण्ड द्वारा गंग नहर परियोजना के लिए पानी की आपूर्ति करने वाली बीकानेर नहर (पंजाब भाग) के रखरखाव कार्य के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
- (01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	41,585.13	38,594.71	37,592.98	- 1,001.73
पु.	- 2,990.42			

31 मार्च 2024 को ₹ 2,990.42 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 1,001.73 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

35. धौलपुर लिफ्ट
800. अन्य व्यय
- (01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	4,801.73	4,229.16	4,189.94	- 39.22
पु.	- 572.57			

31 मार्च 2024 को ₹ 572.57 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 39.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
36. जयसमन्द ई.आर.एम.			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	864.10		
		863.53	616.88
पु.	- 0.57		- 246.65
₹ 246.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	8,902.60		
		8,212.12	7,788.45
पु.	- 690.48		- 423.67
31 मार्च 2024 को ₹ 690.48 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी खाते पर ब्याज के समायोजन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 423.67 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया-प्रतिबद्ध			
मू.	14,768.55		
		14,348.08	13,382.60
पु.	- 420.47		- 965.48
31 मार्च 2024 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ₹ 420.47 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण उपलब्ध करवायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 965.48 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2701. मध्यम सिंचाई			
03. पारवती परियोजना (धौलपुर)(वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) निष्पादन			
[02] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	400.17		
		265.11	265.11
पु.	- 135.06		..
₹ 135.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान परियोजना में लगे हुए 53 कार्य प्रभारित कर्मचारियों में से 16 कर्मचारियों की मृत्यु/अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति के कारण मजदूरी पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
03. पारवती परियोजना (धौलपुर)(वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	630.18	..	..
पु.	- 630.18	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 630.18 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना पर पूंजीगत व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
24. सोमकला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय -प्रतिबद्ध			
मू.	1,774.89	1,780.83	143.80
पु.	5.94		- 1,637.03
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
मू.	1,959.35	1,947.52	1,671.53
पु.	- 11.83		- 275.99
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,913.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[01] निदेशन तथा प्रशासन-प्रतिबद्ध			
मू.	4,416.69	3,888.40	3,889.65
पु.	- 528.29		+ 1.25
₹ 528.29 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान कार्मिकों के स्थानान्तरण होने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
005. सर्वेक्षण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] निष्पादन			
मू.	2,671.26	2,168.16	2,166.48
पु.	- 503.10		- 1.68
₹ 503.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वर्ष के दौरान कार्मिकों के स्थानान्तरण होने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, (ii) वाहनों को किराये पर लेने की स्वीकृति नहीं मिलने तथा (iii) स्वीकृत कार्यों के अनुसंधान और सर्वेक्षण कार्य में धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायतीराज संस्थाओं में स्थानान्तरित कर्मचारियों के संस्थापन व्यय हेतु सहायता			
[01] जिला परिषदों को अनुदान			
मू.	620.00		
पु.	- 188.67	431.33	431.33
			..
<p>31 मार्च 2024 को ₹ 188.67 लाख का प्रावधान जिला परिषदों में कार्यरत जल संसाधन विभाग के अभियन्ताओं / मंत्रालयिक कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में सहायतार्थ अनुदान(वेतन) के आवश्यकतानुसार हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
80. सामान्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायतीराज संस्थाओं में स्थानान्तरित कर्मचारियों के संस्थापन व्यय हेतु सहायता			
[01] पंचायतों को अनुदान			
मू.	400.00		
पु.	- 232.82	167.18	167.18
			..
<p>31 मार्च 2024 को ₹ 232.82 लाख का प्रावधान पंचायत समितियों में कार्यरत जल संसाधन विभाग के अभियन्ताओं को वेतन के भुगतान हेतु पंचायत समिति के निजी निक्षेप खातों में सहायतार्थ अनुदान(वेतन) के आवश्यकतानुसार हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायतीराज संस्थाओं में स्थानान्तरित कर्मचारियों के संस्थापन व्यय हेतु सहायता			
[01] पंचायतों को संस्थापन व्यय एवं अनुरक्षण सामग्री हेतु अनुदान			
मू.	501.50		
पु.	- 433.10	68.40	68.40
			..
<p>31 मार्च 2024 को ₹ 433.10 लाख का प्रावधान ग्राम पंचायतों में कार्यरत जल संसाधन विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान हेतु पंचायत समिति के निजी निक्षेप खातों में सहायतार्थ अनुदान(वेतन) के आवश्यकतानुसार हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			

## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[01] निदेशन- प्रतिबद्ध			
मू.	3,817.56		
पु.	- 468.04		
		3,349.52	3,349.37
			- 0.15

₹ 468.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने तथा समय पर चयनित ग्रेड वेतन में कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. सतही जल  
800. अन्य व्यय  
(09) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना  
(आर डब्ल्यू एस एल आई पी)  
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से

मू.	6,802.02		
पु.	- 3,785.21		
		3,016.81	3,016.82
			+ 0.01

₹ 3,785.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

3. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक/अनावश्यक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(03) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	9,191.05		
पु.	1,703.04		
		10,894.09	9,323.47
			- 1,570.62

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,703.04 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना पर कार्यों के अधिक निष्पादन की प्रत्याशा में पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, वर्ष के दौरान परियोजना पर कार्यों का निष्पादन कम हुआ परिणामतः ₹ 1,570.62 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	54,487.63		
		50,033.35	- 6,435.99
पु.	1,981.71		
		56,469.34	

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,981.71 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना पर कार्यों के अधिक निष्पादन की प्रत्याशा में पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, वर्ष के दौरान परियोजना पर कार्यों का निष्पादन कम हुआ परिणामतः ₹ 6,435.99 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4. **उचन्त लेन-देन:** लघु शीर्ष "उचन्त" अस्थायी रूप से प्राप्तियों एवं संवितरणों को सम्मिलित करता है जो अंतरिम संव्यवहारों की प्रकृति के हैं। यद्यपि, उनको पूर्ण रूप देने और अंतिम रूप से लेखांकित करने के पूर्व मूल्यों का आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, "उचन्त" में राशि वर्षानुवर्ष अग्रणीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

- (i) **स्टॉक** - इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष "खरीद" भी परिचालित किया गया है। अतः उप भाग स्टॉक, भण्डार में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किया जाता है जिसके द्वारा अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष को दर्शाता है।
- (ii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** - इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, भण्डार का मूल्य जो अभी अपलिखित नहीं किया गया हो तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।
- (iii) **वर्कशाप उचन्त** -सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।

2023-24 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण "उचन्त" के विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नाम (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नाम	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नाम (+) जमा (-)
			(₹ लाख में)	
<b>राजस्व *</b>				
स्टॉक	(+) 470.55	131.23	136.78	(+) 465.00
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 377.23	122.80	117.20	(+) 382.83
<b>योग</b>	<b>(+) 847.78</b>	<b>254.03</b>	<b>253.98</b>	<b>(+) 847.83</b>

\* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उचन्त लेन-देन सम्मिलित हैं।

## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 6,148.84 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 6,148.83 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 78,369.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 78,441.90 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[13] चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू. 7,812.73	5,526.37	5,525.11	- 1.26
पु. - 2,286.36			
₹ 2,286.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नये वेतनमान और चयनीत ग्रेड स्केल में कार्मिकों के वेतन का निर्धारण न होने तथा (ii) अधिकांश किसानों के पास बैंकों में सक्रिय ऋण खाता होने और लाभार्थी किसानों द्वारा ऋण नहीं चुकाने के कारण बैंकों द्वारा उनके पक्ष में अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने से लाभार्थी किसानों को ऋण नहीं देने को आरोपित की गयी।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[19] गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना (फलौदी लिफ्ट योजना)			
मू. 3,075.93	1,153.01	1,144.95	- 8.06
पु. - 1,922.92			
₹ 1,922.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबन्धन (सीएडीडब्ल्यूएम) के लिए बजट आवंटन अन्य लेखा शीर्ष के अन्तर्गत होने तथा (ii) लाभार्थियों द्वारा दस्तावेज जमा न कराने को आरोपित की गयी।			
₹ 8.06 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[21] जय नारायण व्यास जलोत्थान योजना (पोकरण लिफ्ट योजना)			
मू. 379.26	263.89	262.75	- 1.14
पु. - 115.37			
₹ 115.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) ठेकेदार द्वारा पंपिंग स्टेशन का संचालन एवं रखरखाव करने के कारण मजदूरी पर कम व्यय होने तथा (ii) लाभार्थियों द्वारा दस्तावेज जमा न कराने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[23] वीर तेजाजी जलोत्थान योजना (बांगडसर लिफ्ट योजना)			
मू.	331.69	190.62	190.62
पु.	- 141.07		..
₹ 141.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः फर्म द्वारा लिफ्ट को समय पर पम्पों की आपूर्ति न कराने को आरोपित की गयी।			

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	10,245.47	6,446.36	6,446.01
अ.	1,272.82		- 0.35
पु.	- 5,071.93		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा नहर की शाखाओं के निर्माण के भुगतान के लिए लिया गया ₹ 1,272.82 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 5,071.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के बकाया का भुगतान न होने के कारण मजदूरी पर कम व्यय होने, (ii) डिगियों के निर्माण की धीमी प्रगति (बजट में की गई घोषणा के अनुसार, किसानों की जमीन पर सामूहिक डिगियों का निर्माण किया जाना था, जिस पर जमीन के लिए किसानों से सामूहिक सहमति लेनी थी लेकिन जमीन के लिए सामूहिक सहमति प्राप्त न होने के कारण प्रगति अनुमान के अनुसार नहीं हो सकी), (iii) शाखाओं के निर्माण में धीमी प्रगति क्योंकि शाखाओं के निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले सर्वेक्षण कार्य होना था जो घने जंगल की सफाई के बाद ही संभव था, जिसके लिए प्रगति अनुमान से कम रही तथा (iv) सक्षम स्तर पर कार्य के विचलन की स्थिति न होने के कारण बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(10) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत नहरों के पुनरुद्धार/नवीनीकरण कार्य			
[02] द्वितीय चरण की नहरों का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य, मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	883.40	479.61	479.61
पु.	- 403.79		..

31 मार्च 2024 को ₹ 403.79 लाख का प्रावधान सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य विचलन की स्वीकृति न होने से बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(11) इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण द्वितीय चरण			
[01] मु.अ.,इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर, (नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVI)			
मू.	2,688.00		
पु.	- 961.90		
	1,726.10	1,726.10	..
31 मार्च 2024 को ₹ 961.90 लाख का प्रावधान धोधा वितरिका के संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुबन्ध की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) द्वितीय चरण			
[01] मु.अ.,इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	4,954.12		
पु.	- 954.20		
	3,999.92	3,999.92	..
31 मार्च 2024 को ₹ 954.20 लाख का प्रावधान संशोधित अनुमानों में व्यय सीमा में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] पंजाब में इन्दिरा गांधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
मू.	18,488.25		
पु.	- 11,304.97		
	7,183.28	7,183.28	..
31 मार्च 2024 को ₹ 11,304.97 लाख का प्रावधान पंजाब सरकार को इन्दिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब भाग) के रिलाइनिंग कार्य के लिए राजस्थान सरकार की हिस्सा राशि के भुगतान हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन			
[01] सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम			
मू.	2,444.65		
पु.	- 1,909.22		
	535.43	535.43	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,909.22 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 42 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) रतनपुरा वितरिका			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	200.00		
पु.	- 150.64	49.36	49.36
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 150.64 लाख का प्रावधान नहरों के पुनर्वास के कार्य का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि सम्पूर्ण नहर प्रणाली का कार्याकल्प जेआईसीए के माध्यम से कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन था।			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) निर्माण कार्य			
मू.	311.60		
पु.	- 196.95	114.65	114.65
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 196.95 लाख का प्रावधान मुआवजे के भुगतान से संबंधित अवाई स्वीकृत न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
31. गंगनहर (वाणिज्यिक)(मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) पंजाब में निर्माण कार्य			
[01] आधुनिकीकरण			
मू.	1,000.00		
पु.	- 1,000.00	..	..
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान पंजाब जल संसाधन विभाग द्वारा फिरोजपुर फीडर की ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अन्तिमीकरण न होने के परिणामतः आधुनिकीकरण कार्य नहीं होने और कार्यादेश देरी से जारी होने से नहरों के कार्याकल्प पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	49,999.99		
पु.	- 13,153.71	36,846.28	36,846.28
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 13,153.71 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित ( ₹ 13,070.02 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 83.69 लाख) की गई।			

## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	20,399.99		
पु.	- 10,336.57	10,063.42	10,063.42
46. कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	13,600.00		
पु.	- 11,144.45	2,455.55	2,455.55
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 21,481.02 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर)			
हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट			
फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	54,129.24		
पु.	- 13,313.91	40,815.33	40,815.34
₹ 13,313.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) (क) द्वितीय संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निविदाये आमंत्रित नहीं करने और (ख) विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के कारण मुख्य कार्यों पर कम व्यय होने, (ii) राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया (आर डब्ल्यू एस आर पी डी) के अन्तर्गत गुण नियंत्रण से संबंधित उपकरणों की खरीद न होने तथा (iii) आर डब्ल्यू एस आर पी डी के अन्तर्गत कृषि विभाग के साथ संबद्ध किसान विकास केन्द्र के माध्यम से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों के प्रशिक्षण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पार्वती परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	500.00		
पु.	- 500.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना संबंधित प्रस्तावित निर्माण कार्यों को अन्य परियोजना में शामिल करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	15,029.54	2,758.30	2,890.00
पु.	- 12,271.24		+ 131.70

₹ 12,271.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिशाषी अभियन्ता (01), कनिष्ठ लेखाकार (01) और सहायक कर्म (01) के पदों के रिक्त रहने तथा पांच सहायक अभियन्ताओं की परिवीक्षा अवधि पूर्ण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii)(क) तीन बार निविदा निरस्त होने से पॉचना बांध का निर्माण कार्यों का निष्पादन कम होने, (ख) तीन बार निविदा निरस्त होने से कोटा बैराज, जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कार्यों का निष्पादन कम होने, (ग) पार्वती और छापी बांध की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट (पी एस टी) की देरी से स्वीकृति होने और (घ) केन्द्रीय जल आयोग में जवाहर सागर बांध (सिविल) के बिड दस्तावेज लम्बित होने के कारण मुख्य कार्यों पर कम व्यय होने, (iii) चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के कारण विश्व बैंक से वित्त पोषित बांध पुनर्वास और उन्नयन परियोजना के अन्तर्गत विशेषज्ञों से संबंधित मशीनरी और उपकरण किराये पर न लेने, (iv) चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के कारण विशिष्ट संस्थानों से विभाग के अभियन्ताओं की क्षमता बढ़ाने हेतु शैक्षिक भ्रमण और प्रशिक्षण का आयोजन न होने, (v) 36 बांधों में से, 8 बांधों का सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य प्रक्रियाधीन होने एवं शेष बांधों के प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट केन्द्रीय जल आयोग और विश्व बैंक स्तर पर लम्बित होने, (vi) विश्व बैंक स्तर पर कार्य की स्वीकृति लम्बित होने से बांधों के संबंध में परामर्श सेवाएं किराये पर न लेने और चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने से खरीद एवं गुणवत्ता आश्वासन के लिए व्यक्तिगत विशेषज्ञों को किराये पर न लेने के कारण निविदा सेवाओं पर कम व्यय होने तथा (vii) चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने से कम्प्यूटर संबंधी सामग्री की आपूर्ति न होने को आरोपित की गयी।

₹ 131.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	7,530.67	6,158.77	6,158.77
पु.	-1,371.90		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,371.90 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[06] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII			
मू.	1,029.10	434.79	434.79
पु.	- 594.31		..

31 मार्च 2024 को ₹ 594.31 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[01] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	5,421.55		
पु.	- 4,236.14	1,185.41	1,195.92
31 मार्च 2024 को ₹ 4,236.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			+ 10.51
₹ 10.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
101. सतही जल			
(11) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] निष्पादन (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, के माध्यम से) (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता)			
मू.	16,298.98		
अ.	0.01	4,340.94	4,340.94
पु.	- 11,958.05		..
₹ 11,958.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
101. सतही जल			
(13) सौर ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई परियोजना			
[01] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर			
मू.	5,821.68		
पु.	- 2,489.37	3,332.31	3,332.31
31 मार्च 2024 को ₹ 2,489.37 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[15] पन्ना लाल बारूपाल जलोत्थान योजना (गजनेर लिफ्ट योजना)			
मू.	3,092.29		
पु.	360.44	3,452.73	3,452.74
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 360.44 लाख की अतिरिक्त निधियां पेयजल की अतिरिक्त मांग के कारण विद्युत एवं जल शुल्क पर व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी।			+ 0.01

## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट (कवरसेन लिफ्ट) योजना (मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से)			
[01] विस्तार			
मू.	8,569.01		
अ.	816.00	15,588.90	15,588.90
पु.	6,203.89		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,203.89 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत)  
[02] पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट

मू.	3,192.00			
पु.	1,807.96	4,999.96	4,999.96	..

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत)  
[03] डॉ. करनी सिंह लिफ्ट

मू.	1,596.00			
पु.	403.99	1,999.99	1,999.99	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,211.95 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत)  
[04] गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट

मू.	0.01			
पु.	499.98	499.99	499.99	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 499.98 लाख की अतिरिक्त निधियां फव्वारा कार्य की स्वीकृति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(12) इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर द्वितीय चरण			
[01] चारणवाला शाखा नहर प्रणाली का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.- XXVII)			
अ .	2,356.00		
पु .	442.00		
		2,798.00	2,798.00
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 442.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू .	34.00		
पु .	2,350.88		
		2,384.88	2,384.88
			..
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	3,400.00		
पु .	1,892.60		
		5,292.60	5,292.60
			..
37. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू .	1,672.54		
पु .	5,260.10		
		6,932.64	6,932.64
			..
40. जयसमन्द परियोजना का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII			
मू .	135.99		
पु .	118.38		
		254.37	254.37
			..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,621.96 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की प्रगति को बनाये रखने एवं बकाया देनदारियों के निस्तारण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. मेजा सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	200.00		
पु.	454.71	654.71	654.71
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	4,352.00	7,252.65	7,232.74
पु.	2,900.65		- 19.91
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	1,020.00	1,694.32	1,694.32
पु.	674.32		
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	34.00	825.37	825.37
पु.	791.37		
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	680.00	1,412.05	1,412.05
पु.	732.05		
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	2,040.00	2,632.60	2,632.60
पु.	592.60		

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,145.70 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की प्रगति बनाये रखने एवं बकाया देनदारियों के निस्तारण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष "4701-62-001-(01) [03]" के अंतर्गत ₹ 19.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।"



## अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[01] निष्पादन			
मू.	77.06		
पु.	169.36	246.42	+ 1.28
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	10,636.67	12,360.08	12,360.08
पु.	1,723.41		..
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[03] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVI			
मू.	34.00	176.04	176.04
पु.	142.04		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,034.81 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की प्रगति बनाये रखने एवं बकाया देनदारियों के निस्तारण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(01) घग्घर बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्य-			
मु.अ., जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	141.24	279.21	279.21
पु.	137.97		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 137.97 लाख की अतिरिक्त निधियां माह जुलाई, 2023 में हरियाणा में स्थित घग्घर नदी बहाव क्षेत्र में भारी वर्षा होने से हनुमानगढ़, टिब्बी और पीलीबंगा तहसील में बाढ़ की स्थिति होने के परिणामतः बाढ़ नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यों पर अधिक व्यय के कारण बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 42 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(03) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य			
[03] अन्य जिले			
मू .	3,280.00		
अ.	2,460.00	7,830.38	7,830.38
पु .	2,090.38		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,090.38 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की प्रगति बनाये रखने एवं बकाया देनदारियों के निस्तारण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

5. **उच्चत लेन-देन** : 2023-24 में पूंजी अनुभाग में "उच्चत" लेन-देनों का वर्गीकरण "उच्चत" के विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उच्चत" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
<b>पूंजी *</b>				
स्टॉक	(-) 4,357.43	11.27	20.02	(-) 4,366.18
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 2,669.75	6.03	102.06	(-) 2,765.78
<b>योग</b>	<b>(-) 7,027.18</b>	<b>17.30</b>	<b>122.08</b>	<b>(-) 7,131.96</b>

\* इसमें मुख्य शीर्ष 4700 के उच्चत लेन देन सम्मिलित हैं।

अनुदान संख्या 43 – सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2700. मुख्य सिंचाई और  
2705. कमान क्षेत्र विकास  
पूंजी – 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और  
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	49,93,42			
अनुपूरक	1	49,93,43	45,48,09	- 4,45,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4,44,01
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4			
अनुपूरक	..	4	..	- 4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,30,04,40			
अनुपूरक	40,05,18	4,70,09,58	4,64,28,78	- 5,80,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5,84,52
<b>प्रभारित</b>				
मूल	10			
अनुपूरक	..	10	..	- 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				10

## अनुदान संख्या 43 -(समाप्त)

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) दाहिनी मुख्य नहर			
[01] मुख्य नहर एवं शाखाएं (सिंचित क्षेत्र विकास, कोटा के माध्यम से)- प्रतिबद्ध			
मू.	516.92		
पु.	- 70.17		
	446.75	446.77	+ 0.02

₹ 70.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों और संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

#### पूंजी

##### दत्तमत

- ₹ 580.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,005.18 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 580.80 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 584.52 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

## अनुदान संख्या 44 – सार्वजनिक निर्माण विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,  
 2216. आवास,  
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी और  
 3054. सड़क तथा सेतु  
 पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	33,70,74,99			
अनुपूरक	7,21,20,79			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		40,91,95,78	39,95,19,40	- 96,76,38
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2			
अनुपूरक	8,56,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		8,56,66	8,56,62	- 4
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	65,48,96,37			
अनुपूरक	10,93,56,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		76,42,53,24	77,18,94,43	+ 76,41,19
			<b>(आधिक्य ₹ 76,41,18,979)</b>	
<b>टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ:</b>				
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
1. ₹ 9,676.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 72,120.79 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।				
2. ₹ 9,676.38 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 276.59 लाख अनुअभ्यर्पित रही।				

**अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) निदेशन			
[05] वास्तुकला-प्रतिबद्ध			
मू .	688.17	554.60	554.59
पु .	- 133.57		
31 मार्च 2024 को ₹ 133.57 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) मशीनों का संधारण			
[02] जीर्णोद्धार एवं दुलाई व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	929.76	776.50	776.49
पु .	- 153.26		
₹ 153.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गई । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रख रखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[01] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू .	1,100.80	971.42	971.39
पु .	- 129.38		
31 मार्च 2024 को ₹ 129.38 लाख का प्रावधान मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
112. सार्वजनिक उद्यान			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से- प्रतिबद्ध			
मू .	2,016.02	1,786.29	1,784.44
पु .	- 229.73		
₹ 229.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु 03. राजकीय राजमार्ग 337. सड़क निर्माण कार्य (01) संधारण एवं जीर्णोद्धार [01] सड़कों का संधारण-प्रतिबद्ध मू . 10,707.96	7,165.35	7,163.27	- 2.08
पु . - 3,542.61			
₹ 3,542.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी, मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. राजकीय राजमार्ग 337. सड़क निर्माण कार्य (04) विश्व बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना [02] आधुनिकीकरण मू . 1,051.00	614.93	614.93	..
पु . - 436.07			
31 मार्च 2024 को ₹ 436.07 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 800. अन्य व्यय (02) ग्रामीण सड़कें [06] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें मू . 1,000.00	515.63	515.62	- 0.01
पु . - 484.37			
31 मार्च 2024 को ₹ 484.37 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास 05. साधारण पूल आवास 053. रख रखाव तथा मरम्मत (01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय) [05] राजभवन, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों (उच्च न्यायालय) के बंगलों के लिए-प्रतिबद्ध मू . 450.00	649.96	649.96	..
पु . 199.96			

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 199.96 लाख की अतिरिक्त निधियां मरम्मत और रखरखाव पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से (100 प्रतिशत केन्द्र)			
[02] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू .	0.01		
		12,221.79	11,978.87
पु .	12,221.78		- 242.92

गत वर्षों के व्यय के रूझान के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रावधान अनुमानित करना चाहिये क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया जाता है जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है तथा बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों पर किए गए वास्तविक व्यय को सूचित करता है।

2023-24 के दौरान, इस शीर्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ में टोकन प्रावधान अनुमानित किया गया तथा इसके बाद 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,221.78 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी लेकिन सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा रखरखाव के अन्तर्गत ₹ 11,978.87 लाख का वास्तविक व्यय सूचित किया गया परिणामस्वरूप इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 242.92 लाख की अन्तिम बचत प्रदर्शित हुई। यद्यपि, प्रावधान का अनुमान नहीं होने तथा ₹ 242.92 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
800. अन्य व्यय
- (01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार
- [03] अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	350.00			
अ.	4,250.00	5,499.98	5,499.98	..
पु .	899.98			

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 899.98 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रशिक्षण/सेमीनार/उत्सव/प्रदर्शनी के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
- (01) भारतीय सड़क कांग्रेस एवं अन्य समकक्ष संस्थान- प्रतिबद्ध

मू .	10.00			
		290.78	290.78	..
पु .	- 280.78			

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 280.78 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रशिक्षण/सेमीनार/उत्सव/प्रदर्शनी के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



### अनुदान संख्या 44 –(क्रमशः)

5. **केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत निधि से सहायता:**— मोटर स्प्रिट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इन अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राज्य सरकार द्वारा अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 68,645.00 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान ₹ 70,015.57 लाख अनुमोदित योजनाओं पर व्यय किया गया।

31 मार्च 2024 को निक्षेप शीर्ष में शून्य शेष था।

2023-24 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2023-24 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

### पूँजी

#### दत्तमत

- व्यय अनुदान से ₹ 76,41,18,979 अधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है।
- ₹ 7,641.19 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 34,350.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 75,006.87 लाख) में लिया गया ₹ 1,09,356.87 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था।
- आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(16) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)			
मू .	412.14	558.42	558.42
पु .	146.28		..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 146.28 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
मू .	0.01	41,462.00	50,630.23
पु .	41,461.99		+ 9,168.23

गत वर्षों के व्यय के रुझान के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रावधान अनुमानित करना चाहिये क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया जाता है जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है तथा बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों पर किए गए वास्तविक व्यय को सूचित करता है।

### अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

2023-24 के दौरान, इस शीर्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ में टोकन प्रावधान अनुमानित किया गया तथा इसके बाद 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41,461.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी लेकिन सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा सड़के तथा पूलों के निर्माण के अन्तर्गत ₹ 50,630.23 लाख का वास्तविक व्यय सूचित किया गया जो अनुमान से अधिक था। परिणामस्वरूप इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 9,168.23 लाख का अन्तिम आधिक्य प्रदर्शित हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) निर्माण			
मू .	13,738.00		
पु .	3,433.85	17,171.85	17,030.49
			- 141.36
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) भूमि आवासि का भुगतान			
मू .	412.14		
पु .	195.64	607.78	607.07
			- 0.71
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान			
मू .	10,303.50		
पु .	10,303.50	20,607.00	20,602.29
			- 4.71
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(05) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू .	44,648.50		
पु .	6,564.64	51,213.14	50,368.18
			- 844.96
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,497.63 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-03-337(01), (04) तथा (05)" के अंतर्गत ₹ 991.03 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(18) पूंजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
अ .	0.01		
पु .	21,998.23	21,998.24	21,998.24
			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,998.23 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[05] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXIX (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	6,869.00		
पु .	18,785.36	25,654.36	- 0.28
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) शहरी सड़कें			
मू .	5,495.20	6,869.00	..
पु .	1,373.80	6,869.00	..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	33,371.43	46,171.54	- 225.77
पु .	12,800.11	46,171.54	- 225.77
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(23) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	1,02,033.52	1,22,910.73	- 300.11
पु .	20,877.21	1,22,910.73	- 300.11
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 53,836.48 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-04-800(14) [90] तथा 04-800(23) [90] " के अंतर्गत ₹ 525.88 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज			
01. सड़क तथा पुल			
800. अन्य कर्ज			
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज			
[02] राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड			
मू .	0.01	5,875.00	..
पु .	5,874.99	5,875.00	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,874.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को सड़कें एवं पुलों के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 44 –(क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित आधिक्य को बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	99,470.24		
पु .	- 22,179.56	77,290.68	77,258.50
			- 32.18
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(10) निजी जनसहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू .	549.52		
पु .	- 228.08	321.44	321.44
			..
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू .	84,509.71		
पु .	- 10,606.05	73,903.66	74,071.64
			+ 167.98
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(12) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II(विश्व बैंक)			
मू .	1,04,493.96		
पु .	- 46,597.45	57,896.51	57,922.57
			+ 26.06
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-II विश्व बैंक			
[01] सड़क सुरक्षा प्रबन्धन			
मू .	382.22		
पु .	- 225.16	157.06	157.06
			..

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 79,836.30 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

शीर्ष "5054-03-337(07) [90]" के अन्तर्गत ₹ 32.18 लाख की अन्तिम बचत तथा शीर्ष "5054-03-337(11) एवं (12) " के अंतर्गत ₹ 194.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 44 -(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[03] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	12,913.60		
पु .	- 3,671.05	9,242.55	9,186.21
			- 56.34
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[04] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVIII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	46,709.20		
पु .	- 28,894.80	17,814.40	17,807.78
			- 6.62
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 32,565.85 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा शीर्ष "5054-04-337(17) [03] एवं [04]" के अन्तर्गत ₹ 62.96 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(22) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू .	61,134.10		
पु .	- 30,359.54	30,774.56	30,774.56
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 30,359.54 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
004. अनुसंधान			
(01) गुण नियंत्रण प्रणाली के तहत निर्माण कार्यों का निरीक्षण			
[01] निर्माण कार्यों का निरीक्षण			
मू .	3,585.12		
पु .	- 1,077.67	2,507.45	2,507.41
			- 0.04
31 मार्च 2024 को ₹ 1,077.67 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 45 – वन एवं पर्यावरण विभाग**

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2402. मृदा तथा जल संरक्षण,  
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी और  
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण  
 पूंजी - 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय और  
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत  
 परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	11,18,67,17			
अनुपूरक	..	11,18,67,17	9,74,78,87	- 1,43,88,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,39,10,32
<b>प्रभारित</b>				
मूल	30,00			
अनुपूरक	76,00	1,06,00	1,06,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,59,57,19			
अनुपूरक	1,15,14,25	6,74,71,44	5,84,75,02	- 89,96,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				89,60,24

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 14,388.30 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 477.98 लाख अन्अभ्यर्पित रही ।

**अनुदान संख्या 45- (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(06) संघनन सीमा निर्धारण तथा बन्दोबस्त कार्य			
मू.	580.71		
पु.	- 484.66		
	96.05	54.67	- 41.38

31 मार्च 2024 को ₹ 484.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 41.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. वानिकी

101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

(10) जैव विविधता का संरक्षण (वन संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन)

मू.	2,011.74		
पु.	- 928.96		
	1,082.78	1,082.40	- 0.38

31 मार्च 2024 को ₹ 928.96 लाख का प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति कम प्राप्त होने तथा विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने से निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. वानिकी

102. सामाजिक एवं कृषि वानिकी

(28) ग्राम लैण्ड डवलपमेन्ट

[01] वन विभाग

मू.	300.00		
पु.	- 300.00		
	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान नष्ट हुये वनों के पुर्नवनीकरण पर व्यय हेतु प्रावधान पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110. वन्य जीव परिरक्षण

[01] बाघ परियोजना, रणथम्भोर

मू.	9,400.30		
पु.	- 2,354.34		
	7,045.96	6,619.98	- 425.98

₹ 2,354.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 425.98 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 45 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(03) वन क्षेत्रों का रख-रखाव			
मू.	2,575.60		
पु.	- 2,193.81		
	381.79	381.12	- 0.67
31 मार्च 2024 को ₹ 2,193.81 लाख का प्रावधान भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(06) इको ट्यूरिज्म का विकास			
मू.	400.00		
पु.	- 400.00		
	..	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 400.00 लाख का प्रावधान बिलों का इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस के माध्यम से भुगतान नहीं होने से इको डवलपमेन्ट सरचार्ज की राशि के संबंध में खोले गये विभागीय बैंक खातों में निधियां हस्तान्तरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(01) प्रतिकरात्मक वनरोपण			
[01] प्रतिकरात्मक वनरोपण के तहत व्यय			
मू.	5,405.00		
पु.	- 1,478.71		
	3,926.29	3,926.97	+ 0.68
31 मार्च 2024 को ₹ 1,478.71 लाख का प्रावधान (i) चिन्हित गैर वन भूमि (एन.एफ.एल.) में कुल 723.77 हैक्टेयर अग्रिम मृदा कार्य के समर्पण, (ii) चिन्हित गैर वन भूमि (एन.एफ.एल.) अग्रिम मृदा कार्य में लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण वृक्षारोपण कार्य में कुल 276.47 हैक्टेयर भूमि के समर्पण, (iii) निम्नीकृत गैर वन भूमि (डी.एफ.एल.) अग्रिम मृदा कार्य में 29.66 हैक्टेयर के समर्पण, (iv) प्रिसिपल कॉम्पोनेन्ट एनालेसिस(पीसीए) अग्रिम मृदा कार्य में लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण वृक्षारोपण कार्य में 289.92 हैक्टेयर भूमि के समर्पण तथा (v) औषधिय पौधे अग्रिम मृदा कार्य में लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण वृक्षारोपण कार्य में 39.59 हैक्टेयर भूमि के समर्पण के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू.	18,231.00		
पु.	- 3,221.03		
	15,009.97	14,998.46	- 11.51
31 मार्च 2024 को ₹ 3,221.03 लाख का प्रावधान (i) सहायक प्राकृतिक रीजनरेशन (एएनआर) के अग्रिम मृदा कार्य में कम लागत, (ii) वाहनों की खरीद हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (iii) नर्सरी के उन्नयन हेतु कम प्रस्ताव प्राप्त होने, (iv) बुनियादी दरों की अनुसूची (बीएसआर) की दरों में वृद्धि के कारण सीमा स्तम्भों के लक्ष्य कम प्राप्त करने तथा (v) बकाया दायित्वों के भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 772.30 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,448.73 लाख) किया गया।			
₹ 11.51 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2024)।			



**अनुदान संख्या 45 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(10) सांभार लेक मैनेजमेन्ट एजेंसी			
[01] पर्यावरण विभाग के माध्यम से			
मू.	100.00	..	..
पु.	- 100.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान सांभार झील प्रबन्धन एजेंसी के लिए स्वीकृत 21 पदों के विरुद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के फलस्वरूप वेतन और वेतन के अतिरिक्त अन्य मदों में कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(12) ईंधन तथा लकड़ी कोयला व्यापार योजना-प्रतिबद्ध			
मू.	456.02	799.75	- 0.01
पु.	343.73	799.74	- 0.01

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 343.73 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(20) वानिकी, संचार तथा भवनों का आधुनिकीकरण पुनर्जीवीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू.	1,000.00	1,444.91	..
पु.	444.91	1,444.91	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 444.91 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट घोषणा की अनुपालना में पैट्रोलिंग ट्रैक, फायर लाईन एवं नवीन वन चौकियों के निर्माण एवं वन विभाग के भवनों के नवीनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 45 - (क्रमशः)

### पूँजी

#### दत्तमत

1. ₹ 8,996.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 11,514.25 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 8,996.42 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 36.18 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
070. संचार तथा भवन			
(02) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,500.00	..	..
पु.	- 2,500.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,500.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी न किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 207.07 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,292.93 लाख) किया गया।			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(12) एकीकृत वन सुरक्षा योजना			
[01] सुरक्षा एवं विकास कार्य			
मू.	309.41	60.55	60.55
पु.	- 248.86	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 248.86 लाख का प्रावधान वन अग्नि निवारण प्रबन्धन योजना (एफपीएम) के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. वानिकी			
800. अन्य व्यय			
(01) फर्म वन विद्या			
मू.	6,479.00	5,133.40	5,131.82
पु.	- 1,345.60	..	- 1.58
31 मार्च 2024 को ₹ 1,345.60 लाख का प्रावधान वित्त विभाग से कम स्वीकृति मिलने तथा विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने से कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(01) वन क्षेत्रों का संधारण			
मू.	1,422.39	60.69	60.69
पु.	- 1,361.70	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,361.70 लाख का प्रावधान अभ्यारण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नियुक्त होम गार्ड/बोर्डर होम गार्ड के वेतन भुगतान हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अभ्यारण क्षेत्र की सुरक्षा के लिये नियुक्त होम गार्ड/बोर्डर होम गार्ड के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत शीर्ष 16-लघु कार्य के अन्तर्गत बजट में प्रावधान किया गया था।

## अनुदान संख्या 45 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
110. वन्य जीवन			
(06) बाघ परियोजना रणथम्भौर			
मू.	427.60		
अ.	1,470.93	139.54	139.54
पु.	- 1,758.99		..

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,470.93 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,758.99 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन  
110. वन्य जीव  
(16) आकल बुड फौसिल पार्क  
[01] विकास कार्य

मू.	500.00			
पु.	- 500.00	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने से जैसलमेर के आकल बुड फौसिल पार्क में कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन  
800. अन्य व्यय  
(01) पर्यावरण वृक्षारोपण

मू.	5,489.00			
पु.	- 3,161.28	2,327.72	2,327.72	..

31 मार्च 2024 को ₹ 3,161.28 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा स्वीकृती कम जारी करने तथा विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने से निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन  
800. अन्य व्यय  
(02) स्मार्ट ग्रीन सिटी  
[01] नगरीय वन

मू.	2,712.40			
पु.	- 1,124.72	1,587.68	1,587.68	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,124.72 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा स्वीकृती कम जारी करने तथा विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने से निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 45 - (समाप्त)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(16) राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता विकास परियोजना (आर.एफ.बी.डी.पी.)			
[01] बाह्य सहायता (ए एफ डी)			
मू.	1,000.18		
		5,693.99	5,693.99
पु.	4,693.81		..
31 मार्च 2024 को ₹ 4,693.81 लाख की अतिरिक्त निधियां संचालन गतिविधियों के लिए राजस्थान वानिकी जैव-विविधता विकास परियोजना के बैंक खाते में निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीव			
111. चिडियाघर			
(02) पक्षी राहत केन्द्र			
मू.	206.67		
		883.04	883.04
पु.	676.37		..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 676.37 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में घोषित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

### अनुदान संख्या 46 – कृषि विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2401. फसल कृषि-कर्म,

2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और

2435. अन्य कृषि कार्यक्रम

पूंजी – 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,

4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय,

6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज और

6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	36,16,80,27	36,62,69,81	34,27,97,06	– 2,34,72,75
अनुपूरक	45,89,54			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,34,72,60
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,01	26,30	26,30	..
अनुपूरक	25,29			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,32,19,09	1,59,26,00	1,43,69,64	– 15,56,36
अनुपूरक	27,06,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				15,50,80

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,589.54 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

## अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन			
मू .	716.51		
पु .	- 106.78	609.73	609.73
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 106.78 लाख का प्रावधान मुख्यतः से वित्त विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की खरीद के लिए वित्तीय सीमा और तकनीकी मापदण्डों को संशोधित करने के कारण कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद नहीं होने, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की शिथिलता के कारण मार्च, 2024 तक बेबसाइट पर तकनीकी मापदंडों की अनुपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

001. निदेशन तथा प्रशासन  
(05) संचालन  
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	2,954.31			
पु .	- 337.06	2,617.25	2,617.25	..

₹ 337.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय के रुझान के अनुसार वित्त विभाग द्वारा वेतन एवं भत्तों के संशोधित अनुमानों में कमी करने तथा विधानसभा और संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने से कार्यालय व्यय में कमी को आरोपित की गई।

001. निदेशन तथा प्रशासन  
(06) जिला संगठन  
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	1,834.91			
पु .	- 286.74	1,548.17	1,548.17	..

₹ 286.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय के रुझान के अनुसार वित्त विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों में वेतन एवं भत्ते के प्रावधान में कमी करने को आरोपित की गई।

001. निदेशन तथा प्रशासन  
(07) राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट बोर्ड  
[01] संस्थापन व्यय

मू .	402.10			
पु .	- 225.55	176.55	176.55	..

₹ 225.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य में सरकार बदलने के बाद वेतन एवं भत्तों, कार्यालय व्यय, विज्ञापन और प्रचार, प्रशिक्षण, दौरे एवं सम्मेलन, त्यौहार एवं प्रदर्शनी, अनुसंधान आदि पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि दिनांक 18.12.2023 के आदेश द्वारा राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का नामांकन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया, परिणामस्वरूप बोर्ड में उनकी सहायता हेतु नियुक्त कार्मिकों को भी कार्यमुक्त कर दिया गया ।

## अनुदान संख्या 46 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
102. खाद्यान्न फसलें			
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	5,140.14	1,030.00	1,030.00
पु.	- 4,110.14		
31 मार्च 2024 को ₹ 4,110.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 548.51 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,561.63 लाख) किया गया।			
103. बीज			
(01) बीज जांच-प्रतिबद्ध			
मू.	526.97	425.37	425.37
पु.	- 101.60		
₹ 101.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय के रुझान के अनुसार वित्त विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों में वेतन एवं भत्ते के प्रावधान में कमी करने को आरोपित की गयी।			
103. बीज			
(02) राईजोवियम कल्चर के संवर्धन की योजना- प्रतिबद्ध			
मू.	386.14	235.58	235.58
अ.	0.01		
पु.	- 150.57		
31 मार्च 2024 को ₹ 150.57 लाख का प्रावधान व्यय के रुझान के अनुसार वित्त विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों में वेतन एवं भत्ते के प्रावधान में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
105. खाद तथा उर्वरक			
(13) उर्वरक के लिए भूमि परीक्षण प्रयोगशाला			
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	1,370.71	1,196.86	1,196.86
पु.	- 173.85		
₹ 173.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय के रुझान के अनुसार वित्त विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों में वेतन एवं भत्ते के प्रावधान में कमी करने को आरोपित की गयी।			
107. वनस्पति रक्षण			
(08) नॉम-इन्डेमिक क्षेत्रों में कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन			
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	1,220.71	1,010.00	1,009.99
पु.	- 210.71		
₹ 210.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय के रुझान के अनुसार वित्त विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों में वेतन एवं भत्ते के प्रावधान में कमी करने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 46- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(01) कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना			
[06] प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	1,396.22		
पु .	- 175.90		
₹ 175.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय के रुझान के अनुसार वित्त विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों में वेतन एवं भत्ते के प्रावधान में कमी करने को आरोपित की गयी।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(01) कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना			
[08] प्रशिक्षण व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	757.23		
पु .	- 147.91		
₹ 147.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय के रुझान के अनुसार वित्त विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों में वेतन एवं भत्ते के प्रावधान में कमी के कारण आरोपित की गयी।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(02) कृषि सूचना			
मू .	701.00		
अ .	0.01		
पु .	- 154.71		
31 मार्च 2024 को ₹ 154.71 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वित्त विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की खरीद के लिए वित्तीय सीमा और तकनीकी मापदण्डों को संशोधित करने के कारण कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद नहीं होने, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की शिथिलता के कारण मार्च, 2024 तक बेबसाइट पर तकनीकी मापदण्डों की अनुपलब्धता तथा (ii) 202 क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में कम्प्यूटर हार्डवेयर के वार्षिक रखरखाव में आर्थिक मितव्ययता के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[01] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन			
मू .	2,520.00		
पु .	- 887.59		
31 मार्च 2024 को ₹ 887.59 लाख का प्रावधान मुख्य रूप से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि एस.एन.ए. के बैंक खाते के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन से कटौती के समायोजन के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों का वेतन प्रारम्भिक रूप से इस लेखा मद से किया गया और उसके बाद योजना के एस एन ए बैंक खाते से पुनर्भरण किया गया ।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[02] बीज एवम रोपण सामग्री			
मू .	1,291.38		
पु .	- 212.91		
31 मार्च 2024 को ₹ 212.91 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में निधियों का हस्तान्तरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि 18.03.2024 को प्राप्त केन्द्रांश को राज्यांश के साथ एस एन ए के बैंक खाते में हस्तान्तरण की सहमति वित्त विभाग द्वारा 28.03.2024 जारी की गयी लेकिन वर्ष के दौरान कोषालयों द्वारा बिल पारित नहीं हो सके ।			



## अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[03] कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	454.00	9.00	9.00
पु.	- 445.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 445.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(17) जैविक उत्पाद बोर्ड			
[01] संचालन			
मू.	500.00	..	..
पु.	- 500.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान जैविक उत्पाद बोर्ड की स्थापना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2022-23 के दौरान भी, इसी कारण से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(19) एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलोजी			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	500.04	..	..
पु.	- 500.04		..
31 मार्च 2024 को ₹ 500.04 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[19] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ			
मू.	500.00	241.70	241.70
पु.	- 258.30		..
31 मार्च 2024 को ₹ 258.30 लाख का प्रावधान राज्य समेकित निधि में केन्द्रांश की द्वितीय किश्त जमा किये जाने के संबंध में कोई पुष्टिकरण प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया जो कि भारत सरकार से 30.03.2024 को प्राप्त हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्यांश जारी नहीं किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	15,072.30	5,341.67	5,341.67
पु.	- 9,730.63		..
31 मार्च 2024 को ₹ 9,730.63 लाख का प्रावधान राज्य समेकित निधि में केन्द्रांश की द्वितीय किश्त जमा किये जाने के संबंध में कोई पुष्टिकरण प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 30.00 लाख) एवं अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,700.63 लाख) किया गया जो कि भारत सरकार से 30.03.2024 को प्राप्त हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्यांश जारी नहीं किया गया।			

## अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन-कृषि विस्तार			
मू .	1,490.00	917.71	917.70
पु .	- 572.29		
31 मार्च 2024 को ₹ 572.29 लाख का प्रावधान मुख्यतः से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि एस एन ए के बैंक खाते के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन से कटौती के समायोजन के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों का वेतन प्रारम्भिक रूप से इस लेखा मद से किया गया और उसके बाद योजना के एस एन ए बैंक खाते से पुनर्भरण किया गया ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू .	6,146.00	3,565.04	3,565.04
पु .	- 2,580.96		
31 मार्च 2024 को ₹ 2,580.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[29] टिकाऊ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू .	248.16	104.48	104.48
पु .	- 143.68		
₹ 143.68 लाख का की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में गत वर्ष की अव्यतीत राशि की उपलब्धता के कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[31] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू .	3,004.50	915.72	915.72
पु .	- 2,088.78		
31 मार्च 2024 को ₹ 2,088.78 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तीसरी किश्त की प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[37] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पौष्टिक अनाज			
मू	5,835.00	2,276.91	2,276.91
पु .	- 3,558.09		
31 मार्च 2024 को ₹ 3,558.09 लाख का प्रावधान राज्य समेकित निधि में केन्द्रांश की द्वितीय किश्त जमा किये जाने के संबंध में कोई पुष्टिकरण प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। जो कि भारत सरकार से 30.03.2024 को प्राप्त हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्यांश जारी नहीं किया गया ।			

## अनुदान संख्या 46 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[38] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	3,548.83	1,040.71	1,040.71
पु .	- 2,508.12		..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,508.12 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के परिणामस्वरूप योजना के एस. एन. ए. के बैंक खाते में निधियों के कम हस्तान्तरित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[43] आर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता			
मू.	340.00	..	..
पु .	- 340.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 340.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से प्राकृतिक खेती की कार्य योजना के लिए स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	29,125.02	25,313.47	25,313.46
अ.	0.01		- 0.01
पु .	- 3,811.56		
₹ 3,811.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय की प्रवृत्ति के अनुसार वित्त विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों में वेतन एवं भत्तों के प्रावधान में कमी होने तथा विधानसभा/संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	17,300.00	6,517.22	6,517.21
पु .	- 10,782.78		- 0.01
₹ 10,782.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से योजना की तीसरी किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मु.	434.44	..	..
पु .	- 434.44		..
31 मार्च 2024 को ₹ 434.44 लाख का समस्त प्रावधान सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में गत वर्ष की अव्यतीत राशि की उपलब्धता के कारण भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मु.	6,120.00		
		3,749.67	
पु .	- 2,370.33	3,749.67	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,370.33 लाख का प्रावधान भारत सरकार से किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
004. अनुसंधान			
(02) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	1,064.00		
		833.00	
पु .	- 231.00	833.00	..
31 मार्च 2024 को ₹ 231.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा व्यय सीमा में कमी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[01] स्वामी केशवानन्द राज. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	6,160.00		
		5,270.00	
पु .	- 890.00	5,270.00	..
31 मार्च 2024 को ₹ 890.00 लाख का प्रावधान कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण विश्वविद्यालय को कम सहायतार्थ अनुदान (वेतन) जारी करने एवं दो महाविद्यालयों के निर्माण कार्य के शुरू नहीं होने से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु सहायतार्थ अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	1,370.53		
		1,209.93	
पु .	- 160.60	1,209.92	- 0.01
₹ 160.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			

**अनुदान संख्या 46 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(02) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.)			
[01] राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सहायता			
मू .	8,172.00	2,850.20	2,850.20
पु .	- 5,321.80		

31 मार्च 2024 को ₹ 5,321.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
105. खाद तथा उर्वरक			
(11) खाद तथा उर्वरक योजना			
मू .	1,023.01	1,825.42	1,825.42
पु .	802.41		

31 मार्च 2024 को ₹ 802.41 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में की गयी घोषणा की अनुपालना में ढेंचा का बीज और कम्पोस्ट पिट के व्यय को पूरा करने के लिए एवं वर्ष के दौरान पदस्थापित किये गये पांच कृषि अनुसंधान अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण  
(13) नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण

मू .	164.01	1,743.04	1,743.04
पु .	1,579.03		

बजट अनुमान के दौरान वित्त विभाग द्वारा *कृषक कल्याण कोष* से राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत मिनीकिट के वितरण पर हुये व्यय को भारित करने हेतु सहमति दी गयी थी, चूंकि कोष निधि से इस योजना हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए, 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,579.03 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[11] कृषि प्रदर्शन/मिनीकिट्स

मू .	70.00	483.22	483.22
पु .	413.22		

बजट अनुमान के दौरान वित्त विभाग द्वारा *कृषक कल्याण कोष* पर नेपियर घास के प्रदर्शन हेतु हुए व्यय को भारित करने हेतु सहमति की गयी थी, चूंकि कोष निधि से इस योजना हेतु राशि उपलब्ध नहीं की गयी, इसलिए, 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 413.22 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 46 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[18] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन			
मू .	950.00		
पु .	2,143.65	3,093.65	3,093.65
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,143.65 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषि शिक्षा हेतु छात्राओं को बढी हुई दर पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[32] कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन			
मू .	76.00		
पु .	150.39	226.39	226.39
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.39 लाख की अतिरिक्त निधियां किसानों को वितरित बायो फर्टिलाइजर एवं बायो एजेंट्स के भुगतान हेतु 90 प्रतिशत सहाय्य पर उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[35] टिकाऊ खेती मिशन-कृषि वानिकी			
मू	0.01		
पु .	146.15	146.16	146.16
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 146.15 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषि वानिकी सबमिशन योजनान्तर्गत गत वर्षों की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[36] बीज विकास			
मू	0.01		
पु .	716.74	716.75	716.74
			- 0.01
बजट अनुमान के दौरान वित्त विभाग द्वारा कृषक कल्याण निधि से मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना पर हुये व्यय को भारित करने हेतु स्वीकृति दी गयी थी, चूंकि कोष निधि से इस योजना हेतु राशि उपलब्ध नहीं की गयी थी, इसलिए, 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 716.74 लाख की अतिरिक्त निधिया उपलब्ध करायी गयी ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[40] कृषि यंत्रिकरण पर अनुदान			
मू	0.01		
अ.	4,589.47	8,874.71	8,874.71
पु .	4,285.23		
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,285.23 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में की गयी घोषणा की अनुपालना में योजना को लागू करने हेतु कृषक कल्याण कोष से निधियों की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			

**अनुदान संख्या 46 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[44] तारबन्दी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू .	1,700.00	2,388.16	2,388.16
पु .	688.16		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 688.16 लाख की अतिरिक्त निधियां किसानों की मांग पर तारबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यांश में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			

800. अन्य व्यय  
(02) जल आयोजना हेतु सहायतार्थ अनुदान  
[01] सिंचाई जल का समुचित उपयोग

मू .	0.01	9,699.31	9,699.31
पु .	9,699.30		

बजट अनुमान के दौरान वित्त विभाग द्वारा कृषक कल्याण कोष से फार्म पोण्ड, डिगी के निर्माण तथा पाईप लाईन के टॉप अप अनुदान हेतु हुए व्यय को भारित करने हेतु सहमति दी गयी, चूंकि कोष से इस योजना हेतु कोई भी राशि उपलब्ध नहीं की गयी थी, इसलिए, 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,699.30 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी ।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 1,556.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,706.91 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
- ₹ 1,556.36 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 5.56 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू .	5,000.00	2,654.20	2,654.20
पु .	- 2,345.80		

31 मार्च 2024 को ₹ 2,345.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 22.71 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,323.09 लाख) किया गया ।

## अनुदान संख्या 46 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलोजी			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू .	500.00	..	..
पु .	- 500.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
मू .	1,500.00	597.00	..
पु .	- 903.00	597.00	..
31 मार्च 2024 को ₹ 903.00 लाख का प्रावधान राज्य भंडारण गृह, किशनगढ (चूंदडी) में गोदाम निर्माण हेतु कार्यादेश देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6401. फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
800. अन्य कर्ज			
(09) विश्वविद्यालयों को उधार			
[01] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को कर्ज			
मू .	0.01	5,000.00	..
अ.	2,706.90	5,000.00	..
पु .	2,293.09	5,000.00	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,293.09 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



अनुदान संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2403. पशु-पालन और

2405. मछली-पालन

पूंजी - 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय और

4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	14,02,61,19	16,95,38,35	12,87,86,76	- 4,07,51,59
अनुपूरक	2,92,77,16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3,99,85,80
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	52,87,08	66,87,01	64,33,58	- 2,53,43
अनुपूरक	13,99,93			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,53,43

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 29,277.16 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 40,751.59 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 765.79 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 47 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[11] पशुपालन विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू .	7,715.00	5,856.25	5,856.25
पु .	- 1,858.75		
31 मार्च 2024 को ₹ 1,858.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[13] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू .	1,243.70	71.23	71.23
पु .	- 1,172.47		
₹ 1,172.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने और अनुबंध की दर निष्पादित नहीं होने से उपकरण/सामग्री/दवाओं का क्रय नहीं करने को आरोपित की गयी।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय			
[02] पशुपालन विभाग-जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	81,386.02	73,075.02	73,059.21
पु .	- 8,311.00		
₹ 8,311.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 900 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती का मामला न्यायालय में लंबित होने तथा कर्मचारियों का इस शीर्ष से दूसरे लेखा शीर्ष में स्थानांतरित होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने के कारण मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 15.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(17) पशु रोग नियंत्रण योजना (एस्कैड)			
मू .	3,417.00	..	..
पु .	- 3,417.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 3,417.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(29) पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों की स्थापना तथा सुदृढीकरण			
[01] पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मोबाईल वेटेनरी यूनिट )			
मू .	4,207.00	200.00	200.00
पु .	- 4,007.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 4,007.00 लाख का प्रावधान चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मोबाइल वेटेनरी यूनिट का संचालन माह फरवरी, 2024 से प्रारंभ होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 47 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(16) पशुधन नस्ल सुधार योजना			
[01] स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से			
मू .	500.00		
अ .	15,144.80	15,148.30	14,462.45
पु .	- 496.50		- 685.85
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लम्पी बीमारी से मरने वाली गायों के लिए अनुदान हेतु लिया गया ₹ 15,144.80 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत और अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 496.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 685.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(28) ऊँट संरक्षण के लिए अनुदान			
[01] पशुपालन विभाग			
मू .	380.00		
पु .	- 104.30	275.70	274.90
31 मार्च 2024 को ₹ 104.30 लाख का प्रावधान विधानसभा और संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण लाभार्थियों को अनुदान का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(29) जीव जन्तु कल्याण बोर्ड			
[01] पशुपालन विभाग			
मू .	250.00		
पु .	- 150.00	100.00	100.00
31 मार्च 2024 को ₹ 150.00 लाख का प्रावधान कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने के परिणामस्वरूप पशु कल्याण बोर्ड को अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(30) पशु मित्र योजना			
[01] निदेशक पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	138.00		
पु .	- 138.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 138.00 लाख का समस्त प्रावधान विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा			
(01) पशुधन एवं पशुपालक बीमा			
[01] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	3,100.00		
पु .	- 3,100.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,100.00 लाख का समस्त प्रावधान पशुपालन विभाग द्वारा आमंत्रित निविदा में किसी भी बीमा कंपनी के भाग नहीं लेने के परिणामस्वरूप बीमा योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 47 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा			
(02) मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना			
[01] निदेशक पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	6,900.00		
अ .	14,000.00	3,086.59	3,086.55
पु .	- 17,813.41		- 0.04
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा पशु बीमा के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 14,000.00 लाख का प्रावधान प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 17,813.41 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित (₹ 14,820.94 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,992.47 लाख) किया गया।			
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण			
(04) कौशल विकास एवं विस्तार			
[01] विकास एवं विस्तार			
मू .	400.40	..	..
पु .	- 400.40	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत निधियां जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2405. मछली पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) सुपरवाईजरी स्टाफ			
मू .	282.01	166.80	166.80
पु .	- 115.21		..
₹ 115.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,032.65	898.28	898.27
पु .	- 134.37		- 0.01
₹ 134.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
101. अन्तर्देशीय मछली पालन			
(11) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना			
[01] मछली पालन विकास			
मू .	179.00	..	..
पु .	- 179.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 179.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 47- (क्रमशः)**

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 1,399.93 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,399.92 लाख का प्रावधान अनुदान के तहत ₹ 253.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(17) पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्रों का निर्माण			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. टी-XXVIII			
मू .	1,600.00	..	..
पु .	- 1,600.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹1,600.00 लाख का समस्त प्रावधान ट्रेन्च XXVIII के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य
- (18) पशु चिकित्सा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय
- [01] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

मू .	400.01	200.00	200.00	..
पु .	- 200.01			

₹ 400.01 लाख का प्रावधान राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (एक स्वायत्त निकाय) के अंतर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के स्थान पर पूंजीगत प्रकृति के व्यय करने के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2024 को ₹ 200.01 लाख अभ्यर्पित (₹ 66.36 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 133.65 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

इस स्वायत्त निकाय के अन्तर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 2021-22 के दौरान प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा शीर्ष खोला गया। प्रारंभ में उपरोक्त व्यय के लिए बजट प्रावधान मौजूदा प्रावधानों के अनुसार राजस्व व्यय शीर्ष के तहत किया गया था, इसलिए इस पूंजीगत शीर्ष को खोलने की सहमति महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय द्वारा नहीं दी गई थी क्योंकि उस वर्ष राजस्व व्यय शीर्ष के तहत अनुदान के माध्यम से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए स्वायत्त संस्थान /निकाय को निधियां जारी की जानी चाहिए थी।

2023-24 के दौरान भी राज्य सरकार ने शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान किया और व्यय दर्ज किया। यह जी.एफ. एण्ड ए आर, सरकारी लेखा नियम 1990 और भारतीय सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस. )-2 के उल्लंघन में व्यय के गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

4405. मछली -पालन पर पूंजीगत परिव्यय
101. अन्तर्देशीय मछली पालन
- (08) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
- [01] मछली पालन विकास

मू .	187.00	..	..	..
पु .	- 187.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 187.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 47- (समाप्त)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(11) जिला कार्यालय एवं पशु चिकित्सालय			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	1,100.00		
पु .	1,33.58		
	1,233.58	1,233.58	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,33.58 लाख की अतिरिक्त निधियां अधिक निर्माण कार्यों की स्वीकृति के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(17) पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्रों का निर्माण			
[03] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. टी-XXIX			
अ .	1,399.93		
पु .	1,600.07		
	3,000.00	3,000.00	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,600.07 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड ट्रेन्च XXIX के अन्तर्गत स्वीकृत मुख्य कार्यों के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को निधियां हस्तांतरित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी क्योंकि ट्रेन्च XXVIII के अन्तर्गत पशुपालन विभाग के प्रस्तावों को नाबार्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था ।

अनुदान संख्या 48 – उद्यानिकी विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2401. फसल कृषि-कर्म  
पूंजी – 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	8,17,70,37		
अनुपूरक	6,45,13	8,24,15,50	5,80,63,72 - 2,43,51,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			2,43,51,17
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1		
अनुपूरक	50	51	50 - 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			1

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>			
मूल	40,35,03		
अनुपूरक	..	40,35,03	3,85,00 - 36,50,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			36,50,03

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 645.13 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू .	9,230.02		
पु .	- 7,077.47	2,152.55	2,152.55 ..

31 मार्च 2024 को ₹ 7,077.47 लाख का प्रावधान विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 48 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	17,867.12		
पु.	- 5,295.79	12,571.33	12,571.33

₹ 5,295.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से तीसरी किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(37) आटोमेशन पर सहायता

मू.	572.00	..	..
पु.	- 572.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 572.00 लाख का प्रावधान फर्टिगेशन, फोलियर फर्टिलाइजेशन एवं आटोमेशन कार्यक्रम के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(46) पीएम-कुसुम कंपोनेंट 'बी' हेतु सहायता  
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से

मू.	22,520.50	4,375.96	4,375.96
पु.	- 18,144.54		..

31 मार्च 2024 को ₹ 18,144.54 लाख का प्रावधान (i) नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत से 3,5 एवं 7.5 एच पी पम्प सेटों की दरें देरी से प्राप्त होने, (ii) विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा (iii) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के माध्यम से फर्म के बैंक खाते में निधियों का हस्तान्तरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 5,270.64 लाख) एवं अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 12,873.90 लाख) किया गया।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(47) सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान  
(एम आई एफ- नाबार्ड)  
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से

मू.	24,500.00	18,447.66	18,447.66
पु.	- 6,052.34		..

31 मार्च 2024 को ₹ 6,052.34 लाख का प्रावधान (i) जल संसाधन विभाग द्वारा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण होने के अभाव में सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों के शुरू नहीं होने जो कि सूक्ष्म सिंचाई निधि के तहत धौलपुर लिफ्ट परियोजना के 28,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावित थी तथा (ii) सूक्ष्म सिंचाई के तहत भारत सरकार से तीसरी/चौथी किश्त प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्यांश का कम उपयोग होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 48 – (क्रमशः)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(02) बागवानी का विकास			
मू .	2,036.93		
अ.	645.10	10,090.63	10,090.90
पु .	7,408.60		+ 0.27

31 मार्च 2024 को ₹ 7,408.60 लाख की अतिरिक्त निधियां अगले दो वर्षों में 60 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/ शेड नेट हाउस/लो टनल/प्लास्टिक मल्टिचिंग के संबंध में सहाय्य जारी करने हेतु पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी क्योंकि किसान कल्याण निधि से योजना हेतु अपेक्षित शेष निधियां उपलब्ध नहीं थी ।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें

(29) फल बगीचों की स्थापना हेतु सहायता

मू .	10.50			
पु .	232.37	242.87	242.87	..

31 मार्च 2024 को ₹ 232.37 लाख की अतिरिक्त निधियां अगले दो वर्षों में 10 हजार किसानों को 15 हजार हैक्टेयर में फलों के बगीचे हेतु सहाय्य जारी करने हेतु पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी क्योंकि किसान कल्याण निधि से योजना हेतु अपेक्षित शेष निधियां उपलब्ध नहीं थी।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें

(30) उद्यानिकी फसलों का प्रदर्शन हेतु सहायता

मू .	27.40			
पु .	2,733.40	2,760.80	2,760.80	..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,733.40 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) खरीफ 2023 में आपूर्ति किये गये सब्जी बीज किट के बिलों का 30 प्रतिशत शेष भुगतान, (ii) रबी 2023-24 में आपूर्ति किये गये सब्जी बीज किट का 70 प्रतिशत भुगतान तथा (iii) सब्जी बीज किटों का परिवहन शुल्क हेतु, क्योंकि किसान कल्याण निधि से अपेक्षित निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण निधियां जारी करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें

(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान

मू .	0.01			
पु .	524.51	524.52	524.52	..

31 मार्च 2024 को ₹ 524.51 लाख की अतिरिक्त निधियां अगले दो वर्षों में 60 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/ शेड नेट हाउस/लो टनल/प्लास्टिक मल्टिचिंग के संबंध में सहाय्य जारी करने और अगले दो वर्षों में राज्य के सभी लघु/सीमान्त किसानों साथ ही अधिसूचित जन जातीय क्षेत्र के किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता जारी करने के लिए पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी क्योंकि किसान कल्याण निधि से आवश्यकतानुसार शेष निधि उपलब्ध नहीं थी ।

**अनुदान संख्या 48 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(48) कम लागत के प्याज भण्डारण हेतु अनुदान			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	0.01		
		1,698.33	1,698.33
पु .	1,698.32		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,698.32 लाख की अतिरिक्त निधियां 10 हजार किसानों को प्याज भण्डारण की कम लागत वाली संरचनाओं के निर्माण हेतु सहाय्य के जारी करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्योंकि किसान कल्याण निधि से आवश्यकतानुसार शेष निधि उपलब्ध नहीं थी ।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(52) मधुमक्खी पालन पर अनुदान			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
अ .	0.01		
		109.25	109.25
पु .	109.24		..

31 मार्च 2024 को ₹ 109.24 लाख की अतिरिक्त निधियां अगले वर्ष मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, धौलपुर एवं अन्य जिलों के 10 हजार किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी क्योंकि किसान कल्याण निधि से सम्पूर्ण निधि उपलब्ध नहीं थी ।

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(05) सुक्ष्म सिंचाई के लिए उत्कृष्टता केन्द्र			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	3,000.00		
		..	..
पु .	- 3,000.00		..

₹ 3,000.00 लाख का प्रावधान बजट में की गयी घोषणा अनुसार सभी संभागीय मुख्यालयों पर सुक्ष्म सिंचाई के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमानित था । यद्यपि, सुक्ष्म सिंचाई के लिए उत्कृष्टता केन्द्र हेतु ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 3,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया ।

## अनुदान संख्या 48 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(06) मधुमक्खी पालन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	650.01	..	..
पु .	- 650.01	..	..

₹ 650.01 लाख का प्रावधान बजट में की गयी घोषणा की अनुपालना में राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत श्रीगंगानगर जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वित्त विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के माध्यम से इस बजट घोषणा के कार्यान्वयन को निष्पादित करने के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 650.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

### अनुदान संख्या 49 – गोपालन विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,  
2403. पशु-पालन और  
2404. डेरी विकास  
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और  
4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	18,33,61,67	18,81,05,41	17,98,61,85	- 82,43,56
अनुपूरक	47,43,74			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				82,43,55
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	50,00,01	50,00,01	25,67,86	- 24,32,15
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				24,32,14

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

1. फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,743.74 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन				
102. पशु तथा भैंस विकास				
(20) गोपालन विभाग				
[04] वध से बचाये गौ वंश हेतु अनुदान				
मू .	130.00	20.69	20.69	..
पु .	- 109.31			

31 मार्च 2024 को ₹ 109.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 49 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(27) राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजनाएं			
[01] सोर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान योजना			
मू .	1,000.01	..	..
पु .	- 1,000.01	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.01 लाख का समस्त प्रावधान *सॉर्टेड सीमेन योजना* प्रारंभ नहीं होने के परिणामस्वरूप पशु वंश वृद्धि हेतु अनुदान जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2404. डेयरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			

मू .	20,000.00		
अ .	2,000.00	20,000.00	20,000.00
पु .	- 2,000.00		..

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को अधिक अनुदान जारी करने के लिए लिया गया ₹ 2,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 2,000.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(01) नंदीशाला योजना			
[01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना			
मू .	5,000.00	2,564.45	2,564.45
पु .	- 2,435.55		..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,435.55 लाख का प्रावधान (i) विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप *गौ-शाला विकास योजना एवं पंचायत स्तरीय नंदीशाला योजना* के अंतर्गत निविदा आमंत्रित नहीं किए जाने तथा ठेका नहीं दिए जाने, (ii) *पंचायत स्तरीय नंदीशाला जनसहभागिता योजना* के अन्तर्गत जिला स्तर पर टेंडर अन्तिमीकरण करने हेतु अपेक्षित आवेदन प्राप्त नहीं होने तथा (iii) *पंचायत स्तरीय नंदीशाला जनसहभागिता योजना* के तहत जिला स्तर पर 10 प्रतिशत स्वयं का कार्य समय पर निष्पादित करने संबंधी पात्रता पूर्ण नहीं होने से टेंडर रद्द किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,432.14 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3.41 लाख) किया गया।

## अनुदान संख्या 50 – सहकारिता विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और  
 2425. सहकारिता  
 पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,  
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज और  
 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	11,60,04,83			
अनुपूरक	16,38,10,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		27,98,14,83	12,08,66,44	- 15,89,48,39
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		1	..	- 1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	11,43,16			
अनुपूरक	7,29,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		18,72,16	2,92,72	- 15,79,44

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 1,58,948.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,63,810.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 1,58,948.39 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 126.72 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।

### अनुदान संख्या 50 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
मू .	500.00	0.03	0.03
पु .	- 499.97		..

31 मार्च 2024 को ₹ 499.97 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत सिंगल नोडल एजेंसी का बैंक खाता खोलना प्रक्रियाधीन होने के कारण भारत सरकार द्वारा मैचिंग अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

001. निदेशन तथा प्रशासन

(04) निदेशन एवं प्रशासन

[01] प्रधान एवं खण्ड कार्यालय संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	2,791.10	2,479.98	2,475.45	- 4.53
पु .	- 311.12			

₹ 311.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (क) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रजिस्ट्रार के खिलाफ जाँच लम्बित होने के कारण चार माह का वेतन आहरित नहीं होने, (ख) आईएफएमएस 3.0 में तकनीकी खामियों के कारण प्रधान कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा वेतन और बकाया का आहरण नहीं किया जाने, (ग) मुख्यालय में पदस्थ एक अन्य अतिरिक्त रजिस्ट्रार का चार माह का वेतन अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र एवं अवकाश स्वीकृत नहीं होने के कारण आहरित नहीं हो सकने, (घ) चुनाव आचार संहिता और अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति के कारण विभिन्न केंद्र के अन्तर्गत 40 पदों के रिक्त रहने और (ङ) चुनाव आचार संहिता के कारण विभागीय पदोन्नती में देरी होने को आरोपित की गई ।

₹ 4.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

001. निदेशन तथा प्रशासन

(05) आयोग (ऋण माफी)

[01] सहकारिता विभाग के माध्यम से

अ .	100.00	..	..	..
पु .	- 100.00			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन हेतु लिया गया ₹ 100.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वर्ष के दौरान आयोग का गठन नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया ।

003. प्रशिक्षण

(01) विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण

मू .	30.00	12.83	12.83	..
अ.	1,000.00			
पु .	- 1,017.17			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु लिया गया ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय नहीं हुआ क्योंकि (क) सहकारी संस्थाओं के चुनाव में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सहभागिता, (ख) सहकारी प्रबन्धन में उच्च डिप्लोमा में नामांकन के कारण विभागीय कर्मचारियों की अनुपलब्धता और (ग) राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा 2023-24 में भर्ती के लिए कार्यवाही नहीं की गयी, परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 को ₹ 1,017.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया ।

## अनुदान संख्या 50 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(20) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू .	54,490.00		
पु .	- 46,946.00	7,544.00	7,544.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 46,946.00 लाख का प्रावधान प्रतिपूरक ब्याज अनुदान योजना और ऋण माफी योजना के अन्तर्गत बिलों के पास होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) के माध्यम से दावों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(29) कृषि ऋण माफी योजना			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू .	2,717.00		
पु .	- 2,717.00	..	..
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,717.00 लाख का समस्त प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(30) दीर्घकालीन ऋणियों के लिए ब्याज अनुदान			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से			
मू .	1,900.00		
अ.	210.00	1,900.00	1,900.00
पु .	- 210.00		..
			..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड को अधिक अनुदान के लिए योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की वृद्धि से व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 210.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।			
31 मार्च 2024 को ₹ 210.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गए (जुलाई 2024)।			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(31) राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋणियों को ब्याज अनुदान			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू .	3,500.00		
पु .	- 3,467.13	32.87	32.87
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,467.13 लाख का प्रावधान राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋणियों को ब्याज अनुदान हेतु अपेक्स बैंक से दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			



**अनुदान संख्या 50 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
800. अन्य व्यय			
(02) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू .	33,600.00		
पु .	- 18,197.00	15,403.00	15,403.00

31 मार्च 2024 को ₹ 18,197.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा पास होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा (ईसीएस) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय  
(05) मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना  
[01] एनएफएसए परिवारों को फ्री राशन

अ .	1,62,500.00		
पु .	- 84,513.73	77,986.27	77,867.35

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के परिवारों को मुफ्त राशन हेतु लिया गया ₹ 1,62,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत और अन्तिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 84,513.73 लाख का प्रावधान जिला कलेक्टर स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के परिवारों को मुफ्त राशन का भुगतान प्रक्रियाधीन होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 83,821.69 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 692.04 लाख) किया गया।

₹ 118.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 729.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
195. सहकारिता में निवेश			
(03) अन्य सहकारी समितियों में निवेश			
[01] महिला सहकारी समितियों हेतु विनियोजन			
मू .	3.00		
अ .	729.00	88.20	88.20
पु .	- 643.80		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा महिला सहकारी समितियों में निवेश हेतु लिया गया ₹ 729.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 643.80 लाख का प्रावधान उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों से महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए हिस्सा राशि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 50 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्राम सेवा सहकारी समिति			
[01] गोदाम के निर्माण हेतु			
मू.	840.00		
		154.80	154.80
पु.	- 685.20		..
31 मार्च 2024 को ₹ 685.20 लाख का प्रावधान निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
6425. सहकारिता के लिए कर्ज			
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज			
(07) स्पिन फेड/कॉटन कॉम्प्लेक्स को उधार			
मू.	300.00		
		49.72	49.72
पु.	- 250.28		..
31 मार्च 2024 को ₹ 250.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

अनुदान संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,  
 2029. भू-राजस्व,  
 2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर,  
 2041. वाहन कर,  
 2055. पुलिस,  
 2056. जेल,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,  
 2202. सामान्य शिक्षा,  
 2203. तकनीकी शिक्षा,  
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,  
 2205. कला एवं संस्कृति,  
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,  
 2211. परिवार कल्याण,  
 2217. शहरी विकास,  
 2220. सूचना तथा प्रचार,  
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,  
 2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,  
 2236. पोषण,  
 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत,  
 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,  
 2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं,  
 2401. फसल कृषि-कर्म,  
 2403. पशु-पालन,  
 2404. डेरी विकास,  
 2405. मछली-पालन,  
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,  
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,  
 2425. सहकारिता,  
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम,  
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,  
 2505. ग्राम रोजगार,  
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,  
 2700. मुख्य सिंचाई,  
 2701. मध्यम सिंचाई,  
 2702. लघु सिंचाई,  
 2705. कमान क्षेत्र विकास,  
 2801. बिजली,  
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,  
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,  
 2852. उद्योग,  
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,  
 3054. सड़क तथा सेतु,  
 3055. सड़क परिवहन,  
 3075. अन्य परिवहन सेवाएं,  
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,  
 3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,  
 3452. पर्यटन,  
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,  
 3456. सिविल पूर्ति और  
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
 पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6700. मुख्य सिंचाई के लिए कर्ज,  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
--------------------------	------------------	-------------------

(₹ सहस्र में)

राजस्व

दत्तमत

मूल 2,69,28,37,30

अनुपूरक 10,78,53,94

2,80,06,91,24 2,25,40,37,26 - 54,66,53,98

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि (31 मार्च 2024)

53,78,54,83

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				
				1
<b>पूँजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	82,04,60,68	84,28,35,17	51,65,91,12	- 32,62,44,05
अनुपूरक	2,23,74,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				
				32,60,62,37

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 5,46,653.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,07,853.94 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,07,853.68 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 5,46,653.98 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 8,799.15 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 2,02,807.99 लाख, ₹ 1,71,647.48 लाख, ₹ 2,21,901.85 लाख, ₹ 2,47,231.18 लाख तथा ₹ 5,46,653.98 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी थी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 9.98 प्रतिशत से 19.52 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय भू-अभिलेख सुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम			
[01] भू-प्रबन्ध विभाग			
मू.	293.18	..	..
पु.	- 293.18		

31 मार्च 2024 को ₹ 293.18 लाख का समस्त प्रावधान डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में केंद्रीय नोडल खाते/व्यक्तिगत निक्षेप खाते में भारत सरकार से प्राप्त निधियों का हस्तांतरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान इंवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	3,000.00	599.58	599.58
पु.	- 2,400.42		..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,400.42 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिल पारित होने के बाद भी पात्र इकाइयों को इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान उडयन विश्वविद्यालय की स्थापना			
[01] सामान्य प्रशासन विभाग			
मू.	700.02	..	..
पु.	- 700.02		..
31 मार्च 2024 को ₹ 700.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(08) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
[01] अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु			
मू.	1,350.00	1,098.07	1,092.63
पु.	- 251.93		- 5.44
31 मार्च 2024 को ₹ 251.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 5.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[02] समग्र शिक्षा अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एस.सी.एस.पी.) के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय			
मू.	2,39,502.01	1,91,101.91	1,91,098.67
पु.	- 48,400.10		- 3.24
₹ 48,400.10 लाख की प्रत्याशित बचत (i) भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयंश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के परिणामस्वरूप सहाय्यता अनुदान (गैर-वेतन) कम जारी होने को आरापित की गयी।			

**अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[05] स्टार परियोजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय)			
मू.	5,270.00		
पु.	- 1,465.84		
	3,804.16	3,804.16	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,465.84 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[02] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एस.सी.एस.पी.) के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय			
मू.	1,554.01		
पु.	- 253.73		
	1,300.28	1,300.28	..
₹ 253.73 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयंश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने तथा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा (ई.सी.एस.) के द्वारा कुछ बिलों का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[05] राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एस.सी.एस.पी.) के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय			
मू.	1,254.81		
पु.	- 435.56		
	819.25	819.25	..
₹ 435.56 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण			
मू.	15,700.00		
पु.	- 8,928.84		
	6,771.16	4,280.72	- 2,490.44

### अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

31 मार्च 2024 को ₹ 8,928.84 लाख का प्रावधान (i) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस द्वारा मार्च के अंत में वेतन बिलों का भुगतान नहीं करने तथा (ii) भारत सरकार से केन्द्रीयंश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 2,490.44 लाख की अंतिम बचत फीस प्रतिपूर्ति के तहत शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत निजी स्कूलों को भारत सरकार से प्राप्त निधियों को राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से ₹ 8,432.66 लाख सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते से सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत केंद्रीय सहायता के तहत ₹ 2,618.76 लाख का व्यय हुआ। फिर भी राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) स्कूल वापसी अभियान			
[01] निःशुल्क पोषाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय			
मू.	3,946.01		
पु.	- 3,735.67	210.34	210.09
			- 0.25

31 मार्च 2024 को ₹ 3,735.67 लाख का प्रावधान कक्षा I से VIII तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पोषाक वितरण के संबंध में राज्य सरकार से देशी से स्वीकृति मिलने तथा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस के द्वारा कुछ बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (08) मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना
- [01] विद्यार्थियों के लिए दूध पोषाहार

मू.	18,900.00			
अ.	2,500.00	17,670.32	17,670.32	..
पु.	- 3,729.68			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा दुग्ध पोषाहार के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 2,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 3,729.68 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 02. माध्यमिक शिक्षा
- 107. छात्रवृत्तियां
- (05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां
- [02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां

मू.	12,800.00			
पु.	- 7,384.86	5,415.14	5,423.14	+ 8.00

₹ 7,384.86 लाख की प्रत्याशित बचत (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने, (ii) आवासीय विद्यालयों के छात्रों के बिलों की प्रतिपूर्ति पर व्यय वास्तविक आधार पर करने तथा (iii) कोषालय से बिल पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस के द्वारा बिलों का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।

₹ 8.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(14) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	700.00		
		40.48	
पु.	- 659.52	40.48	..

31 मार्च 2024 को ₹ 659.52 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) माडल स्कूल			
[02] माडल स्कूल-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	7,555.00		
		6,813.34	
पु.	- 741.66	6,813.34	..

31 मार्च 2024 को ₹ 741.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[02] समग्र शिक्षा-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	30,866.02		
		18,847.78	
पु.	- 12,018.24	18,534.97	- 312.81

₹12,018.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 312.81 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) अनुसूचित जाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्गी/प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू.	1,750.00		
		404.78	
पु.	- 1,345.22	404.78	..

31 मार्च 2024 को ₹1,345.22 लाख का प्रावधान गार्गी पुरस्कार योजना के तहत बालिका शिक्षा फाउंडेशन के पास गत वर्षों की अव्ययित राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	2,520.00	..	..
पु.	- 2,520.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,520.00 लाख का समस्त प्रावधान निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिलों की आपूर्ति में देरी और फर्म से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(19) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	362.00	..	..
पु.	- 362.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 362.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान कॉलेज एज्युकेशन सोसायटी (आर.ए.जे.-सी.ई.एस.)			
[02] नवीन राजकीय महाविद्यालय (एस.सी.एस.पी.)			
अ.	300.00	..	..
पु.	- 300.00	..	..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा नये सरकारी महाविद्यालयों को सहायता के लिए लिया गया ₹ 300.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जाति के लिये)			
मू.	3,165.58	2,287.30	..
पु.	- 878.28	2,287.30	..
₹ 878.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	1,800.00		
पु.	- 235.28	1,564.72	1,564.72

31 मार्च 2024 को ₹ 235.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	351.42		
पु.	- 167.07	184.35	184.36 + 0.01

31 मार्च 2024 को ₹ 167.07 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू.	230.94		
अ.	75.00	..	..
पु.	- 305.94		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्कूटी वितरण हेतु लिया गया ₹ 75.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि ₹ 305.94 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।

04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन			
मू.	258.20		
पु.	- 258.20	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 258.20 लाख का समस्त प्रावधान माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास पड़ी अव्ययित राशि से महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय के संचालन हेतु समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं पर आवर्ती व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) नवभारत साक्षरता कार्यक्रम			
[01] साक्षरता विभाग के माध्यम से			
मू.	224.46	..	..
पु.	- 224.46		
31 मार्च 2024 को ₹ 224.46 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
05. भाषा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिये)			
[02] संस्कृत स्कूल			
मू.	2,255.45	1,913.31	..
पु.	- 342.14		
₹ 342.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदोन्नति पर वेतन एवं भत्तो का भुगतान उस मद के स्थान पर अन्य लेखा शीर्षों से किये जाने तथा आशवासित कैरियर प्रगति के बकाया का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) राजस्थान उच्च तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना			
[01] उच्च तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम			
मू.	180.00	..	..
पु.	- 180.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 180.00 लाख का समस्त प्रावधान चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2205. कला एवं संस्कृति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	419.00	252.75	..
पु.	- 166.25		
31 मार्च 2024 को ₹ 166.25 लाख का प्रावधान (i) नए कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिलने, (ii) संवेदकों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण भवानी नाट्यशाला, झालावाड़ के संरक्षण और नवीनीकरण कार्य पर कम व्यय होने तथा (iii) झालावाड़ में चनेरी-पनेरी मंदिर एवं ग्वाल मंदिर का संरक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[04] ग्रामीण अस्पताल और औषधालय आयुर्वेद-प्रतिबद्ध			
मू.	831.92		
		612.31	612.31
पु.	- 219.61		..
31 मार्च 2024 को ₹ 219.61 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू.	1,943.00		
		634.57	634.57
पु.	- 1,308.43		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,308.43 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-दवा			
[01] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	700.00		
		..	..
पु.	- 700.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 700.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना- जांच			
[01] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,000.00		
		..	..
पु.	-1,000.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) जनता क्लीनिक			
[01] डी. एम. एच. एस. के माध्यम से			
मू.	390.02		
पु.	- 335.70	54.32	54.32 ..
31 मार्च 2024 को ₹ 335.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[04] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू.	715.00		
पु.	- 715.00	..	.. ..
₹ 715.00 लाख का प्रावधान <i>शुभ लक्ष्मी योजना</i> के तहत लाभार्थियों को तीसरी किश्त के भुगतान के लिए अनुमानित था। यद्यपि तीसरी किश्त की शर्तें पूरी नहीं होने तथा परिवारों के अपने स्थान से पलायन करने के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 715.00 का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेड बाइड इमरजेन्सी एम्बूलेंस सेवा योजना			
मू.	3,753.00		
पु.	- 3,753.00	..	.. ..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,753.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार की <i>कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना</i> (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन. यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन. यू.एच.एम.)			
मू.	991.00		
पु.	- 621.00	370.00	.. - 370.00
31 मार्च 2024 को ₹ 621.00 लाख का प्रावधान राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत <i>कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना</i> (पीआईपी) से अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, ₹ 370.00 लाख का प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)			
मू.	1,131.65		
		582.37	582.37
पु.	- 549.28		..

31 मार्च 2024 को ₹ 549.28 लाख का प्रावधान राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत *कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना* (पीआईपी) से अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2217. शहरी विकास
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
- (02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं
- [09] जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एस.सी.एस.पी.)

मू.	178.30			
		..	..	..
पु.	- 178.30			

31 मार्च 2024 को ₹ 178.30 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

05. अन्य शहरी विकास योजनाएं
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
- (02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं
- [24] राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एस.सी.एस.पी.)

अ.	3,000.00			
		..	..	..
पु.	- 3,000.00			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान शहरी परिवहन निगम को अनुदान हेतु लिया गया ₹ 3,000.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि ₹ 3,000.00 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता
- (14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान
- [05] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान (एस.सी.एस.पी.)

मू.	360.48			
		..	..	..
पु.	- 360.48			

31 मार्च 2024 को ₹ 360.48 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[02] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	2,763.65		
पु.	- 2,308.98	454.67	454.67
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[08] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	755.02		
पु.	- 401.77	353.25	353.25
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[11] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	1,132.52		
पु.	- 602.65	529.87	529.87
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[17] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	196.52		
पु.	- 196.52	..	..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 3,509.92 लाख का प्रावधान योजना के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से निधियां कम/ प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(51) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/ सुधार/पुनरुद्धार			
[02] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	2,852.80		
अ.	2,139.60	2,139.60	..
पु.	- 2,852.80		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा शहरी निकायों में सड़कों की मरम्मत हेतु लिया गया ₹ 2,139.60 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। ₹ 2,852.80 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,  
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता
- (53) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0
- [02] स्वायत्त शासन विभाग (एस.सी.एस.पी.)

मू.	1,070.00			
पु.	- 1,070.00	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,070.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,  
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता
- (54) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0
- [02] स्वायत्त शासन विभाग (एस.सी.एस.पी.)

मू.	447.55			
पु.	- 447.55	..	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 447.55 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	18,119.30		
पु.	- 5,650.31	12,468.99	12,470.00 + 1.01
31 मार्च 2024 को ₹ 5,650.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[05] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	953.59	..	..
पु.	- 953.59	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 953.59 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[02] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	6,904.75	3,269.81	3,269.81 ..
पु.	- 3,634.94		
31 मार्च 2024 को ₹ 3,634.94 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[05] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	10,357.12		
पु.	- 5,452.41	4,904.71	4,904.71

31 मार्च 2024 को ₹ 5,452.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- (55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं
- [11] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (एस.सी.एस.पी.)

मू.	1,797.23		
पु.	- 1,797.23	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,797.23 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- (56) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार
- [02] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार (एस.सी.एस.पी.)

मू.	4,279.20		
अ.	3,209.40	3,209.40	3,209.40
पु.	- 4,279.20		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा शहरी निकायों में सड़कों की मरम्मत हेतु लिया गया ₹ 3,209.40 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। 31 मार्च 2024 को ₹ 4,279.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(57) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0			
[02] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	2,496.00	..	..
पु.	- 2,496.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,496.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(60) मध्यम शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार			
[02] स्वायत्त शासन विभाग-एस.सी.एस.पी.			
मू.	300.00	..	..
पु.	- 300.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(61) विकास कार्यों हेतु नगरीय निकायों के लिए विशेष अनुदान			
[02] स्वायत्त शासन विभाग-एस.सी.एस.पी.			
मू.	400.00	..	..
पु.	- 400.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/ से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[05] ग्रीन टैक्स का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट			
शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण			
(एस.सी.एस.पी.)			
मू.	4,227.93	3,184.00	..
पु.	- 1,043.93	3,184.00	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,043.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/ से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार			
का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष			
8229-200-(13) में अन्तरण (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	7,936.12		
		7,147.00	7,147.00
पु.	- 789.12		..
31 मार्च 2024 को ₹ 789.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य			
पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	13,004.00		
		3,106.91	3,106.91
पु.	- 9,897.09		..
31 मार्च 2024 को ₹ 9,897.09 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) संबल ग्रामों का विकास हेतु अनुदान			
मू.	950.00		
		..	..
पु.	- 950.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 950.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) अनुसूचित जातियों के लिए सहयोग योजना अंतर्गत अनुदान			
मू.	2,500.00		
		1,880.45	1,880.45
पु.	- 619.55		..
31 मार्च 2024 को ₹ 619.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) अंतर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ			
मू.	3,500.00	1,020.00	1,020.00
पु.	- 2,480.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,480.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियां तथा वजीफा			
मू.	20,000.02	9,215.81	9,302.55
पु.	- 10,784.21		+ 86.74
31 मार्च 2024 को ₹ 10,784.21 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 86.74 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(22) प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना			
मू.	7,008.01	..	..
पु.	- 7,008.01		..
31 मार्च 2024 को ₹ 7,008.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(27) कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना			
[01] अनुसूचित जातियों की छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण			
मू.	1,156.14	..	..
पु.	- 1,156.14		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,156.14 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(28) अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना			
[01] महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रावास हेतु सहायता			
मू.	300.00		
		55.48	55.66
			+ 0.18
पु.	- 244.52		

31 मार्च 2024 को ₹ 244.52 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

01. श्रम

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(05) मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सम्बल योजना

[01] आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर

मू.	400.00		
		..	..
पु.	- 400.00		..

₹ 400.00 लाख का प्रावधान *मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना* के अन्तर्गत बजट घोषणा की अनुपालना में पंजीकृत श्रमिकों और पथ विक्रेताओं को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान दैनिक मजदूरी की हानि होने पर बिना किसी आवेदन के अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए ₹ 200 प्रति दिन की दैनिक मजदूरी प्रदान करने हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, 31 मार्च 2024 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान आगामी निर्देश तक योजना पर आगे की कार्रवाई स्थगित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. श्रम

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(07) गिग वर्कर्स कल्याण योजना

[01] आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर

मू.	500.00		
		..	..
पु.	- 500.00		..

₹ 500.00 लाख का प्रावधान बजट घोषणा की अनुपालना में सभी गिग वर्कर्स को हेलमेट, ड्रेस, जूते आदि के लिए ₹ 5,000 की एकमुश्त सहायता हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, 31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख समस्त प्रावधान विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम			
[03] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	1,340.00	715.00	715.00
पु.	- 625.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 625.00 लाख का प्रावधान आवंटित निधियों के आहरण हेतु स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. रोजगार सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) रोजगार विभाग के माध्यम से			
मू.	90.00	385.60	385.60
अ.	610.00		..
पु.	- 314.40		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा त्योहारों और प्रदर्शनियों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 610.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 314.40 लाख का प्रावधान अक्टूबर, 2023 से विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के परिणामस्वरूप लक्षित सर्व मेगा जॉब फेयर का आयोजन नहीं हो पाने तथा उसके बाद शेष अवधि हेतु मेले के आयोजन के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. रोजगार सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	11,700.00	7,916.93	7,916.93
पु.	- 3,783.07		..

31 मार्च 2024 को ₹ 3,783.07 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा गैर-कुशल लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण हेतु गत वर्षों में किये गये भुगतान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[27] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	5,800.00	3,861.40	3,858.48
पु.	- 1,938.60		- 2.92

31 मार्च 2024 को ₹ 1,938.60 लाख का प्रावधान विधानसभा और संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा भुगतान पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निजी निक्षेप खाते में निधियां हस्तांतरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[06] स्वास्थ्य जागरूकता एवं निशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण (उड़ान)			
मू.	9,000.00		
		6,774.87	6,774.57
			- 0.30
पु.	- 2,225.13		

31 मार्च 2024 को ₹ 2,225.13 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिल पास करने पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निधियां हस्तांतरित नहीं करने तथा राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम को हस्तांतरित की जाने वाली निधियां हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
- [02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

मू.	93,800.00		
अ .	16,000.00	95,044.68	95,044.65
पु .	- 14,755.32		- 0.03

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेतु लिया गया ₹ 16,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। 31 मार्च 2024 को ₹ 14,755.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना
- [02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना

मू.	48,800.00		
अ .	8,300.00	43,302.93	43,302.94
पु .	- 13,797.07		+ 0.01

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना हेतु लिया गया ₹ 8,300.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। 31 मार्च 2024 को ₹ 13,797.07 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

### अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	15,600.00		
अ.	2,600.00	13,913.72	13,913.73 + 0.01
पु.	- 4,286.28		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना हेतु लिया गया ₹ 2,600.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। 31 मार्च 2024 को ₹ 4,286.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
- 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (06) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना
- [02] अनुसूचित जातियों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

मू.	4,100.00		
अ.	700.00	3,506.59	3,506.60 + 0.01
पु.	- 1,293.41		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना हेतु लिया गया ₹ 700.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। 31 मार्च 2024 को ₹ 1,293.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

- 60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
- 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (06) जीवन दुर्घटना बीमा योजना
- [01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से

मू.	10,800.00		
पु.	- 2,700.00	8,100.00	8,100.00 ..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,700.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दावों की प्राप्ति के अनुसार अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) कार्मिक कल्याण योजनाएं			
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
मू.	48,000.00	24,000.00	24,000.00
पु.	- 24,000.00		..

₹ 48,000.00 लाख का प्रावधान राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए अनुमानित था लेकिन वित्त विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2210 के तहत योजना के लिए एक नया शीर्ष खोला गया है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24,000.00 लाख की अव्ययित राशि 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित की गयी।

2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	60,500.00	52,081.30	52,081.30
पु.	- 8,418.70		..

31 मार्च 2024 को ₹ 8,418.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
[01] प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
मू.	2,875.81	138.00	138.00
पु.	- 2,737.81		..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,737.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (आई.जी.एम.पी.वाई)			
[01] आईसीडीएस के माध्यम से			
मू.	1,495.00		
पु.	- 502.67	992.33	992.33
31 मार्च 2024 को ₹ 502.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) प्रियदर्शिनी डे-केयर योजना			
[01] समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर			
मू.	500.00		
पु.	- 500.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि से संचालित योजनाएं			
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा			
मू.	8,915.00		
पु.	- 8,915.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 8,915.00 लाख का समस्त प्रावधान जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अंतरण			
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि			
[02] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि के बजट शीर्ष 8235-00-200-(09)-[01] में अंतरण (एस.सी.एस.पी. )			
मू.	8,915.00		
पु.	- 8,915.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 8,915.00 लाख का समस्त प्रावधान प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि में निधियों के हस्तान्तरण हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	3,351.70		
		2,022.67	2,022.66
पु.	- 1,329.03		- 0.01
31 मार्च 2024 को ₹ 1,329.03 लाख का प्रावधान राज्य समेकित निधि में केन्द्रीयों की दूसरी किस्त की पुष्टि नहीं होने जो 30.03.2024 को भारत सरकार से प्राप्त हुई तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[21] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	2,000.00		
		688.34	688.34
पु.	- 1,311.66		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,311.66 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	606.90		
		240.12	240.12
पु.	- 366.78		..
31 मार्च 2024 को ₹ 366.78 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तीसरी किस्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[29] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पोष्टिक अनाज			
मू.	1,300.00		
		557.88	557.88
पु.	- 742.12		..
31 मार्च 2024 को ₹ 742.12 लाख का प्रावधान राज्य समेकित निधि में केन्द्रीयों की दूसरी किस्त की पुष्टि नहीं होने जो 30.03.2024 को भारत सरकार से प्राप्त हुई तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[30] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	1,098.86		
		358.38	358.38
पु.	- 740.48		..
31 मार्च 2024 को ₹ 740.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में निधियों का कम हस्तांतरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	1,500.00		
		561.66	561.66
पु.	- 938.34		..
31 मार्च 2024 को ₹ 938.34 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । राज्य के बड़े क्षेत्र में शुष्क जलवायु के प्रचलित होने तथा बागवानी विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विषम जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करता है ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	4,944.40		
		3,503.33	3,503.33
पु.	- 1,441.07		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,441.07 लाख का प्रावधान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से केन्द्रीयों की तीसरी एवं चौथी किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[12] सौर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता			
मू.	4,500.00		
		446.85	446.85
पु.	- 4,053.15		..
31 मार्च 2024 को ₹ 4,053.15 लाख का प्रावधान नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से 3, 5 एवं 7.5 एच.पी पम्प सेट की दरें देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	5,000.00	1,096.24	1,096.24
पु.	- 3,903.76		
₹ 3,903.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से योजना की तीसरी किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	978.41	160.00	160.00
पु.	- 818.41		
31 मार्च 2024 को ₹ 818.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने परिणामस्वरूप योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में निधियों का कम हस्तांतरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,620.00	748.50	748.50
पु.	- 871.50		
31 मार्च 2024 को ₹ 871.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) पी एम-कुसुम केपोनेंट 'बी' हेतु सहायता			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	3,750.00	998.24	998.24
पु.	- 2,751.76		
31 मार्च 2024 को ₹ 2,751.76 लाख का प्रावधान नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से 3, 5 एवं 7.5 एच.पी पम्प सेट की दरें देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) सुक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान			
(एम.आई.एफ.-नाबार्ड)			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	5,950.00	2,407.46	2,407.46
पु.	- 3,542.54		
31 मार्च 2024 को ₹ 3,542.54 लाख का प्रावधान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से केन्द्रीयों की तीसरी एवं चौथी किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुधन एवं पशुपालक बीमा			
[04] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	2,000.00		
		97.06	97.06
पु.	- 1,902.94		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,902.94 लाख का प्रावधान चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं रेट निर्धारित नहीं होने के परिणामस्वरूप उपकरण/सामग्री/दवाओं का क्रय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) पशुधन एवं पशुपालक बीमा  
[05] पशु रोग नियंत्रण योजना

मू.	1,045.00			
अ.	0.02			
पु.	- 1,045.02			

31 मार्च 2024 को ₹ 1,045.02 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार से निधियां 28.03.2024 को प्राप्त होने के परिणामस्वरूप एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में निधियां हस्तांतरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) पशुधन एवं पशुपालक बीमा  
[12] पशुपालन विभाग के माध्यम से

मू.	1,000.00			
पु.	- 1,000.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान पशुपालन विभाग द्वारा आमंत्रित निविदा में किसी भी बीमा कंपनी के भाग नहीं लेने के परिणामस्वरूप बीमा योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(06) पशुधन नस्ल सुधार योजना  
[01] पशुपालन विभाग

मू.	500.00			
अ.	5,415.20	5,239.70	5,049.55	- 190.15
पु.	- 675.50			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लम्पी बीमारी से मरने वाली गायों के लिए लिया गया ₹ 5,415.20 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित और अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 675.50 लाख का प्रावधान सरकारी स्वीकृति देरी से मिलने के परिणामस्वरूप कार्यकारी संस्था जे.के. ट्रस्ट के बकाया बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 190.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण			
[01] पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मोबाइल वेटेनरी यूनिट )			
मू .	1,143.40		
पु .	- 1,012.23	131.17	131.17
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,012.23 लाख का प्रावधान चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप मोबाइल वेटेनरी यूनिट का संचालन माह फरवरी, 2024 से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) ऊंट संरक्षण के लिए अनुदान			
[01] पशुपालन विभाग			
मू .	225.00		
पु .	- 194.95	30.05	29.10
			- 0.95
31 मार्च 2024 को ₹ 194.95 लाख का प्रावधान अक्टूबर, 2023 और मार्च, 2024 में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना			
[01] निदेशक पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	1,800.00		
अ .	3,500.00	1,173.05	1,173.05
पु .	- 4,126.95		..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा बीमा के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 3,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 4,126.95 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू .	3,575.00		
पु .	- 579.81	2,995.19	2,995.19
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 579.81 लाख का प्रावधान बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स (बी.एस.आर.) की दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप सीमा स्तंभों के लक्ष्य कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू.	13,233.00	828.00	828.00
पु.	- 12,405.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 12,405.00 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिल पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम (ई.सी.एस.) के माध्यम से ब्याज अनुदान का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	8,160.00	2,142.00	2,142.00
पु.	- 6,018.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 6,018.00 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिल पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम (ई.सी.एस.) के माध्यम से ब्याज अनुदान का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) कृषि ऋण माफी योजना			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू.	660.00	..	..
पु.	- 660.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 660.00 लाख का समस्त प्रावधान कोषालय द्वारा पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम (ई.सी.एस.) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋणियों को ब्याज अनुदान			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू.	850.00	..	..
पु.	- 850.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 850.00 लाख का समस्त प्रावधान कोषालय द्वारा पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम (ई.सी.एस.) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना			
[01] एन.एफ.एस.ए. परिवारों को फ्री राशन			
अ .	50,000.00		
		22,163.77	- 30.95
पु .	- 27,836.23	22,132.82	

31 मार्च 2024 को ₹ 27,836.23 लाख का प्रावधान *मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना* के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) को भुगतान जिला कलेक्टरों के पास प्रक्रियाधीन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 30.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड कम्पोनेट			
[03] कार्यकलाप संबन्धी (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू .	10,076.27		
		2,208.96	..
पु .	- 7,867.31	2,208.96	

31 मार्च 2024 को ₹ 7,867.31 लाख का प्रावधान निम्न कारणों से अभ्यर्पित किया गया (i) भारत सरकार से अगली किश्त प्राप्त नहीं हुई, भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पूर्व में प्राप्त राशि का 75 प्रतिशत उपयोग होने पर ही अगली किश्त का प्रस्ताव भेजा जाना था। लेकिन व्यय कम होने के कारण अगली किश्त के प्रस्ताव नहीं भेजे गए तथा (ii) निविदा प्रक्रिया पूरी होने में अधिक समय लगने से समय पर कार्यादेश जारी नहीं होने के कारण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति रही ।

05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) राजीव गांधी जल संचय योजना			
[03] जल संरक्षण योजना (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू .	7,399.45		
		..	..
पु .	- 7,399.45	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 7,399.45 लाख का समस्त प्रावधान राज्य निधि के हस्तांतरण के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग में प्रक्रियाधीन रहने, विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने तथा फरवरी, 2024 से *मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान-2.0* प्रारंभ होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[03] अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	22,140.00	18,196.87	18,196.87
पु.	- 3,943.13		..

31 मार्च 2024 को ₹ 3,943.13 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना  
[03] एन.आर.ई.टी.पी. (अनुसूचित जातियों के लिए )

मू.	1,500.00	891.15	891.15	..
पु.	- 608.85			

31 मार्च 2024 को ₹ 608.85 लाख का प्रावधान पहली किस्त की दूसरी ट्रैच से संबंधित निधियां सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं होने, क्योंकि एस. एन. ए. के बैंक खाते में निधियां स्थानांतरित करने की मंजूरी भारत सरकार से देरी से प्राप्त होने के कारण से ऐसी किश्त वित्त विभाग से 31 मार्च 2024 को प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(12) स्टार्टअप विलेज एंटरप्रिन्डोरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)  
[03] अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए )

मू.	0.04	522.87	522.87	..
अ.	1,240.00			
पु.	- 717.17			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 1,240.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 717.17 लाख का प्रावधान प्रथम किस्त की दूसरी ट्रैच से संबंधित निधियां सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि निधियां भारत सरकार से 31 मार्च 2024 को प्राप्त हुयी।

**अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (आई.एफ.सी.)			
[03] इन्टीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर हेतु अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
अ .	445.00		
		229.00	229.00
पु .	- 216.00		

जुलाई, 2023 प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा एकीकृत कृषि क्लस्टर के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्ति की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 445.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 216.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां देरी से प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने और संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप जिलों को देरी से निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	93,531.77		
		42,129.33	42,129.33
पु .	- 51,402.44		

31 मार्च 2024 को ₹ 51,402.44 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 39,058.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 12,344.44 लाख) किया गया।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	4,500.00		
		2,502.11	2,502.11
पु .	- 1,997.89		

31 मार्च 2024 को ₹ 1,997.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(41) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(अनुसूचित जातियों के लिए)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	20,621.70		
पु.	- 18,549.95	2,071.75	2,071.74
			- 0.01
31 मार्च 2024 को ₹ 18,549.95 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	900.00		
पु.	- 255.00	645.00	645.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 255.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(44) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत			
जिला परिषद के लिए निष्पादन अनुदान			
[03] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	1,614.64		
पु.	- 1,614.64	..	..
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,614.64 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत			
समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	18,000.00		
पु.	- 13,992.20	4,007.80	4,007.80
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 13,992.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए निष्पादन अनुदान			
[03] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	6,456.24	..	..
पु.	- 6,456.24	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 6,456.24 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	67,500.00	18,621.61	18,597.14
पु.	- 48,878.39		- 24.47
31 मार्च 2024 को ₹ 48,878.39 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 24.47 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(36) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए निष्पादन अनुदान			
[03] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	24,210.90	..	..
पु.	- 24,210.90	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 24,210.90 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(38) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पी.ई.एस.ए.)			
[01] पंचायती राज विभाग के माध्यम से (अनुसूचित जाति)			
मू.	500.00	..	..
पु.	- 500.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	360.00		
		202.00	202.00
पु.	- 158.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 158.00 लाख का प्रावधान योजना के निजी निक्षेप खाते में गत वर्ष की अव्ययित राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
मू.	3,000.00		
		..	..
पु.	- 3,000.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,000.00 लाख का समस्त प्रावधान योजनान्तर्गत कार्य योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] मनरेगा कर्मियों को राज्य निधि से अतिरिक्त रोजगार			
मू.	18,000.00		
		831.70	831.70
पु.	- 17,168.30		..
31 मार्च 2024 को ₹ 18,000.00 लाख का प्रावधान मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को राज्य निधि से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिये जाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की कम संख्या के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 17,168.30 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[02] विशेष योग्य जनों हेतु अतिरिक्त रोजगार			
मू.	1,134.00		
		12.80	12.80
पु.	- 1,121.20		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,134.00 लाख का प्रावधान मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले विशेष योग्य परिवारों को राज्य निधि से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिये जाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की कम संख्या के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 1,121.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया ।			



## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(08) जिला नवाचार निधि योजना			
[02] नवाचार गतिविधियों हेतु अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	594.00	297.00	297.00
पु.	- 297.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 297.00 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के परिणामस्वरूप नई निविदा प्रक्रिया पर रोक लगने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान			
मू.	600.00	..	..
पु.	- 600.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पास निधियों की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(30) खादी की बिक्री पर रिबेट			
[01] खादी वस्त्रों की बिक्री पर रिबेट हेतु अनुदान			
मू.	1,400.00	700.00	700.00
पु.	- 700.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 700.00 लाख का प्रावधान स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से छूट के दावों की लेखा परीक्षा कराने के कारण राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में लंबित छूट के दावे प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2852. उद्योग			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(20) मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना			
[01] मार्जिन मनी			
अ.	300.00	3.06	3.06
पु.	- 296.94		..

31 मार्च 2024 को ₹ 296.94 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना मई, 2023 में लागू हुई और दिशानिर्देश जुलाई, 2023 में जारी किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसके बाद तीन महीने के लिए विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, कर्मचारियों/अधिकारियों को अगले दो महीनों के लिए विकसित भारत अभियान में भी लगाया गया। जिसके कारण नवंबर माह में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा योजना के तहत बैंकों को जो लक्ष्य आवंटित किये जा रहे थे, उसमें अपेक्षाकृत कम संख्या में आवेदन योजना के तहत बैंकों को अग्रेषित किये गये। इसके अलावा, डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (बी.आर.यू.पी. वाई.) में एससी/एसटी वर्ग के युवाओं को तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ मिलने के कारण योजना के तहत कम आवेदन प्राप्त हुए।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(20) मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	300.00	..	..
पु.	- 300.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान *मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना* मई, 2023 में लागू हुई और दिशानिर्देश जुलाई, 2023 में जारी किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसके बाद तीन महीने के लिए विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, कर्मचारियों/अधिकारियों को अगले दो महीनों के लिए *विकसित भारत अभियान* में भी लगाया गया। जिसके कारण नवंबर माह में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा योजना के तहत बैंकों को जो लक्ष्य आवंटित किये जा रहे थे, उसमें अपेक्षाकृत कम संख्या में आवेदन योजना के तहत बैंकों को अग्रेषित किये गये। इसके अलावा, डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (बी.आर.यू.पी. वाई. ) में एससी/एसटी वर्ग के युवाओं को तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ मिलने के कारण योजना के तहत कम आवेदन प्राप्त हुए।

3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण			
[05] राज्य सड़क विकास निधि के बजट शीर्ष			
8225-02-101-(01) में अन्तरण-एस.सी.एस.पी.			
मू.	1,90,000.00	65,056.40	65,056.40
पु.	- 1,24,943.60		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,24,943.60 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन सूचना और प्रचार			
मू.	1,152.00	20.99	20.99
पु.	- 1,131.01		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,131.01 लाख का प्रावधान (i) मार्केटिंग (विज्ञापन/सेमिनार) पर व्यय *पर्यटन विकास कोष* से होने, (ii) जहां-ए-खुसरो, मसाला चौक एवं हवामहल महोत्सव का आयोजन नहीं करने तथा (iii) विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[18] ब्लॉक स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेंस			
मू.	376.00	180.00	180.00
पु.	- 196.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 196.00 लाख का प्रावधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के संचालन और रखरखाव पर व्यय की कम आवश्यकता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] राज सम्पर्क			
मू.	1,554.00	777.00	777.00
पु.	- 777.00		..
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[31] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	2,048.00	1,539.42	1,539.42
अ.	0.01		..
पु.	- 508.59		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 508.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) स्टेट डेटा सेंटर में विद्युत की कम खपत के कारण बिजली बिल पर कम व्यय होने, (ii) विभाग द्वारा किए गए भुगतान में जुर्माने में कमी होने तथा (iii) एज़्योर के एप्लिकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (ए.टी.एस.), प्योरएप मशीन के ए.टी.एस., डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के ए.टी.एस. और सिस्टम-ऑन-ए-चिप (एस.ओ.सी.), उपकरणों के ए.टी.एस./ए.एम.सी./ के सब्सक्रिप्शन का क्रय नहीं होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू.	1,622.00	1,110.00	..
पु.	- 512.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 512.00 लाख का प्रावधान (i) विधान सभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप सुविधा प्रबंधन सेवाओं/वार्षिक रखरखाव अनुबंधों की प्रक्रिया में देरी होने तथा (ii) कैमरों पर गैर-फाइबर कनेक्टिविटी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(06) राजस्थान जन आधार योजना  
[02] राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

मू.	400.00	27.02	27.02	..
पु.	- 372.98			

31 मार्च 2024 को ₹ 372.98 लाख का प्रावधान (i) जिला कार्यालयों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण पुस्तकों की छपाई पर कम व्यय होने, (ii) परियोजना प्रबंधन शाखा के तहत काउंसलर के लिए किए गए प्रावधान, कार्यालय व्यय, विज्ञापन, बिक्री, प्रचार आदि का व्यय राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के पास उपलब्ध अव्ययित राशि से करने, (iii) राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (आर.आई.एस.एल. ) के लिए जन आधार और अन्य विविध कार्यों के लिए प्रदान की गई राशि की मांग नहीं की गयी क्योंकि व्यय आर.आई.एस.एल. के निजी निक्षेप खाते में गत वर्ष की उपलब्ध अव्ययित राशि से करने तथा (iv) विधानसभा और संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(07) राजीव गांधी युवा कोर (आर वाई सी)  
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	1,275.00	615.37	615.37	..
पु.	- 659.63			

31 मार्च 2024 को ₹ 659.63 लाख का प्रावधान (i) युवा मित्रों की नियुक्ति में समय लगने के कारण प्रशिक्षण एवं मानदेय पर कम व्यय होने, पहले से नियुक्त युवा मित्रों द्वारा कार्य पर नहीं आने, युवा मित्रों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व कार्य छोड़ना तथा विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा (ii) विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता के कारण कंप्यूटर/प्रिंटर का क्रय नहीं होने एवं मोबाइल ऐप मेंटेनेंस पोर्टल डेवलपमेंट के माध्यम से अनुबंध पर तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	230.00	..	..
पु.	- 230.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 230.00 लाख का समस्त प्रावधान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, जोधपुर में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण वेतन, अन्य प्रशासनिक शुल्क, विद्युत, पानी, आउटरीच/आई.ई.सी गतिविधियों, सेमिनार और सम्मेलनों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (14) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना
- [01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	1,04,500.00	50,727.62	50,727.62	..
पु.	- 53,772.38			

31 मार्च 2024 को ₹ 1,04,500.00 लाख का प्रावधान विनियोग विधेयक 2023-24 पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन में *मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना* का विस्तार करने के लिए अनुमानित था। योजना के पहले चरण में कुल 40 लाख लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया, जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 10वीं से 12वीं कक्षा की छात्राएं, सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं और विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ उनकी पसंद का स्मार्ट फोन प्रदान करने के लिए शामिल हैं। लेकिन, डी.बी.टी. के माध्यम से केवल 24.56 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने का प्रावधान हुआ जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 को ₹ 53,772.38 लाख को अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (16) साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
- [01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	180.00	..	..	..
पु.	- 180.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 180.00 लाख का समस्त प्रावधान विधान सभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप साइबर रेंज प्लेटफॉर्म के संचालन और स्थापना के लिए आवश्यक मेनपावर के लिए कार्य आदेश देरी से जारी होने से व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(18) तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	300.00	..	..
पु.	- 300.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान तकनीकी आधारित निगरानी प्रणाली के अंतर्गत विभागों से ड्रोन की आवश्यकता प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	7,480.00	3,133.62	3,133.62
पु.	- 4,346.38		..
₹ 4,346.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः खाद्यान्नों के परिवहन, संग्रहण और वितरण हेतु सहाय्य कम जारी करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) एन.एफ.एस.ए. परिवारों को मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन किट योजना			
[01] मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन			
मू.	20,000.00	..	..
पु.	- 20,000.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 20,000.00 लाख का समस्त प्रावधान नई योजना लागू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना			
[01] गैस सिलेण्डर			
मू.	30,000.00	24,270.91	24,270.91
पु.	- 5,729.09		..
31 मार्च 2024 को ₹ 5,729.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	304.05		
		131.27	131.27
पु.	- 172.78		..
31 मार्च 2024 को ₹ 172.78 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	709.46		
		292.19	292.19
पु.	- 417.27		..
31 मार्च 2024 को ₹ 417.27 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021			
[01] इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सहायता			
मू.	600.00		
		..	..
पु.	- 600.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	12,000.00		
		5,538.00	5,538.00
पु.	- 6,462.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 6,462.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

### अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2202. सामान्य शिक्षा				
02. माध्यमिक शिक्षा				
107. छात्रवृत्तियां				
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां				
[04] कक्षा 6-8 के बालकों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति				
मू.	2,300.00	3,391.32	3,390.48	- 0.84
पु.	1,091.32			
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,091.32 लाख की अतिरिक्त निधियां कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पात्र विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के अनुसार छात्रवृत्ति भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।				
02. माध्यमिक शिक्षा				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जाति के लिये)				
[01] लड़कों के विद्यालय (आवासीय विद्यालय)				
मू.	1,24,128.59	1,58,603.74	1,58,605.07	+ 1.33
पु.	34,475.15			
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34,475.15 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति और शिक्षकों/कर्मचारियों के दौरे के खर्चों के बकाया दावों का भुगतान करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।				
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(01) अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)				
मू.	4,186.26	7,898.21	7,898.21	..
पु.	3,711.95			
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,711.95 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।				



**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आयुर्वेदिक शिक्षा			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	820.00		
		1,060.00	1,060.00
पु.	240.00		..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 240.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन और भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु अनुदान जारी होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	5,470.96		
		8,270.03	8,270.03
पु.	2,799.07		..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,799.07 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	1,658.21		
		2,068.12	2,068.13
पु.	409.91		+ 0.01
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 409.91 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	13,800.01		
		18,406.05	18,403.13
पु.	4,606.04		- 2.92
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,606.04 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सा समूह, बीकानेर			
मू.	2,275.50	2,983.19	2,983.11
पु.	707.69		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 707.69 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों पर पदस्थापन, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान एवं कर्मचारियों के बकाया का भुगतान के कारण वेतन एवं भत्तों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय  
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सा समूह,  
कोटा

मू.	3,280.16	4,158.08	4,156.84
पु.	877.92		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 877.92 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) वर्ष के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या 165 से 187 तक बढ़ने के कारण वजीफा तथा (ii) पीजी, पोस्ट पीजी और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की संबद्धता के लिए शुल्क के भुगतान के फलस्वरूप अन्य शुल्कों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

06. लोक स्वास्थ्य  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(13) राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021  
[01] राज्य बीमा प्रा. लि. विभाग के माध्यम से

अ.	0.01	28,000.00	28,000.00
पु.	27,999.99		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,999.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	41,063.00		
		51,193.00	51,563.00
			+ 370.00
पु.	10,130.00		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,130.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य की योजना सीमा में राशि का प्रावधान भारत सरकार की अनुमोदित *कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना* (पीआईपी) से कम था, जो कि संशोधित प्रावधान में पीआईपी के अनुसार करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 370.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2217. शहरी विकास

80. सामान्य

191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,  
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता

(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं

[02] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (एस.सी.एस.पी.)

मू.	927.16			
		5,157.61	5,157.61	..
पु.	4,230.45			

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,230.45 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य

191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,  
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता

(58) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन  
(अमृत) 2.0-रिफोर्म ई.टी.सी.

[02] स्वायत्त शासन विभाग-एस.सी.एस.पी.

मू.	0.01			
		178.00	178.00	..
पु.	177.99			

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 177.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	855.84	4,760.87	4,760.87
पु.	3,905.03		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,905.03 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(59) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आई.ई.सी.)			
[02] स्वायत्त शासन विभाग-एस.सी.एस.पी.			
मू.	0.02	282.75	282.75
पु.	282.73		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 282.73 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) अनुसूचित जातियों के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	17,000.00	25,729.35	25,730.94
अ.	3,000.00		
पु.	5,729.35		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,729.35 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निगम को सहायता			
मू.	1,500.00	3,956.50	3,956.50
पु.	2,456.50		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,456.50 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
03. प्रशिक्षण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू.	455.72	664.60	664.61
पु.	208.88		
			+ 0.01

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 208.88 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) अन्य विभाग से पदोन्नति और स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों को भरने से वेतन और भत्तों, (ii) मौजूदा और नए खुले सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्त फोकल्टी संकायों को मानदेय का भुगतान नई दरों और मापदंडों पर तथा (iii) अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों में लिये गये ग्रुप-डी, सफाई कर्मचारी, चौकीदार और माली के लिए संविदा सेवाओं का भुगतान पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[05] अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना के अंतर्गत संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	1,237.00	1,422.07	1,421.70
पु.	185.07		
			- 0.37

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 185.07 लाख की अतिरिक्त निधियां महिला सहायिकाओं (साथिन) की बढ़ी हुई संख्या को मानदेय के भुगतान पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			
मू.	324.00	540.00	540.00
पु.	216.00		
			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 216.00 लाख की अतिरिक्त निधियां ऋण अनुदान के लिए अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना			
[01] अनुसूचित जाति के वरिष्ठ व्यक्तियों हेतु तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	920.00	1,425.00	1,425.00
पु.	505.00		
			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 505.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[04] जल आयोजन हेतु अनुदान			
मू.	0.01		
पु.	1,762.63	1,762.64	..
बजट अनुमान के दौरान फार्म तालाब, डिग्गी निर्माण एवं पाइप लाइन के लिए टॉप-अप अनुदान का व्यय वहन करने की सहमति दी गई, चूंकि इस योजना के लिए राशि आवंटित नहीं की गई थी, इसलिए 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,762.63 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[13] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन			
मू.	250.00		
पु.	497.93	747.93	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 497.93 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषि शिक्षा हेतु छात्राओं को बढ़ी हुई दर से प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[28] बीज विकास			
मू.	0.01		
पु.	210.79	210.80	..
बजट अनुमान के दौरान मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना पर होने वाले व्यय को किसान कल्याण निधि से वहन करने की सहमति दी गई, चूंकि इस योजना के लिए राशि आवंटित नहीं की गई थी, इसलिए 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 210.79 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[32] कृषि यंत्रिकरण पर अनुदान			
मू.	0.01		
पु.	1,158.40	1,158.41	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,158.40 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में योजना के कार्यान्वयन के लिए किसान कल्याण कोष से निधियां उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के द्वारा			
[18] नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण			
मू.	29.01		
पु.	214.95	243.96	243.96
			..
<p>बजट अनुमान के दौरान राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत मिनी किट वितरण पर होने वाले व्यय को किसान कल्याण निधि से वहन करने की सहमति दी गई, चूंकि इस योजना के लिए निधि से राशि आवंटित नहीं की गई थी, इसलिए 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 214.95 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।</p>			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[01] बागवानी विकास			
मू.	1.00		
अ.	0.01	927.93	927.93
पु.	926.92		..
<p>31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 926.92 लाख की अतिरिक्त निधियां अगले दो वर्षों में 60 हजार कृषकों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो टनल/प्लास्टिक मल्टिप्लिंग के संबंध में सहाय्य जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। क्योंकि इस योजना के लिए किसान कल्याण निधि से अपेक्षित शेष निधियां उपलब्ध नहीं हुई।</p>			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) कम लागत के प्याज भण्डारण हेतु अनुदान			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	0.01		
पु.	168.87	168.88	168.87
			- 0.01
<p>31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 168.87 लाख की अतिरिक्त निधियां 10 हजार कृषकों के लिए प्याज भंडारण की कम लागत वाली संरचनाओं के निर्माण के संबंध में सहाय्य जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। क्योंकि किसान कल्याण निधि से आवश्यक शेष निधियां उपलब्ध नहीं हुई।</p>			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	1,076.04		
पु.	466.37	1,542.41	1,542.41
			..
<p>31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 466.37 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।</p>			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
25 15. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[06] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	0.01		
		1,529.58	1,509.48
पु.	1,529.57		- 20.10

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,529.57 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 20.10 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान  
[03] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान  
(अनुसूचित जातियों के लिये)

मू.	4,304.16		
		6,169.65	6,169.65
पु.	1,865.49		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,865.49 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान  
[06] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान  
(अनुसूचित जातियों के लिए)

मू.	0.01		
		6,118.33	6,118.33
पु.	6,118.32		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,118.32 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	16,140.60		
पु.	7,006.57	23,147.17	23,144.76
			- 2.41
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,006.57 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[06] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	0.01		
पु.	22,909.54	22,909.55	22,907.98
			- 1.57
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,909.54 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
पु.	3,634.88	3,634.89	3,634.89
			..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[01] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
पु.	46,899.21	46,899.22	46,899.22
			..

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
		10,917.97	10,917.97
पु.	10,917.96		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 61,452.05 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार की 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा योजना के अंतर्गत जयपुर एवं अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के घाटे की 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के संबंध में उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विद्युत् वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्य (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
		15,022.16	15,022.16
पु.	15,022.15		..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विद्युत् वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्य (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
		13,465.11	13,465.11
पु.	13,465.10		..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विद्युत् वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्य (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
		6,786.80	6,786.80
पु.	6,786.79		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,274.04 लाख की अतिरिक्त निधियां पुनोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को गत वर्षों की बकाया टैरिफ सहाय्य वर्षवार जारी करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।

### अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[08] अनुसूचित जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	4,944.00	10,371.76	4,530.07
पु.	5,427.76		
			- 5,841.69

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,427.76 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 5,841.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

### पूंजी

#### दत्तमत

- ₹ 3,26,244.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 22,374.46 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 0.03 लाख) में लिया गया ₹ 22,374.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 3,26,244.05 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में राशि ₹ 181.68 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 98,463.22 लाख, ₹ 1,97,341.69 लाख, ₹ 83,556.69 लाख, ₹ 3,14,598.22 लाख तथा ₹ 3,26,244.05 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.18 प्रतिशत से 43.86 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का अधिकांश कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा कार्यों का निष्पादन कम/न होना था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,200.00	501.51	501.51
पु.	- 698.49		
			..

31 मार्च 2024 को ₹ 698.49 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] जेल भवन का निर्माण			
मू.	770.54	564.80	564.80
पु.	- 205.74		..
31 मार्च 2024 को ₹ 205.74 लाख का प्रावधान कार्यों के लिए निविदाओं में बोलीदाताओं द्वारा भाग नहीं लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	1,620.01	..	443.43 + 443.43
पु.	- 1,620.01		
31 मार्च 2024 को ₹ 1,620.01 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा बिना प्रावधान के ₹ 443.43 लाख का व्यय किये जाने के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	1,615.00	628.46	628.46
पु.	- 986.54		..
31 मार्च 2024 को ₹ 986.54 लाख का प्रावधान राजस्व विभाग के नए कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) ई.वी.एम. वेयर हाउस निर्माण			
[01] राज्य निर्वाचन आयोग			
मू.	235.00	63.97	63.97
पु.	- 171.03		..
31 मार्च 2024 को ₹ 171.03 लाख का प्रावधान जुलाई, 2023 में वेयर हाउस के मानचित्र के पुनरीक्षण के संबंध में आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वेयर हाउस का चल रहा निर्माण कार्य बंद होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। संशोधित मानचित्र जनवरी, 2024 में स्वीकृत हुआ जिसके परिणामस्वरूप कम व्यय हुआ।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) सामान्य प्रशासनिक भवन निर्माण			
[01] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	4,250.00	..	..
पु.	- 4,250.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 4,250.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मॉड्यूल के माध्यम से स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) माध्यमिक शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			

मू. 2,106.65

पु. - 2,106.65

31 मार्च 2024 को ₹ 2,106.65 लाख का समस्त प्रावधान नये कार्य शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) कालेज शिक्षा			
[90] वृहद निर्माण कार्य			

मू. 4,260.00

पु. - 2,912.78

1,347.22

1,347.22

..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,912.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			

मू. 502.00

पु. - 502.00

..

..

..

31 मार्च 2024 को ₹ 502.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	800.00		
		380.00	380.00
पु.	- 420.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 420.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निर्माण कार्य- आयुर्वेद विभाग			
[90] निर्माण कार्य			

मू.	1,100.00		
अ.	400.00	..	..
पु.	- 1,500.00		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों के लिए लिया गया ₹ 400.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि ₹ 1,500.00 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[01] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			

मू.	174.00		
पु.	- 174.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 174.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार की *कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना* (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एन.एच.एम.			

मू.	10,184.63		
पु.	- 4,940.28	5,244.35	5,244.35

31 मार्च 2024 को ₹ 4,940.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार की *कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना* (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) स्वास्थ्य उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,100.00		
पु.	- 470.00	630.00	630.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 470.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का निर्माण			
मू.	225.00		
पु.	- 171.00	54.00	54.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 171.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	1,700.01		
पु.	- 1,220.44	479.57	479.57
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,220.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	1,300.00		
पु.	- 956.96	343.04	329.23
			- 13.81
₹ 956.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में नए भवन के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने को आरोपित की गयी।			
₹ 13.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	2,100.01		
पु.	- 1,690.15	409.86	408.34
₹ 1,690.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			- 1.52
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	2,850.01		
पु.	- 2,115.30	734.71	734.72
₹ 2,115.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को न्यूरों साइंस संस्थान के भवन निर्माण हेतु राशि जो 2022-23 में कार्यकारी अभिकरण द्वारा उपभोग नहीं की गयी थी, की चालू वित्तीय वर्ष में बजट उपभोग की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।			+ 0.01
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,490.00		
पु.	- 940.00	550.00	550.00
31 मार्च 2024 को ₹ 940.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[02] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज			
मू.	476.95		
पु.	- 476.95	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 476.95 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			



**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	1,300.00		
पु.	- 1,000.00	300.00	300.00
			..
31 मार्च 2024 को ₹1,000.00 लाख का प्रावधान खेल परिसर के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	700.04		
पु.	- 700.04	..	..
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 700.04 लाख का समस्त प्रावधान मशीनरी और उपकरणों पर व्यय नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[06] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
मू.	360.02		
पु.	- 360.02	..	..
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 360.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	150.01		
पु.	- 150.01	..	..
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 150.01 लाख का समस्त प्रावधान सुपर स्पेशियलिटी विंग के निर्माण के लिए कार्यकारी अभिकरण एच.एस.सी.सी. लिमिटेड/एच.आई.टी.ई.एस. को निधियां जारी नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। कार्य की समीक्षा के बाद किए गए कार्य के अनुपात में कार्यकारी अभिकरण को भुगतान किया जाना था।			
वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
मू.	2,850.00	179.51	179.51
पु.	- 2,670.49		..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,670.49 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	1,600.00	1,110.00	1,110.00
पु.	- 490.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 490.00 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, लेकिन केवल पूर्व में प्राप्त केन्द्रीयंश के समतुल्य राज्यांश के उपभोग हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के परिणामस्वरूप मुख्य कार्यों और मशीनरी/उपकरणों पर कम व्यय हुआ।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	1,000.02	..	..
पु.	- 1,000.02		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.02 लाख का समस्त प्रावधान मशीनरी और उपकरणों पर व्यय नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	1,100.00		
		900.00	900.00
पु.	- 200.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख का प्रावधान पीजी सीटें फेज- II के अंतर्गत पीजी छात्रावासों के निर्माण एवं उपकरणों के क्रय के लिए परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	1,300.00		
		400.00	400.00
पु.	- 900.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 900.00 लाख का प्रावधान (i) कार्यकारी अधिकरणों द्वारा कार्यों का कम निष्पादन करने तथा (ii) (क) आवश्यकता के अनुसार स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ख) विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा (ग) कुछ उपकरणों की बिड प्रक्रिया पूरी नहीं होने से उपकरणों का क्रय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[02] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
मू.	3,900.00		
		2,720.00	2,720.00
पु.	- 1,180.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,180.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	26,400.00		
		9,034.52	9,034.52
पु.	- 17,365.48		..
31 मार्च 2024 को ₹ 17,365.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) नवीन पब्लिक हेल्थ कॉलेज			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	1,900.00	..	..
पु.	- 1,900.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹1,900.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
वर्ष 2022-23 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) पी जी मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	530.00	..	..
पु.	- 530.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 530.00 लाख का समस्त प्रावधान उम्मेद पीजी मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी संस्थान के लिए भवन निर्माण एवं उपकरण क्रय करने के लिए कार्यकारी अभिकरण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को निधियां हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	2,100.00	775.00	..
पु.	- 1,325.00	775.00	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,325.00 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर के निर्माण पर कम व्यय होने तथा क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर के लिए चरण-2 के उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(17) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[03] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय			
मू.	978.00	777.26	..
पु.	- 200.74	777.26	..
31 मार्च 2024 को ₹ 200.74 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[14] पोकरण-फलसूंड जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	216.19	45.95	45.95
पु.	- 170.24		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	432.88	237.26	237.26
पु.	- 195.62		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	267.00	15.14	15.14
पु.	- 251.86		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[61] राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना, चरण तृतीय (शहरी )			
मू.	9,206.43	8,348.65	8,348.65
पु.	- 857.78		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[62] पुनर्गठित शहरी पेयजल परियोजना, बीकानेर			
मू.	3,696.00	2,141.80	2,141.80
पु.	- 1,554.20		

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी जिले को हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	595.00	277.95	277.95
पु.	- 317.05		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[68] झालावाड़ जिले की राजगढ़ बांध से झालारापाटन कस्बा तथा 104 ग्रामों की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)			
मू.	585.80	402.17	402.17
पु.	- 183.63		..
उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 3,530.38 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[73] सिरोही जिले की बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना (शहरी भाग)			
मू.	749.38	..	..
पु.	- 749.38		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[74] परवन अकावद पेयजल परियोजना, जिला बारां, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)			
मू.	1,780.00	..	..
पु.	- 1,780.00		..

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी )			
[75] नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)			
मू.	1,013.89	..	..
पु.	- 1,013.89		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी )			
[77] चम्बल नदी से चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गांवों (बेंगू, भैसरोडगढ़, गंगरार, चित्तौड़गढ़, भदेसर और निम्बाहेडा ब्लॉक) की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)			
मू.	202.00	..	..
पु.	- 202.00		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 3,745.27 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू.	8,720.01	8.64	8.64
पु.	- 8,711.37		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा कलस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	1,179.95	30.82	30.82
पु.	- 1,149.13		..

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[19] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू.	1,074.14	74.00	74.00
पु.	- 1,000.14		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 10,860.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[06] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबार्ड)			
मू.	214.79	..	..
पु.	- 214.79		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[07] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-सी (नाबार्ड)			
मू.	1,412.87	..	..
पु.	- 1,412.87		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[14] नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू.	294.57	..	..
पु.	- 294.57		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[15] बाड़मेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	191.67	..	..
पु.	- 191.67		..



## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू.	1,024.61	..	..
पु.	- 1,024.61	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[21] निवाई तथा टोंक तहसील के 199 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू.	200.13	..	..
पु.	- 200.13	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[28] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना			
मू.	3,030.00	..	..
पु.	- 3,030.00	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[30] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरन प्रथम से बूंदी जिले की हिंडौली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	346.15	..	..
पु.	- 346.15	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[31] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण			
मू.	3,747.00	..	..
पु.	- 3,747.00	..	..

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[32] वृहद पेयजल परियोजनाओं में रेस्ट्रोफिटिंग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत एच. एफ. टी. सी. उपलब्ध कराये जाने का कार्य			
मू.	12,880.00	..	..
पु.	- 12,880.00	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[33] बीकानेर जिले की डुंगरगढ़ कस्बा तथा श्री डुंगरगढ़ तथा लूणकरणसर ब्लाक के 108 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	899.65	..	..
पु.	- 899.65	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[34] बीकानेर जिले की खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना			
मू.	399.85	..	..
पु.	- 399.85	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[35] चुरु जिले की आपणी योजना प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 ग्रामों तथा चुरु बिसाउ परियोजना की पुर्नगठन तथा सुदृढीकरण योजना (ग्रामीण भाग)			
मू.	399.85	..	..
पु.	- 399.85	..	..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[36] झालावाड़ जिले की राजगढ़ बांध से झालारापाटन कस्बा तथा 104 ग्रामों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)			
मू.	154.55	..	..
पु.	- 154.55	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[39] जोधपुर जिले की क्षेत्रीय जल प्रदाय भेर हरलाया (भाग प्रथम) परियोजना से एफ. एच. टी. सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
मू.	395.50	..	..
पु.	- 395.50	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[41] राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ़ तहसील की चम्बल भीलवाड़ा परियाजेना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	952.75	..	..
पु.	- 952.75	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[42] बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	659.75	..	..
पु.	- 659.75	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[44] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग- 'अ'			
मू.	770.71	..	..
पु.	- 770.71	..	..

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[46] कालीतीर जल प्रदाय योजना			
मू.	430.00	..	..
पु.	- 430.00	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[47] चम्बल नदी से अलवर एवं भरतपुर जिलों की सतही जल प्रदाय योजना			
मू.	270.00	..	..
पु.	- 270.00	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[48] चम्बल नदी से सवाई माधोपुर-नादोली सतही जल प्रदाय योजना			
मू.	180.00	..	..
पु.	- 180.00	..	..

31 मार्च 2024 को उपरोक्त इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत ₹ 28,854.40 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा सीधे जल जीवन मिशन के एस्करो खाते में केन्द्रीयंश हस्तांतरण के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसके अलावा, राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम द्वारा इस उद्देश्य से उधार ली गई निधियां से राज्यांश एस्करो खाते में हस्तांतरित किया गया। केन्द्र और राज्य दोनों का हिस्सा राज्य समेकित निधि के माध्यम से नहीं भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप जल जीवन मिशन के तहत सृजित संपत्ति सरकारी लेखों में नहीं दिखाई गई है। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामान्य आवासीय भवन निर्माण			
[01] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,100.00	..	..
पु.	- 1,100.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,100.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मॉड्यूल के माध्यम से स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियों आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	1,240.00		
		62.60	62.60
पु.	- 1,177.40		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,177.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	700.00		
		350.00	350.00
पु.	- 350.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 350.00 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) सीवरेज लाईन			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	700.00		
अ.	1,603.13		
पु.	- 2,303.13		
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा सीवरेज कार्यों के लिए लिया गया ₹ 1,603.13 लाख का प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं किए जाने के कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 2,303.13 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	3,566.00		
		1,758.62	1,758.62
पु.	- 1,807.38		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,807.38 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी. )			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (प्रोजेक्ट लोन)			
मू.	3,600.00		
		2,287.78	2,287.78
पु.	-1,312.22		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,312.22 लाख का प्रावधान (i) परियोजना कार्यों से सम्बन्धित वस्तु एवु सेवा कर, वेरियेशन, समयावधि से परियोजना की लागत में वृद्धि होने से सम्बन्धित वित्त विभाग से अनुमोदन लम्बित रहने, (ii) कार्यों की धीमी प्रगति तथा (iii) परियोजना के लिए अन्य विभागों पर निर्भरता होने से व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी. )			
[02] आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण			
मू.	10,800.00		
		9,682.80	9,682.80
पु.	- 1,117.20		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,117.20 लाख का प्रावधान परियोजना कार्यों से संबंधित सीवरेज कार्यों और जलापूर्ति में मरम्मत और सड़क काटने में जनता की आपत्ति, कार्यों की धीमी प्रगति, बाजार में डी.आई. पाइपों की कम उपलब्धता तथा इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरणों की धीमी आपूर्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (प्रोजेक्ट लोन)			
मू.	3,960.00		
		2,565.51	2,565.51
पु.	- 1,394.49		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,394.49 लाख का प्रावधान (i) परियोजना कार्यों से सम्बन्धित लम्बित निधियों का पुनः आवण्टन तथा समयावधि के कारण वेरियेशन तथा (ii) झालावाड़ शहर में सीवर लाइन के लिए खड़ी चट्टान की खुदाई कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना			
[02] नगरीय विकास एवं आवासन विभाग			
मू.	6,240.50		
		..	..
पु.	- 6,240.50		..
31 मार्च 2024 को ₹ 6,240.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	20,100.00	1,062.45	1,062.45
पु.	- 19,037.55		..
31 मार्च 2024 को ₹ 19,037.55 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	54,007.80	5,514.41	5,514.41
पु.	- 48,493.39		..
₹ 48,493.39 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) 3डी सिटी प्रोजेक्ट			
[01] नगरीय विकास एवं आवासन विभाग			
मू.	400.00	..	..
पु.	- 400.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	750.00	544.22	544.22
पु.	- 205.78		..
31 मार्च 2024 को ₹ 205.78 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा क्रय आदेशों जिसके लिये निविदायें पहले से जारी की जा चुकी थी, को जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाकर व्यय सीमा में कमी करने तथा कार्य आदेश के अनुपालन में सामग्री की आपूर्ति में देरी पर तरलता क्षतिपूर्ति लगाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,500.00		
पु.	- 2,195.67	1,304.33	1,304.33

31 मार्च 2024 को ₹ 2,195.67 लाख का प्रावधान माह अक्टूबर, 2023 में विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वित्त विभाग द्वारा पूल बजट से निधियां हस्तांतरित नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4401. फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(01) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)

[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मू.	1,300.00	687.76	687.76	..
पु.	- 612.24			

31 मार्च 2024 को ₹ 612.24 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(04) पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्रों का निर्माण

[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. टी-XXVIII

मू.	700.00	..	..	..
पु.	- 700.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 700.00 लाख का समस्त प्रावधान ट्रेच XXVIII के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(06) नंदीशाला योजना

[01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना

मू.	3,000.00	373.82	373.82	..
पु.	- 2,626.18			

31 मार्च 2024 को ₹ 2,626.18 लाख का प्रावधान (i) विधानसभा एवं संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप गौ-शाला विकास योजना एवं पंचायत स्तरीय नंदीशाला योजना के अंतर्गत निविदा आमंत्रित नहीं किए जाने तथा ठेका नहीं दिए जाने, (ii) पंचायत स्तरीय नंदीशाला जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर टेंडर अन्तिमीकरण करने हेतु अपेक्षित आवेदन प्राप्त नहीं होने तथा (iii) पंचायत स्तरीय नंदीशाला जनसहभागिता योजना के तहत जिला स्तर पर 10 प्रतिशत स्वयं का कार्य समय पर निष्पादित करने संबंधी पात्रता पूर्ण नहीं होने, अन्य शर्तें तथा न्यूनतम 10 बीघा भूमि स्वामित्व/लीज डीड संबंधी पात्रता पूर्ण नहीं करने से टेंडर रद्द किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



### अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर			
मू.	2,550.01		
		2,000.00	..
पु.	- 550.01		
31 मार्च 2024 को ₹ 550.01 लाख का प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने तथा विधानसभा और संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
195. सहकारिता में निवेश			
(04) अनुसूचित जातियों के लिए सहकारी समितियों में विनियोजन			
[01] महिला सहकारी समितियों हेतु विनियोजन			
मू.	0.30		
अ.	189.00	0.30	..
पु.	-189.00		
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा महिला सहकारी समितियों में निवेश के लिए लिया गया ₹ 189.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया समस्त प्रावधान महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए हिस्सा राशि के हस्तांतरण हेतु उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) ग्राम सेवा सहकारी समिति			
[01] गोदाम के निर्माण हेतु			
मू.	216.00		
		39.60	..
पु.	- 176.40		
31 मार्च 2024 को ₹ 176.40 लाख का प्रावधान निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	18,000.00		
अ.	9,500.00	14,998.95	..
पु.	- 12,501.05		
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु लिया गया ₹ 9,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 12,501.05 लाख का प्रावधान जिले के निजी निक्षेप खाते में अव्ययित राशि की अधिक उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने और इसके अलावा विधान सभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] मेवात क्षेत्र का विकास			
मू.	599.00		
पु.	- 196.95	402.05	402.05
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 196.95 लाख का प्रावधान जिले के निजी निक्षेप खाते में अव्ययित राशि की अधिक उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने और विधान सभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वित्त विभाग द्वारा नये कार्यों पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[02] मगरा क्षेत्र का विकास			
मू.	601.50		
पु.	- 204.56	396.94	396.94
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 204.56 लाख का प्रावधान जिले के निजी निक्षेप खाते में अव्ययित राशि की अधिक उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने और विधान सभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वित्त विभाग द्वारा नये कार्यों पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	0.02		
पु.	- 0.02	..	- 232.62
			- 232.62
₹ 232.62 लाख का ऋण व्यय गत वर्ष की अव्ययित राशि जमा कराने के कारण है।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल के माध्यम से)			
[04] दाईं मुख्य नहर-आर. आई. डी. एफ. XXIII			
मू.	500.00		
पु.	- 377.96	122.04	122.04
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 377.96 लाख का प्रावधान पलाइथा उप शाखा और इसकी माइनरों के कि.मी. 0 से 12.30 तक के पुनरुद्धार और पुनर्वास कार्य के शेष कार्य के लिए कार्य आदेश मार्च, 2021 में दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने और उसके बाद सितंबर, 2022 में ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	206.07		
अ.	276.18	120.21	..
पु.	- 362.04	120.21	

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यो हेतु लिया गया ₹ 276.18 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 362.04 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना
- के माध्यम से
- [08] गुरू जम्भेश्वर लिफ्ट (फलौदी लिफ्ट)

मू.	468.00		
पु.	- 380.00	88.00	..

31 मार्च 2024 को ₹ 380.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि नये कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) के लिए बजट आवंटन अन्य लेखा शीर्ष के अन्तर्गत किया गया ।

04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना
- के माध्यम से
- [17] द्वितीय चरण की नहरों का नाबार्ड पुनरोद्धार एवं
- नवीनीकरण का कार्य मुख्य अभियन्ता इ.गा.न.प.,
- बीकानेर के माध्यम से

मू.	293.00		
पु.	- 156.36	136.64	..

31 मार्च 2024 को ₹ 156.36 लाख का प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं करने और कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,578.36		
		445.37	
पु.	- 1,132.99	445.37	..
₹ 1,132.99 लाख की प्रत्याशित बचत डिग्नियों के कार्य की धीमी गति को आरोपित की गयी। बजट में की गयी घोषणा के अनुसार, सामूहिक डिग्नियों का निर्माण कृषकों द्वारा समर्पित भूमि पर किया जाना था, जिस पर कृषकों से भूमि के लिए सामूहिक सहमति प्राप्त करनी थी तथा बकाया राशि प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य किया जाना था। लेकिन कृषकों द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करवाने तथा भूमि के लिए सामूहिक सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।			
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
[01] पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय ( मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
मू.	4,011.75		
		1,487.20	
पु.	- 2,524.55	1,487.20	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,524.55 लाख का प्रावधान इंदिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब भाग) की रीलाइनिंग के लिए राजस्थान सरकार की हिस्सा राशि पंजाब सरकार को भुगतान के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	14,499.99		
		10,978.56	
पु.	- 3,521.43	10,978.56	..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,521.43 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,399.99		
		3,028.22	
पु.	- 2,371.77	3,028.22	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,371.77 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
46. कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	3,600.00		
पु.	- 2,950.60	649.40	649.40
31 मार्च 2024 को ₹ 2,950.60 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	3,315.00		
पु.	- 2,724.96	590.04	590.04
31 मार्च 2024 को ₹ 2,724.96 लाख का प्रावधान (i) तीन बार निविदा रद्द होने के कारण पांचना बांध के निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने, (ii) तीन बार निविदा रद्द होने के कारण कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने, (iii) पार्वती और छापी बांध के प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट (पी.एस.टी.) की देरी से स्वीकृति मिलने तथा (iv) जवाहर सागर बांध (सिविल) का बिड दस्तावेज केंद्रीय जल आयोग में लंबित रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[04] आधुनिकीकरण/ उन्नयन/ पुर्नजीवीकरण			
मू.	5,400.00		
पु.	- 1,694.69	3,705.31	3,702.27
31 मार्च 2024 को ₹ 1,694.69 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[07] पुनर्जीवन/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नबीनीकरण			
मू.	1,435.12		
पु.	- 1,121.33	313.79	313.79
31 मार्च 2024 को ₹ 1,121.33 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर डब्ल्यू एस एल आई पी)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता कार्यक्रम) के माध्यम से			
मू.	3,881.00		
पु.	- 3,149.96	731.04	731.04
31 मार्च 2024 को ₹ 3,149.96 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) सौर ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई परियोजना			
[01] मुख्य अभियन्ता जल संसाधन, जयपुर			
मू.	2,282.21		
पु.	- 1,512.70	769.51	769.51
31 मार्च 2024 को ₹ 1,512.70 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मंडियों का विकास, मंडी कमेटी, बीकानेर			
[01] सड़क निर्माण क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
मू.	200.00		
पु.	- 199.49	0.51	0.45
31 मार्च 2024 को ₹ 199.49 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा कम निधियां जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.06
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	734.00		
पु.	- 359.53	374.47	373.86
31 मार्च 2024 को ₹ 359.53 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निर्माण कार्यों की प्रगति बाधित होने तथा विधानसभा चुनाव के बाद वित्त विभाग द्वारा नई निविदाएं आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.61

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास ई.गा.न.प., बीकानेर के माध्यम से			
[01] गंग नहर फैज-II			
मू.	1,350.94		
		303.88	303.88
पु.	- 1,047.06		..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,047.06 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्रथम किश्त देरी से प्राप्त होने के कारण निधियां के उपयोग में देरी होने एवं भारत सरकार से द्वितीय किश्त मार्च, 2024 के अंतिम दिनों में प्राप्त होने तथा राशि के आहरण हेतु बिल कोषालय में प्रस्तुत किया गया, किन्तु भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा के माध्यम से मार्च, 2024 के अंतिम दिन तक नहीं किया गया तथा परिणामस्वरूप राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	4,211.10		
		1,791.93	1,791.93
पु.	- 2,419.17		..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,419.17 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	4,324.32		
		431.46	431.46
पु.	- 3,892.86		..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,892.86 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	6,309.52		
		1,732.32	1,732.32
पु.	- 4,577.20		..

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	6,273.70		
		1,067.40	1,067.40
पु.	- 5,206.30		..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	5,175.00		
		2,127.42	2,127.42
पु.	- 3,047.58		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 12,831.08 लाख का प्रावधान जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान एकीकृत क्लस्टर योजना			
[01] आयुक्त उद्योग विभाग			
मू.	230.00		
		..	..
पु.	- 230.00		..
31 मार्च 2024 को ₹ 230.00 लाख का समस्त प्रावधान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	31,939.07		
		18,583.17	18,578.67
पु.	- 13,355.90		- 4.50
31 मार्च 2024 को ₹ 13,355.90 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 4.50 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			



**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	21,613.12		
	11,358.59	11,344.09	- 14.50
पु.	- 10,254.53		
31 मार्च 2024 को ₹ 10,254.53 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 14.50 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	26,724.03		
	13,679.02	13,676.14	- 2.88
पु.	- 13,045.01		
31 मार्च 2024 को ₹ 13,045.01 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[16] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	3,352.04		
	1,998.21	1,996.36	- 1.85
पु.	- 1,353.83		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVIII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	12,124.40		
	4,042.23	4,042.17	- 0.06
पु.	- 8,082.17		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 9,436.00 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	38,662.29		
पु.	- 21,986.10	16,676.19	16,669.55
			- 6.64
31 मार्च 2024 को ₹ 21,986.10 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 6.64 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	15,868.70		
पु.	- 7,880.50	7,988.20	7,988.20
			..
31 मार्च 2024 को ₹ 7,880.50 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) हवाई पट्टियों का विस्तार एवं निर्माण			
मू.	294.44		
अ.	340.00	300.10	300.10
पु.	- 334.34		
			..
जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा हवाई पट्टियों के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 340.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2024 को ₹ 334.34 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने तथा राज्य सरकार द्वारा नए कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जाने से नए कार्य शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	86,485.05		
पु.	- 52,474.62	34,010.43	34,001.06
			- 9.37
31 मार्च 2024 को ₹ 52,474.62 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 9.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) गुण नियंत्रण प्रणाली के तहत निर्माण कार्यों का निरीक्षण			
[01] निर्माण कार्यों का निरीक्षण			
मू.	263.50		
पु.	- 207.08	56.42	56.42
31 मार्च 2024 को ₹ 207.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	693.60		
पु.	- 554.38	139.22	166.36 + 27.14
31 मार्च 2024 को ₹ 554.38 लाख का प्रावधान (i) श्री मुरली मनोहर धाम, श्रीमाधोपुर, सीकर एवं हाथी गांव के निर्माण हेतु निधियों की कम आवश्यकता के परिणामस्वरूप लघु कार्यों पर कम व्यय होने तथा (ii) कार्यकारी अभिकरणों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप वृहद कार्यों हेतु कार्यकारी अभिकरणों को निधियों का आवंटन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 27.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स लर्निंग			
[02] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	900.00		
पु.	- 900.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 900.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान एडवांस लर्निंग संस्थान के लिए प्रबन्धकीय/कार्यकारी निकाय का गठन नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा संस्थान में पूंजी निवेश हेतु स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[20] ब्लॉक स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेंस			
मू.	254.00		
पु.	- 164.00	90.00	90.00
31 मार्च 2024 को ₹ 164.00 लाख का प्रावधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के संचालन और रखरखाव पर व्यय की कम आवश्यकता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी.आई.एस.			
मू.	1,500.00		
		432.00	432.00
पु.	- 1,068.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,068.00 लाख का प्रावधान (i) चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर की 3डी सिटी परियोजना के लिए निविदा जारी नहीं होने, (ii) चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य में इमेजरी क्रय के लिए निविदा जारी नहीं होने तथा (iii) फर्म द्वारा जनरल वर्ड मॉडल (जी.डब्ल्यू.एम.एस.) एवं हेयर मेप परियोजना के संबंध में परिदेय जमा नहीं करने के परिणामस्वरूप 2023-24 के दौरान फर्मों को भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[34] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर

मू.	2,823.00		
		180.00	180.00
पु.	- 2,643.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,643.00 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्य कमाण्ड कंट्रोल सेंटर के तहत कैमरे लगाने के लिए कार्य आदेश जारी करने में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(08) राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी  
(आर-सी.ए.टी)  
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	322.00		
		..	..
पु.	- 322.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 322.00 लाख का समस्त प्रावधान सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्रय करने की आवश्यकता नहीं होने के परिणामस्वरूप यह कार्य सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग आधारित क्लाउड प्रशिक्षण के द्वारा करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(13) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट जोधपुर  
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	7,532.00		
		2,243.43	2,243.43
पु.	- 5,288.57		..

31 मार्च 2024 को ₹ 5,288.57 लाख का प्रावधान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, जोधपुर के भवन निर्माण की धीमी प्रगति के परिणामस्वरूप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी क्रय नहीं कर सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	700.00	..	..
पु.	- 700.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 700.00 लाख का समस्त प्रावधान तकनीकी आधारित निगरानी प्रणाली के तहत विभागों से ड्रोन की आवश्यकता प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(19) वेंचर कैपिटल फण्ड			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	1,000.00	..	..
पु.	- 1,000.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान स्टार्ट अप नीति 2022 में स्टार्ट अप को इक्विटी फंडिंग के लिए नियमों और विनियमन प्रक्रियाधीन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी हेतु कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	1,224.00	..	..
पु.	- 1,224.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,224.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसार निगम लिमिटेड को के.एफ.डब्ल्यू. से ऋण प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[03] स्टार परियोजना पर पूंजीगत व्यय			
मू.	1,930.00	2,551.90	2,551.90
पु.	621.90		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 621.90 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू.	9,350.00	11,609.72	11,609.72
पु.	2,259.72		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,259.72 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्देशक तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	100.03	382.66	382.66
पु.	282.63		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 282.63 लाख की अतिरिक्त निधियां सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में निधियां स्थानांतरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			..
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	1,555.50	1,803.41	1,803.41
पु.	247.91		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 247.91 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			..

**अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	7,246.00		
पु.	1,456.08		
		8,702.08	8,702.08
			..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,456.08 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य की योजना सीमा में राशि का प्रावधान भारत सरकार की अनुमोदित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) से कम था, जिसे संशोधित प्रावधान में पीआईपी के अनुसार करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	12,905.01		
पु.	2,651.01		
		15,556.02	15,552.96
			- 3.06
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[81] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	569.61		
पु.	431.95		
		1,001.56	1,001.56
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	9,841.02		
पु.	6,044.20		
		15,885.22	15,882.22
			- 3.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[58] बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना द्वितीय चरण (शहरी)			
मू.	584.96		
पु.	456.32		
		1,041.28	1,041.28
			..

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[60] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना (शहरी)			
मू.	0.01		
पु.	2,148.74	2,148.75	2,148.75
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[69] राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ तहसील की चम्बल भीलवाड़ा परियोजना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना (शहरी भाग)			
मू.	0.01		
पु.	163.99	164.00	164.00
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,896.21 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	0.02		
पु.	152.28	152.30	152.30
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 152.28 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी. )			
[03] आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण ट्रैच -2 (ई.ए.पी. )			
मू.	4,500.00		
पु.	2,516.84	7,016.84	7,016.84
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,516.84 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			



**अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	5,713.27		
अ.	50.10	12,214.23	..
पु.	6,450.86	12,214.23	
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,450.86 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0			
(आई.आई.एच.एल. सी.टी./पी.टी.यूरिनाल्स)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	0.02		
पु.	695.42	695.44	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 695.42 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) कन्या छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	1,200.01		
पु.	1,298.86	2,498.87	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,298.86 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	1,675.03		
पु.	473.68	2,148.71	2,152.63 + 3.92
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 473.68 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस.मिशन मोड अंतर्गत			
मू.	102.00	255.00	255.00
पु.	153.00		
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अंतर्गत			
मू.	102.02	329.74	329.74
पु.	227.72		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 380.72 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों का निर्माण			
[03] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी- XXIX			
अ.	0.01	1,000.00	1,000.00
पु.	999.99		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 999.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड ट्रेच XXIX के अन्तर्गत स्वीकृत मुख्य कार्यों के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को निधियां हस्तांतरित करने के कारण ट्रेच XXVIII के अन्तर्गत पशुपालन विभाग के प्रस्तावों को नाबार्ड द्वारा अनुमोदित नहीं करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	144.02	2,491.56	2,491.42
पु.	2,347.54		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,347.54 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड परियोजना के पांचवें चरण की स्वीकृति के परिणामस्वरूप कार्य की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता विकास परियोजना (आर.एफ.वी.डी.पी. )			
[01] बाह्य सहायता (ए.एफ.डी. )			
मू.	0.02	1,515.00	1,515.00
पु.	1,514.98		..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,514.98 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) ईको टूरिज्म लवकुश वाटिका			
[01] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,100.00	1,289.94	1,289.94
पु.	189.94		..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 189.94 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल के माध्यम से)			
[01] दाई मुख्य नहर			
मू.	1,385.07	1,562.51	1,562.51
पु.	177.44		..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 177.44 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल के माध्यम से)			
[02] बाई मुख्य नहर			
मू.	1,598.75	2,239.90	2,239.72
पु.	641.15		- 0.18

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल के माध्यम से)			
[09] बाई मुख्य नहर-आर.आई.डी.एफ. XXV			
मू.	291.98		
		477.52	
पु.	185.54		
		477.52	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 826.69 लाख की अतिरिक्त निधियां ठेकेदार द्वारा स्पैन वाइज प्रगति के अतिरिक्त कार्य के निष्पादन के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[04] 65 नहरें			
मू.	1,632.00		
अ.	166.00	4,118.68	
पु.	2,320.68		
		4,118.68	..
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[12] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू.	608.00		
		1,098.00	
पु.	490.00		
		1,098.00	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,810.68 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर (द्वितीय चरण)			
[01] चारणवाला ब्रांच केनाल सिस्टम का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.- XVII)			
मू.	496.00		
		757.04	
पु.	261.04		
		757.04	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 261.04 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	9.00		
पु.	622.29	631.29	..
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	900.00	1,227.58	..
पु.	327.58	1,227.58	..
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	899.98	1,835.76	..
पु.	935.78	1,835.76	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,885.65 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति तथा बकाया दायित्वों के निस्तारण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	1,152.00	2,072.12	..
पु.	920.12	2,072.12	..
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) तकली परियोजना			
मू.	270.00	442.93	..
पु.	172.93	442.93	..

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक) 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निदेशन एवं प्रशासन [01] निर्माण कार्य	मू. 540.00 पु. 688.38	1,228.38	1,228.38 ..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,781.43 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति तथा बकाया दायित्वों के निस्तारण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से [03] वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रैक्चर	मू. 2,815.58 पु. 457.88	3,273.46	3,273.46 ..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 457.88 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति तथा बकाया दायित्वों के निस्तारण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (08) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास ई.गा.न.प., बीकानेर के माध्यम से [01] भूमि विकास कार्य	मू. 463.58 पु. 886.21	1,349.79	1,349.51 - 0.28
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 886.21 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुपालन में कार्यों की त्वरित गति के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01. बाढ़ नियंत्रण 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य-अन्य जिले [01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर के माध्यम से	मू. 720.00 अ. 540.00 पु. 511.27	1,771.27	1,771.27 ..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 511.27 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति तथा बकाया दायित्वों के निस्तारण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			

## अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	3,566.00	4,456.61	4,456.61
पु.	890.61		
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	2,674.50	5,348.96	5,348.96
पु.	2,674.46		
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	11,589.50	13,929.07	13,725.16
पु.	2,339.57		
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) पूँजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य [90] निर्माण कार्य			
अ.	0.01	5,649.69	5,649.69
पु.	5,649.68		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) शहरी सड़कें			
मू.	1,426.40	1,782.96	1,782.96
पु.	356.56		

**अनुदान संख्या 51 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[18] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. – XXIX (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	1,783.00		
		6,679.48	6,679.48
पु .	4,896.48		..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) ग्रामीण सड़कें			
मू .	5,349.00		
अ .	8,910.00	26,745.00	26,740.87
पु .	12,486.00		- 4.13
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(20) पूँजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
अ .	0.01		
		6,249.86	6,187.49
पु .	6,249.85		- 62.37

उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,543.21 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यो की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-03-789(07), 04-789(05) एवं 04-789(20) [90]" के अन्तर्गत ₹ 270.41 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



**अनुदान संख्या 52 – पंचायती राज विभाग**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2217. शहरी विकास,  
 2402. मृदा तथा जल संरक्षण,  
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम और  
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम  
 पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	90,69,50,06	90,69,50,06	61,02,00,25	- 29,67,49,81
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				29,67,23,13
<b>प्रभारित</b>				
मूल	6	2,62	2,62	..
अनुपूरक	2,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				..

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,97,80	12,90,52	8,52,92	- 4,37,60
अनुपूरक	3,92,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3,86,22

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 2,96,749.81 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 26.68 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास				
80. सामान्य				
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता				
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान-प्रतिबद्ध				
मू.	200.00	39.85	39.85	..
पु.	- 160.15			

31 मार्च 2024 को ₹ 160.15 लाख का प्रावधान अपरिहार्य कारणों से माह नवंबर, 2023 एवं फरवरी, 2024 में घोषित उप चुनाव रद्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 52 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) वाटरशेड कम्पोनेन्ट			
[01] कार्यकलाप संबन्धी			
मू .	38,818.78		
पु .	- 30,309.44	8,509.34	8,509.34 ..

31 मार्च 2024 को ₹ 30,309.44 लाख का प्रावधान निम्न कारणों से अभ्यर्पित किया गया (i) भारत सरकार से अगली किश्त प्राप्त नहीं हुई, भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पूर्व में प्राप्त राशि का 75 प्रतिशत उपयोग होने पर ही अगली किश्त का प्रस्ताव भेजा जाना था। लेकिन व्यय कम होने के कारण अगली किश्त के प्रस्ताव नहीं भेजे गए तथा (ii) निविदा प्रक्रिया पूरी होने में अधिक समय लगने से समय पर कार्यादेश जारी नहीं होने के कारण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति रही ।

05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जल संरक्षण उप कर निधि से व्यय			
[03] राजीव गाँधी जल संचय योजना			

मू .	30,000.00		
पु .	- 30,000.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 30,000.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग से अनुमोदन नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) राजीव गाँधी जल संचय योजना			
[01] जल संरक्षण योजना (सामान्य)			

मू .	28,506.35		
पु .	- 28,491.41	14.94	14.94 ..

31 मार्च 2024 को ₹ 28,491.41 लाख का प्रावधान राज्य निधि के हस्तांतरण के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग में प्रक्रियाधीन रहने, विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने तथा फरवरी, 2024 से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान-2.0 प्रारंभ होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 52 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	2,325.76		
पु .	- 508.35		
	1,817.41	1,816.79	- 0.62
₹ 508.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) जिला आयोजना कार्यालय			
[01] मुख्य आयोजना कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,768.59		
पु .	- 330.03		
	1,438.56	1,438.52	- 0.04
₹ 330.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	17,125.00		
पु .	- 7,594.55		
	9,530.45	9,530.45	..
31 मार्च 2024 को ₹ 7,594.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	77,904.20		
पु .	- 69,445.45		
	8,458.75	8,458.75	..
31 मार्च 2024 को ₹ 69,445.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	3,400.00		
पु .	- 790.00		
	2,610.00	2,610.00	..
31 मार्च 2024 को ₹ 790.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			

## अनुदान संख्या 52 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(44) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए निष्पादन अनुदान			
[01] निष्पादन अनुदान			
मू.	6,142.31	..	..
पु.	- 6,142.31	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 6,142.31 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(45) जिला परिषदों का संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय हेतु अनुदान			
मू.	7,217.00	6,221.19	6,221.19
पु.	- 995.81		..
₹ 995.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	68,500.00	15,251.90	15,251.90
पु.	- 53,248.10		..
31 मार्च 2024 को ₹ 53,248.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[01] निष्पादन अनुदान			
मू.	24,569.58	..	..
पु.	- 24,569.58	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 24,569.58 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

## अनुदान संख्या 52 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(18) हैण्डपम्प मिस्त्रीयों एवं फिटर्स के लिये अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय हेतु अनुदान			
मू.	12,713.00	9,997.00	9,997.00
पु.	- 2,716.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 2,716.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,56,875.00	1,58,713.72	1,58,576.03
पु.	- 98,161.28		
31 मार्च 2024 को ₹ 98,161.28 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 137.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(36) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए निष्पादन अनुदान			
[01] निष्पादन अनुदान			
मू.	92,135.35	..	..
पु.	- 92,135.35	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 92,135.35 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 29,566.12 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 62,569.23 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
800. अन्य व्यय			
(01) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय			
[02] महानिर्वाचन-प्रतिबद्ध			
मू.	600.00	259.04	258.33
पु.	- 340.96		
31 मार्च 2024 को ₹ 340.96 लाख का प्रावधान अपरिहार्य कारणों से माह नवंबर, 2023 एवं फरवरी, 2024 में घोषित उप चुनाव रद्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 52 – (क्रमशः)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
003. प्रशिक्षण			
(03) प्रशिक्षण केन्द्र			
[01] पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	450.63	551.99	551.99
पु.	101.36		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 101.36 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान			
मू.	4,094.93	5,869.74	5,869.74
पु.	1,774.81		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,774.81 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[04] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान			
मू.	0.01	5,820.91	5,820.91
पु.	5,820.90		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,820.90 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान			
मू.	16,379.72	23,478.95	23,478.95
पु.	7,099.23		
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,099.23 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

**अनुदान संख्या 52 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[04] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान			
मू.	0.01		
		23,283.64	23,283.64
पु.	23,283.63		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,283.63 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता  
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान  
[01] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान

मू.	61,423.95		
		88,065.65	88,049.76
पु.	26,641.70		- 15.89

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,641.70 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 15.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता  
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान  
[04] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान

मू.	0.01		
		87,183.56	87,181.14
पु.	87,183.55		- 2.42

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 87,183.55 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 392.72 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 437.60 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 51.38 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

### अनुदान संख्या 52 - (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(61) ई.वी.एम. वेयर हाउस निर्माण			
[01] राज्य निर्वाचन आयोग			
मू.	887.78		
	202.99	202.99	..
पु.	- 684.79		

31 मार्च 2024 को ₹ 684.79 लाख का प्रावधान जुलाई, 2023 में वेयर हाउस के मानचित्र के पुनरीक्षण के संबंध में आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वेयर हाउस का चल रहा निर्माण कार्य बंद होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 376.22 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 308.57 लाख) किया गया। संशोधित मानचित्र जनवरी, 2024 में स्वीकृत हुआ जिसके परिणामस्वरूप कम व्यय हुआ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
103. ग्राम विकास			
(01) निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	0.02		
अ.	392.72	701.30	- 51.37
पु.	308.56		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 308.56 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 51.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।



अनुदान संख्या 53 – ग्रामीण विकास विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,  
2505. ग्राम रोजगार,  
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,  
2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और  
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और  
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	43,89,15,73		
अनुपूरक	3,95,21,81		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		47,84,37,54	24,90,25,99 - 22,94,11,55
<b>प्रभारित</b>			
मूल	2		
अनुपूरक	..	2	.. - 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			2
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	7,37,32,89		
अनुपूरक	3,35,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		10,72,32,89	6,06,25,46 - 4,66,07,43

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 (₹ 8,116.01 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 31,405.80 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 39,521.81 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

## अनुदान संख्या 53 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[01] अनुदान			
मू .	36,900.00	27,875.42	27,875.42
पु .	- 9,024.58		..

31 मार्च 2024 को ₹ 9,024.58 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एन आर ई टी पी)			

मू . 2,500.00

1,485.24

1,485.24

..

पु . - 1,014.76

31 मार्च 2024 को ₹ 1,014.76 लाख का प्रावधान पहली किस्त की दूसरी ट्रैच से संबंधित निधियां सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित की गयी क्योंकि भारत सरकार से ऐसी किस्त देशी से प्राप्त होने के कारण एस. एन. ए. के बैंक खाते में निधियां स्थानांतरित करने की स्वीकृति वित्त विभाग से 31 मार्च 2024 को प्राप्त हुई।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) स्टार्टअप विलेज एंटरप्रिन्डोरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)			
[01] अनुदान (सामान्य के लिए)			

मू . 40.02

585.02

585.02

..

अ. 1,316.00

पु . - 771.00

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 1,316.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 771.00 लाख का प्रावधान प्रथम किस्त की दूसरी ट्रैच से संबंधित निधियां सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि निधियां भारत सरकार से 31 मार्च 2024 को प्राप्त हुई।

**अनुदान संख्या 53 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.)			
[01] अनुदान			
मू .	2,500.00		
		322.91	322.91
पु .	- 2,177.09		..

31 मार्च 2024 को ₹ 2,177.09 लाख का प्रावधान सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में निधियां हस्तान्तरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित की गयी क्योंकि भारत सरकार से ऐसी किस्त देरी से प्राप्त होने के कारण वित्त विभाग से एस.एन.ए. के बैंक खाते में निधियां हस्तांतरित करने की स्वीकृति 31 मार्च 2024 को प्राप्त हुई।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(14) राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड			
[01] महिला निधि हेतु अनुदान			

मू .	1,970.00		
		1,773.00	1,773.00
पु .	- 197.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 197.00 लाख का प्रावधान (i) राजस्थान महिला निधि के लिए कार्यालय परिसर की अनुपलब्धता के कारण और तदनुसार क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सी. एल. एफ.) के सदस्यों की संख्या को देखते हुए चयनित कर्मचारियों की कम संख्या होने, (ii) स्वयं के कार्यालय परिसर की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय परिसर के नवीनीकरण, किराया, फर्नीचर, कंप्यूटर इत्यादि पर व्यय नहीं होने तथा (iii) विधानसभा और संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) का नवीनीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (आई.एफ.सी.)			
[01] इन्टीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर हेतु अनुदान			

अ .	800.00		
		408.00	408.00
पु .	- 392.00		..

जुलाई, 2023 प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा एकीकृत कृषि क्लस्टर के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्ति की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 800.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 392.00 लाख का प्रावधान सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में निधियां हस्तान्तरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित की गयी क्योंकि भारत सरकार से ऐसी किस्त देरी से प्राप्त होने के कारण वित्त विभाग से एस.एन.ए. के बैंक खाते में निधियां हस्तांतरित करने की स्वीकृति 31 मार्च 2024 को प्राप्त हुई।

## अनुदान संख्या 53 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	2,63,589.56	1,11,682.67	1,11,682.67
पु.	- 1,51,906.89		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,51,906.89 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,49,091.41 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,815.48 लाख) किया गया।

02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम  
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम  
(03) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय  
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी

मू.	0.02			
अ.	37,405.80	13,000.00	13,000.00	..
पु.	- 24,405.82			

जुलाई, 2023 (₹ 6,000.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 31,405.82 लाख) में लिया गया ₹ 37,405.80 लाख अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 24,405.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्रशासनिक व्यय हेतु निधियां कम प्राप्त होने तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम  
101. पंचायती राज  
(01) महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना  
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु

मू.	1,360.00	761.89	761.89	..
पु.	- 598.11			

31 मार्च 2024 को ₹ 598.11 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत विभागीय निजी निक्षेप खाते में अव्ययित राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय  
(08) जिला नवाचार निधि योजना  
[01] नवाचार गतिविधियों हेतु अनुदान (सामान्य)

मू.	2,244.00	1,122.00	1,122.00	..
पु.	- 1,122.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 1,122.00 लाख का प्रावधान जिले के निजी निक्षेप खाते में शेष राशि की अधिक उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने और विधान सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने परिणामस्वरूप नई निविदा प्रक्रिया पर वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 53 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(09) मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
मू.	5,000.00	..	..
पु.	- 5,000.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 5,000.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना की कार्य योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(10) मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] मनरेगा कर्मियों को राज्य निधि से अतिरिक्त रोजगार			
मू.	30,000.00	2,236.18	2,236.18
पु.	- 27,763.82		..

31 मार्च 2024 को ₹ 30,000.00 लाख का प्रावधान मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को राज्य निधि से 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, मनरेगा के तहत कम संख्या में परिवारों द्वारा 100 दिनों का रोजगार पूरा करने के कारण, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 27,763.82 लाख की प्रत्याशित बचत हुई जिसे 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(10) मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[02] विशेष योग्य जनों हेतु अतिरिक्त रोजगार			
मू.	4,284.00	36.94	36.94
पु.	- 4,247.06		..

31 मार्च 2024 को ₹ 4,284.00 लाख का प्रावधान मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को राज्य निधि से 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, मनरेगा के तहत कम संख्या में परिवारों द्वारा 100 दिनों का रोजगार पूरा करने के कारण, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 4,247.06 लाख की प्रत्याशित बचत हुई जिसे 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 53 – (क्रमशः)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(02) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी हेतु			
[01] सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी हेतु अनुदान			
मू .	0.02		
पु .	1,235.25	1,235.27	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,235.25 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी क्योंकि योजना 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के अंतर्गत आती है।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) योजनाओं के अधिशेष कार्मिकों का कार्यकलाप संबंधी व्यय			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से (मुख्यालय)			
मू .	0.09		
पु .	303.99	304.08	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 303.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजना योजनाओं के अधिशेष कर्मचारियों के कार्यकलाप सम्बन्धी व्यय के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(47) योजनाओं के अधिशेष कार्मिकों का कार्यकलाप संबंधी व्यय			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से (सामान्य)			
मू .	0.09		
पु .	776.62	776.71	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 776.62 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजना योजनाओं के अधिशेष कर्मचारियों के कार्यकलाप सम्बन्धी व्यय के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 53 - ( समाप्त )**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 46,607.43 लाख की अंतिम बचत में राशि ₹ 878.78 लाख सम्मिलित है जोकि गत वर्ष की अनुपयोजित राशि को जमा कराने के कारण थी।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
101. पंचायती राज			
(11) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
मू .	68,000.00		
अ .	33,500.00	56,662.70	56,662.70
पु .	- 44,837.30		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा *विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम* के लिए लिया गया ₹ 33,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 44,837.30 लाख का प्रावधान जिले के निजी निक्षेप खाते में अव्ययित राशि की अधिक उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने और विधान सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय
02. पिछड़े क्षेत्र
102. मेवात क्षेत्र का विकास
- (01) कार्य निष्पादन
- [01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु

मू .	1,904.65			
पु .	- 385.80	1,518.85	1,518.85	..

31 मार्च 2024 को ₹ 385.80 लाख का प्रावधान जिले के निजी निक्षेप खाते में अव्ययित राशि की अधिक उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने और विधान सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नये कार्यो पर वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पिछड़े क्षेत्र
103. मगरा क्षेत्र का विकास
- (01) कार्य निष्पादन
- [01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु

मू .	1,914.20			
पु .	- 414.20	1,500.00	1,500.00	..

31 मार्च 2024 को ₹ 414.20 लाख का प्रावधान जिले के निजी निक्षेप खाते में अव्ययित राशि की अधिक उपलब्धता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने और विधान सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नये कार्यो पर वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. सीमा क्षेत्र विकास
800. अन्य व्यय
- (01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु

मू .	0.02			
पु .	- 0.02	..	- 878.78	- 878.78

₹ 878.78 लाख का ऋण व्यय गत वर्ष की अव्ययित राशि जमा कराने के कारण है।

### अनुदान संख्या 54 - ऊर्जा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क,  
 2801. बिजली और  
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा  
 पूंजी - 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4810. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय और  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,57,92,14,33	1,91,32,27,82	1,75,10,72,99
अनुपूरक	33,40,13,49		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			- 16,21,54,83
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1	1	..
अनुपूरक	..		- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			1
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	11,89,55,63	11,89,55,63	5,31,93,98
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			- 6,57,61,65

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 1,62,154.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुदान हेतु लिया गया ₹ 3,34,013.49 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।



**अनुदान संख्या 54 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(43) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	6,26,910.94		
पु.	- 80,831.58	5,46,079.36	5,46,079.36
31 मार्च 2024 को ₹ 80,831.58 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति घटक के अनुपात में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 18,051.67 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 62,779.91 लाख) किया गया।			..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(43) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	4,22,666.52		
पु.	- 61,182.71	3,61,483.81	3,61,483.81
31 मार्च 2024 को ₹ 61,182.71 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अनुपात में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(55) विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
अ.	87,539.99	52,972.88	52,972.88
पु.	- 34,567.12		..
फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत विद्युत वितरण कम्पनियों को पिछले वर्षों की वर्षवार बकाया टैरिफ सब्सिडी जारी करने के लिए लिया गया ₹ 87,539.99 लाख का प्रावधान इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। यद्यपि, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को कम अनुदान जारी होने के परिणामतः 31 मार्च 2024 को ₹ 34,567.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(55) विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
अ.	68,454.99	47,482.23	47,482.23
पु.	- 20,972.77		..
फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत विद्युत वितरण कम्पनियों को पिछले वर्षों की वर्षवार बकाया टैरिफ सब्सिडी जारी करने के लिए लिया गया ₹ 68,454.99 लाख का प्रावधान इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। यद्यपि, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को कम अनुदान जारी होने के परिणामतः 31 मार्च 2024 को ₹ 20,972.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			

### अनुदान संख्या 54 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(54) विद्युत वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
		12,817.77	12,817.77
पु.	12,817.76		..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(54) विद्युत वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
अ.	12,637.06	38,500.21	38,500.21
पु.	25,863.14		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 38,680.90 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार की 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जयपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की घाटे की 75 प्रतिशत राशि अधिग्रहित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(55) विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
		23,932.40	23,932.40
पु.	23,932.39		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,932.39 लाख की अतिरिक्त निधियां संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को गत वर्षों की वर्षवार बकाया टैरिफ सब्सिडी की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 54 - (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू. 15,908.60	2,950.38	2,950.38	..
पु. - 12,958.22			

31 मार्च 2024 को ₹ 12,958.22 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पूँजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः राज्य सरकार द्वारा कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू. 16,336.32	1,629.96	1,629.96	..
पु. - 14,706.36			

31 मार्च 2024 को ₹ 14,706.36 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा पूँजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः राज्य सरकार द्वारा कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू. 23,835.97	6,544.32	6,544.32	..
पु. - 17,291.65			

31 मार्च 2024 को ₹ 17,291.65 लाख का प्रावधान जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पूँजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः राज्य सरकार द्वारा कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू. 23,700.65	4,032.40	4,032.40	..
पु. - 19,668.25			

31 मार्च 2024 को ₹ 19,668.25 लाख का प्रावधान जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पूँजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः राज्य सरकार द्वारा कम निवेश के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,668.25 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,000.00 लाख) किया गया।

**अनुदान संख्या 54- (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	19,550.00		
		8,036.92	8,036.92
पु.	- 11,513.08		..

31 मार्च 2024 को ₹ 11,513.08 लाख का प्रावधान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पूँजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः राज्य सरकार द्वारा कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।

6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु			
ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	4,624.00		
		..	..
पु.	- 4,624.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 4,624.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को राज्य सरकार को के. एफ. डब्ल्यू. से ऋण प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(09) राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड			
मू.	15,000.00		
		30,000.00	30,000.00
पु.	15,000.00		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड में निवेश के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 55 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2059. लोक निर्माण कार्य,

3456. सिविल पूर्ति और

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पूंजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर

पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	14,68,50,74		
अनुपूरक	5		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)	14,68,50,79	7,78,61,30	- 6,89,89,49
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1		
अनुपूरक	6,17		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)	6,18	5,64	- 54
			54

**पूंजी**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,63,65		
अनुपूरक	2,92,86		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)	4,56,51	4,41,54	- 14,97
			14,97

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[07] उपभोक्ता संरक्षण- प्रतिबद्ध			
मू.	4,201.70		
पु.	- 731.69		
	3,470.01	3,470.01	..

₹ 731.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 55 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[01] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू .	8,840.50		
		3,633.96	3,633.96
पु .	- 5,206.54		..
₹ 5,206.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			

102. सिविल पूर्ति योजना  
(09) एनएफएसए परिवारों को मुख्यमंत्री  
निःशुल्क राशन किट योजना  
[01] मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन

मू .	65,000.00		
पु .	- 65,000.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 65,000.00 लाख का प्रावधान नई योजना के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 50,532.94 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 14,467.06 लाख ) किया गया । यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

102. सिविल पूर्ति योजना  
(10) मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना  
[01] गैस सिलेण्डर

मू .	30,000.00		
पु .	- 4,081.44	25,918.56	25,918.56

31 मार्च 2024 को ₹ 4,081.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(02) खाधान्न वितरण			
[08] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू .	2,600.01		
		8,280.00	8,280.00
पु .	5,679.99		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,679.99 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

### अनुदान संख्या 56 - उद्योग विभाग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,  
 2852. उद्योग और  
 3075. अन्य परिवहन सेवाएं  
 पूंजी -4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,  
 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज,  
 6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज और  
 7453. विदेश व्यापार निर्यात संवर्धन के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	5,21,89,64		
अनुपूरक	47,70,01	5,69,59,65	3,52,48,13 - 2,17,11,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			2,17,11,51
<b>प्रभारित</b>			
मूल	3		
अनुपूरक	..	3	.. - 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			3
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	14,61,28		
अनुपूरक	2,00,00	16,61,28	4,04,36 - 12,56,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			12,56,93
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>			

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 21,711.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,770.01 लाख का प्रावधान अनावश्यक था।

**अनुदान संख्या 56 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू. 4,500.00	1,300.00	1,300.00	..
पु. - 3,200.00			
31 मार्च 2024 को ₹ 3,200.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू. 6,750.00	3,205.49	3,205.49	..
पु. - 3,544.51			
31 मार्च 2024 को ₹ 3,544.51 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
102. लघु उद्योग			
(17) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना			
[01] ब्याज अनुदान			
मू. 15,076.35	12,323.76	12,323.76	..
पु. - 2,752.59			
₹ 2,752.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			
102. लघु उद्योग			
(18) माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेज क्लस्टर			
डवलपमेन्ट प्रोग्राम (एमएसई-सीडीपी)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू. 390.00	129.14	129.14	..
पु. - 260.86			
31 मार्च 2024 को ₹ 260.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			



## अनुदान संख्या 56 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
102. लघु उद्योग			
(23) विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
अ .	500.00		
		350.74	350.74
पु .	- 149.26		..

जुलाई, 2023 में नई योजना विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत स्वरोजगार हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 149.26 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

105. खादी ग्रामोद्योग  
(01) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान

मू .	600.00			
		..	..	..
पु .	- 600.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पास गत वर्षों की अव्ययित राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

105. खादी ग्रामोद्योग  
(07) खादी की बिक्री पर रिबेट  
[01] खादी वस्त्रों की बिक्री पर रिबेट हेतु अनुदान

मू .	1,000.00			
		500.00	500.00	..
पु .	- 500.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख का प्रावधान स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से छूट के दावों की लेखा परीक्षा कराने के कारण छूट के दावे समय पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2852. उद्योग  
80. सामान्य  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(04) जिला उद्योग केन्द्र-प्रतिबद्ध

मू .	4,439.43			
		3,456.49	3,456.48	- 0.01
पु .	- 982.94			

₹ 982.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों और संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 56 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) आयुक्त, उद्योग विभाग			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,897.43	1,553.25	1,553.24
पु.	- 344.18		
			- 0.01

₹ 344.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

102. औद्योगिक उत्पादकता  
(02) ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन  
(बी.आई.पी.) को अनुदान

मू.	1,650.00	825.00	825.00	..
पु.	- 825.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 825.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य  
102. औद्योगिक उत्पादकता  
(23) शिल्प माटी कला बोर्ड को अनुदान

मू.	500.00	225.00	225.00	..
पु.	- 275.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 275.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

80. सामान्य  
102. औद्योगिक उत्पादकता  
(24) अप्रवासी भारतीय विभाग  
[01] राजस्थान फाउन्डेशन

मू.	920.00	110.00	110.00	..
पु.	- 810.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 810.00 लाख का प्रावधान अन्तराष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन नहीं होने और कॉर्पस फण्ड पर अर्जित ब्याज से निधियों का उपयोग करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
102. औद्योगिक उत्पादकता  
(25) राजस्थान वित्त निगम  
[01] युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना हेतु सहायता

मू.	599.99	375.00	375.00	..
पु.	- 224.99			

31 मार्च 2024 को ₹ 224.99 लाख का प्रावधान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत ऋणों की कम स्वीकृति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 56 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(28) राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड			
[01] उद्योग विभाग के माध्यम से			
मू.	384.90	..	..
पु.	- 384.90	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 384.90 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(32) मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना			
[02] ब्याज अनुदान			
अ.	500.00	5.03	..
पु.	- 494.97	5.03	..
31 मार्च 2024 को ₹ 494.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता			
(04) अपग्रडेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज इफ्ल्यूएंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाडी			
[01] रीको को सहायता			
मू.	8,900.00	..	..
पु.	- 8,900.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 8,900.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 5,859.99 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,040.01 लाख) किया गया , जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019 (उद्योग विभाग)			
[02] पूंजी अंशदान			
मू.	300.00		
अ.	20.00	424.46	..
पु.	104.46	424.46	..

## अनुदान संख्या 56 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019 (उद्योग विभाग)			
[03] निवेश अंशदान			
मू.	2,000.00		
अ.	3,000.00	7,360.95	7,360.95
पु.	2,360.95		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,465.41 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन और अधीक्षण			
मू.	20.00		
पु.	363.04	383.04	383.04
			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 363.04 लाख की अतिरिक्त निधियां विज्ञापन, बिक्री, प्रचार एवं वृत्तिक तथा विशेष सेवाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## पूंजी

## दत्तमत

1. जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 200.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
102. लघु उद्योग			
(02) राजस्थान एकीकृत कलस्टर योजना			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	550.00		
पु.	- 550.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 550.00 लाख का समस्त प्रावधान एकीकृत कलस्टर विकास योजना की अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 56 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
104. हस्त शिल्प उद्योग			
(02) एमएसएमई एवं हस्तशिल्प हेतु ई-बाजार का विकास			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	230.00	..	..
पु.	- 230.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 230.00 लाख का समस्त प्रावधान कम्प्यूटरीकरण और संबंधित संचार व्यय पर व्यय न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

200. अन्य ग्राम उद्योग

(03) नमक क्षेत्रों में सड़क निर्माण

[90] निर्माण कार्य

मू.	180.00	..	..
पु.	- 180.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 180.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय

60. अन्य

800. अन्य व्यय

(26) शहरी हाट निर्माण

[01] आयुक्त, उद्योग विभाग

मू.	290.01			
अ.	200.00	290.00	290.00	..
पु.	- 200.01			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा शहरी हाट निर्माण हेतु लिया गया ₹ 200.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 200.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 57 – पेट्रोलियम विभाग**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2802. पेट्रोलियम  
 पूंजी – 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय और  
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,43,97	2,46,10	1,87,52	- 58,58
अनुपूरक	2,13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				58,59
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,00,00,01	5,50,00,00	5,00,00,00	- 50,00,00
अनुपूरक	49,99,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				50,00,00

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2802. पेट्रोलियम			
01. कच्चे तेल तथा गैस की खोज तथा उत्पादन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पेट्रोलियम निदेशालय			
[04] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	204.14	151.75	151.75
अ.	0.83		
पु.	- 53.22		

31 मार्च 2024 को ₹ 53.22 लाख का प्रावधान कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने और पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 57 - (समाप्त)

### पूंजी

#### दत्तमत

1. फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,999.99 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था ।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच पी सी एल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[01] रिफायनरी-(सामान्य)			
मू.	50,000.00		
अ.	4,999.99	50,000.00	50,000.00
पु.	- 4,999.99		..

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में निवेश हेतु लिया गया ₹ 4,999.99 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।

31 मार्च 2024 को ₹ 4,999.99 लाख का प्रावधान राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में निवेश कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

## अनुदान संख्या 58 – खान विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य और  
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग  
पूंजी – 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर  
पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,77,84,58			
अनुपूरक	35,93,25	2,13,77,83	2,00,92,26	- 12,85,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				12,85,58
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4			
अनुपूरक	5,62	5,66	5,63	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	10,50,07			
अनुपूरक	..	10,50,07	4,52,19	- 5,97,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				5,97,88
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं :</b>				

### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 1,285.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि में हस्तान्तरण हेतु फरवरी, 2024 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,593.25 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।



**अनुदान संख्या 58 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय			
[01] खान एवं भू-विज्ञान विभाग- प्रधान कार्यालय- प्रतिबद्ध			
मू.	2,334.58		
पु.	- 243.41	2,091.17	2,091.17

31 मार्च 2024 को ₹ 243.41 लाख का प्रावधान (i) पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों जिनका मुख्यालय मुख्य कार्यालय में रहा, के लिए वेतन एवं भत्ते के भुगतान की प्रत्याशा में अनुमानित ₹ 49.46 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं होने, (ii) 8 कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण मजदूरी की व्यय सीमा में कमी होने और (iii) लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त करने के कारण 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का उपयोग चुनाव आचार संहिता लगने के कारण नहीं हो पाना तथा कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटीकरण एवं बेहतर संचार व्यवस्था के लिए सामग्री क्रय हेतु प्रशासन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. खानों का विनियमन तथा विकास  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(06) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय  
[02] खान एवं भू-विज्ञान विभाग-  
जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय- प्रतिबद्ध

मू.	12,967.43		
पु.	- 2,211.21	10,756.22	10,756.22

31 मार्च 2024 को ₹ 2,211.21 लाख की प्रत्याशित बचत (i) अधिवार्षिकी पर 44 अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) विभाग में कार्यरत बॉर्डर होम गार्डों को चुनाव ड्यूटी के लिए मूल विभाग में बुलाए जाने से संविदा सेवाओं पर कम व्यय हुआ, (iii) 29 कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण मजदूरी पर कम व्यय होने और (iv) लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त करने के कारण 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का उपयोग चुनाव आचार संहिता लगने के कारण नहीं हो पाना तथा कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटीकरण एवं बेहतर संचार व्यवस्था के लिए सामग्री क्रय हेतु प्रशासन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. खानों का विनियमन तथा विकास  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(07) खनिज सघन पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण एवं  
मानचित्र योजना  
[01] खान एवं भू-विज्ञान विभाग- प्रधान कार्यालय

मू.	360.16		
पु.	- 107.48	252.68	252.67

₹ 107.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सेवा प्रदाता फर्म ई-कनेक्ट सॉल्यूशन द्वारा विभागीय स्तर पर संचालित ऑनलाइन प्रणाली में प्रस्तावित सभी मॉड्यूल/नवीन कार्यों की तैयारी न करने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 58 - (समाप्त)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण			
(03) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि से संचालित योजनाएं			
[01] खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि के बजट शीर्ष 8229-200 (09) में अन्तरण			
मू. 0.01			
अ. 3,593.25	5,000.00	5,000.00	..
पु. 1,406.74			
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,406.74 लाख की अतिरिक्त निधियां खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि में निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(06) खनिज भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 900.00			
पु. - 900.00	..	..	..
₹ 900.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से विभिन्न भवन निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति न मिलने को आरोपित की गयी।			

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू. 150.00			
पु. 302.19	452.19	452.19	..
31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 302.19 लाख की अतिरिक्त निधियां खनन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 59 – पर्यटन विभाग**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3452. पर्यटन

पूंजी – 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और

7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
दत्तमत				
मूल	1,01,55,94	1,01,97,64	78,92,00	- 23,05,64
अनुपूरक	41,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				23,17,92
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1
<b>पूंजी</b>				
दत्तमत				
मूल	36,15,65	3,13,64,74	2,08,03,86	- 1,05,60,88
अनुपूरक	2,77,49,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,05,33,75

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 2,305.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 41.70 लाख का प्रावधान अनावश्यक था।
- ₹ 2,305.64 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 2,317.92 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3452. पर्यटन				
80. सामान्य				
800. अन्य व्यय				
(02) पर्यटन सूचना और प्रचार				
मू.	6,912.00	3,463.84	3,476.10	+ 12.26
पु.	- 3,448.16			

### अनुदान संख्या 59- (क्रमशः)

31 मार्च 2024 को ₹ 3,448.16 लाख का प्रावधान (i) अधिकांश मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रचार कार्य पर्यटन विकास कोष से किया जाना, (ii) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जैसे जहां-ए-खुसरो, मसाला चौक तथा हवामहल महोत्सव का आयोजन न होने तथा (iii) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से प्रचार प्रसार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,257.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,191.15 लाख) किया गया।

₹ 12.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(13) राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति			
[01] पर्यटन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,000.00	..	..
पु.	- 1,000.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) अधिकांश मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रचार कार्य पर्यटन विकास कोष से किया जाना, (ii) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का आयोजन न होने तथा (iii) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से प्रचार प्रसार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(11) राजस्थान पर्यटन विकास निगम को सहायतार्थ अनुदान			
[01] राजस्थान पर्यटन विकास निगम को अनुदान			
मू.	42.50	2,063.76	..
पु.	2,021.26	2,063.76	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,021.26 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पर्यटन विकास निगम को अनुदान में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

### पूंजी

#### दत्तमत

- ₹ 10,560.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को ऋण हेतु फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूर्क अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 27,749.09 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 10,560.88 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 27.13 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 59- (समाप्त)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	3,096.50		
पु.	- 2,588.82	507.68	480.54
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(05) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	519.11		
पु.	- 473.48	45.63	45.63

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 3,062.30 लाख का प्रावधान कार्यकारी एजेंसी द्वारा मांग एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "5452-80-800(01) " के अंतर्गत ₹ 27.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

7452. पर्यटन के लिए कर्ज			
60. अन्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(04) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. को उधार			
मू.	0.01		
अ.	27,749.09	20,000.00	20,000.00
पु.	- 7,749.10		

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को ऋण हेतु लिया गया ₹ 27,749.09 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 7,749.10 लाख का प्रावधान राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को अन्य वित्तीय संस्था से ऋण उपलब्ध कराये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य होटल निगम			
मू.	0.01		
पु.	277.67	277.68	277.68

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 277.67 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य होटल निगम में निवेश के लिए उपलब्ध करायी गयी।

### अनुदान संख्या 60 – सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,  
2220. सूचना तथा प्रचार और  
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,  
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय और  
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	21,95,88,44	21,95,88,48	11,66,08,24	- 10,29,80,24
अनुपूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				

### पूंजी

<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,26,17,71	7,26,17,73	2,86,22,56	- 4,39,95,17
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				

### टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेन्टल			
मू .	1,360.00	1,020.00	..
पु .	- 340.00		

31 मार्च 2024 को ₹ 340.00 लाख का प्रावधान राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड के पास गत वर्ष की अनुपयोजित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

## अनुदान संख्या 60 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 203. कम्प्यूटर सेवाएं (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [19] ई-संचार	मू. 166.00 पु. - 166.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 166.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड के पास वर्ष 2022-23 के दौरान व्हाट्स एप मैसेज के लिए जारी निधियों से संबंधित गत वर्ष की अनुपयोजित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 203. कम्प्यूटर सेवाएं (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [20] ब्लॉक स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेंस	मू. 826.00 पु. - 146.00	680.00	680.00 ..
31 मार्च 2024 को ₹ 146.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के संचालन तथा रखरखाव पर कम व्यय की आवश्यकता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 203. कम्प्यूटर सेवाएं (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [24] जीआईएस	मू. 1,555.00 पु. - 620.00	935.00	935.00 ..
31 मार्च 2024 को ₹ 620.00 लाख का प्रावधान (i) चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कोटा, अजमेर, जोधपुर तथा उदयपुर की 3 डी सिटी परियोजना की निविदा जारी नहीं होने, (ii) चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य में इमेजनरी की खरीद की निविदा जारी नहीं होने तथा (iii) फर्म द्वारा हेयर मैप और जनरल वर्ड मॉडल्स (जीडब्ल्यूएमएस) परियोजनाओं की डिलिवरेबल्स जमा नहीं करने के कारण वर्ष 2023-24 के दौरान फर्म को भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 203. कम्प्यूटर सेवाएं (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [25] राज सम्पर्क	मू. 5,872.00 पु. - 3,103.50	2,768.50	2,768.50 ..
₹ 5,872.00 लाख का प्रावधान 2022-23 के बजट भाषण में की गयी घोषणा की अनुपालना में 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के सुदृढीकरण के लिए कॉल सेन्टर की सीट्स को 400 सीट्स से बढ़ाकर 1,000 सीट्स करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी योजनाओं और फ्लैगशिप कार्यक्रम की वास्तविकता जांच हेतु सर्वे का कार्य निष्पादित नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप कॉल वेल्यू कम हो गयी तथा 400 सीटों का ही संचालन किया गया जिसके कारण 31 मार्च 2024 को ₹ 3,103.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 60 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] विकास केन्द्र			
मू .	1,642.00		
		741.99	741.99
पु .	- 900.01		..

31 मार्च 2024 को ₹ 900.01 लाख का प्रावधान (i) मोबाईल एप डवलपमेन्ट मैन पावर, (ii) टेक्नीकल मैन पावर हायरिंग (एनआईसीएसआई), (iii) राजकेड ट्रेनिंग और केपेसिटी बिल्डिंग, (iv) राजकेड हेतु परामर्श सेवाएँ तथा (v) राजकेड के लिए यात्रा पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[28] ई-ऑफिस

मू .	1,454.24		
		1,006.35	1,006.35
पु .	- 447.89		..

31 मार्च 2024 को ₹ 447.89 लाख का प्रावधान ई-ऑफिस परियोजना हेतु राजकाज वर्जन 2 के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेजल (आरएफपी) का प्रकाशन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[33] डाटा सेन्टर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)

मू .	7,723.01		
अ.	0.01	5,971.29	5,971.30
पु .	- 1,751.73		+ 0.01

₹ 1,751.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) स्टेट डेटा सेन्टर में विद्युत उपभोग कम होने के कारण विद्युत बिलों पर कम व्यय होने, (ii) विभाग द्वारा किये गये भुगतान में पैनल्टी में कमी होने तथा (iii) एज्योर के एप्लीकेशन ट्रेकिंग सिस्टम (एटीएस), प्योरएप मशीन के ए.टी.एस., डेटा सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर के ए.टी.एस और के एटीएस/एएमसी/सब्सक्रिप्शन के सिस्टम-ऑन-ए-चिप (एस.ओ.सी.) उपकरणों के क्रय नहीं होने को आरोपित की गयी ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[35] कमाण्ड और कन्ट्रोल सेंटर

मू .	6,130.00		
		1,360.00	1,360.00
पु .	- 4,770.00		..

31 मार्च 2024 को ₹ 4,770.00 लाख का प्रावधान (i) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण सुविधा प्रबंधन सेवाएं/वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रक्रिया में विलम्ब होने, (ii) कैमरों पर फाईबर कनेक्टिविटी नहीं होने तथा (iii) कोषालयों द्वारा ₹ 3,300.00 लाख के बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



## अनुदान संख्या 60 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[39] स्टार्ट अप			
मू .	2,720.01		
पु .	- 864.65	1,855.36	1,855.36

31 मार्च 2024 को ₹ 864.65 लाख का प्रावधान (i) चुनाव आचार संहिता लगने के कारण स्टार्टअप को जीविका भत्ता/सीड फण्ड/विपरण सहायता/टेक्नो निधि के रूप में वित्तीय सहायता जारी नहीं होने, (ii) स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं कम आयोजित होने, (iii) स्पॉन्सरशिप ग्रांट जारी नहीं होने तथा (iv) कोषालयों द्वारा ₹ 347.00 लाख के बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(06) जन आधार ई-वॉलिट  
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू .	162.69		
पु .	- 162.69	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 162.69 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राजकॉम्प इंफो सर्विस लिमिटेड के पास गत वर्ष की अनुपयोजित राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(08) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट, जोधपुर  
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू .	650.00		
पु .	- 650.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 650.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट, जोधपुर में शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने के परिणामस्वरूप वेतन तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों, विद्युत, जल, आउटरीच/आईइसी गतिविधियों, सेमीनार तथा कान्फ्रेंस पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(09) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना  
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू .	1,64,200.00		
पु .	- 86,385.75	77,814.25	77,814.25

31 मार्च 2024 को ₹ 86,385.75 लाख का प्रावधान जिला कलेक्टर द्वारा डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं की सुविधा में विस्तार से संबंधित राशि का कम उपयोग किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 84,902.27 लाख ) तथा पुनर्विनियोजित (₹ 1,483.48 लाख ) किया गया ।

## अनुदान संख्या 60 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(11) साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	680.00	..	..
पु .	- 680.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 680.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण साइबर रेंज प्लेटफार्म स्थापित करने तथा उसके संचालन के लिए आवश्यक मैनपावर हेतु कार्यादेश विलम्ब से जारी हुआ ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(12) राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स लर्निंग			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	340.01	..	..
पु .	- 340.01	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 340.01 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स लर्निंग को निधियां जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि इन्स्टीट्यूट के लिए मैनेजिंग/कार्यकारी संस्था का गठन नहीं हुआ ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(13) तकनीकी आधारित निगरानी प्रणाली			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	1,000.00	..	..
पु .	- 1,000.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान तकनीकी आधारित सर्विलान्स सिस्टम के अन्तर्गत विभागों से ड्रोन की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(15) राजस्थान सेंटर फॉर आई.टी. डवलपमेन्ट एण्ड ई-गवर्नेंस			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	120.00	..	..
पु .	- 120.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राजस्व व्यय की संभावना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि राजीव गांधी सेन्टर फॉर आई.टी. डवलपमेन्ट एण्ड ई-गवर्नेंस का निर्माण कार्य अभी किया जाना शेष था इसलिए 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय की संभावना नहीं थी ।			

## अनुदान संख्या 60 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(16) वेंचर कैपिटल फण्ड			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	300.00	..	..
पु .	- 300.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राजस्व व्यय की संभावना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। क्योंकि स्टार्ट अप के लिए इक्रिटी फंडिंग हेतु स्टार्ट अप पॉलिसी 2022 के अन्तर्गत दिशा निर्देश/ नियम के लिए प्रावधान प्रक्रियाधीन हैं।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[36] इनसेंटीव अण्डर आई.टी. पॉलिसी			
मू .	0.01	173.73	..
पु .	173.72	173.73	..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 173.72 लाख की अतिरिक्त निधियां ई-मित्र परियोजना के अन्तर्गत प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023 में आम जन को निःशुल्क सुविधाएँ तथा 'ई-मित्र कियोस्क शिविरों' में ई-मित्र कियोस्क की ड्यूटी प्रदान करने पर दिये जाने वाले प्रतिदिन ₹ 500 के भुगतान हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

## पूँजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स लर्निंग			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग-(सामान्य)			
मू .	3,400.00	..	..
पु .	- 3,400.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 3,400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स लर्निंग के लिए पूँजी निवेश की स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, क्योंकि संस्था के लिए मैनेजिंग/एग्जीक्यूटिव बोर्ड का गठन नहीं हुआ।

## अनुदान संख्या 60 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेन्टल			
मू .	136.00	..	..
पु .	- 136.00	..	..

31 मार्च 2024 को ₹ 136.00 लाख का समस्त प्रावधान राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड के पास गत वर्ष की अनुपयोजित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

800. अन्य व्यय  
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[24] ब्लॉक स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेंस

मू .	554.00	340.00	340.00	..
पु .	- 214.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 214.00 लाख का प्रावधान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के संचालन और रखरखाव पर व्यय की कम आवश्यकता के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

800. अन्य व्यय  
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[27] जी.आई.एस.

मू .	5,725.01	..	..	..
पु .	- 5,725.01			

31 मार्च 2024 को ₹ 5,725.01 लाख का समस्त प्रावधान (i) चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कोटा, अजमेर, जोधपुर तथा उदयपुर की 3 डी सिटी परियोजना की निविदा जारी नहीं होने, (ii) चुनाव आचार संहिता लगने के कारण राज्य में इमेजनरी की खरीद की निविदा जारी नहीं होने तथा (iii) फर्म द्वारा हेयर मैप और जनरल वर्ड मॉडल्स (जी डब्ल्यू एम एस) परियोजनाओं की डिलिवरेबल्स जमा नहीं करने पर वर्ष 2023-24 के दौरान फर्म को भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

800. अन्य व्यय  
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[35] सम्पर्क केन्द्र ओपरेशन

मू .	180.00	..	..	..
पु .	- 180.00			

31 मार्च 2024 को ₹ 180.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान फर्म को भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, क्योंकि फर्म द्वारा डिलिवरेबल से संबंधित दस्तावेज अन्तिम भुगतान हेतु पूर्ण नहीं किये गये।

## अनुदान संख्या 60 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[38] कमाण्ड और कंट्रोल सेन्टर			
मू.	10,662.00	680.00	680.00 ..
पु.	- 9,982.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 9,982.00 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अभय कमाण्ड और कंट्रोल सेन्टर के अन्तर्गत कैमरों को स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी करने में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(21) राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवान्स टेक्नोलोजी (आर-केट)			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	1,208.00	..	..
पु.	- 1,208.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 1,208.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सॉफ्टवेयर लाइसेन्स की खरीद की आवश्यकता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि कार्य ट्रेनिंग क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के माध्यम से किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(24) जन आधार ई-वॉलिट			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	399.91	..	..
पु.	- 399.91		
31 मार्च 2024 को ₹ 399.91 लाख का प्रावधान राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड के पास गत वर्ष की अनुपयोजित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(26) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट, जोधपुर			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	28,362.00	9,899.60	9,899.60 ..
पु.	- 18,462.40		
31 मार्च 2024 को ₹ 18,462.40 लाख का प्रावधान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट, जोधपुर के भवन निर्माण का कार्य धीमी गति से होने के परिणामस्वरूप साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की खरीद नहीं हो सकने के कारण अभ्यर्पित (₹ 16,845.08 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,617.32 लाख) किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(27) साइबर सिक्योरिटी सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	680.00	578.00	578.00 ..
पु.	- 102.00		
31 मार्च 2024 को ₹ 102.00 लाख का प्रावधान पूंजीगत व्यय में कटौती के कारण के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण साइबर रेन्ज प्लेटफार्म स्थापित करने तथा उसके संचालन के लिए आवश्यक मैनपावर हेतु कार्यादेश विलम्ब से जारी हुआ।			

**अनुदान संख्या 60 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(28) तकनीकी आधारित निगरानी प्रणाली			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	2,300.00	..	..
पु .	- 2,300.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 2,300.00 लाख का समस्त प्रावधान टेक्नीकल बेस्ड सर्विलांस सिस्टम के अन्तर्गत विभागों से ड्रोन के मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
800. अन्य व्यय			
(31) वेंचर कैपिटल फण्ड			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	3,000.00	..	..
पु .	- 3,000.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 3,000.00 लाख का समस्त प्रावधान स्टार्ट अप्स पॉलिसी 2022 के अन्तर्गत स्टार्ट अप्स को इक्रीटी फंडिंग हेतु दिशा-निर्देश/नियमावली प्रक्रियाधीन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(30) राजस्थान सेंटर फॉर आई.टी. डवलपमेन्ट एण्ड ई-गवर्नेंस			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	500.00	1,617.33	..
अ .	0.01	1,617.33	..
पु .	1,117.32	1,617.33	..
₹ 500.00 लाख का प्रावधान आई.टी. विकास तथा ई-गवर्नेंस के लिए राजीव गांधी केन्द्र हेतु अनुमानित था । 31 मार्च 2024 को ₹ 1,117.32 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना में बढ़ी हुई प्रगति के लिए उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान  
पूंजी - 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान  
पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	23,85,59	23,85,59	14,05,35	- 9,80,24
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				9,74,36
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,08,01	12,96,00	9,49,09	- 3,46,91
अनुपूरक	6,87,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3,46,91

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 980.24 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 5.88 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान				
01. भारतीय सर्वेक्षण				
800. अन्य व्यय				
(01) विज्ञान एवं तकनीक				
मू.	498.51	356.28	356.27	- 0.01
पु.	- 142.23			

₹ 142.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

## अनुदान संख्या 61 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(04) विज्ञान एवं समाज			
मू.	60.00	..	..
पु.	- 60.00	..	..
31 मार्च 2024 को ₹ 60.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(05) विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण			
मू.	834.36	261.70	- 3.96
पु.	- 572.66		
₹ 572.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(12) विज्ञान एवं तकनीक			
[01] स्थापना व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	822.37	735.80	- 1.83
पु.	- 86.57		
₹ 86.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।			

## पूंजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) विज्ञान एवं तकनीक			
मू.	608.01		
अ.	687.99	949.09	..
पु.	- 346.91		

फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों हेतु लिया गया ₹ 687.99 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

31 मार्च 2024 को ₹ 346.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।



**अनुदान संख्या 62 – परिवहन विभाग**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2041. वाहन कर,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं और  
 3055. सड़क परिवहन  
 पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	10,46,72,63			
अनुपूरक	1,51,31,24	11,98,03,87	10,21,27,30	- 1,76,76,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,75,68,91
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2			
अनुपूरक	17,42	17,44	17,41	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,41,04,93			
अनुपूरक	15,00,00	1,56,04,93	75,56,65	- 80,48,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				80,48,27

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- जुलाई, 2023 (₹ 11,300.00 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 3,831.24 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 15,131.24 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 17,676.57 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 107.66 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

### अनुदान संख्या 62 – (क्रमशः)

3. बचत (जो अनुदान के अन्तर्गत अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वी.जी.एफ. के लिए अनुदान			
मू.	5,000.00		
अ.	1,000.00	..	..
पु .	- 6,000.00		

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा बायबिलिटी गैप फंड के लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को सहायतार्थ अनुदान हेतु लिया गया ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2024 को ₹ 6,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

800. अन्य व्यय

(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि

[06] पर्यावरण एवं प्रदूषण प्रबन्धन

मू.	6,900.00			
अ.	2,000.01	458.84	447.95	- 10.89
पु .	- 8,441.17			

₹ 2,000.01 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण प्रबन्धन के लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को सहायतार्थ अनुदान हेतु लिया गया ₹ 2,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 8,441.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 3,819.67 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,621.50 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

₹ 10.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

800. अन्य व्यय

(08) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि

[01] परिवहन विभाग के माध्यम से

मू.	9,721.26			
पु .	- 6,321.87	3,399.39	3,398.77	- 0.62

31 मार्च 2024 को ₹ 6,321.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

अनुदान संख्या 62 – (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,500.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
050. भूमि तथा भवन			
(01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] सिविल कार्य			
मू.	6,000.01		
पु .	- 2,115.41	3,884.60	3,884.58
			- 0.02

31 मार्च 2024 को ₹ 2,115.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
- (08) राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण

मू.	1,050.00			
अ.	500.00	200.00	200.00	..
पु .	- 1,350.00			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण में निवेश हेतु लिया गया ₹ 500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 1,350.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

800. अन्य व्यय
- (02) बस स्टेण्डों का निर्माण/जीर्णोद्धार
- [01] परिवहन विभाग

मू.	6,500.00			
अ.	800.00	2,377.02	2,377.02	..
पु .	- 4,922.98			

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा बस स्टेण्डों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण हेतु लिया गया ₹ 800.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2024 को ₹ 4,922.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 4,570.81 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 352.17 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

**अनुदान संख्या 62 – (समाप्त)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(29) सामान्य भवन (यातायात भवनों का निर्माण)			
[01] भवनों का तथा ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण			
मू.	517.87		
अ.	200.00	1,070.04	1,070.04
पु .	352.17		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 352.17 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024) ।

अनुदान संख्या 63 – आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,  
2401. फसल कृषि-कर्म,  
2425. सहकारिता और  
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,  
पूंजी – 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और  
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,72,94,79		
अनुपूरक	99,46,47		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		2,72,41,26	2,48,01,73 - 24,39,53
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	92,52		
अनुपूरक	14,98		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)		1,07,50	52,25 - 55,25

**टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 2,439.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई, 2023 (₹ 9,091.50 लाख) तथा फरवरी, 2024 (₹ 854.97 लाख) में लिया गया ₹ 9,946.47 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिक एजेंसी			
(01) आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग			
[02] जिला सांख्यिकी कार्यालय			
मू.	4,585.77		
अ.	8,519.00	11,099.80	11,099.80
पु.	- 2,004.97		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा महंगाई राहत शिविरों के आयोजन पर हुये व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 8,519.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

### अनुदान संख्या 63 – (क्रमशः)

₹ 2,004.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्मिकों के स्थानान्तरण से पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण *मंहगाई राहत शिविर* पर कम व्यय होने, (iii) कई बिलों के समय पर पारित नहीं होने, (iv) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस द्वारा माह मार्च, 2024 में पारित हुये बिलों का भुगतान नहीं होने तथा (v) संविदा सेवाओं पर कम व्यय हुआ क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध समस्त खण्डों में होम गार्ड्स उपलब्ध नहीं होने को आरोपित की गयी ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिक एजेंसी			
(01) आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग			
[05] यंग इंटरर्स प्रोग्राम			
मू.	748.01		
अ.	20.00	652.86	652.85
पु.	- 115.15		- 0.01

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 20.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।

₹ 115.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्मिकों के स्थानान्तरण से पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) *यंग इंटरर्स प्रोग्राम* के तहत इंटरर्स के कम चयन के परिणामस्वरूप स्टाईपेन्ड का कम भुगतान होने को आरोपित की गयी ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिक एजेंसी			
(01) आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग			
[06] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,989.40		
पु.	- 356.06	1,633.34	1,633.32
			- 0.02

₹ 356.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्मिकों के स्थानान्तरण से पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) विद्युत तथा जल प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिक एजेंसी			
(01) आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग			
[07] जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,758.82		
पु.	- 219.95	1,538.87	1,538.87
			..

₹ 219.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्मिकों के स्थानान्तरण से पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

## अनुदान संख्या 63 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिक एजेंसी			
(03) राजस्थान जन आधार योजना			
[02] राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को सहायता			
मू.	1,740.00	452.64	452.64
पु.	- 1,287.36		..

31 मार्च 2024 को ₹ 1,287.36 लाख का प्रावधान (i) जिला कार्यालयों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण पुस्तिकाओं के मुद्रण पर कम व्यय करने, (ii) परियोजना प्रबंध शाखा के अन्तर्गत सलाहकारो हेतु किये गये प्रावधान कार्यालय व्ययों, विज्ञापन, बिक्री, प्रचार-प्रसार आदि पर व्यय राजस्थान जन आधार अर्थो रिटी के पास उपलब्ध अनुपयोजित राशि से करने, (iii) राजकाम्प इंफो सर्विस (आरआईएसएल) द्वारा जन आधार तथा अन्य विविध कार्यों हेतु उपलब्ध राशि की मांग नहीं की गयी क्योंकि व्यय आरआईएसएल के पास व्यक्तिगत जमा खातों में गत वर्ष की उपलब्ध अनुपयोजित राशि से किया गया तथा (iv) विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 677.26 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 610.10 लाख) किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
111. कृषि अर्थ-व्यवस्था तथा सांख्यिकी			
(03) फसलों की पैदावार तथा क्षेत्रफल के अनुमानों के बारे में समय पर सूचना देने हेतु			
मू.	0.05	106.13	106.13
पु.	106.08		..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 106.08 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यह योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत आती हैं तथा भारत सरकार द्वारा पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से जारी की गयी राशि सीधे विभाग के बैंक खाते में प्राप्त होती हैं। 2023-24 के दौरान भारत सरकार से निधियां विलम्ब से प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के तहत प्रावधान करवा कर योजना के तहत लगे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया और भारत सरकार से केन्द्रीय अंशदान की प्राप्ति होने के पश्चात सरकारी खाते में जमा किया गया।

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिक एजेंसी			
(01) आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग			
[01] मुख्यालय			
मू.	730.58	3,887.52	3,887.53
अ.	1,407.47		+ 0.01
पु.	1,749.47		

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,749.47 लाख की अतिरिक्त निधियां महंगाई राहत शिवरो, मिशन 2030 तथा जन सम्मान योजना के आयोजन पर हुये व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## पूँजी

## दत्तमत

1. ₹ 55.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2024 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 14.98 लाख का प्रावधान अनावश्यक था।

### अनुदान संख्या 64 – अन्य सामान्य सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2053. जिला प्रशासन,  
 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2062. सतर्कता,  
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,  
 2075. विविध सामान्य सेवाएं और  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
 पूंजी- 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	87,89,46		
अनुपूरक	3,61,58	91,51,04	73,01,25 - 18,49,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			18,69,31
<b>प्रभारित</b>			
मूल	3		
अनुपूरक	..	3	.. - 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			3
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	8,17,20		
अनुपूरक	8,87,93	17,05,13	14,82,74 - 2,22,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			2,22,40

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

#### दत्तमत

1. जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 361.58 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 1,849.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,869.31 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।



**अनुदान संख्या 64 -(क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(03) सुशासन व्यवस्था-प्रतिबद्ध			
मू.	708.20		
अ.	219.00	674.09	674.09
पु.	- 253.11		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा नवीन जिलों के गठन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 219.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

31 मार्च 2024 को 253.11 लाख का प्रावधान नव गठित जिलों में नवीन कार्यालय शुरू नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों, कार्यालय व्ययों, कम्प्यूटर से संबंधित उपकरण इत्यादि पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
103. सरकारी मुद्रणालय			
(01) मुद्रण कार्य			
[01] राजकीय मुद्रण-प्रतिबद्ध			
मू.	2,404.28		
अ.	0.01	2,088.08	2,107.60
पु.	- 316.21		+ 19.52

₹ 316.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण पद रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ तथा (ii) अन्य विभागों से मुद्रण कार्य का आदेश कम प्राप्त होने के कारण पेपर पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 19.52 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)।

104. अन्य साधनों से मुद्रण की लागत			
(01) केन्द्रीय मुद्रणालय			
[01] बहुसंगीय मुद्रण-प्रतिबद्ध			
मू.	200.00		
पु.	- 170.57	29.43	29.43

31 मार्च 2024 को ₹ 170.57 लाख का प्रावधान अन्य विभागों से बहुसंगीय मुद्रण कार्य कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[02] फर्म प्रशिक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	1,160.01		
पु.	- 1,036.74	123.27	123.27

₹ 1,036.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सेवा बैंच-2021 के नवीन बैंच के नहीं आने के कारण प्रशिक्षणार्थियों के वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम आयोजन होने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 64 -(क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[08] संचालन एवं प्रशासन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,369.89	2,131.89	2,131.90
पु.	- 238.00		
			+ 0.01

₹ 238.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महानिदेशक, अतिरिक्त निदेशक, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त रहे पदों के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2062. सतर्कता			
103. लोकायुक्त/उप लोकायुक्त			
(01) लोकायुक्त सचिवालय- प्रतिबद्ध			
मू.	764.77	868.17	868.16
अ.	1.57		
पु.	101.83		
			- 0.01

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 101.83 लाख की अतिरिक्त निधियां लोकायुक्त सचिवालय में जुलाई, 2023 से न्यायिक अधिकारियों के वेतन में संशोधन के पश्चात सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के कारण बढ़े हुए वेतन के व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी । जनवरी, 2016 से सितम्बर, 2019 तक के वेतन के बकाया का भुगतान भी इन न्यायिक अधिकारियों को इसी लेखा शीर्ष से किया गया ।

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[04] आई.ए.एस. परिवीक्षाधीनों को प्रशिक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	172.01	284.59	284.59
पु.	112.58		
			..

31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 112.58 लाख की अतिरिक्त निधियां नवीन बैंच के 9 प्रशिक्षु आई. ए. एस. अधिकारियों तथा साथ ही पिछले बैंच के 6 प्रशिक्षु आई.ए.एस. अधिकारियों के आने के कारण वेतन, यात्रा प्रभार और दौरो पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करवाया गया ।

## अनुदान संख्या 64 -(समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(12) राजस्थान राज्य सूचना आयोग			
[01] राजस्थान राज्य सूचना आयोग का भवन निर्माण			
मू.	197.93		
अ.	36.54	136.66	136.66
पु .	-97.81		..

जुलाई, 2023 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यो पर हुये व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 36.54 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुये अनावश्यक था ।

31 मार्च 2024 को ₹ 97.81 लाख का प्रावधान कम दरों पर निविदा प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

(पृष्ठ 19 पर विनियोग लेखों के  
(व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
02. राज्य विधान मण्डल	..	..
03. ब्याज अदायगियां <i>प्रभारित</i>	..	..
05. लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड	..	..
06. विधि एवं विधिक कार्य विभाग	..	..
08. सचिवालय	..	..
09. निर्वाचन विभाग	..	..
10. वाणिज्यिक कर विभाग	1,70,21,76	..
11. पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग	58,63	..
12. आबकारी विभाग	..	..
13. कोष एवं लेखा प्रशासन	1	..
14. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग दत्तमत	75,53,05	1,29,78,63
<i>प्रभारित</i>	1	..
15. पेंशन	2	..
16. राजस्व विभाग	..	..
17. सामान्य प्रशासन विभाग	..	..
18. गृह विभाग	5,00	..
20. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	..	..
21. माध्यमिक शिक्षा विभाग	..	..
22. उच्च शिक्षा विभाग	..	..
23. संस्कृत शिक्षा विभाग	..	..
24. तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..
25. कला एवं संस्कृति विभाग	..	..
27. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	5,00,01	..

## शिष्ट

सारांश में उल्लिखित)

के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
राजस्व	पूंजी	वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
5,78	..	+ 5,78	..
1,44,72	..	+ 1,44,72	..
29	..	+ 29	..
88,37	..	+ 88,37	..
1,42	..	+ 1,42	..
10,53	..	+ 10,53	..
2,35,45,25	..	+ 65,23,49	..
55,24	..	- 3,39	..
2,06	..	+ 2,06	..
42	..	+ 41	..
65,92,00	51,75,36	- 9,61,05	78,03,27
1,27	..	+ 1,26	..
11,93	..	+ 11,91	..
28,44	..	+ 28,44	..
2,39	..	+ 2,39	..
3,82,79	..	+ 3,77,79	..
2,56,01	..	+ 2,56,01	..
7,81,79	..	+ 7,81,79	..
5,73	..	+ 5,73	..
21,29	..	+ 21,29	..
1,11	..	+ 1,11	..
9,46	..	+ 9,46	..
90,61	..	- 4,09,40	..

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी (₹ सहस्र में)
28. चिकित्सा शिक्षा विभाग	..	..
29. आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	..	..
30. जनजातिय क्षेत्र विभाग	2,67,95,60	4,42,25,47
31. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1	..
32. महिला एवं बाल विकास विभाग	..	..
33. सैनिक कल्याण विभाग	..	..
34. श्रम एवं रोजगार विभाग	..	..
36. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	25,21,45,01	..
39. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	1	..
40. स्वायत्त शासन विभाग	2,08,14,75	3,07,38,04
41. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2,47,86,96	3
42. जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	5,94,64,57	10,50,58
43. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	37,28,60	3,93
44. सार्वजनिक निर्माण विभाग	12,39,18,28	27,95,23,70
45. वन एवं पर्यावरण विभाग	2,50,18,01	..
46. कृषि विभाग	..	..

## शिष्ट - (क्रमशः)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
30,90	..	+ 30,90	..
2,28	..	+ 2,28	..
1,97,50,09	6,54,49,55	- 70,45,51	+ 2,12,24,08
6,08	..	+ 6,07	..
1,25	..	+ 1,25	..
17	..	+ 17	..
23,10	..	+ 23,10	..
16,92,72,57	..	- 8,28,72,44	..
..	..	-1	..
1,87,17,72	67,75,10	- 20,97,03	- 2,39,62,94
2,82,00,16	..	+ 34,13,20	- 3
5,06,59,34	37,80,49	- 88,05,23	+ 27,29,91
44,59,20	55	+ 7,30,60	- 3,38
9,47,71,04	29,30,54,40	- 2,91,47,24	+ 1,35,30,70
2,00,03,04	50,00,00	- 50,14,97	+ 50,00,00
16,99	..	+ 16,99	..

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
47. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	..	..
48. उद्यानिकी विभाग	..	..
49. गोपालन विभाग	7,88,40,03	50,00,00
51. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	3,34,16,82	17,56,18,41
52. पंचायती राज विभाग	3,00,00,00	..
54. ऊर्जा विभाग	..	..
56. उद्योग विभाग	..	..
58. खान विभाग	9	1,50,07
60. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	..	..
62. परिवहन विभाग	97,21,26	60,00,03
64. अन्य सामान्य सेवाएं	..	..
<b>दत्तमत</b>	<b>71,37,88,48</b>	<b>55,52,88,89</b>
<b>कुल वसूलियां</b>		
<i>प्रभारित</i>	<i>1</i>	..



## शिष्ट - (समाप्त)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
6,16	..	+ 6,16	..
5,73	..	+ 5,73	..
7,49,76,68	25,64,45	- 38,63,35	- 24,35,55
2,29,49,48	8,47,40,58	- 1,04,67,34	- 9,08,77,83
33	..	- 2,99,99,67	..
11	..	+ 11	..
31,06	..	+ 31,06	..
2,03	4,52,19	+ 1,94	3,02,12
29	..	+ 29	..
34,07,93	38,84,58	- 63,13,33	- 21,15,45
2,86	..	+ 2,86	..
<b>53,91,89,50#</b>	<b>47,08,77,25</b>	<b>- 17,45,98,98</b>	<b>- 8,44,11,64</b>
<b>1,45,99*</b>	..	<b>+ 1,45,98</b>	..

# पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) ₹ 02 हजार का अन्तर है ।

\* पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) ₹ 01 हजार का अन्तर है ।



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ae/rajasthan/hi>

